VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सितंबर 2021

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2022 & 2023
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम
• प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
• मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
• एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
• अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
• योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
• नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
• सीसैट कक्षाएं
• PT 365 कक्षाएं
• MAINS 365 कक्षाएं
• PT टेस्ट सीरीज
• मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
• निबंध टेस्ट सीरीज
• सीसैट टेस्ट सीरीज
• निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
• करेंट अफेयर्स मैगजीन
लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI: 28 सितंबर 1 PM
DELHI: 2023 फाउंडेशन कोर्स : 15 DECEMBER
LUCKNOW : 11 January

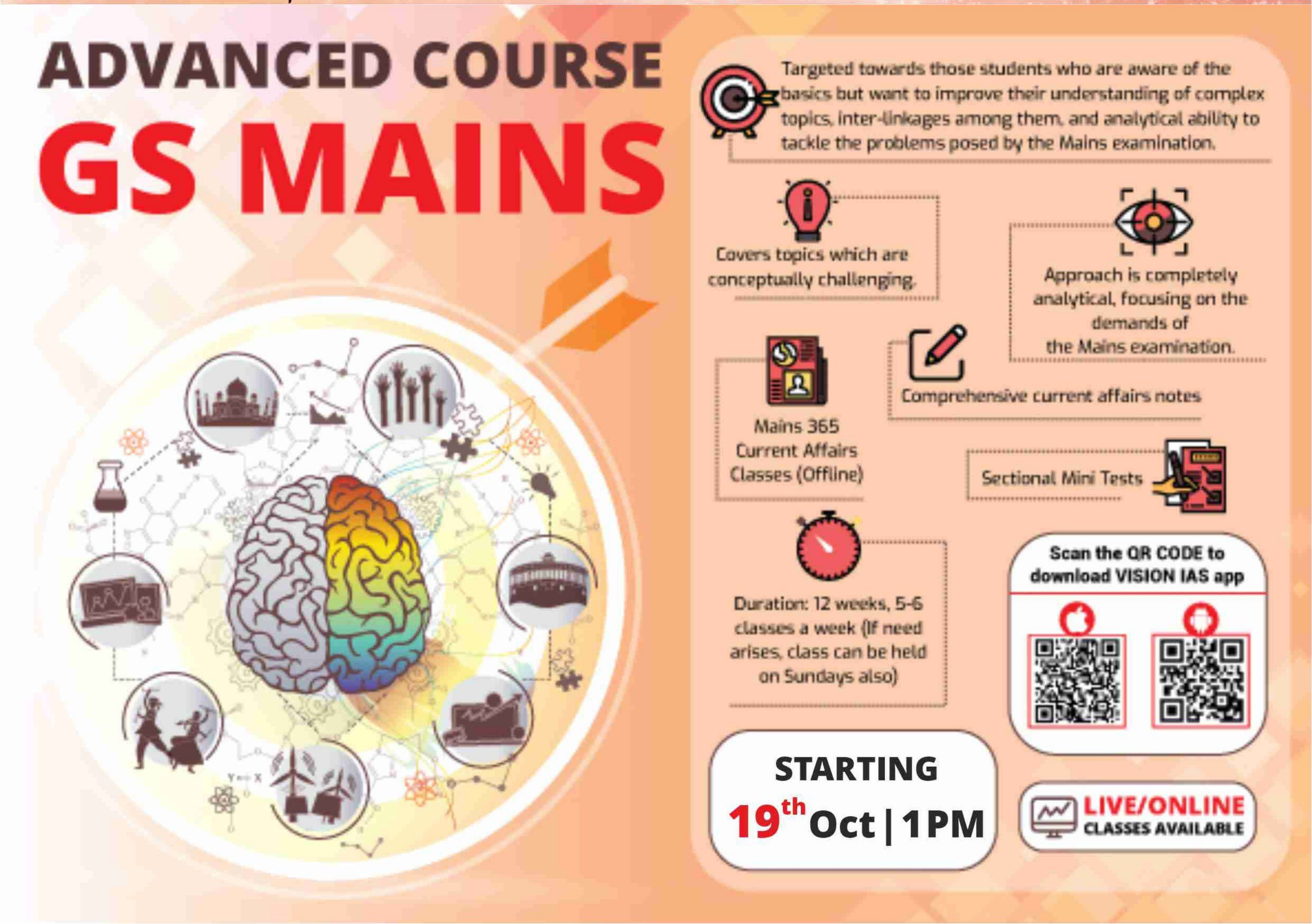

ADVANCED COURSE
GS MAINS
Targeted towards those students who are aware of the basics but want to improve their understanding of complex topics, inter-linkages among them, and analytical ability to tackle the problems posed by the Mains examination.
Covers topics which are conceptually challenging.
Approach is completely analytical, focusing on the demands of the Mains examination.
Comprehensive current affairs notes
Mains 365 Current Affairs Classes (Offline)
Sectional Mini Tests
Duration: 12 weeks, 5-6 classes a week (If need arises, class can be held on Sundays also)
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
STARTING
19th Oct | 1 PM
LIVE/ONLINE CLASSES AVAILABLE

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance) 7

1.1. सामाजिक जवाबदेही (Social Accountability) 7

1.2. जन योजना अभियान (People's Plan Campaign) 9

1.3. लोक सभा का उपाध्यक्ष (Deputy Speaker of Lok Sabha)....................11

1.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News In Shorts) 12

1.4.1. अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1968 में संशोधन {Amendment in All India Services (AIS) (Conduct) Rules, 1968} 12

1.4.2. आपात स्थितियों में प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पी.एम. केयर्स फंड) {Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations (PM-CARES) Fund} 12

1.4.3. उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी संस्थान द्वारा सरकार से अनुदान प्राप्त करने का अधिकार, मूल अधिकार नहीं है (An institution’s right to government aid is not a fundamental right: Supreme Court)....................12

1.4.4. मेघालय उद्यम स्थापत्य परियोजना (मेघईए) आरंभ की गई {Meghalaya Enterprise Architecture Project (MeghEA) Launched} 12

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 14

2.1. पहला क्वाड शिखर सम्मेलन (First Quad Summit) 14

2.1.1. यूरोपीय संघ की हिंद-प्रशांत रणनीति (EU Indo-Pacific Startegy)....................18

2.1.2. ऑकस का गठन (Formation of Aukus)....................19

2.1.3. भारत-फ्रांस संबंध (India-France Relations)....................20

2.2. मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreements: FTAs)....................22

2.3. भारत और बहुपक्षीय विकास संस्थान {India And Multilateral Development Institutions (MDIs)} 25

2.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News In Shorts) 29

2.4.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प में अफगानिस्तान से संबंधित भारत की प्रमुख चिंताओं को संबोधित किया गया है (UNSC Resolution addresses ‘key concerns’ on Afghanistan: India)....................29

2.4.2. शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुखों की परिषद की 21वीं बैठक दुशान्बे में आयोजित हुई {21st meeting of Shanghai Cooperation Organization (SCO) Council of Heads of State in Dushanbe} 29

2.4.3. पूर्वी आर्थिक मंच (Eastern Economic Forum)....................30

2.4.4. भारत ने वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन के उद्देश्यों का समर्थन किया (India endorses objectives of Global COVID-19 Summit) 30

2.4.5. संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने ‘ए पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड’ शीर्षक से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है (U.S.-India Joint Leaders’ Statement: A Partnership for Global Good) 31

2.4.6. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एयर-लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल (ALUAV) के लिए एक परियोजना-समझौते पर हस्ताक्षर किए {India and USA sign project agreement for Air-launched Unmanned Aerial Vehicle (ALUAV)} 31

VISIONIAS

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 33

3.1. भारत में शहरी नियोजन (Urban Planning in India) 33

3.2. भारत में कृषि ऋणग्रस्तता (Agricultural Indebtedness in India) 36

3.3. कृषि पर समझौता (Agreement on Agriculture: AoA) 38

3.4. भारत का निर्यात (India's Exports) 41

3.5. ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस या व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business: EoDB) 46

3.6. वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme For Textiles} 49

3.7. दूरसंचार क्षेत्रक (Telecom Sector) 52

3.8. नागरिक उड्डयन क्षेत्रक (Civil Aviation Sector) 56

3.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News In Shorts) 59

3.9.1. कार्ड टोकनाइजेशन (Card Tokenization) 59

3.9.2. ऋण प्रदायगी व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु खाता संग्राहक प्रणाली आरंभ की गई है (Account Aggregator system launched to bolster lending ecosystem) 60

3.9.3. सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत लेनदारों की समिति के लिए नई आचार संहिता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है {Government proposes new Code of Conduct for Committee of Creditors (CoC) under Insolvency and Bankruptcy Code} 60

3.9.4. भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज की रूपरेखा तैयार की है {SEBI lays the framework Social stock exchanges (SSE)} 61

3.9.5. भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स योजना के तहत तीसरा कोहॉर्ट खोलने की घोषणा की {Reserve Bank of India (RBI) announced opening of the third cohort under Regulatory Sandbox (RS)} 62

3.9.6. टी+1 (व्यापार + 1 दिन) निपटान चक्र {T+1 (Trade plus 1 day) settlement cycle} 63

3.9.7. विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights: SDRs) 63

3.9.8. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत सीड कैपिटल मॉड्यूल का शुभारंभ किया है {Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) launched the PMFME Scheme Seed Capital Module} 63

3.9.9. रेल कौशल विकास योजना {Rail Kaushal Vikas Yojana (RKVY)} 63

3.9.10. डिजी सक्षम (DigiSaksham) 64

3.9.11. डेयरी फार्मिंग क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (Capacity Building Program For Women In Dairy Farming) 64

3.9.12. परिवहन एवं विपणन सहायता योजना {Transport and Marketing Assistance (TMA) scheme} 64

3.9.13. भारत का प्रथम यूरो-मूल्यवर्ग का ग्रीन बॉण्ड (India's first ever Euro-denominated green bonds) 64

3.9.14. केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष दिसंबर माह तक किसानों के डेटाबेस को 5.5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया जाएगा (Centre to raise farmers database from 5.5 crore to 8 crore by December end) 64

3.9.15. सरकार द्वारा जिला स्तरीय विद्युत समितियों के गठन के आदेश जारी किए गए (Government Issues Orders to Set Up District-Level Power Committees) 65

VISIONIAS

3.9.16. वैश्विक नवाचार सूचकांक- 2021 में दो स्थान के सुधार के साथ भारत 46वें स्थान पर आ गया है {India Jumps 2 Spots to 46th Rank in the Global Innovation Index (GII) 2021}....66
3.9.17. अंकटाड व्यापार और विकास रिपोर्ट, 2021 जारी की गई (UNCTAD Trade and Development Report 2021, released)....67

4. सुरक्षा (Security) 68

4.1. ओवर-ग्राउंड वर्कर (Overground Workers)....68

4.2. सैन्य लॉजिस्टिक समझौते (Military Logistics Agreements)....70

4.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News In Shorts)....71
4.3.1. थिएटर कमांडर, सीधे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करेंगे {Theatre commanders will report to Chief of Defence Staff (CDS)}....71
4.3.2. हेलीना (हेलीकॉप्टर आधारित नाग) {HELINA (Helicopter based NAG)}....72
4.3.3. सुर्ख़ियों में रहे युद्ध अभ्यास (Exercises in News)....72

5. पर्यावरण (Environment) 73

5.1. अंटार्कटिका के पर्यावरण का संरक्षण (Protecting The Antarctic Environment)....73

5.2. तटीय शहरों के लिए जलवायु कार्य योजना (Climate Action Plan For Coastal Cities)....76

5.3. वायु प्रदूषण का मापन (Air Pollution Measurement)....79

5.4. चक्रीय प्लास्टिक अर्थव्यवस्था (Circular Plastic Economy)....82

5.5. नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (Renewable Energy Certificate: REC)....84

5.6. मेथनॉल अर्थव्यवस्था (Methanol Economy)....86

5.7. संभवतः विलुप्त प्रजातियां (Possibly Extinct Species)....89

5.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News In Shorts)....92
5.8.1. भारत का प्रथम डुगोंग संरक्षण रिज़र्व तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा (Tamil Nadu to set up India's first Dugong Conservation reserve)....92
5.8.2. यूनेस्को द्वारा "यूरोप के अमेज़न" में विश्व का प्रथम 5-देशीय बायोस्फीयर रिज़र्व घोषित किया गया (UNESCO declares world's first 5-country biosphere reserve in "Amazon of Europe")....92
5.8.3. हाईबोडॉन्ट शार्क (Hybodont sharks)....93
5.8.4. प्रधान मंत्री ने विशेष गुणों वाली फसलों की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की {Prime Minister (PM) dedicates to the nation 35 crop varieties with special traits}....93
5.8.5. वर्ष 1970 से वर्ष 2019 के मध्य चरम मौसमी, जलवायवीय एवं जलीय आपदाओं के परिणामस्वरूप मृत्यु दर तथा आर्थिक क्षति से संबंधित एटलस जारी किया गया {The Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes (1970–2019)}....94
5.8.6. जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2050 तक 216 मिलियन लोग अपने ही देश में प्रवास करने के लिए विवश हो सकते हैं (Climate change can force 216 million people to migrate within their own countries by 2050)....95

5.8.7. खाद्य प्रणाली को रूपांतरित करने हेतु “ए मल्टी बिलियन डॉलर ऑपरच्यूनिटी: रीपर्पज़िंग एग्रीकल्चरल सपोर्ट टू ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम” नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है (A Multi-Billion-Dollar Opportunity: Repurposing Agricultural Support To Transform Food System) 96
5.8.8. ग्रीन वॉयेज 2050 परियोजना (Green Voyage 2050 Project) 96
5.8.9. क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग {Climate Action and Finance Mobilization Dialogue (CAFMD)} 97

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 98

6.1. बाल विवाह (Child Marriage) 98
6.2. शिक्षा में निजी क्षेत्रक की भागीदारी (Private Sector Participation in Education System) 101
6.3. कृषि क्षेत्र का स्त्रीकरण (Feminization of Agriculture) 104
6.4. भारत में द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल (Secondary Health Care in India) 106
6.5. भारत में अपराध रिपोर्ट 2020 (Crime In India 2020 Report) 109
6.6. स्वच्छ सर्वेक्षण (Swachh Survekshan) 110
6.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News In Shorts) 113
6.7.1. शिक्षा मंत्रालय ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए ‘इंडिया रैंकिंग 2021’ को जारी किया {Ministry of Education (MOE) Releases India Rankings of Higher Education Institutes (HEIs), 2021} 113
6.7.2. ‘साथ’ पहल (Saath Initiative) 113
6.7.3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को सुगम बनाने के लिए नियम निर्धारित करेगा {The Ministry Of Women And Child Development (MWCD) To Bring Rules To Ease Inter-Country Adoption} 114
6.7.4. केंद्र सरकार द्वारा फोर्टिफाइड चावल के लिए एक समान विनिर्देशों की घोषणा की गई है (Centre Announces Uniform Specifications For Fortified Rice) 114

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 117

7.1. कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग (Use of Technology In Agriculture) 117
7.2. कोयला आधारित हाइड्रोजन (Coal Based Hydrogen) 119
7.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News In Shorts) 122
7.3.1. सुर्ख़ियों में रहे में अंतरिक्ष कार्यक्रम (Space Programmes In News) 122
7.3.2. ब्ल्यू स्ट्रैग्लर (Blue straggler) 122
7.3.3. हवाना सिंड्रोम (Havana Syndrome) 122
7.3.4. कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ {National Action Plan For Dog Mediated Rabies Elimination (NAPRE) Launched} 123
7.3.5. ‘यूनाइटेड इन साइंस 2021’ रिपोर्ट जारी की गई (United In Science 2021 Report Released) 123
7.3.6. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी {Ministry Of Health And Family Welfare Releases 3rd State Food Safety Index (SFSI)} 123
7.3.7. केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) आरंभ {Government Launches Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM)} 124

8. संस्कृति (Culture) 126

8.1. गुप्त काल का प्राचीन मंदिर (Ancient temple of Gupta period) 126

8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News In Shorts) 127

8.2.1. तमिलनाडु में, 3200 वर्ष (1155 ईसा पूर्व) प्राचीन पोरुनै नदी (तामिरबरनी) सभ्यता की खोज {Thaporunai River (Thamirabarani) civilization in Tamil Nadu Dating Back 3,200 Years (1155 BC)}........127

8.2.2. पर्युषण और दस लक्षण (Paryushan and Daslakshan)........128

8.2.3. सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Cultural Mapping: NMCM)........128

8.2.4. जुडिमा राइस वाइन को भौगोलिक संकेतक (GI टैग) का दर्जा (GI Tag to Judima Rice Wine)........129

8.2.5. मीनाकारी (Meenakari)........129

9. नीतिशास्त्र (Ethics) 130

9.1. मीडिया एथिक्स: लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के आधार का मूल्यांकन (Media Ethics: Examining The Foundation of The Fourth Pillar of Democracy)........130

10. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes In News) 134

10.1. प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण हेतु राष्ट्रीय योजना (National Scheme for PM Poshan Shakti Nirman)........134

10.2. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana)........135

10.3. अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana: APY)........136

10.4. ऑटोमोबाइल व ड्रोन उद्योगों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme For Auto, Drone Industries}........137

VISIONIAS

नोट:

प्रिय छात्रों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना लेखों को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।

पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे स्मरण में बनाए रखने के लिए प्रश्न एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इसे सक्षम करने के लिए हम प्रश्नों के अभ्यास हेतु मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में एक स्मार्ट क्विज़ को शामिल कर रहे हैं।

विषय को सुगमता पूर्वक समझने और सूचना के प्रतिधारण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के इन्फोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।

सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1. सामाजिक जवाबदेही (Social Accountability)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राजस्थान में राज्य स्तर पर एक अभियान आरंभ किया गया है। इसमें मांग की गई है कि अगले विधान सभा सत्र में **सामाजिक जवाबदेही कानून** पारित किया जाए।

सामाजिक जवाबदेही क्या है?

- सामाजिक जवाबदेही का आशय सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने से है। इसके लिए देश के नागरिक, अलग-अलग समुदाय, स्वतंत्र मीडिया और नागरिक समाज संगठन विभिन्न कार्यवाइयों एवं तंत्रों का उपयोग करके सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराते हैं।
- सेवा प्रदायगी (service delivery) के विभिन्न चरणों में शामिल **सामाजिक जवाबदेही के सामान्य साधन निम्नलिखित हैं:**

साधन	विवरण	यह पहले से इस राज्य में चलन में है
सहभागी बजट (Participatory budgeting)	यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें नागरिक बजट बनाने, निर्णय लेने और बजट के कार्यान्वयन की निगरानी में सीधे तौर पर भाग लेते हैं। यह नागरिकों को मुख्य रूप से सरकार के स्थानीय स्तर पर **बजट के संबंध में अपनी प्राथमिकताएं दर्ज कराने के लिए** एक माध्यम उपलब्ध कराता है।	**गुजरात**
सहभागी नियोजन (Participatory Planning	यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें **सरकारी कार्यक्रमों के लाभार्थी अपने लिए कार्यक्रम के घटकों की योजना तथा रूपरेखा निर्मित करने में शामिल होते हैं।** इसके चलते स्थानीय समस्याओं और प्राथमिकताओं को निर्धारित कर उनका समाधान किया जाता है।	**केरल**
सरकारी व्यय पर नजर रखना	इसका उद्देश्य नागरिक समूहों को सार्वजनिक वस्तुओं या सेवाओं को प्रदान करने हेतु आरंभ से अंत तक सार्वजनिक संसाधनों के प्रवाह की निगरानी करने में शामिल करना है। इसकी सहायता से **बाधाओं, अक्षमताओं या भ्रष्टाचार के बारे में पता लगाया जा सकता है।**	**दिल्ली एवं राजस्थान**
नागरिक रिपोर्ट कार्ड	यह समाज में शामिल सभी के विचारों पर आधारित होता है। इसलिए, इसे **सहभागी सर्वेक्षण** भी कहते हैं। यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में सेवा प्रदाताओं को नागरिकों के संतुष्टि के स्तर के बारे में मात्रात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करता है।	**बेंगलुरु और महाराष्ट्र**
समुदाय स्कोर कार्ड	यह **समुदाय आधारित निगरानी का एक साधन है।** इसमें समुदाय के साथ निर्धारित विषय पर ग्रुप डिस्कशन द्वारा प्राप्त किए गए गुणात्मक डेटा का विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद **सेवाओं, परियोजनाओं और सरकारी प्रदर्शनों का आकलन किया जाता है।**	**महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश**
सामाजिक लेखा-परीक्षा (सोशल ऑडिट)	इसे **सामाजिक लेखांकन** भी कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें सरकारी कार्यक्रम के तहत निर्धारित लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी से सरकारी कार्यक्रम की लेखा-परीक्षा की जाती है। इस प्रक्रिया के अंत में जन सुनवाइयों का आयोजन किया जाता है। इन जन सुनवाइयों के दौरान जांच के नतीजों पर चर्चा होती है और सेवा प्रदाताओं, अधिकारियों एवं लाभार्थियों के सामने ही विसंगतियों को प्रकट किया जाता है।	
नागरिक चार्टर	यह एक दस्तावेज़ होता है, जो **नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित उनके अधिकारों के बारे में बताता है, जैसे:** • **सार्वजनिक सेवाओं के उपयोगकर्ता के रूप में सेवाओं से संबंधित उनके अधिकार,** • सेवाओं से संबंधित मानकों जैसे कि समय सीमा और गुणवत्ता, • मानकों का पालन न होने पर उपलब्ध उपाय, तथा • साथ ही, यह सेवा की प्रक्रियाओं, लागतों और शुल्कों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है।	**आंध्र प्रदेश व कर्नाटक**

सामाजिक जवाबदेही की आवश्यकता

परंपरागत व्यवस्था में मौजूदा खामियों की भरपाई हेतु

- बाह्य मोर्चे (चुनाव के माध्यम से) और अंदरूनी मोर्चे (विभागीय लेखा परीक्षण के माध्यम से) पर किए जाने वाले लेखा परीक्षण के पारंपरिक तरीके विशेष परिणाम प्रदान करने में असफल रहे हैं। इस हेतु उत्तरदायी कारकों में संसाधनों का पक्षपातपूर्ण और अप्रभावी उपयोग, भ्रष्टाचार, पर्याप्त वित्त की कमी, नियमों को लागू करने की सीमित क्षमता आदि शामिल रहे हैं।

गवर्नेंस या अभिशासन में सुधार हेतु

- सरकार की गतिविधियों में नागरिकों की भागीदारी, सेवा वितरण प्रक्रिया को तीव्र करने तथा जवाबदेही प्रक्रिया को मज़बूत बनाने में मदद करते हैं। साथ ही, विकास की प्रभावशीलता को बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार को कम करने में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

नागरिकों के सशक्तीकरण हेतु

- सामाजिक जवाबदेही सरकार को लोगों के करीब लाती है, लोगों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करती है और लोगों को एकजुट होने और अपने मुद्दों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती है।

सामाजिक जवाबदेही के प्रयासों के समक्ष विद्यमान चुनौतियां और सुभेद्यताएं

- **सुधार का विरोध:** इसके परिणामस्वरूप निहित स्वार्थ वाले लोग **महत्वपूर्ण जानकारी को छिपा कर अपूर्ण या अपर्याप्त जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं।** उदाहरण के लिए, बजट संबंधी दस्तावेजों के बारे में अधूरी जानकारी देना, जो विभिन्न सामाजिक जवाबदेही पहलों का संचालन करने के लिए आवश्यक होता है।
- **नागरिकों में आत्मसंतोष:** ऐसा तब होता है जब प्रणाली में समुदाय के शक्तिशाली सदस्यों को चुन लिया जाता है या जहां भ्रष्टाचार और अपराध से संपूर्ण समुदाय को लाभ प्राप्त होता है। इसका परिणाम यह होता है कि **नागरिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं बोलते** और सामाजिक जवाबदेही के प्रयासों में **सहयोग करने से इनकार कर देते हैं।**
- **शक्तिशाली निहित स्वार्थ के कारण व्यवधान:** खतरे और दबाव के भय से लोग सामाजिक जवाबदेही की पहलों में सीधे तौर पर हिस्सा लेने और अपनी बात रखने से बचते हैं।
- **प्रभावी शिकायत निपटान व्यवस्था का अभाव:** प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से सामाजिक जवाबदेही के निष्कर्षों पर सख्त और प्रभावी कार्रवाई सामाजिक जवाबदेही पहल की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

मजबूत सामाजिक जवाबदेही कानून के लिए अनिवार्य घटक

सामाजिक जवाबदेही निम्नलिखित दो कारकों के संयुक्त रूप से कार्य करने का परिणाम होती है:

- **संस्थानों की प्रणाली:** यह नागरिक भागीदारी के लिए मंच का निर्माण करती है।
- **सूचित और एकजुट नागरिक:** ये प्रणाली से जवाबदेही से संबद्ध मांग करने के लिए इन मंचों का उपयोग करते हैं। **इसके लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है:**

- प्रभावी विकेंद्रीकरण: सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को "सब्सिडिरिटी या सहायिकता के सिद्धांत" को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। इसके तहत स्थानीय सरकारों अर्थात् पंचायतों और नगरपालिकाओं को कार्यान्वयन के लिए शक्तियां एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं।
  - **सब्सिडिरिटी का सिद्धांत:** इसके अनुसार, यदि किसी कार्य को स्थानीय स्तर पर बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है, तो उसे स्थानीय स्तर पर ही पूरा किया जाना चाहिए।
- **सूचना और जागरूकता:** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 को और मजबूत करके, उपयुक्त और विश्वसनीय सूचना की जानकारी देने को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

- **क्षमता निर्माण और समुदाय को एकजुट करना:** अधिकारियों के साथ-साथ नागरिकों के लिए भी नियमित प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। साथ ही, योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भागीदारी के लिए लोगों को संगठित करने हेतु स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और अन्य सामुदायिक समूहों की मदद ली जानी चाहिए।
- **कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में सामाजिक जवाबदेही को अनिवार्य बनाना:** प्रत्येक योजना के कार्यान्वयन में सामाजिक जवाबदेही (संदर्भ पर निर्भर, सेवा उपलब्ध कराने का चरण आदि) को आवश्यक बनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जिन योजनाओं का लोगों पर बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ता है, उनके लिए सामाजिक लेखा-परीक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
  - ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी को अनिवार्य बनाए जाने पर वे सफल सिद्ध हुई हैं। (बॉक्स देखें)
- **शिकायतों का समाधान:** इसके तहत प्राप्त शिकायतों का निदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन और विस्तृत आचार संहिता तैयार की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

वर्तमान उभरती स्थितियों को देखते हुए सामाजिक जवाबदेही पर एक केंद्रीय कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। इससे प्रणाली को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और सक्षम बनाया जा सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि सरकार द्वारा आरंभ किए जाने वाले कार्यक्रम तक समाज के निर्धन, हाशिये पर स्थित और वंचित वर्ग को बेहतर पहुंच प्राप्त होगी। इससे गरीबी को कम किया जा सकेगा और देश का विकास होगा।

सफलता की कहानियां

- **केरल में विकेन्द्रीकृत योजना के लिए लोक अभियान:** इसकी सफलता का श्रेय महत्वपूर्ण वित्तीय और कार्यात्मक हस्तांतरण तथा भागीदारी के लिए संस्थागत प्रोत्साहन को दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप अब तक हाशिए पर रहने वाले लोग जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है।
- **मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS):** यह राजस्थान में जमीनी स्तर पर कार्य करने वाला एक संगठन है। इसने 'सामाजिक लेखा-परीक्षा' को अपनाया है। इसने अधिकारियों के कार्यों की निगरानी पर केवल राज्य के अधिकार को चुनौती देते हुए इसमें नागरिक केंद्रित भागीदारी को वैध रूप प्रदान किया है।
- **मनरेगा:** इसने पंचायतों को अधिकार दिया है कि वे मनरेगा योजना के तहत जिन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है उन सभी की नियमित तौर पर सामाजिक लेखा-परीक्षा कर सकेंगी। ऐसा भ्रष्टाचार और खराब प्रबंधन की समस्या को दूर करने के लिए किया गया है। ये समस्याएं पहले दिहाड़ी रोजगार से संबंधित योजनाओं को बुरी तरह प्रभावित करती थीं।

1.2. जन योजना अभियान (People's Plan Campaign)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **जन योजना अभियान 2021- सबकी योजना सबका विकास** आरंभ किया है। साथ ही, **वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड** का भी शुभारंभ किया गया है।

पीपल्स प्लान कैंपेन या जन योजना अभियान के बारे में

- पीपल्स प्लान कैंपेन वस्तुतः एक अभियान के रूप में **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)**[1] तैयार करने हेतु एक प्रभावी रणनीति है। इस अभियान के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाएंगी।
- बैठकों का आयोजन भौतिक रूप से किया जाएगा और बैठक के दौरान 29 क्षेत्रकों के अग्रिम मोर्चे के कामगार/पर्यवेक्षक मौजूद होंगे। इसके तहत **समाज के सुभेद्य वर्गों** जैसे कि अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ महिलाओं आदि की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।

[1] Gram Panchayat Development Plan: GPDP

- पंचायत विकास योजना का उद्देश्य ग्राम सभा को प्रभावी बनाने के लिए **पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों** की भूमिका को मजबूत करना है। साथ ही, इसके तहत **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं** की भूमिका को भी मजबूत करना है। देश भर में **कुल 31.65 लाख निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिनमें से 14.53 लाख महिलाएं हैं।**

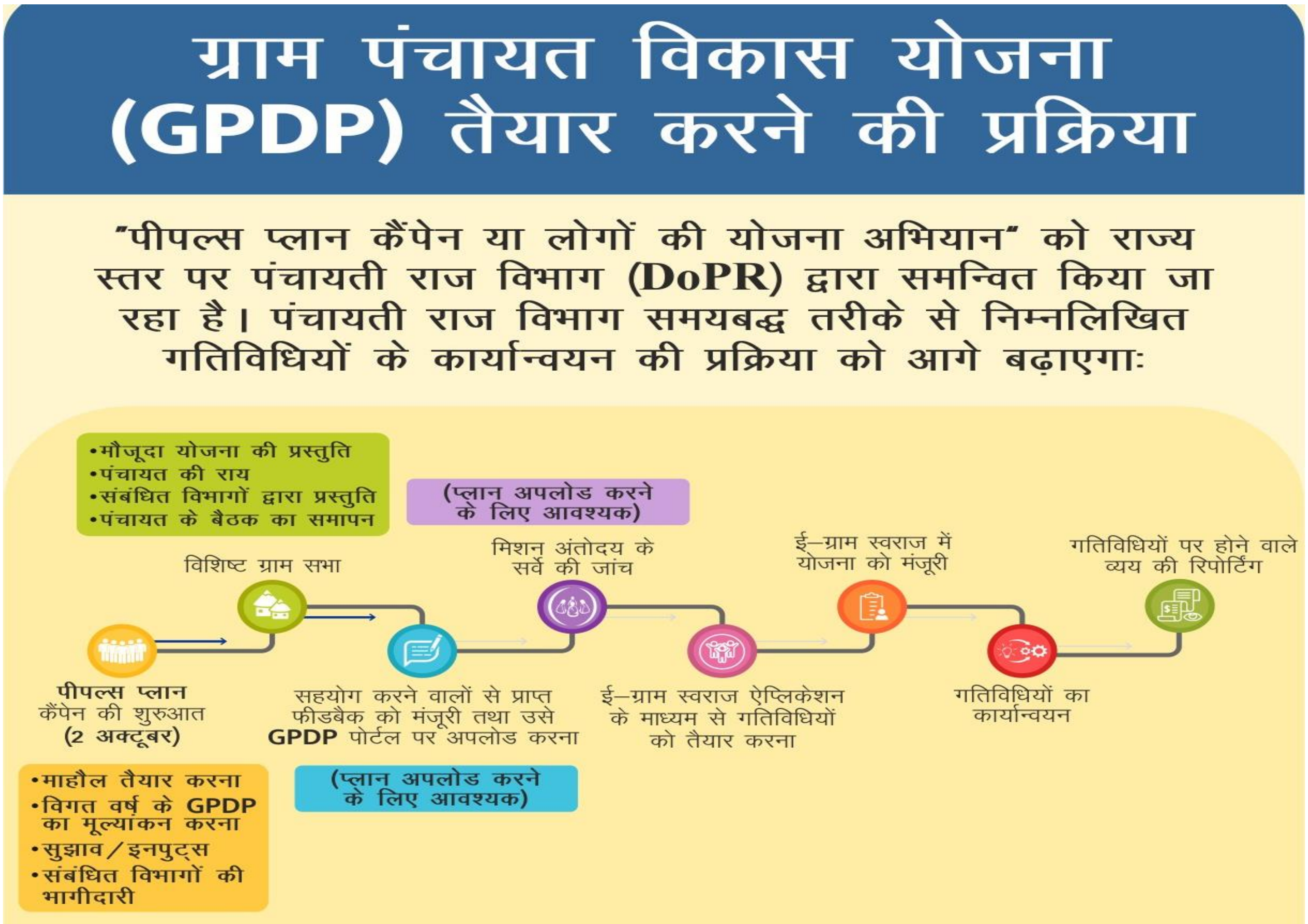

ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) और इसका महत्व

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 243G** ने आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने एवं उसे लागू करने का दायित्व सौंपा है।** ग्राम पंचायत विकास योजना तीन आवश्यक कार्य करती है:
    - यह लोगों को एक **विजन** प्रदान करती है कि लोग अपने गांव को कैसा देखना चाहेंगे;
    - यह उस विजन को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट **लक्ष्य** निर्धारित करती है; तथा
    - उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए **कार्य योजना** प्रदान करती है।
- ग्राम पंचायत विकास योजना को व्यापक और समुदाय (विशेष रूप से ग्राम सभा) को शामिल करने वाली सहभागी प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इसे संविधान की **11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से जुड़े** सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों की योजना के साथ तालमेल पर आधारित होना चाहिए।
- पंचायतें, **ग्रामीण भारत का रूपांतरण करने हेतु राष्ट्रीय महत्व के विषयों से संबंधित प्रमुख योजनाओं के प्रभावी**

कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इस तथ्य के संबंध में अन्य योजनाओं के साथ तालमेल या अभिसरण व्यापक महत्व रखता है।

- **पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत विकास योजना के आदर्श दिशा-निर्देश तैयार कर लिए हैं।** इन्हें उन सभी राज्यों को प्रेषित कर दिया गया है जहां संविधान का भाग IX लागू है।

ग्राम सभा डैशबोर्ड

यह डैशबोर्ड, **संपूर्ण वर्ष** ग्राम सभा की बैठक, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति की बैठक तथा निर्वाचित पंचायत के जनप्रतिनिधियों की बैठक के माध्यम से अधिकतम भागीदारी बढ़ाने में सहायता करेगा।

1.3. लोक सभा का उपाध्यक्ष (Deputy Speaker of Lok Sabha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान लोक सभा सचिवालय से 2 वर्ष से अधिक समय से लोक सभा के उपाध्यक्ष के रिक्त पद पर जवाब मांगा है।

उपाध्यक्ष और उसके निर्वाचन के बारे में

- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष **लोक सभा के पीठासीन अधिकारी** होते हैं।
- जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है या सदन की किसी बैठक से अध्यक्ष अनुपस्थिति होता है, तब **अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष करता है।**
- **संविधान के अनुच्छेद 94** के अनुसार, लोक सभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।
- **अनुच्छेद 93** के तहत, "लोक सभा यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब लोक सभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।"
- हालांकि **अनुच्छेद 93** के तहत निर्वाचन के लिए **कोई समय-सीमा प्रदान नहीं** की गई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद होने के कारण सामान्यतः अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद अगली बैठक में उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है।
- **राष्ट्रपति,** अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निर्धारित करता है। जब अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाता है तब अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निर्धारित की जाती है।

लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम एवं उपाध्यक्ष

- उपाध्यक्ष का पद **संवैधानिक पद** होता है और इस पद के साथ कई महत्वपूर्ण कार्य/कर्तव्य जुड़े होते हैं। इसलिए उपाध्यक्ष को निर्वाचित करने से भारतीय लोकतंत्र मजबूत होगा।
- लोक सभा **की प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों के नियम 8** के तहत उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निर्धारित करने का दायित्व अध्यक्ष को प्रदान किया गया है।
- इसके **नियम 9** के अनुसार, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा में पीठासीन होने के लिए अध्यक्ष द्वारा **10 सदस्यों की एक तालिका बनायी जाती है।** लेकिन, उन्हें उपाध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है।

उपाध्यक्ष का पद रिक्त क्यों है?

वर्ष 2019 में लोक सभा के गठन के उपरांत से दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 17वीं लोक सभा के लिए उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि अब तक निर्धारित नहीं की गई है।

उपाध्यक्ष का पद **(मोरारजी देसाई सरकार** के समय से) लोक सभा के सबसे बड़े विपक्षी दल को देने की परंपरा रही है। हालांकि, इसके कुछ अपवाद भी रहे हैं। वर्तमान लोक सभा में **संयुक्त विपक्ष इतना मजबूत नहीं है** कि वह अपनी पसंद का कोई सदस्य चुन सके। ऐसे में उपाध्यक्ष के चुनाव का दायित्व मौजूदा सरकार पर आ जाता है। वह यह कार्य दो तरह से कर सकती है:

- **संसदीय परंपरा को जारी रखते हुए** सबसे बड़े विपक्षी दल से उपाध्यक्ष का निर्वाचन करे, या
- लोक सभा में उपाध्यक्ष के पद के लिए **किसी अन्य दल से समझौता कर ले।** जैसे कि, 16वीं लोक सभा में उपाध्यक्ष पद AIADMK के पास था।

निष्कर्ष

उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहने से न केवल लोक सभा का कार्य-संचालन प्रभावित होता है, बल्कि इससे संसदीय लोकतंत्र को भी प्रतीकात्मक रूप से क्षति पहुंचती है। इस संदर्भ में, उपाध्यक्ष के पद को जल्द से जल्द भरना आवश्यक है।

1.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News In Shorts)

1.4.1. अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1968 में संशोधन {Amendment in All India Services (AIS) (Conduct) Rules, 1968}

- यह संशोधन **भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS)** और **भारतीय वन सेवा (IFoS) के अधिकारियों** को भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य होने के दौरान **विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त उपहारों को अपने पास रखने की अनुमति प्रदान करेगा।**
    - वर्तमान में **अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1968** के तहत विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से उपहारों की प्राप्ति/प्रतिधारण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं हैं।
- मौजूदा नियम इन अधिकारियों को विवाह, वर्षगांठ, अंत्येष्टि और धार्मिक कार्यों जैसे अवसरों पर **अपने निकट रिश्तेदारों या उनके साथ कोई आधिकारिक व्यवहार नहीं रखने वाले व्यक्तिगत मित्रों से उपहार स्वीकार करने** की अनुमति देते हैं।
    - हालांकि, यदि इस प्रकार के **उपहार का मूल्य 25,000 रुपये से अधिक है, तो उन्हें सरकार को सूचित करना पड़ता है।**

1.4.2. आपात स्थितियों में प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पी.एम. केयर्स फंड) {Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations (PM-CARES) Fund}

- केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि **पी.एम. केयर्स फंड,** जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, **सरकारी फंड नहीं है।** इसका कारण यह है कि इसके द्वारा **एकत्र की गई राशि भारत की संचित निधि में जमा नहीं की जाती है।**
    - यह स्पष्टीकरण एक याचिका के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत किया गया है। याचिका में **पी.एम. केयर्स फंड को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' घोषित** किए जाने की मांग की गई थी।
- **प्रधान मंत्री पी.एम.केयर्स फंड के अध्यक्ष (पदेन) होते हैं** तथा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इस फंड के पदेन ट्रस्टी हैं।

1.4.3. उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी संस्थान द्वारा सरकार से अनुदान प्राप्त करने का अधिकार, मूल अधिकार नहीं है (An institution's right to government aid is not a fundamental right: Supreme Court)

- उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी शिक्षा संस्थानों को प्रदान किये जाने वाले सरकारी अनुदान से संबंधित एक वाद की सुनवाई के दौरान की गई है। इस मामले में शीर्ष न्यायालय ने सभी सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों एवं विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति को आउटसोर्स करने के उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2010 के नीतिगत निर्णय को यथावत रखा है।
- **इस निर्णय के मुख्य बिन्दु:**
    - उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि **किसी संस्था को प्रदान की जाने वाली सरकारी सहायता एक नीतिगत विषय है और यह उस संस्था का मूल अधिकार नहीं है।** इसलिए, ऐसे मामले में भी जहां सहायता वापस लेने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया जाता है, कोई संस्था इस निर्णय को अपने "अधिकार के मामले" के रूप में प्रश्नगत नहीं कर सकती है।
        - कोई भी नीति **वित्तीय बाधाओं और कमियों, संस्था के हितों** आदि सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।
    - **संविधान के अनुच्छेद 30 में युक्तियुक्त निर्बंधनों (reasonable restrictions) की व्यवस्था की गई है।** इसके तहत **सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए, अल्पसंख्यक** और **गैर-अल्पसंख्यक** वर्गों के मध्य कोई विभेद नहीं किया जा सकता है। किन्तु, यदि कोई संस्था ऐसी सहायता से जुड़ी शर्तों को स्वीकार अथवा उनका अनुपालन नहीं करना चाहती है, तो वह अपने अनुसार सरकारी अनुदान को अस्वीकार करने तथा स्वयं के निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।
        - संविधान के अनुच्छेद 30 (2) में यह उपबंध किया गया है कि **"शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि उसका प्रबंधन धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के अधीन है।"**

1.4.4. मेघालय उद्यम स्थापत्य परियोजना (मेघईए) आरंभ की गई {Meghalaya Enterprise Architecture Project (MeghEA) Launched}

- **मेघईए (MeghEA)** का लक्ष्य पारंपरिक सेवा वितरण प्रक्रिया को डिजिटल सेवा प्रणाली में परिवर्तित करना है।
    - **मेघईए 6 स्तंभों में विस्तारित है:** अभिशासन (गवर्नेंस), मानव संसाधन, उद्यमिता, प्राथमिक क्षेत्र, बुनियादी ढांचा तथा पर्यावरण।
- ध्यातव्य है कि मेघालय **भारत उद्यम स्थापत्य (IndEA /इंडईए) को मेघईए** के रूप में लागू करने वाला प्रथम राज्य है।

- इंडईए को **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह एक ऐसा तंत्र है, जो समान मॉडल एवं मानकों के अनुरूप संपूर्ण भारत में सभी सरकारों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र एवं समानांतर रूप से **एंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर्स** के विकास व उनके कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है।
    - यह ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में विविधता में एकता स्थापित करने का एक माध्यम है।
- **इस तंत्र में आठ संदर्भ मॉडल शामिल हैं:** व्यवसाय, एप्लीकेशन, डेटा, प्रौद्योगिकी, प्रदर्शन, सुरक्षा, अखंडता और आर्किटेक्चर गवर्नेंस (संरचना शासन)।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. पहला क्वाड शिखर सम्मेलन (First Quad Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, क्वाड देशों के पहले व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस बैठक की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने की।

क्वाड के बारे में

- क्वाड को चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue) के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह **भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया** और **जापान** द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक अनौपचारिक संगठन है। **वर्ष 2007 में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान/ASIAN) के शिखर सम्मेलन** के दौरान इस समूह की **पहली अनौपचारिक बैठक** हुई थी।
    - इसकी शुरुआत **प्रथम मालाबार सैन्य अभ्यास और वर्ष 2004 की सुनामी** से जुड़ी हुई है। इस दौरान भारत ने स्वयं के लिए और पड़ोसी देशों हेतु राहत एवं बचाव अभियान संचालित किए थे। बाद में, इस अभियान में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित हो गए थे।
- **चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति** का सामना करने के लिए इसका गठन किया गया था। हालांकि, क्वाड का यह संस्करण वर्ष 2008 में लुप्त हो गया था। इसके समापन हेतु उत्तरदायी कारकों में शामिल थे:
    - **सामान्य दृष्टिकोण और दर्शन के अभाव** जैसे प्रमुख कारणों को वर्ष 2008 में इस भागीदारी के समापन हेतु उत्तरदायी माना गया।
    - भारत उस समय चीन की प्रतिक्रिया के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील था, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बने। इसके अतिरिक्त, इस दौरान भारत **क्वाड की उपयोगिता को लेकर भी चिंतित** था। क्योंकि भारत द्वारा पहले से ही जापान एवं अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया व जापान के साथ त्रिपक्षीय संबंध संचालित किए जा चुके थे।
- **वर्ष 2017 में पुनः चीन के विस्तारवादी स्वरूप को देखते हुए** चारों देशों ने क्वाड को **पुनर्जीवित** किया। हालांकि, **"क्वाड 2.0" वर्ष 2017 से 2021 के मध्य ज़मीनी स्तर पर सुदृढ़ता से किए गए कार्यों का परिणाम है।**
    - क्वाड के मुख्य उद्देश्यों में **नियम आधारित विश्व व्यवस्था को सुनिश्चित करना, नौवहन की स्वतंत्रता और उदार व्यापार प्रणाली को स्थापित करना आदि शामिल हैं।**
    - इसे समुद्री क्षेत्र वाले लोकतांत्रिक देशों का एक गठबंधन माना जाता है। इसके द्वारा सभी सदस्यों के मध्य समय-समय पर बैठकें, अनियमित शिखर सम्मेलन, सूचनाओं का आदान-प्रदान और सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता रहा है।

भारत के संदर्भ में क्वाड की प्रासंगिकता

- **चीन के प्रभाव को संतुलित करना:** यदि सीमा पर चीन की गतिविधियों में बढ़ोतरी होती है, तो भारत उस पर दबाव डालने के लिए अन्य क्वाड राष्ट्रों की सहायता ले सकता है।
    - भारत अपने क्वाड भागीदारों के साथ मिलकर चीन की बेल्ट और रोड पहल का विकल्प तलाशने की दिशा में प्रयासरत है। चीन की इस परियोजना ने भारत की प्रादेशिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय प्रमुखता को कमजोर किया है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र की बढ़ती प्रासंगिकता:** इसकी अनुकूल भू-भौगोलिक और प्रायद्वीपीय भौगोलिक स्थिति के कारण भारत, हिंद-प्रशांत के तटीय देशों के साथ व्यापक पैमाने पर व्यापार एवं सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखने में सफल रहा है। क्वाड वस्तुतः भारत को **पूर्वी एशिया से संबंधित हितों में वृद्धि करने और अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करने हेतु एक प्रभावी मंच प्रदान करता है।**
    - इसके अतिरिक्त, एशिया अफ़्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, हिंद महासागर आयोग आदि जैसे विभिन्न मंचों में भागीदारी के माध्यम से यह क्षेत्र में समावेशिता की भावना को भी बढ़ावा देता है।
- **उभरती विदेश नीति संबंधी रणनीति:** औपचारिक गठबंधन स्थापित किए बिना समान विचारधारा वाले देशों के साथ जुड़ना या क्वाड के बाहर के देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना, भारत की उभरती विदेश नीति संबंधी रणनीति की पहचान है।
- **भारत की रक्षा क्षमताओं में सहयोगी:** क्वाड सदस्यों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, सामरिक सूचनाओं के आदान-प्रदान आदि से रक्षा क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इससे, भारत को अपनी कुछ कमियों जैसे कि वित्तीय कमी, नौसैन्य क्षमता, सैन्य जासूसी, और तकनीकी एवं निगरानी क्षमता की कमी को दूर करने में भी मदद मिलेगी।
- **उभरते ख़तरों पर अतिरिक्त सहभागिता:** साइबर, अंतरिक्ष और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों की निगरानी तथा संदिग्ध कार्यकलापों को रोकने में अतिरिक्त सहभागिता की अपेक्षा की जा सकती है। इन चारों देशों को बड़े पैमाने पर सतत साइबर हमलों से संबंधित ख़तरों का सामना करना पड़ा है। इनमें ऐसे ख़तरे भी शामिल हैं, जो किसी देश, मुख्य तौर पर चीन से सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा उत्पन्न किए गए हैं।

संबंधित तथ्य

चीन ने अपना नया समुद्री कानून लागू किया है

- इस क़ानून के अनुसार, चीन के 'जलीय क्षेत्र' से होकर गुजरने वाले **विदेशी जलीय जहाजों को अब चीनी अधिकारियों को सूचित करना होगा।**
    - अपने जलीय क्षेत्र के बारे में चीन के दावे को उसके पड़ोसी देशों के साथ-साथ अमेरिका भी विरोध करता रहा है।
    - चीन के आसपास के जलीय क्षेत्र को लेकर काफ़ी विवाद रहे हैं। चीन अपने **"नाइन डैश लाइन (nine-dash line)"** मानचित्र के तहत, **दक्षिण चीन सागर** के अधिकांश क्षेत्र पर स्वायत्त दावा करता है।

क्वाड के समक्ष चुनौतियां

- **भारत के अन्य द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संबंधों के निहितार्थ:** हाल ही में, चीन ने यह तर्क दिया है कि हालिया वर्षों में अमेरिका और अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड के साथ बढ़ती निकटता के कारण भारत ने चीन व रूस के साथ अपने संबंधों को कमजोर कर लिया है। चीन के अनुसार इससे ब्रिक्स (BRICS) और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की प्रगति भी बाधित हुई है।
- **अस्पष्ट उद्देश्य:** इस तरह की अस्पष्टता कमजोर स्थिति को प्रकट करती है। इसी कारण कई राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे केवल चीन विरोधी गठबंधन के तौर पर ही देखते हैं। इससे, अन्य आवश्यक क्षेत्रों जैसे कि जलवायु परिवर्तन की समस्या और वैक्सीन कूटनीति में इसकी भागीदारी कमज़ोर हो सकती है।

ऑस्ट्रेलिया

- चीन का अत्यधिक विस्तारवादी स्वरुप हिंद–प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में **ऑस्ट्रेलिया की स्थिति को प्रभावित कर सकता है।** दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया विशेषकर इस क्षेत्र में संतुलन स्थापित करने के लिए बाह्य शक्ति के तौर पर अमेरिका के सहयोग पर अत्यधिक निर्भर है।
- क्वाड, आसियान समेत **ऑस्ट्रेलिया के अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग का एक पूरक है।**

संयुक्त राज्य अमेरिका

- **हिंद–प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, अमेरिका के समुद्री हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।** वर्ष 2019 में, 1.9 ट्रिलियन डॉलर मूल्य वाले अमेरिकी वस्तुओं का व्यापार इस क्षेत्र से होकर किया गया था।
- क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को बदलने हेतु चीन के आक्रामक रवैये ने अमेरिका की चिंता को अत्यधिक बढ़ा दिया है।

- **अनसुलझे मुद्दे:**
    - **कोविड और वैक्सीन पहल का विरोध:** कोवाक्सीन को लेकर भारत के प्रस्ताव को WTO से स्वीकृति मिलने में अत्यधिक विलंब हुआ। भारत ने भी अमेरिकी टीकों को विधायी प्रक्रियाओं से छूट देने पर रोक लगा दी है।
    - **जलवायु परिवर्तन की समस्या:** भारत ने क्वाड देशों के साथ सौर गठबंधन, पेरिस समझौता आदि पहलों पर कार्य किया है, लेकिन अब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन और कोयले के उपयोग को ख़त्म करने संबंधी समयसीमा पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।
    - **महत्वपूर्ण तकनीक और लचीली आपूर्ति श्रृंखला:** भारत विशेष रूप से चीन पर निर्भरता को समाप्त करने के इच्छुक भागीदारों के साथ तकनीक संबंधी वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना की दिशा में प्रयासरत रहा है। हालांकि, एक देश से दूसरे देश में डेटा के प्रवाह के संदर्भ में भारत ओसाका ट्रैक का हिस्सा नहीं है, जबकि अन्य क्वाड देश इसमें सहभागी हैं।
- **अमेरिका से विरोधाभासी संकेत:** ज्ञातव्य है कि क्वाड बैठकों के लिए अभी कार्य योजनाएं विकसित की जा रही हैं, फिर भी इसी दौरान अमेरिका ने सहयोगियों और भागीदारों को चकित करते हुए एक त्रिपक्षीय रक्षा भागीदारी की घोषणा की है। इसमें ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं, जिसे **ऑकस (AUKUS)** नाम दिया गया है।
- **स्वीकार्य जोखिम और उसके परिणाम को लेकर असहमति:** भावी खतरे को लेकर सभी सदस्य देशों के मध्य मौजूदा असहमति अनेक कारणों पर आधारित है। इनमें चीन के साथ सीधे तौर पर राज्यक्षेत्रीय विवादों की मौजूदगी या गैर-मौजूदगी, बीजिंग द्वारा संभावित प्रतिशोध संबंधी जोखिम, अन्य उच्च स्तरीय राष्ट्रीय प्राथमिकताएं और खतरे तथा अंततः प्रत्येक देश की रणनीतिक संस्कृति की सीमाएं इत्यादि शामिल हैं।
- **चीन का प्रभाव:** चीन का क्वाड देशों, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत आर्थिक संबंध रहा है। चीन इसका उपयोग अपने पक्ष में देशों को बाध्य या प्रभावित करने के लिए कर सकता है। ऐसी स्थिति भारत के लिए समस्या उत्पन्न कर सकती है।

क्वाड के संदर्भ में आगे की राह

- **सामूहिक कार्रवाई:** सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्वाड राष्ट्रों को सामूहिक सुरक्षा की दिशा में कार्य करना चाहिए। क्वाड समूह अपने 30 ट्रिलियन डॉलर के संयुक्त GDP (महामारी पूर्व स्थिति के अनुरूप) और 800 बिलियन डॉलर के संयुक्त रक्षा बजट के साथ, चीन को आसानी से प्रतिसंतुलित कर सकता है।
- **स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता:** क्वाड राष्ट्रों को एक व्यापक फ्रेमवर्क के आधार पर अपने हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण को स्पष्ट करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि प्रत्येक देश के आर्थिक और सुरक्षा हितों को पूरा किया जा सके। इससे तटीय देशों को भी यह आश्वासन प्रदान करने में मदद मिलेगी कि क्वाड की उपस्थिति से क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगा।

- **क्वाड का विस्तार:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कई अन्य देश हैं, जिनके भारत के साथ बेहतर संबंध हैं। इसलिए, भारत को ऐसी रणनीति निर्मित करनी चाहिए, ताकि इंडोनेशिया, सिंगापुर आदि जैसे देशों को भविष्य में क्वाड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा सके।
- **समुद्री सिद्धांत/नीति की आवश्यकता:** भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में एक व्यापक दृष्टिकोण तैयार करना चाहिए। इससे मौजूदा और भावी समुद्री चुनौतियों के निपटान, अपने सैन्य और असैन्य साधनों को परस्पर समेकित करने तथा अपने सामरिक भागीदारों को शामिल करने की दिशा में वैचारिक प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।

क्वाड शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष

कोविड और वैश्विक स्वास्थ्य

- क्वाड देशों ने **वैश्विक स्तर पर टीकों की 1.2 बिलियन से अधिक खुराक प्रदान करने हेतु प्रतिबद्धता जाहिर की है।** क्वाड ने कोवैक्स (COVAX) के ज़रिए खुराकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए हैं।
- क्वाड ने अक्टूबर 2021 से कोवैक्स के साथ–साथ अन्य देशों को **कोविड–19 टीकों के सुरक्षित और प्रभावी निर्यात को फिर से शुरू करने की भारत की घोषणा का स्वागत किया है।**
- वर्ष 2022 में कम से कम एक महामारी की तैयारी से संबंधित सक्रिय वार्ता या अभ्यास का आयोजन करके **हिंद–प्रशांत महासागर क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा को बहाल करना।**
- **100 दिनों का मिशन:** 100 दिनों के अंदर सुरक्षित और प्रभावी तरीक़े से टीका लगाने के अलावा उपचार और निदान की सुविधा उपलब्ध कराना।

अवसरंचना

- G7 की **बिल्ड बैक ए बेटर वर्ल्ड (B3W)** की घोषणा को पूर्ण करने की दिशा में कार्य करना।
- क्षेत्रीय अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं से संबंधित मूल्यांकन/अवलोकन को साझा करने और पारदर्शी एवं उच्च स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए संबंधित रणनीतिक समन्वय प्रदान करने हेतु **क्वाड अवसंरचना समन्वय समूह** का गठन।

जलवायु

- क्वाड देशों द्वारा एक **क्वाड शिपिंग टास्कफोर्स** लॉन्च किया जाएगा। इसकी सहायता से विश्व के प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों को एक ऐसा नेटवर्क विकसित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा जो **शिपिंग मूल्य श्रृंखला को पर्यावरण अनुकूल बनाने और कार्बनमुक्त करने की दिशा में समर्पित हो।**
- क्वाड शिपिंग टास्कफोर्स का लक्ष्य यह होगा कि वर्ष 2030 तक दो से तीन **निम्न उत्सर्जन या शून्य उत्सर्जन वाले शिपिंग कॉरिडोर** को विकसित किया जाए।
- क्वाड समूहों द्वारा एक स्वच्छ हाइड्रोजन भागीदारी की घोषणा की जाएगी, ताकि स्वच्छ हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में शामिल सभी घटकों की लागत कम और उन्हें बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए अन्य क्षेत्र में संचालित मौजूदा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय हाइड्रोजन पहल का भी उपयोग किया जाएगा।
- क्वाड देशों की मदद से एक **जलवायु और सूचना सेवा टास्कफोर्स** का गठन किया जाएगा। इसके अलावा, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन के माध्यम से क्वाड समूहों द्वारा एक नई तकनीकी सुविधा को भी विकसित किया जाएगा। यह तकनीकी सुविधा छोटे द्विपीय विकासशील देशों में तकनीकी सहायता प्रदान करने में मदद करेगी।

महत्वपूर्ण और उभरती तकनीक

- क्वाड देशों द्वारा **तकनीकी डिज़ाइन, उसके विकास, प्रबंधन, और उपयोग के संबंध में सिद्धांतों का एक ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा।** यह ब्यौरा उत्तरदायी, खुले व उच्च स्तरीय नवाचार की दिशा में एक मार्गदर्शक के तौर पर कार्य करेगा।
- **सेमिकंडक्टर** और उसके अहम घटकों की क्षमता का पता लगाने, सुभेद्यता के आकलन और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्वाड भागीदार देशों द्वारा एक संयुक्त पहल लॉन्च किया जाएगा।
- **यह 5G के कार्यान्वयन और विविधीकरण** में सहायता करेगा और जैवप्रौद्योगिकी की स्कैनिंग की निगरानी को सुनिश्चित करेगा।

अन्य

- **क्वाड फेलोशिप का शुभारंभ:** यह अपनी तरह का पहला स्कॉलरशिप कार्यक्रम है। इसके तहत **स्टेम (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित) विषयों** पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। कल्याणकारी पहल के तहत इसका संचालन और प्रबंधन, एक गैर–सरकारी टास्कफोर्स के परामर्श से किया जाएगा। टास्कफोर्स में प्रत्येक क्वाड देश के नेतृत्वकर्ता शामिल होंगे।
- क्वाड देशों द्वारा **भू–अवलोकन सैटेलाइट डेटा के आदान–प्रदान और जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिम** तथा समुद्र एवं समुद्री संसाधानों के संधारणीय प्रयोग के विश्लेषण के संबंध में वार्ता कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा।
- क्वाड देश द्वारा **साझे साइबर मानकों के कार्यान्वयन;** सुरक्षित सॉफ्टवेयर के निर्माण और कार्यबल तथा प्रतिभा के विकास के लिए **सीनियर साइबर ग्रुप** का गठन किया जाएगा।

2.1.1. यूरोपीय संघ की हिंद-प्रशांत रणनीति (EU Indo-Pacific Startegy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, यूरोपीय संघ (EU) ने **“हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ की रणनीति”** की घोषणा की है।

यूरोपीय संघ को हिंद-प्रशांत रणनीति की आवश्यकता क्यों?

- **चीन की आक्रामक प्रवृत्ति:** चीन के उदय एवं उसकी आक्रामक और विस्तारवादी नीतियों तथा भावी यूरोपीय संघ-चीन संबंधों से जुड़ी चिंताओं ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करना शुरू कर दिया है।
    - इससे पूर्व, जर्मनी द्वारा भी सितंबर 2020 में “हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश” जारी किए गए थे। इसके उपरांत नीदरलैंड ने भी नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए थे।
- **अमेरिका-चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता** और इससे यूरोपीय हितों के नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना के कारण यूरोप इस मुद्दे को लम्बे समय तक अनदेखा नहीं कर सकता है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका:** यूरोपीय संघ को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे अब एशिया में पहले से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने, अधिक जिम्मेदारी का वहन करने और यूरोप के इस क्षेत्र से अंतर्संबंधित महत्वपूर्ण मामलों की दिशा में गंभीर प्रयास करने के लिए आगे आना चाहिए।
    - भारत, चीन, सिंगापुर, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों का आर्थिक उत्थान होने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा एशिया तथा विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र की ओर बढ़ रही है।
- **समुद्री मार्गों को सुरक्षित करना:** यूरोप के इस क्षेत्र के साथ अधिकतर व्यापारिक संबंध रहे हैं। इसलिए, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और वाणिज्यिक जहाजों का सुरक्षित पारगमन यूरोपीय संघ के लिए चिंता का एक महत्वपूर्ण विषय है।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र को हाल ही में ऐसे कई अन्य मुद्दों का भी सामना करना पड़ा है, जो यूरोपीय संघ के सुरक्षा हितों पर भी प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। इन मुद्दों में उभरती प्रौद्योगिकियों के संभावित जोखिम, आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने की संभावनाओं को सुनिश्चित करना और किए जाने वाले दुष्प्रचार का सामना करना आदि शामिल हैं।

यूरोपीय संघ की हिंद-प्रशांत रणनीति के प्रमुख उद्देश्य

- साझा मूल्यों एवं सिद्धांतों के आधार पर समावेशी और प्रभावी बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देते हुए **नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करना।**
    - इसके तहत **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पहले से स्थापित साझेदारियों को और अधिक विकसित करने** तथा समान विचारधारा वाले देशों के साथ नई साझेदारियों को प्रोत्साहित करने की ओर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **व्यापार और निवेश हेतु सभी को समान अवसर प्रदान करना तथा खुले और निष्पक्ष वातावरण को बढ़ावा देना।**
- इस क्षेत्र के साथ पारस्परिक रूप से **सहायक व्यापारिक और आर्थिक संबंध स्थापित करना।** इससे समावेशी आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सकेगा तथा कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित एवं सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।
    - यूरोपीय संघ द्वारा **जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ नई डिजिटल साझेदारी स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं।** इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग को मजबूत करने और इस दिशा में एक-दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने की संभावना को बढ़ावा मिलेगा।
    - साथ ही, इसके तहत भविष्य में **ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड** के साथ यूरोपीय संघ की व्यापार वार्ताओं को पूरा करने और अंतिम रूप देने हेतु प्रयास किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, **भारत** के साथ व्यापार वार्ता को पुनः शुरु करने और **निवेश वार्ताएं** आरंभ करने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे।
- संयुक्त राष्ट्र और ब्रेटनवुड्स संस्थानों, आसियान, अफ्रीकी संघ आदि के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय सहयोग को बेहतर बनाने की दिशा मे भी प्रयास किए जायेंगे।
- जलवायु परिवर्तन और भूमि एवं महासागर से संबंधित पर्यावरण के निम्नीकरण को संबोधित करने के लिए **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में भी सहयोग किया जाएगा।**

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे "वीकली फोकस" लेख को देखें, जो "भारत और हिंद-प्रशांत" पर केंद्रित है।

भारत और हिंद-प्रशांत

एक नए भौगोलिक खंड के रूप में हिंद-प्रशांत का उदय इक्कीसवीं सदी की नई रणनीतिक वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। इसलिए, हिंद-प्रशांत भारत की विदेश नीति संबंधी गतिविधियों में एक नया प्रक्षेत्र है। यह लेख तेजी से विकसित हो रहे भू-सामरिक परिवेश की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए भारत के विशिष्ट भूगोल, हितों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संभावित भूमिका से संबंधित मुद्दों का परीक्षण करता है। यह भारत के रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने और जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी छवि को सुरक्षित करने के लिए इस क्षेत्र में नए अवसरों पर चर्चा करता है।

2.1.2. ऑकस का गठन (Formation of Aukus)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम** तथा **यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका** ने **ऑकस (AUKUS)** नामक एक नए **त्रिपक्षीय कार्यक्रम की घोषणा** की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल ही में, भारत के विदेश सचिव ने सूचित किया है कि **ऑकस का क्वाड से कोई संबंध** नहीं है तथा यह क्वाड समूह की कार्यप्रणाली को प्रभावित नहीं करेगा।
    - उन्होंने यह भी कहा है कि क्वाड **"कोई सैन्य गठबंधन नहीं है"** और इसका निर्माण किसी विशेष देश को लक्षित करने हेतु नहीं किया गया है।

ऑकस के बारे में

- ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित ऑकस, **एक नया सुरक्षा गठबंधन है।** इसका उद्देश्य **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और** गठबंधन में शामिल देशों के मध्य **रक्षा क्षमताओं को अधिक से अधिक साझा करना है।**
- इसके तहत अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा **ऑस्ट्रेलिया को अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी सुविधा उपलब्ध प्रदान कराने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।** इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम तकनीक जैसी भविष्य की क्षमताएं शामिल हैं।
    - इस समझौते के हिस्से के रूप में, **ऑस्ट्रेलिया फ्रांसीसी पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की अपनी 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना का परित्याग कर देगा।** इसके स्थान पर वह यूनाइटेड किंगडम-संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित तकनीकों के आधार पर पोतों को निर्मित करेगा।

फ्रांस AUKUS से क्यों चिंतित है?

- फ्रांस अमेरिका के साथ पनडुब्बियों को लेकर एक व्यापक समझौते को संपन्न करने में विफल रहा है। इस प्रकार, यह फ्रांस के सैन्य उद्योग के समक्ष उत्पन्न एक वृहद् राजस्व क्षति को संदर्भित करता है।
- इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ पारपंरिक पनडुब्बियों के निर्माण हेतु 43 बिलियन डॉलर के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की थी। लेकिन इस समझौते के बाद अब ऑस्ट्रेलिया इस प्रस्ताव का परित्याग कर देगा। इसके बदले में ऑस्ट्रेलिया अब अमेरिका-यू.के. की तकनीक के आधार पर जंगी जहाजों को निर्मित करेगा।
- इस क्षेत्र में फ्रांस की अत्यंत मज़बूत स्थिति के बावजूद भी उसे AUKUS सुरक्षा समझौता में शामिल नहीं किया गया है
- फ्रांस खुद को बिना सूचित किए हुए संपन्न इस समझौते को लेकर अपमानित महसूस कर रहा है। वह इस बात से भी चिंतित है कि आखिर इन तीन लोकतांत्रिक देशों की वास्तव में योजना क्या है।

ऑकस और भारत

- **जटिलताएं:**
    - **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नई चुनौतियां:** यह आशंका व्यक्त की गयी है कि इस समझौते के बाद पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में परमाणु हमले करने में सक्षम पनडुब्बियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। इससे भारत का क्षेत्रीय प्रभाव समाप्त हो सकता है।
    - **अमेरिका की अविश्वसनीयता:** ऑकस समझौते से फ्रांस चिंतित है, जिसके कारण इसके प्रति भारत का दृष्टिकोण भी जटिल हो गया है। इन मुद्दों को देखते हुए कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि अमेरिका पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो/NATO) का भागीदार होने के बावजूद भी अपने पुराने सहयोगी, फ्रांस को इस समूह से बाहर रखा है।
    - संशयवादियों का यह मानना है कि यदि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका अपने नाटो सहयोगी को धोखा दे सकते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि वे अपेक्षाकृत कमजोर सहयोगियों के साथ ऐसा नहीं करेंगे?

- **ऑकस बनाम क्वाड:** ऑकस के कारण क्वाड से ध्यान विस्थापित हो गया है। इस समझौते के तहत संभवतः यूनाइटेड किंगडम के साथ गठबंधन रखने वाले करीबी भागीदारों को अमेरिका की ओर से अतिरिक्त वरीयता भी प्रदान की जाएगी।
- **अन्य बहुपक्षीय गतिविधियों पर प्रभाव:** हाल ही में, ऑकस का विरोध करते हुए फ्रांस ने स्वयं को भारत-फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के त्रिपक्षीय गठबंधन (चीन को संतुलित करने के लिए गठित) से बाहर कर लिया है।
- **प्रौद्योगिकी को अपनाने के प्रयास:** क्वाड संबंधों के और अधिक मजबूत होने के बाद, भारत में कुछ लोगों को आशा थी कि अमेरिका भारतीय नौसेना को परमाणु पनडुब्बी प्रोपल्शन तकनीक प्रदान करने पर विचार करेगा।
- हालांकि, अमेरिका ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि जो समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है वह किसी अन्य के साथ किए जाने की संभावना नहीं है। इस स्पष्टीकरण से भारत की अपेक्षाओं को धक्का पहुंचा है।

- **अवसर:**
  - यह **हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला और समावेशी बनाए रखने के क्वाड के एजेंडे को मजबूत** करेगा।
    - ऑकस **समुद्री अभ्यासों, सुरक्षा एवं कोविड-19 तथा जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने,** महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करने के लिए क्वाड द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सशक्त करने हेतु भी अपने प्रयासों का विस्तार कर सकता है।
  - **ऑकस के अस्तित्व में आने से भारत को राजनयिक और रक्षा व्यापार दोनों क्षेत्रों में,** संभावित लाभ प्राप्त हो सकता है, विशेष रूप से फ्रांस के साथ।
  - यह **चीन को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की निरंतर बढ़ती चिंताओं को प्रकट करता है।** इसके अतिरिक्त, इसे इस क्षेत्र में भागीदारों की क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार किया गया है। इससे क्वाड की समग्र क्षमताओं में भी वृद्धि होगी।

2.1.3. भारत-फ्रांस संबंध (India-France Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और फ्रांस ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह कदम मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा **ऑकस के निर्माण पर फ्रांस की नाराजगी को देखते हुए उठाया गया है।**
- इससे भारत को राजनयिक और रक्षा व्यापार दोनों क्षेत्रों में, विशेष रूप से फ्रांस के साथ अपनी अनुकूल स्थिति का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

इस द्विपक्षीय सहयोग को अत्यधिक मजबूत बनाने से भारत को होने वाले लाभ

- **दृष्टिकोणों के एकीकरण में सहायक:** बहुपक्षवाद, बहुलवाद एवं गैर-सैन्य और प्रतिरोध-आधारित नीति भारत के आदर्श रहे हैं। इन आदर्शों को महत्व प्रदान करने वाले साझेदार के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करने से भारत को लाभ मिलेगा।
  - इसके अतिरिक्त, इससे भारत को इस क्षेत्र (भारत के पश्चिम में अदन की खाड़ी से लेकर पूर्व में बर्मा और थाईलैंड तक का हिंद महासागरीय क्षेत्र) के महत्व को समझने वाले देश के साथ सहयोग/भागीदारी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
- **रक्षा सेवा का आधुनिकीकरण:** महत्वपूर्ण सैन्य प्रौद्योगिकियों की खरीद के लिए भारत को एक बेहतर बाजार विकल्प प्राप्त हो सकता है, क्योंकि भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग अभी अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाए हैं। हालांकि, इस दिशा में भारत अभी प्रयासरत है। वहीं रक्षा सेवा के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था न हो पाने के कारण भी भारत को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
  - उदाहरण के लिए, भारत **महत्वपूर्ण नौसैनिक परमाणु रिएक्टर प्रौद्योगिकी हासिल करने के लिए** फ्रांस के साथ संबंध बढ़ा सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, फ्रांस की प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा विनिर्मित किए गए राफेल जेट, विगत 2 दशकों में भारत द्वारा अधिग्रहित किए गए प्रमुख लड़ाकू विमानों में प्रथम स्थान पर हैं।
- **नए आर्थिक अवसर:** भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच संयुक्त आर्थिक सहयोग के भलीभांति स्थापित होने के कारण खाड़ी क्षेत्र में भावी आर्थिक साझेदारी के लिए साझा आधार खोजना भारत के लिए सरल होगा।
  - कई खाड़ी राष्ट्र पेट्रोलियम उत्पादों से भिन्न अपने भविष्य को सुरक्षित करने हेतु अधिक उदार आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को अपनाने हेतु प्रयासरत हैं।
- **अंतरिक्ष गतिविधियों में सहयोग:** भारत उपग्रह नेविगेशन, अंतरिक्ष परिवहन और मानव आधारित अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त समुद्री क्षेत्रों के बारे में भी जागरूकता विकसित करने के लिए फ्रांस के साथ साझेदारी कर सकता है।

- **अतिरिक्त सुरक्षा:** प्रस्तावित संयुक्त सैन्य अभ्यास को उत्तर-पश्चिमी हिंद महासागर में निष्पादित किया जाएगा। इससे भारत को अतिरिक्त सुरक्षा मिल सकती है।
  - फ्रांस द्वारा समर्थित यूरोपियन यूनियन क्रिटिकल मेरीटाइम रूट्स इन द इंडियन ओशन (EU-CRIMARIO) कार्यक्रम के अंतर्गत हिंद महासागर क्षेत्रीय सूचना साझाकरण और घटना प्रबंधन वेब-प्लेटफॉर्म (IORIS) की सुविधा को शुरू किया गया है।
- **अन्य:** स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पहले से अधिक सहयोग के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
  - **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)[2] के साथ**, फ्रांस और भारत बहुपक्षीय पहलों के विकास का नेतृत्व करके सबसे अधिक जोखिम की संभावनाओं वाले देशों के हितों को भी समायोजित करने में मदद कर सकते हैं।
  - **कोवैक्स (COVAX) तथा एक्ट (ACT)[3] जैसे ढांचे के अंतर्गत सहयोग करके,** फ्रांस और भारत निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों के हितों का ध्यान रखने व उनकी रक्षा करने की दिशा में भी कार्य कर सकते हैं।

निष्कर्ष

इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को संकुचित करने की बजाए, ऑकस (AUKUS) ने भारत को एक रणनीतिक अवसर प्रदान किया है। इस अवसर से भारत, फ्रांस के साथ अपनी साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास कर सकता है तथा इस अवसर को रणनीतिक तौर पर प्रयोग कर सकता है। भारत दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों का लाभ उठाकर फ्रांस का उपयोग यूरोप में अपने बढ़त हेतु कर सकता है। भारत, अपनी कूटनीति को सुदृढ़ कर और इसे बेहतर बनाकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक अशांति के प्रबंधन हेतु ऑकस को महत्वपूर्ण साधन के रूप में उपयोग कर सकता है। साथ ही, क्वाड के महत्व को बढ़ाने के लिए भी भारत इस गठबंधन का उपयोग कर सकता है।

फ्रांस के लिए महत्व

- भारत के साथ घनिष्ठ संबंध और हिंद महासागर में बढ़ती भागीदारी से **फ्रांस को दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने में मदद मिली है।**
- इससे फ्रांस को अपने मौजूदा संबंधों में विविधता लाने और **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।**
- **व्यापक रूप से वैश्विक शक्ति संतुलन के एक नए केन्द्र के रूप में संदर्भित किए जाने वाले पटल पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव डालने और अपना मजबूत प्रतिनिधित्व स्थापित करने से** अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में फ्रांस अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है।
- **रक्षा संबंधी बिक्री के लिए भारत एक विशाल बाजार है।** यह एक ऐसा प्रतिस्पर्धी बाजार है, जिस पर पकड़ बनाए रखने के लिए फ्रांसीसी कंपनियों ने अथक संघर्ष किया है।
  - वर्ष 2013-17 (पिछले पांच वर्षों की तुलना में) के आंकड़ों के अनुसार, फ्रांस ने भारत को किए जाने वाले हथियारों के निर्यात में 500 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है।

संबंधित तथ्य

भारत और फ्रांस ने **अंतरिक्ष सुरक्षा वार्ता (SSD)[4]** के आयोजन पर सहमति व्यक्त की है।

- भारत के लिए यह द्विपक्षीय अंतरिक्ष सुरक्षा वार्ता का **तीसरा संस्करण** है। इससे पूर्व, भारत ने दो देशों यथा- **जापान (2019)** और **संयुक्त राज्य अमेरिका (2015)** के साथ भी ऐसी वार्ता का आयोजन किया है।
  - फ्रांस के लिए **भारत प्रथम एशियाई देश होगा,** जिसके साथ वह इस प्रकार की वार्ता आयोजित करेगा।
  - अंतरिक्ष और परमाणु क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के मध्य स्थापित सहयोग, दोनों देशों के एक दूसरे के प्रति गहन विश्वास की ओर संकेत करता है।
- SSD के माध्यम से, दोनों देश **उभरते हुए अंतरिक्ष परिवेश और बाह्य अंतरिक्ष तक सुरक्षित, कुशल, सतत व निरंतर पहुंच के समक्ष संभावित खतरों की एक साझी बहुपक्षीय समझ** विकसित करेंगे।
- **अंतरिक्ष सुरक्षा वार्ता (SSD) का महत्व:**
  - **भारत के अंतरिक्ष संबंधी दृष्टिकोण में परिवर्तन का संकेत:** भारत का विभिन्न देशों के साथ **असैन्य अंतरिक्ष सहयोग** अंतरिक्ष सुरक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए विकसित हुआ है।
  - **यह अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है,** क्योंकि चीन द्वारा काउंटर-स्पेस क्षमताओं का शीघ्रता से विकास करना भारत, फ्रांस, जापान और अमेरिका के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
  - **SSD वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणालियों, अंतरिक्ष संबंधी स्थितिजन्य जागरूकता, अंतरिक्ष सुरक्षा, बाह्य अंतरिक्ष परिवेश की संधारणीयता और बाह्य अंतरिक्ष में टकराव से बचाव** को संबोधित करने हेतु भी महत्वपूर्ण है।
  - समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ इस प्रकार की वार्ता से भारत को **वैश्विक अभिशासन में एक प्रमुख नेतृत्व की भूमिका** प्राप्त होगी।

[2] International Solar Alliance: ISA
[3] Access to COVID-19 Tools: ACT
[4] Space Security Dialogue: SSD

2.2. मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreements: FTAs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत **यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और कनाडा** जैसे कुछ देशों के साथ **मुक्त व्यापार समझौते (FTAs)** से संबंधित वार्ताओं में तेजी लाने के लिए प्रयासरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत इनमें से कुछ देशों के साथ **"अर्ली हार्वेस्ट" ट्रेड डील** संपन्न करने हेतु उत्सुक है।

> **अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील:** इसे FTA का पूर्ववर्ती कहा जाता है। यह FTA के लिए अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाने से पहले उठाया जाने वाला एक कदम है। इसके तहत व्यापारिक साझेदार देश आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सीमित वस्तुओं पर टैरिफ (प्रशुल्क) बाधाओं को कम करते हैं।

FTAs और अन्य प्रकार के व्यापार समझौतों के मध्य अंतर

- FTA दो या दो से अधिक देशों या व्यापारिक गुटों के मध्य स्थापित किया जाने वाला एक व्यापारिक समझौता है। इसे मुख्य रूप से **व्यापार की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर आरोपित सीमा शुल्कों और गैर-प्रशुल्क बाधाओं को कम करने या समाप्त करने** के लिए संपन्न किया जाता है।
- FTA में आम तौर पर **वस्तुओं** (जैसे कि कृषि या औद्योगिक उत्पाद) या **सेवाओं** (जैसे कि बैंकिंग, निर्माण, ट्रेडिंग आदि) **का व्यापार** शामिल होता है। साथ ही, इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)[5], निवेश, सरकारी खरीद आदि **जैसे अन्य क्षेत्र भी शामिल** किए जा सकते हैं।

अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (EHS), मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से कैसे भिन्न है?

- अर्ली हार्वेस्ट स्कीम वस्तुतः व्यापार करने वाले दो भागीदार देशों के मध्य **FTA से पूर्व किए जाने वाला एक अनुबंध** है। यह योजना **FTA** वार्ताओं के समापन से पूर्व व्यापार करने वाले दो देशों के **प्रशुल्क उदारीकरण के लिए कुछ उत्पादों की पहचान** करने में मदद करती है। यह मुख्य रूप से विश्वास उत्पन्न करने की दिशा में अपनाया जाने वाला एक कदम है।
- **भारत और थाईलैंड** द्वारा अक्टूबर 2003 में EHS पर किए गए **हस्ताक्षर**, इसका एक उपयुक्त उदाहरण है। इसमें कई उत्पादों की पहचान की गई थी, जिन पर प्रशुल्क को चरणबद्ध तरीके से कम करके शून्य करना था।

इस प्रकार के अन्य व्यापार समझौते

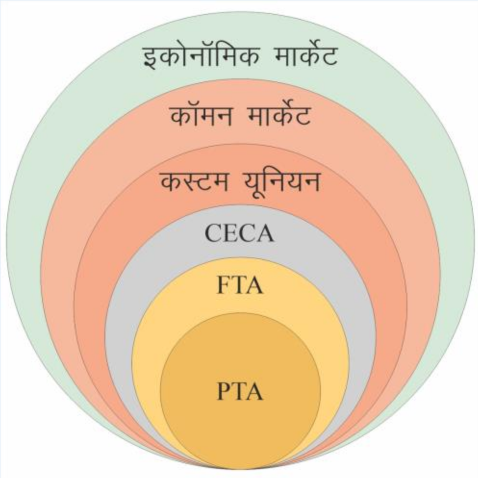

- **अधिमान्य व्यापार समझौता (Preferential Trade Agreement: PTA):** इसमें दो या दो से अधिक भागीदार देश **टैरिफ लाइनों की स्वीकृत संख्या पर प्रशुल्क कम करने** पर सहमत होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत-मर्कोसुर-PTA.
- **व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA)[6] और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)[7]:** इनमें IPR, प्रतिस्पर्धा आदि जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ **वस्तुओं, सेवाओं और निवेश पर एकीकृत पैकेज** इत्यादि पर किए जाने वाले समझौतों को शामिल किया जाता है। **भारत-दक्षिण कोरिया CEPA** एक इसका उदाहरण है।
- **सीमा शुल्क संघ (Custom Union):** सीमा शुल्क संघ के तहत, भागीदार देश एक दूसरे के साथ **शून्य शुल्क पर व्यापार** कर सकते हैं। हालांकि, वे अन्य देशों के साथ **सामान्य प्रशुल्क** बनाए रख सकते हैं। इसका एक उदाहरण दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (SACU)[8] है।
- **साझा बाजार (Common Market):** साझा बाजार मुख्य रूप से सीमा शुल्क संघ का ही एक रूप है। इसमें सदस्यों के बीच **श्रम और पूंजी की मुक्त आवाजाही** को सुविधाजनक बनाने, **तकनीकी मानकों में सामंजस्य स्थापित करने** आदि के लिए कुछ प्रावधानों को शामिल किया जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण यूरोपीय साझा बाजार है।
- **आर्थिक संघ (Economic Union):** आर्थिक संघ वह साझा बाजार है, जिसका भावी **राजकोषीय/मौद्रिक नीतियों में सामंजस्य स्थापित कर** और **साझा कार्यकारी, न्यायिक एवं विधायी संस्थानों** के माध्यम से विस्तार किया जा सकता है। यूरोपीय संघ (EU) इस प्रकार के साझा बाजार का एक उपयुक्त उदाहरण है।

FTAs महत्वपूर्ण क्यों हैं?

- **बाजार पहुँच:** FTA, प्रशुल्क और कुछ गैर-प्रशुल्क बाधाओं को समाप्त करके भागीदारों को एक दूसरे के बाजारों तक सुगम पहुच प्रदान करने में मदद करता है। **गैर-प्रशुल्क बाधाओं** में सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) मानक, व्यापार में आने वाली तकनीकी बाधाएं (TBT)[9], सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ आदि शामिल हैं।

---

[5] Intellectual Property Rights: IPR
[6] Comprehensive Economic Cooperation Agreement: CECA
[7] Comprehensive Economic Partnership Agreement: CEPA
[8] Southern African Customs Union: SACU
[9] Technical Barriers to Trade: TBT

- **गैर-FTA सदस्य देश की तुलना में अधिमान्य (preferential) व्यवहार:** उदाहरण के लिए, **आसियान (ASEAN)** के मामले में, आसियान भारत का एक FTA साझेदार है, परन्तु कनाडा का नहीं। **चमड़े के जूतों पर** आसियान द्वारा **20% सीमा शुल्क आरोपित किया जाता** है, लेकिन FTA के तहत भारत के संदर्भ में इसे घटाकर **शून्य** कर दिया गया है।
  - इसके अतिरिक्त, विदेशी कंपनियों के कारण **स्थानीय निर्यातकों को होने वाली क्षति को रोकने के लिए** भी FTA के तहत अधिमान्य व्यवहार प्रदान किए जा सकते हैं।
- **FTAs बहुपक्षीय समझौतों के संदर्भ में एक बेहतर विकल्प प्रदान कर सकते हैं:** कुछ विशेषज्ञों का यह विचार है कि बहुपक्षीय समझौतों में धीमी प्रगति से **FTA** को बढ़ावा मिल सकता है।
- **अन्य लाभ:** FTA **प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में सहयोग करता है।** इससे FTA साझेदार देश प्रतिस्पर्धियों से बराबरी करने के लिए प्रेरित होते हैं तथा उनके उत्पादों और सेवाओं की **दक्षता में सुधार** होता है। **FTA वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ अधिक से अधिक एकीकरण, विशेषज्ञता** और **संसाधनों के कुशल उपयोग** का अवसर भी प्रदान करता है।

भारत कैसे मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) की दिशा में अग्रसर हुआ है?

- **क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (RTAs)[10] में भागीदारी:** 1990 के दशक की शुरुआत से, क्षेत्रीय व्यापार समझौते (RTA) अत्यधिक प्रचलित हो गए थे। वर्तमान में, **भारत द्वारा 14 RTAs संपन्न किए जा चुके हैं,** जबकि दर्जनभर से अधिक पर वार्ताएं जारी हैं।
  - **एशिया प्रशांत व्यापार समझौता (APTA)[11]: वर्ष 1975 में बैंकॉक समझौता** पहला RTA था जिसमें भारत एक साझेदार के रूप में शामिल हुआ था। हालांकि, वर्ष 2005 के दौरान विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस क्षेत्रीय पहल ने अंततः **APTA** का स्वरूप ग्रहण कर लिया था।
  - **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)[12]:** RCEP देशों के साथ बड़े व्यापार घाटे, आयात अधिकता के विरुद्ध अपर्याप्त सुरक्षा, सेवा घटक की कमी आदि जैसी चिंताओं के कारण सात वर्षीय लंबी वार्ता के बाद भारत को वर्ष 2019 में RCEP से पीछे हटना पड़ा था।
  - **आसियान FTA:** सात वर्ष के अथक प्रयास के बाद आसियान के साथ FTA को अंतिम रूप प्रदान किया गया था। हालांकि, वर्तमान में इसकी समीक्षा की जा रही है।
- **द्विपक्षीय समझौतों में भागीदारी:** श्रीलंका के साथ भारत के पहले द्विपक्षीय FTA (भारत-श्रीलंका FTA) को वर्ष 2000 में संपन्न किया गया था। हालांकि, भारत ने विगत **10 वर्षों में किसी भी बड़े FTA पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।**
  - भारत ने अपने अंतिम व्यापार समझौते, **मलेशिया के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA)** पर वर्ष 2011 में हस्ताक्षर किये थे। तब से अब तक केवल **मॉरीशस** के साथ ही व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते को संपन्न किया गया है, जिसमें कम संख्या में वस्तुओं को शामिल किया गया है। साउथ कोरिया के साथ भी FTA की स्थिति अभी समीक्षाधीन है।

FTAs के प्रति भारत की मौजूदा अनिच्छा के पीछे **विगत FTAs के साथ इसके "गैर-उत्साहजनक" अनुभव** को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

FTAs के साथ भारत का अनुभव कैसा रहा है?

- **दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते (साफ्टा/SAFTA) से अत्यधिक लाभ हुए हैं:** जब से साफ्टा लागू (2006 में) हुआ है, साफ्टा देशों से किए जाने वाले आयात की तुलना में भारतीय निर्यात तेजी से बढ़ा है। इससे **इन अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार अधिशेष** लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष 2005-06) से **बढ़कर** 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष 2018-19 में) हो गया है।

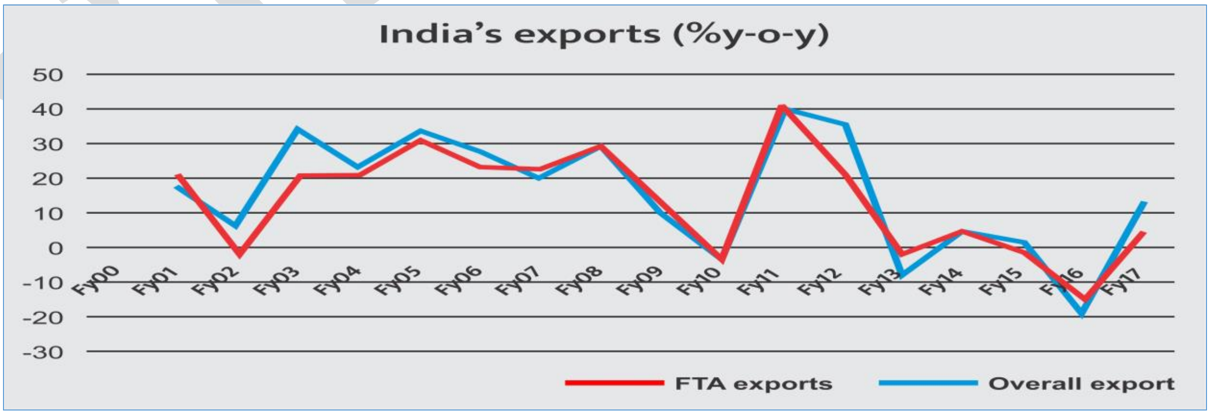

[10] Regional Trade Agreements: RTAs
[11] Asia Pacific Trade Agreement: APTA
[12] Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP

- साफ्टा क्षेत्र में किए जाने वाले निर्यात में अधिकतम बढ़ोतरी **बांग्लादेश और नेपाल के साथ** दर्ज की गई है।

- **FTAs के कारण निर्यात में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं हुई है:** समग्र निर्यात वृद्धि या शेष विश्व को किए जाने वाले निर्यात के संदर्भ में FTAs के तहत भारतीय निर्यात का **प्रदर्शन निम्नस्तरीय रहा है।** वर्ष 2006 से, **RTA भागीदारों के साथ भारत का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 13% बढ़ा है। गैर-भागीदार देशों** के मामले में भी यह रुझान लगभग समान रहा है, क्योंकि उन्हें होने वाला निर्यात भी समान गति से बढ़ा है (ग्राफ देखें)।
  - **भारत का निर्यात** कीमतों में होने वाले बदलाव की तुलना में **आय परिवर्तन के प्रति अधिक अनुकूल** रहा है। इस प्रकार प्रशुल्क में कमी से निर्यात में कोई व्यापक सुधार नहीं हुआ है।
- **व्यापार घाटे में बढ़ोतरी:** FTAs के कारण आयात और निर्यात दोनों में वृद्धि हुई है, हालांकि **आयात अधिक** हुआ है। **FTAs के बाद से** आसियान, साउथ कोरिया और जापान के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है।
  - भारत के कुल व्यापार घाटे में आसियान की हिस्सेदारी **वर्ष 2009-10 के लगभग 7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 12 प्रतिशत हो गई थी।**
- **अल्प उपयोग:** एशियाई विकास बैंक के अनुसार, भारत के FTAs की उपयोगिता दर (अधिमान्य मार्ग के माध्यम से किए गए व्यापार का प्रतिशत) **5% और 25% के बीच रही है। यह एशिया में सबसे कम है।**

भारत के संदर्भ में मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) क्यों अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे हैं?

- **प्रशुल्क से जुड़े मुद्दे:** जहाँ विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के तहत भारत को केवल 2 प्रतिशत आयात पर ही प्रशुल्क को कम करना था, वहीं अपने FTA में भारत द्वारा की गई प्रशुल्क कटौती की सीमा लगभग 74 प्रतिशत से 86 प्रतिशत रही है। यह भारत के लिए अलाभकारी सिद्ध हुई है, क्योंकि विशेषकर वैश्विक मंचों पर प्रतिस्पर्धा करने के संदर्भ में औद्योगिक विकास और स्थानीय उद्योगों की क्षमता के मामले में जापान व सिंगापुर जैसे देशों के साथ भारत की स्थिति लाभदायक नहीं रही है।
  - **इसके अतिरिक्त,** जहाँ FTAs से काफी हद तक प्रशुल्क बाधाओं को कम करने में मदद मिली है, वहीं भारतीय निर्यातकों को अभी भी आयात नियंत्रण, आयात परमिट, SPS उपायों आदि जैसी विभिन्न गैर-प्रशुल्क बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, जापान को निर्यात किए गए 76 प्रतिशत उत्पादों को कुछ गैर-प्रशुल्क विनियमनों का सामना करना पड़ा है।
- **संपन्न FTA में सेवा घटक का अभाव:** सेवा क्षेत्रक को भारत का मजबूत क्षेत्र माना जाता है, लेकिन अभी तक संपन्न अनेक FTAs में इसे शामिल नहीं किया जा सका है। ज्ञातव्य है कि इसके तहत किसी क्षेत्र में योग्यता प्राप्त व्यक्ति, किसी भी भागीदार देश में सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वतः पात्र हो जाता है।
- **घरेलू कारक:** भारत में निर्यातकों को **उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, आपूर्ति पक्ष से बाधाओं** जैसे ऊर्जा की कमी आदि जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है।
  - FTAs पर जानकारी का अभाव, उत्पत्ति मानदंडों से जुड़े जटिल नियम, अधिमान्य व्यवहार के अल्प लाभ, उच्च अनुपालन लागत और प्रशासनिक विलंब निर्यातकों को वरीयता मार्गों का उपयोग करने से रोकती हैं।
- **उत्पत्ति के नियमों (RoO)[13] जैसे उपाय:** भारत में अधिकारी FTA भागीदार देशों के माध्यम से गैर-FTA भागीदार देशों से होकर होने वाले आयातों का पता लगाने, उत्पत्ति प्रमाण-पत्र (CoO)[14] प्राप्त करने हेतु चालबाजी वाले उपाय अपनाने जैसी अवैध प्रथाओं की रोकथाम करने में असफल रहे हैं।
- **अतिव्यापी (overlapping) RTAs के कारण उत्पन्न होने वाली विसंगतियां:** RTAs की बहुलता से विसंगतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं तथा प्रभावशीलता कम हो सकती है। उदाहरण के लिए, भारत द्वारा मलेशिया और सिंगापुर के साथ अलग-अलग RTAs संपन्न किए गए हैं, जबकि वे भारत-आसियान CECA के सदस्य हैं।
- **आम वैश्विक धारणा यह है कि भारत एक संरक्षणवादी देश है:** हाल के दिनों में व्यापार पर अनेक भारतीय नीतियों का रुझान संभावित रूप से स्वदेश केंद्रित रहा है। उदाहरण के लिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भरता पर ध्यान लगाना, स्थानीय सामग्री को वरीयता देने वाला संशोधित सार्वजनिक खरीद आदेश आदि।
  - यह धारणा **प्रत्यक्ष रूप से** संभावित भागीदार देशों के साथ **FTA वार्ता पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकती है** और **अप्रत्यक्ष रूप से** मौजूदा व्यापारिक व्यवस्थाओं को **प्रभावित** कर सकती है।

FTAs को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **RoO तंत्र को मजबूत बनाना:** सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति के नियमों के प्रशासन) नियम, 2020 (CAROTAR, 2020)[15] के माध्यम से आयातकों पर भारी दायित्व आरोपित किया गया है। इसके तहत **संबंधित सीमा शुल्क छूट अधिसूचनाओं के तहत छूट का दावा करने की**

[13] Rules of Origin: RoO
[14] Certificate of Origin: CoO

प्रक्रिया को कठोर बना दिया गया है।
- CAROTAR, 2020 के तहत आयातित वस्तुओं के लिए आयातकों को अब **अधिकारियों के समक्ष पर्याप्त जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराना** आवश्यक होगा। साथ ही, उन्हें समझौते के तहत उपलब्ध विभिन्न रियायतें प्राप्त करने के लिए यह भी सिद्ध करना होगा कि उन्होंने आयात के लिए उत्पत्ति के नियम मानदंडों को पूरा किया है।

- **द्विपक्षीय निवेश संधियों (BITs)[16] में बदलाव:** वर्ष 2015 में, भारत द्वारा **अपने सभी मौजूदा BITs की समीक्षा करने का निर्णय** लिया गया था। इस संबंध में वर्ष 2016 में एक **मॉडल BIT** को जारी किया गया था। संशोधित मॉडल BIT का CECA/CEPA/FTA में मौजूदा निवेश अध्यायों पर पुन: वार्ताओं/समझौतों को संचालित करने और भावी BIT वार्ताओं के संदर्भ में उपयोग किया जाएगा।
  - मॉडल BIT में निवेश की **"उद्यम" आधारित परिभाषा,** उचित प्रक्रिया के माध्यम से गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार, राष्ट्रीय व्यवहार, परिष्कृत निवेशक राज्य विवाद निपटान (ISDS)[17] प्रावधान आदि को शामिल किया गया है।

आगे की राह

- **रक्षोपाय हेतु सुदृढ़ उपबंध:** रक्षोपाय उपबंधों को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए, ताकि घरेलू उद्योग को सही समय पर उत्पाद संबंधी नुकसान से बचाया जा सके। FTA के भीतर, संबंधित उत्पादों की मात्रा या कीमत के एक स्तर तक पहुँच जाने पर रक्षोपायों को लागू करने हेतु प्रावधानों को निर्मित किया जा सकता है।
- **आत्मनिर्भर भारत रणनीति और भावी FTA वार्ता/समझौता संबंधी रणनीति/प्रशुल्क तालिका के मध्य समन्वय स्थापित करना:** इसका तात्पर्य संबंधित उद्योगों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की बजाए FTA के तहत कालांतर में **आयात शुल्क में चरणबद्ध कमी करना** है, ताकि उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC)[18] के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया जा सके।
- **कोविड पश्चात् की विश्व व्यवस्था में नए संबंधों को स्थापित करना:** ज्ञातव्य है कि भू-राजनीतिक निर्णयों से कोविड पश्चात् की विश्व व्यापार व्यवस्था के प्रभावित होने की संभावना सर्वाधिक है। इससे भारत नए FTAs के सृजन और अपने मौजूदा FTAs में बदलाव द्वारा **आर्थिक संबंधों को स्थापित करने के लिए अपने भू-राजनीतिक संबंधों का लाभ उठा सकता है।**
- **भागीदारों का ध्यानपूर्वक चयन:** जिन देशों में व्यापार लाभ और दूसरे तरह के लाभांश अधिक हैं, उनके साथ भारत को द्विपक्षीय FTA समझौते करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, भारत अमेरिका, यूरोपीय संघ आदि जैसे बाजारों में अधिक अवसर प्राप्त कर सकता है, जहां इसकी पहले से ही व्यापक मौजूदगी रही है।
- **घरेलू उपाय:** इनमें अनुपालन लागत और प्रशासनिक विलंब को कम करना, भारतीय बाजार में निम्न गुणवत्ता वाली खतरनाक वस्तुओं की डंपिंग से बचने के लिए **उचित सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानक लागू करना, जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित करना, सेवा से संबंधित लागत का अल्प स्तर** करना (अर्थात् परिवहन, संचार आदि से संबंधित लागत) इत्यादि शामिल हैं।

FTAs के संभावित लाभों को साकार करने के लिए, यह निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है कि इन समझौतों को पारस्परिक शर्तों पर संपन्न किया गया हो। साथ ही, ये समझौते अधिकतम निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं पर केंद्रित हों।

2.3. भारत और बहुपक्षीय विकास संस्थान {India And Multilateral Development Institutions (MDIs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ब्रिक्स के **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)** ने अपने व्यापक सदस्यता विस्तार कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर **बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात** और **उरुग्वे** को अपने नए सदस्यों के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी है।

NDB के बारे में

- NDB एक **बहुपक्षीय विकास संस्थान** (MDI) है। इसे **छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान फोर्टालेजा (2014)** में स्थापित किया गया था। ब्रिक्स (BRICS) देशों में शामिल हैं- ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका।
- **उद्देश्य:** NDB के पास **100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अधिकृत पूंजी** है। NDB ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती हुई एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक व निजी बुनियादी ढांचे तथा टिकाऊ विकास परियोजनाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
- **शासन संरचना:** इसके कार्यों को एक शासक मंडल, एक निदेशक मंडल, एक अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के माध्यम से संपादित किया जाता है। इसमें चक्रानुक्रम के आधार पर संस्थापक सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष के रूप में चयनित किया जाता है।

---

[15] Customs Administration of Rules of Origin under Trade Agreement Rules, 2020 (CAROTAR, 2020)
[16] Bilateral investment Treaties: BITs
[17] Investor-State Dispute Settlement: ISDS
[18] Global Value Chain: GVC

VISIONIAS

बहुपक्षीय विकास संस्थान (MDI) क्या होते हैं?

इन संस्थानों की शुरुआत युद्ध से प्रतिकूल रूप से प्रभावित राष्ट्रों का पुनर्निर्माण करने और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में स्थिरता लाने के लिए **ब्रेटन वुड्स संस्थानों** के गठन से हुई थी। इन्हें "निर्धन देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो या दो से अधिक देशों द्वारा गठित एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान" के रूप में परिभाषित किया जाता है।

- MDI का प्राथमिक उद्देश्य निर्धन या विकासशील देशों को **अनुदान और कम लागत वाले ऋण** प्रदान करना है, ताकि उनकी **सामाजिक और आर्थिक स्थितियों** में सुधार लाया जा सके।
- MDIs को परंपरागत रूप से विकसित देशों द्वारा स्थापित किया जाता था। हालांकि, विगत कुछ दशकों में उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने भी इसे स्थापित करना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB), एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) आदि।
- MDIs विकासशील देशों को उनकी **बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, शिक्षा** और **पर्यावरणीय स्थिरता** जैसी पूंजी गहन गतिविधियों के वित्तपोषण में मदद करते हैं।

भारतीय सदस्यता वाले प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय बहुपक्षीय विकास संस्थान (MDIs)

बहुपक्षीय विकास संस्थानों के नाम	स्थापना वर्ष	मुख्यालय	कुल सदस्य	वित्तपोषण का प्रकार
विश्व बैंक समूह*	IBRD - 1944 IFC - 1956 IDA - 1960 MIGA - 1988	वॉशिंगटन डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका	IBRD - 189 IFC - 185 IDA - 173 MIGA - 182	रियायती और गैर रियायती ऋण, इक्विटी निवेश, अनुदान (ग्रांट) और ऋण संबंधी गारंटी (अधीनस्थ / उप–संस्थानों के लिए)
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)	1944	वॉशिंगटन डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका	190	यह मुख्य रूप से नीतिगत सुधारों को अपनाए जाने के शर्त पर ऋण देता है। इन नीतिगत सुधारों में शामिल हैं– निजीकरण, कृषि या विद्युत क्षेत्र में नीतिगत सुधार आदि।
अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप (AFDB)	AFDB – 1964 अफ्रीकन डेवलपमेंट फंड (ADF) – 1972	आबिदजान (आइवरी कोस्ट)	81	गैर–रियायती और रियायती ऋण, इक्विटी निवेश, और ADF द्वारा ऋण की गारंटी के रूप में अनुदान
एशियाई विकास बैंक (ADB)	ADB – 1966 एशियन डेवलपमेंट फंड (ADF) – 1973	फिलीपिंस के मनीला शहर का मंडालुयोंग	68	गैर–रियायती और रियायती ऋण, इक्विटी निवेश, और एशियन डेवलपमेंट फंड द्वारा ऋण की गारंटी के रूप में अनुदान
न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)	2004	शंघाई, चीन	8 (हालिया विस्तार के बाद)''	गारंटी, निजी निवेशकों की मदद से सामूहिक ऋण, इक्विटी निवेश, प्रोजेक्ट बॉण्ड और अन्य प्रमुख विकास संस्थानों के साथ मिलकर वित्तपोषण की व्यवस्था
एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB)	2016	बीजिंग, चीन	103	ऋण, किसी उद्यम की इक्विटी पूंजी में निवेश, अंडर–राइटिंग (जोखिम अंकन) के ओपन ऑप्शन के साथ गारंटी प्रदान करना

***विश्व बैंक समूह (World Bank Group) के अंतर्गत शामिल** हैं– (i) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD), (ii) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA), (iii) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC), (iv) बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA), और (v) निवेश संबंधी विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID)। ज्ञातव्य है कि विश्व बैंक पद सामूहिक रूप से IBRD और IDA को संदर्भित करता है।

नोट– भारत ICSID का सदस्य नहीं है।

** यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि **यू.ए.ई.** और **उरुग्वे** को भावी सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया है। हालांकि, ये देश तभी इसमें सदस्य के रूप में शामिल हो पाएंगे, जब ये दाखिला दस्तावेज़ (instrument of accession) सौंप देंगे।

भारत जैसे विकासशील देशों के लिए बहुपक्षीय विकास संस्थानों का महत्व

- MDIs विकासशील देशों के **सार्वजनिक और निजी क्षेत्र** के साथ अत्यधिक भागीदारी रखते हैं। इसी के परिणामस्वरूप MDIs विकासशील देशों के लिए **वित्तीय और तकनीकी मदद के प्रमुख स्रोत** होते हैं।

- MDIs ऋण और अनुदान सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही, ये नीतियों, वित्त पोषित परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी आदि पर विशेषज्ञ सहायता भी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के नीतिगत सुधार या शर्त आधारित ऋणों** ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लाइसेंस-कोटा-परमिट (LQP) व्यवस्था से उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण (LPG)[19] व्यवस्था की ओर संक्रमण में मदद की है।
- विकासशील देशों को ऋण प्रदान करने के लिए MDIs सामान्यतः **अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से वित्तीय सहयोग प्राप्त करते हैं।** ये विकासशील देशों को **कम क्रेडिट रेटिंग** के कारण होने वाले **नुकसान से निपटने** में भी मदद करते हैं।
- MDIs क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों के निवारण में सहयोग प्रदान करते हुए **निम्नलिखित क्षेत्रों में विकासशील देशों की सहायता करते हैं:**
  - **सामाजिक (स्वास्थ्य एवं शिक्षा)** और **भौतिक (सड़क, रेलवे आदि) बुनियादी ढांचे** में सुधार लाना। उदाहरण के लिए, विश्व बैंक ने भारत में सर्व शिक्षा अभियान, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना आदि के लिए ऋण सहायता प्रदान की है।
  - उच्च विकास और रोजगार सृजन के माध्यम से **निर्धनता को कम करने में।**
  - **अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग** को बढ़ावा देने में।
  - सतत विकास लक्ष्यों जैसे **वैश्विक लक्ष्यों तक पहुँच प्राप्त करने में।**
  - जबरन विस्थापन के कारकों को दूर करने के लिए **जलवायु वित्त सहायता प्रदान करने** में आदि।
- ये तेजी से बढ़ते नए बाजारों के विस्तार के माध्यम से **निवेशकों और व्यापार जगत के नेताओं** को भी सहयोग प्रदान करते हैं।
- ये विकासशील देशों को **वैश्विक चुनौतियों से निपटने** में भी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, विश्व बैंक द्वारा भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन** को समर्थन प्रदान किया गया है।

बहुपक्षीय विकास संस्थानों को लेकर चिंताएँ जिन्हें भारत द्वारा प्रकट किया गया है

- **विकसित देशों का वर्चस्व:** IMF और विश्व बैंक जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण MDIs पर ग्लोबल नॉर्थ के देशों का वर्चस्व है, जबकि इसमें ग्लोबल साउथ के देशों का प्रतिनिधित्व कम रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि इनके गवर्नेंस या अभिशासन में विकासशील देशों का अल्प प्रतिनिधित्व रहा है।
- **शर्तों को थोपना:** कुछ फंडिंग एजेंसियों द्वारा विशेष शर्तों को लागू किया जाता है। ये विशेष शर्तें उपकरणों की सोर्सिंग से संबंधित होती हैं। इनके कारण संप्रभुता के उल्लंघन को बढ़ावा मिलता है, और ये घरेलू उद्योगों के हितों के लिए भी नुकसानदायक होती हैं।
  - उदाहरण के लिए, विश्व बैंक अपने विकास नीति आधारित वित्तपोषण के हिस्से के तौर पर, ऋण शर्तों का प्रयोग करता है। यह सीमित नीति संभावना के साथ उधारकर्ता देश के सम्प्रभुत्व स्थिति को कमजोर करता है। प्राय: इसे नवउदारवादी पूर्वाग्रहों पर आधारित एक अनुचित राजनीतिक गतिविधि के रूप में देखा जाता है।
- **सहायता का उद्देश्य:** MDIs की अंतर्राष्ट्रीय नौकरशाही के रूप में व्यवहार करने के कारण आलोचना की जाती है। ये परिणाम उत्पन्न करने की बजाए विकासशील देशों में पूंजी स्थानांतरित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, दशकों से कई MDIs की मौजूदगी के बावजूद अफ्रीका में गरीबी का स्तर उच्च बना हुआ है।
- **सरकार की उच्च कर व्यवस्था के कारण निजी वित्त पोषण का उपयोग न होना:** विकासशील देशों के लिए पूंजी तक पहुँच बढ़ने से, MDIs वित्त पोषण, विकासशील देशों में निजी निवेश को प्रभावित कर सकता है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी:** अपने अधिकारों के स्वयं निर्णयकर्ता होने के कारण, MDIs मुख्य रूप से स्व-विनियामकीय ढांचे से संचालित होते हैं। इसमें कोई बाहरी निगरानी नहीं होती है।

आगे की राह: MDIs को अधिक समावेशी, लोकतांत्रिक और विकासात्मक बनाना

- कोविड-19 महामारी के बाद, वित्तीय संकट से उबरने के संदर्भ में MDIs, विकासशील देशों के लिए **वित्तपोषण और कौशल निर्माण सहायता के एक महत्वपूर्ण स्रोत** हो सकते हैं।
  - उदाहरण के लिए, वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान, MDIs ने तरलता/चलनिधि संकट दूर करने के लिए **लगभग 222 बिलियन डॉलर** का वित्तपोषण प्रदान किया था, जबकि लाभोन्मुख वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदत्त इस वित्तपोषण की मात्रा अत्यंत कम थी।
  - हाल ही में, IMF ने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड के प्रभाव को कम करने हेतु **वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विशेष आहरण अधिकार** का आवंटन किया था।

[19] Liberalisation, Privatisation and Globalisation: LPG

- विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 'सभी देशों के लिए एक समाधान उपयुक्त नहीं' (no one-size fit all) दृष्टिकोण के साथ **प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शर्तों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त** किया जा रहा है। यह विकासशील देशों की चिंताओं को दूर करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है।
- **आंतरिक प्रशासनिक कानूनों** में बदलाव लाने और बेहतर पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए MDIs को **बाह्य निगरानी** के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- एक समावेशी और लोकतांत्रिक शासन संरचना हेतु विश्व बैंक एवं IMF में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए **शासन सुधार** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- विकल्पों में विविधता लाने और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए **नए MDIs को मजबूत बनाया जाना चाहिए।**

सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि, MDIs को स्थानीय उत्पादन और वितरण के साथ स्थानीय बाजारों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही, विकासशील देशों के लिए आत्मनिर्भरता के निर्माण हेतु प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि महामारी से **बेहतर और स्थायी** तरीके से निपटा जा सके।

संबंधित तथ्य

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से देशों का निलंबन/निष्कासन

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता पर अधिकार करने के बाद से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अफगानिस्तान की सदस्यता को लेकर प्रश्न किए जा रहे हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार को मान्यता न मिल जाने तक **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष** ने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंध को निलंबित रखने की घोषणा की है।
- **विश्व बैंक** ने भी अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण पर रोक लगा दी है।
- संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान की सदस्यता पर निर्णय लंबित है।
  - संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1996 से वर्ष 2001 तक अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज रहने के दौरान तालिबान सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया था।
- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) में भी, तालिबान को अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति प्रदान करने के पाकिस्तान के आग्रह पर SAARC के अन्य सदस्य देशों की सहमति नहीं मिल पाई है। इसके कारण हाल ही में आयोजित होने वाली इस समूह की बैठक को रद्द कर दिया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सदस्य देशों के निष्कासन या निलंबन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून

<table>
<tr><td colspan="2">इस मुद्दे पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को सामान्य तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है:</td></tr>
<tr><td>सदस्य देशों के निष्कासन या निलंबन के प्रावधान को स्पष्ट रूप से लागू करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन</td><td>अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनके द्वारा अपने सदस्य देशों के निष्कासन या निलंबन के संबंध में किसी प्रकार के कोई प्रावधान लागू नहीं किए गए हैं</td></tr>
<tr><td>• उदाहरण के लिए,
○ संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 6 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा को किसी देश को निष्कासित करने की शक्ति प्रदान करता है, यदि उस देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर में दर्शाए गए सिद्धांतों का लगातार उल्लंघन किया गया है।
○ संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 5 किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है।
○ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुच्छेद XXVI (2) में भी किसी सदस्य देश के निलंबन और निष्कासन की संभावना पर विचार करने का अधिकार प्रदान किया गया है, यदि वह IMF के अनुच्छेदों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है।</td><td>• ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में किसी सदस्य राज्य को निष्कासित या निलंबित करने हेतु कोई अंतर्निहित प्रावधान नहीं किए गए हैं। SAARC इसी श्रेणी के अंतर्गत शामिल है।
• हालांकि, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को होने वाले नुकसानों के क्षतिपूर्ति के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के आधार पर देशों को निलंबित या निष्कासित करने की अंतर्निहित शक्ति प्रदान की गई है।
• इस सिद्धांत के अनुसार, निम्नलिखित तीन स्थितियों के आधार पर किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय संगठन से निष्कासित या निलंबित किया जा सकता है:
○ यदि किसी देश की शासन प्रक्रिया लोकतांत्रिक से अलोकतांत्रिक हो जाती है। उदाहरण के लिए, अफ्रीकी संघ ने रक्तपात आधारित तख्तापलट के बाद वर्ष 2010 में माली और नाइजर को निलंबित कर दिया था।
○ यदि मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रमंडल ने वर्ष 2009 में फिजी को मानवाधिकारों के उल्लंघन (जैसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध, संघ निर्माण पर प्रतिबंध और मनमानी</td></tr>
</table>

IMF की शब्दावली में इसे 'अनिवार्य निकासी' (compulsory withdrawal) के रूप में संदर्भित किया जाता है।	गिरफ्तारी) के लिए निलंबित कर दिया था। ○ यदि वह देश **सशस्त्र आक्रमण** जैसी गतिविधियों में शामिल है।

2.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News In Shorts)

2.4.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प में अफगानिस्तान से संबंधित भारत की प्रमुख चिंताओं को संबोधित किया गया है (UNSC Resolution addresses 'key concerns' on Afghanistan: India)

- भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने **'UNSC संकल्प 2593'** को अंगीकृत किया है। **फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका** द्वारा प्रायोजित इस प्रस्ताव के पक्ष में 13 सदस्यों ने मतदान किया तथा विरोध में किसी भी सदस्य ने मतदान नहीं किया।
  - **रूस और चीन** मतदान से पृथक रहे। उनके अनुसार कुछ समूहों, विशेष रूप से **इस्लामिक स्टेट (ISIL)** और **उइगर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ETIM)** को इस दस्तावेज़ में विशिष्ट रूप से नामित नहीं किया गया है।

स्थायी सदस्य, वीटो अधिकार (5)

- चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।

गैर–स्थायी सदस्य, दो वर्ष का कार्यकाल (10)

- अफ्रीका (3);
- एशिया (2);
- लैटिन अमेरिका (2);
- पश्चिमी यूरोप तथा अन्य (2);
- पूर्वी यूरोप (1)।

- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्राथमिक उत्तरदायित्व है।
- यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र अंग है, जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति है तथा जिसे कार्यान्वित करने हेतु सदस्य राष्ट्र बाध्य होते हैं।

- **इस संकल्प के प्रमुख बिंदु:**
  - अफ़गान क्षेत्र का उपयोग किसी भी देश को धमकी देने या हमला करने या आतंकवादियों को शरण देने और प्रशिक्षित करने तथा आतंकवादी हमलों की योजना निर्माण या वित्त-पोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
  - यह विशेष रूप से **'UNSC संकल्प 1267'** द्वारा नामित आतंकियों का उल्लेख करता है, जिसमें **लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM)** के आतंकी शामिल हैं।
  - यद्यपि, इस संकल्प में तालिबान का कई बार उल्लेख किया गया है, परन्तु उसकी निंदा नहीं की गई है।
- भारत ने इस संकल्प को पारित करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। इसने अफ़गानिस्तान में **LeT** तथा **JeM** जैसे सक्रिय राज्य अभिकर्ताओं पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव उत्पन्न किया।
  - भारत ने जनवरी 2021 में **UNSC के एक अस्थायी सदस्य** के रूप में अपना द्विवार्षिक कार्यकाल (भारत का आठवां कार्यकाल) आरंभ किया था। भारत एक माह (अगस्त) तक UNSC का अध्यक्ष रहा था।

2.4.2. शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुखों की परिषद की 21वीं बैठक दुशान्बे में आयोजित हुई {21st meeting of Shanghai Cooperation Organization (SCO) Council of Heads of State in Dushanbe}

- सदस्य देशों के प्रमुखों की परिषद **शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है।
  - SCO वर्ष 2001 में शंघाई में स्थापित एक **अंतर्राष्ट्रीय स्थायी अंतर-सरकारी राजनीतिक, आर्थिक तथा सैन्य-सुरक्षा** संगठन है।
  - SCO की गतिविधियों को **SCO सचिवालय** समन्वित करता है। **रीजनल एंटी-टेररिस्ट स्ट्रक्चर (RATS)** इसका एक महत्वपूर्ण निकाय है। यह आतंकवाद, अलगाववाद तथा उग्रवाद का सामना करने हेतु अधिदेशित है।
- **इस बैठक के मुख्य बिन्दु:**
  - इस दौरान **ईरान, SCO के स्थायी सदस्य के रूप में** तथा **सऊदी अरब, मिस्र और कतर** SCO के **संवाद भागीदार (dialogue partners)** के रूप में शामिल हुए।

- विशेषज्ञों के अनुसार SCO में ईरान का एक सदस्य के रूप में प्रवेश, SCO को व्यापक **“मध्य एशिया-मध्य पूर्व प्रणाली” में एक अधिक महत्वपूर्ण स्थिति** प्रदान करता है।

- SCO शिखर सम्मेलन के उपरांत SCO और **सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन** (CSTO)[20] के मध्य अफगानिस्तान पर आउटरीच सत्र आयोजित किया गया। इसमें भारत द्वारा SCO क्षेत्र में व्यापक रूप से बढ़ते **कट्टरपंथ तथा उग्रवाद** के कारण उत्पन्न समस्याओं को रेखांकित किया गया।
  - CSTO रूस के नेतृत्व में एक **सैन्य गठबंधन** है। यह बाह्य आक्रमण से किसी भी सदस्य को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करता है।
  - **वर्तमान में CSTO के सदस्य:** आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान।
- भारत ने मांग की है कि परस्पर विश्वास को बढ़ावा देने हेतु **कनेक्टिविटी परियोजनाएं पारदर्शी, भागीदारीपूर्ण तथा विमर्शशील** होनी चाहिए।

नोट: SCO के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया जून 2021, मासिक समसामयिकी पत्रिका के लेख 2.3 शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का संदर्भ लें।

2.4.3. पूर्वी आर्थिक मंच (Eastern Economic Forum)

- **पूर्वी आर्थिक मंच के छठे शिखर सम्मेलन** में, प्रधान मंत्री ने अपने संबोधन में भारत और रूस के मध्य प्रत्येक समय मजबूत रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किया।
- **पूर्वी आर्थिक मंच के बारे में:**
  - वर्ष 2015 में स्थापित, पूर्वी आर्थिक मंच **व्लादिवोस्तोक (रूस) में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन** है।
  - यह **रूस के सुदूर पूर्व** के आर्थिक विकास की दिशा में कार्य करता है। साथ ही, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करके एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विस्तार में मदद करता है।
  - वर्ष 2019 में, भारत ने इसी **मंच से अपनी ‘एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी’** को आरंभ किया था। इस नीति में इस संसाधन-समृद्ध क्षेत्र के विकास के लिए **1 बिलियन यू.एस. डॉलर** के **लाइन ऑफ़ क्रेडिट** की घोषणा की गई थी।

2.4.4. भारत ने वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन के उद्देश्यों का समर्थन किया (India endorses objectives of Global COVID-19 Summit)

- अमेरिका द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन का **उद्देश्य वैश्विक लक्ष्यों (G-7, G-20 आदि द्वारा निर्धारित) के साथ संतुलन स्थापित** करना है। साथ ही, **कोविड-19 वैश्विक महामारी को समाप्त करने और बेहतर वैश्विक पुनर्बहाली के लिए आवश्यक कार्रवाई** करना है।
- **इसमें शामिल किए जाने वाले प्रमुख लक्ष्य:**
  - इस वर्ष के अंत तक सभी देशों में लगभग 40 फ़ीसदी आबादी (G-20 द्वारा निर्धारित लक्ष्य) और वर्ष 2022 के मध्य तक 70 प्रतिशत आबादी (WHO द्वारा निर्धारित लक्ष्य) के टीकाकरण को सुनिश्चित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, वर्ष 2022 तक सभी देशों के लिए टीकों की पर्याप्त आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है।

---
[20] Collective Security Treaty Organisation: CSTO

- इसके तहत जीवन बचाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाएंगे:
  - ऑक्सीजन संकट का समाधान करना,
  - विभिन्न चिकित्सकीय-जाँचों में लगने वाले अत्यधिक समय की समस्या को समाप्त करना,
  - चिकित्सा सुविधाओं तक समय पर पहुंच स्थापित करना,
  - पी.पी.ई. किट निर्माण क्षमता में वृद्धि करना, और
  - नए कोविड-19 वेरिएंट की बेहतर पहचान, निगरानी एवं रोकथाम करना।
- संधारणीय स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था करके, राजनीतिक नेतृत्व को प्रोत्साहित करके (वर्ष 2021 में **ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स काउंसिल** की स्थापना) तथा **वैश्विक मंत्रिस्तरीय स्वास्थ्य और वित्त बोर्ड** के लिए G-20 के आह्वान का समर्थन कर बेहतर वैश्विक पुनर्बहाली का प्रयास करना।

- **भारतीय प्रधान मंत्री ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि:**
  - टीके के उत्पादन के लिए आवश्यक **कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखलाओं को मुक्त रखा** जाना चाहिए।
  - अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुगम बनाने के लिए **वैक्सीन प्रमाण-पत्रों को पारस्परिक मान्यता** दी जानी चाहिए, जिससे इस वैश्विक महामारी के आर्थिक प्रभावों का समाधान किया जा सके।

2.4.5. संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने 'ए पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड' शीर्षक से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है (U.S.-India Joint Leaders' Statement: A Partnership for Global Good)

- दोनों देशों के नेताओं ने अपनी प्रथम व्यक्तिगत बैठक में अपने घनिष्ठ संबंधों को नवीनीकृत किया। साथ ही, दोनों पक्षों ने एक स्पष्ट विज़न की भी पुष्टि की, जो भारत-अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा।
- **संयुक्त वक्तव्य के प्रमुख बिंदु:**
  - **आसियान** (ASEAN) और **क्वाड** (Quad) सदस्यों सहित क्षेत्रीय समूहों के साथ सहयोग बढ़ाकर **हिंद-प्रशांत** क्षेत्र में साझा हित को प्रोत्साहित करना।
  - **भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम** को दोबारा शुरू करके व्यापार और निवेश साझेदारी का विकास करना। इसका उद्देश्य व्यापारिक चिंताओं को समाप्त करके तथा विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करके द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना है।
  - **यू.एस.-भारत जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी एजेंडा-2030** के तहत स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना। इसे सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी, जलवायु कार्यवाही एवं फाइनेंस मोबलाइजेशन डायलॉग (वित्त जुटाने के लिए संवाद) के माध्यम से आगे बढाया जाएगा।
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के **'संकल्प 1267 प्रतिबंध समिति'** (UNSCR 1267 Sanctions Committee) द्वारा चिन्हित समूहों सहित सभी आतंकवादी समूहों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करके वैश्विक आतंकवाद से निपटना।
  - नए डोमेन तथा महत्वपूर्ण एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों, यथा- **अंतरिक्ष, साइबर, स्वास्थ्य सुरक्षा, अर्धचालक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5G, 6G आदि** में साझेदारी का विस्तार करना।
    - दोनों पक्ष बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक संधारणीयता सुनिश्चित करने हेतु डेटा और सेवाओं को साझा करने के लिए एक **अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता समझौता ज्ञापन**[21] को अंतिम स्वरूप प्रदान करेंगे।

2.4.6. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एयर-लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल (ALUAV) के लिए एक परियोजना-समझौते पर हस्ताक्षर किए {India and USA sign project agreement for Air-launched Unmanned Aerial Vehicle (ALUAV)}

- ALUAV के लिए परियोजना-समझौता **रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल** (Defence Technology and Trade Initiative: DTTI) के अंतर्गत शामिल है।
  - **DTTI के तहत, परियोजनाओं की 2 श्रेणियां हैं:**
    - i. उद्योग-से-उद्योग (industry-to-industry) परियोजनाओं से संबंधित, जिन्हें निर्यात लाइसेंस द्वारा सुगम बनाया गया है, तथा
    - ii. वे परियोजनाएं, जिन्हें परियोजना-समझौतों (Project Agreements: PA) के माध्यम से अंतिम रूप प्रदान किया गया है।

[21] Space Situational Awareness Memorandum of Understanding

- ALUAV के लिए परियोजना-समझौता वस्तुतः **अनुसंधान, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन (RDT&E)**[22] समझौते के तहत आरंभ की गई दूसरी श्रेणी की एक परियोजना है। इसे प्रथम बार जनवरी 2006 में हस्ताक्षरित किया गया था और जनवरी 2015 में नवीनीकृत किया गया था।

- **भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा संबंध:**
    - वर्ष 2016 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में नामित किया था। इसे **वर्ष 2018 में स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर-1 के दर्जे** तक उन्नत कर दिया गया था।
    - रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच **2+2 संवाद आयोजित किया जाता है।**
    - भारत ने **संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित चार मूलभूत रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर** किए हैं:
        - सैन्य सूचना के आदान-प्रदान पर वर्ष 2002 में **जनरल सिक्योरिटी ऑफ़ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट (GSOMIA)।**
        - वर्ष 2016 में एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग करने के लिए **लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA)।**
        - दोनों सेनाओं के मध्य इंटरऑपरेबिलिटी और भारत को उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी के विक्रय के लिए वर्ष 2018 में **कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट (COMCASA)।**
        - उच्च स्तरीय सैन्य प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक्स और भू-स्थानिक मानचित्रों को साझा करने के लिए वर्ष 2020 में **बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA)।**

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

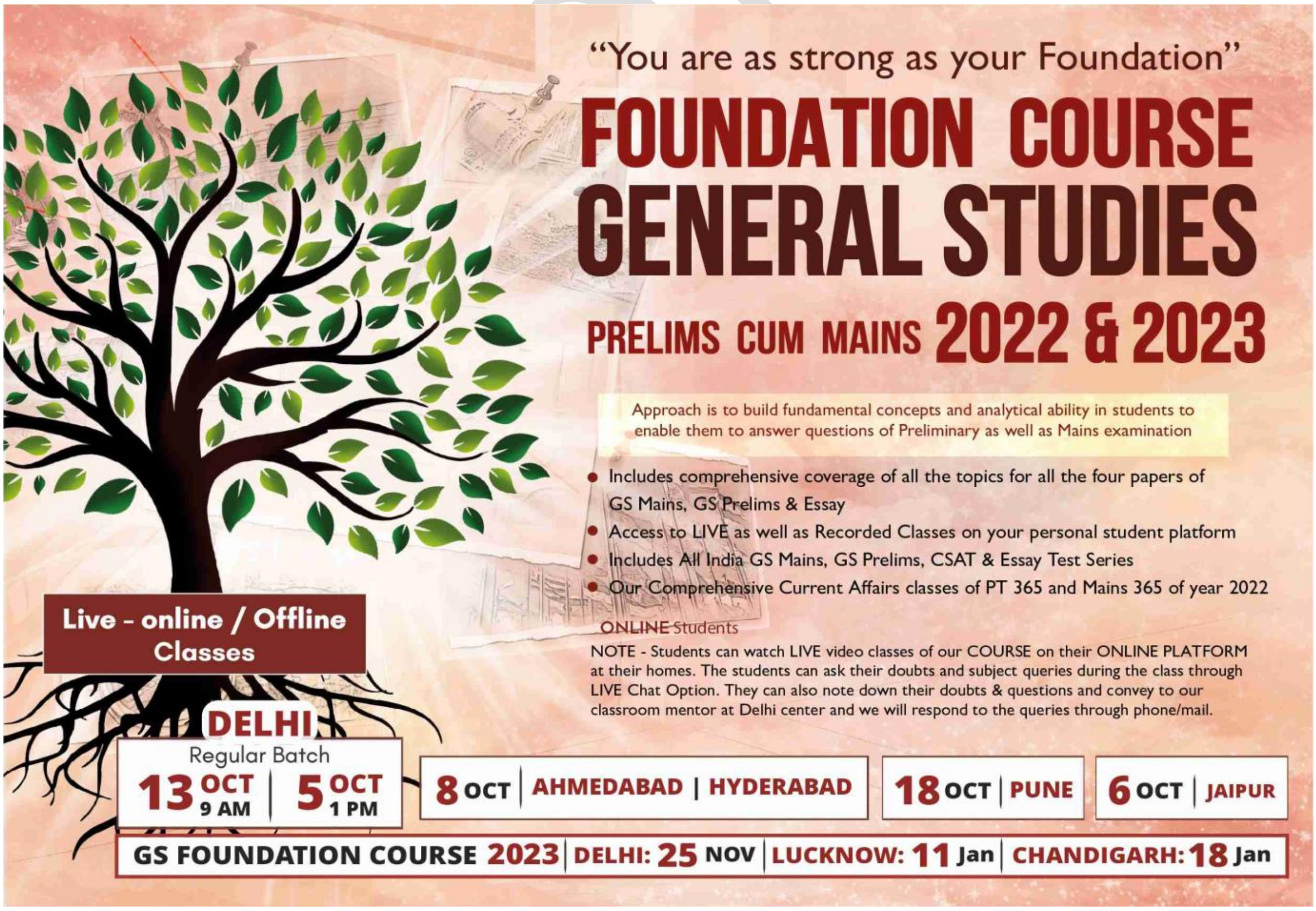

[22] Research, Development, Testing and Evaluation: RDT&E

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. भारत में शहरी नियोजन (Urban Planning in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग ने **'भारत में शहरी नियोजन की क्षमता में सुधार'**[23] नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारत में शहरी नियोजन की क्षमता में सुधार करने वाले उपायों पर आधारित है।

भारत में शहरीकरण का संक्षिप्त विवरण

- **जनसंख्या:** भारत की शहरी आबादी लगभग 37.7 करोड़ है (जनगणना, 2011)।
  - वर्ष 2011-36 के दौरान, शहरी विकास के कारण कुल जनसंख्या में 73% की वृद्धि होगी (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 2019)। पूर्व के अनुमान इंगित करते हैं कि भारत में वर्ष 2050 तक शहरी आबादी बढ़कर 50% हो जाएगी (यू.एन.-हैबिटैट, 2017)।

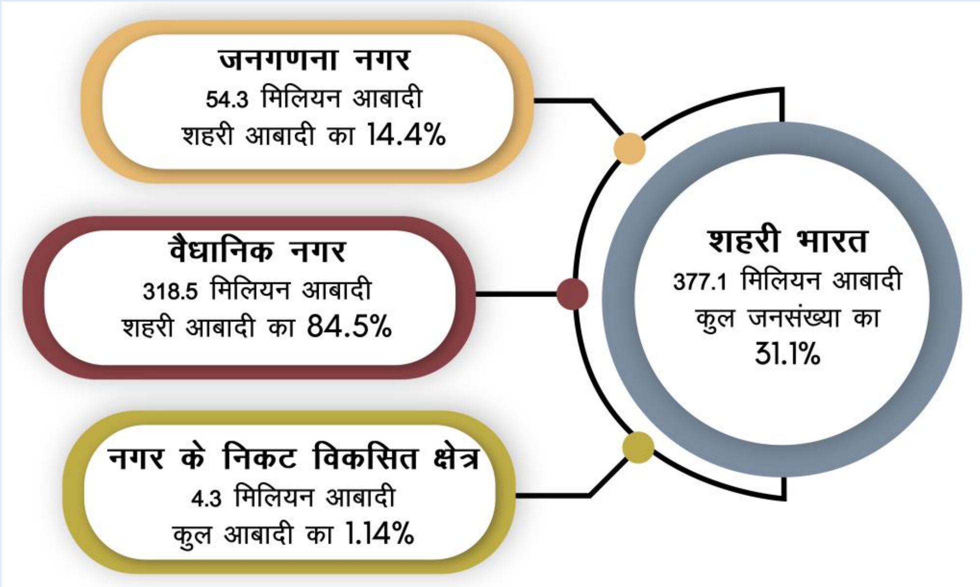

- **आर्थिक योगदान:** भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में शहरीकरण लगभग 60% का योगदान करता है।
- **भौगोलिक हिस्सेदारी:** भारत के कुल भूमि क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की भूमि की हिस्सेदारी 3.1% है।
- **शहरी समूहों का वर्गीकरण:**
  - **वैधानिक नगर (Statutory Towns):** ऐसे अधिवासित क्षेत्र (settlements) संबंधित राज्य / संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा कानून बनाकर अधिसूचित किए जाते हैं। यहाँ नगर निगम, नगर पालिका, नगर समिति जैसे स्थानीय निकायों की मौजूदगी होती है।
  - **जनगणना नगर (Census Towns):** जनगणना के समय ऐसे अधिवासित क्षेत्र जहाँ पुरुष जनसंख्या का कम से कम 75% हिस्सा गैर-कृषि व्यवसायों आदि में संलग्न पाया जाता है, उन्हें अर्बन या शहरी के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है। ये गांव के रूप में शासित होते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि इन क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकाय हो।
  - **नगर के निकट विकसित क्षेत्र (Outgrowths):** नगर के निकट विकसित कई इलाकों में शहरी विशेषताएं जैसे कि पक्की सड़के और विद्युत जैसी सुविधाएं पाई जाती हैं। ऐसे ये महत्वपूर्ण इकाइयां होती हैं जैसे कि आस-पास के गांव। इनकी अवस्थिति और सीमाओं को देखते हुए इन्हें स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। ये क्षेत्र अपने निकट के मुख्य शहर से भौतिक रूप से जुड़े होते हैं।

नोट: शहरी नियोजन का आशय योजना के अनुसार (अर्थात् योजनागत) शहरी विकास से है।

योजनागत या नियोजित शहरी विकास (Planned Urban development) में सुधार करने की आवश्यकता क्यों है?

- **शहरी आबादी में तीव्र वृद्धि:** इससे कई भारतीय शहरों और कस्बों की अवसंरचना पर अत्यधिक दबाव बढ़ेगा। यह अनियंत्रित विकास के साथ-साथ समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए हानिकारक भी हो सकता है।
  - इसके अलावा, कोविड-19 वैश्विक महामारी ने नागरिकों के स्वास्थ्य पर जोर देने के साथ-साथ, हमारे शहरों की योजना और प्रबंधन में अनिवार्य सुधारों की आवश्यकताओं को प्रकट किया है।
- **भारत की अर्थव्यवस्था के लिए शहरीकरण का बढ़ता महत्व:** भारत के शहरी केंद्रों द्वारा प्रस्तुत आकारिक मितव्ययिता (economies of scale) की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। इन हस्तक्षेपों में शामिल हैं- शहरी और स्थानिक योजना निर्माण, शहरी भूमि बाजार का विकास, गवर्नेंस में सुधार आदि।
- **भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को पूरा करना:** सतत विकास लक्ष्य (SDGs)[24] 2030, यू.एन. हैबिटैट के न्यू अर्बन एजेंडा और पेरिस जलवायु समझौते जैसे वैश्विक एजेंडा के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में शहर निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

[23] Reforms in Urban Planning Capacity in India

- **भारत के राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु:** भारत के विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में रणनीतिक रूप से निर्मित स्थानीय योजना सहायक होगी। इन लक्ष्यों में शामिल हैं- भारत को वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 11 बड़े औद्योगिक गलियारों का निर्माण करना इत्यादि।
- **अवसंरचना संबंधी विकास:** देश में अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को गति प्रदान करने हेतु निर्मित राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (वित्त वर्ष 2020-25 के लिए) में शहरी क्षेत्रक की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी (17%) है।
- **बहु-क्षेत्रक जुड़ाव को सुनिश्चित करना:** अलग-अलग सरकारी विभागों द्वारा लागू की जाने वाली तथा एक-दूसरे से न जुड़ी हुई योजनाओं को आपस में जोड़ने के लिए देश में एक मजबूत शहरी नियोजन वाले पारितंत्र की आवश्यकता है।
    - उदाहरण के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन और भारी उद्योग मंत्रालय के नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में परस्पर समन्वय या जुड़ाव से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

योजनागत शहरी विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपाय:

- **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)[24] का लक्ष्य 11:** इसका उद्देश्य शहरों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और संधारणीय बनाने के साथ–साथ योजना आधारित शहरी विकास पर भी बल देना है।
- **यू.एन.–हैबिटेट:** इसने शहरी और क्षेत्रीय योजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा–निर्देशों को जारी किया है।
- **संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय:** इसने नीतियों के वास्तविक धरातल पर कार्यान्वयन हेतु दिशा–निर्देश जारी किए हैं। यह भूमि उपयोग एवं शहरी विकास के लिए कार्यान्वयन संबंधी दिशा–निर्देश है, जो आपदा के जोखिम को कम करने के लिए योजनागत विकास पर बल देते हैं।
- **आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015–2030:** यह आपदा संबंधी जोखिम को कम करने के लिए सुनियोजित शहरी विकास पर बल देता है।

- **अंतर-राज्यीय असमानताएं:** गोवा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ राज्यों ने 40% से अधिक शहरीकरण को प्राप्त कर लिया है। जबकि अन्य राज्य जैसे कि बिहार, ओडिशा, असम और उत्तर प्रदेश का शहरीकरण राष्ट्रीय औसत (31.1%) से कम है।
- **अनियोजित विकास से उत्पन्न बहुआयामी मुद्दे:** मलिन बस्तियां, यातायात संबंधी अत्यधिक भीड़, बुनियादी ढांचे पर दबाव, शहरी भूमि का अकुशल उपयोग, अत्यधिक वायु प्रदूषण, शहरी बाढ़, जल की न्यूनता और सूखे जैसे मुद्दे पर्याप्त शहरी नियोजन और शासन संबंधी ढांचे की गंभीर और महत्वपूर्ण खामियों को उजागर करते हैं।

भारत में शहरी विकास और नियोजन के लिए उठाए गए कदम

- **74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992:** इसने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की स्थापना को अनिवार्य किया।
    - इसने पंचायतों और नगर पालिकाओं के मध्य सामान्य हित के विषयों पर 'विकास योजना का प्रारूप' तैयार करने संबंधी उत्तरदायित्व सौंपा है। इसके लिए **महानगर योजना समितियों (MPCs)**[25] और **जिला योजना समितियों (DPCs)**[26] के गठन का प्रावधान किया गया है।
- **भवन निर्माण उपविधि (Model Building By-Laws), 2016**[27] किसी क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने हेतु एक कानूनी उपकरण है।
- **योजनाएं:** सरकार ने योजनागत और एकीकृत शहरी प्रबंधन के लिए स्मार्ट सिटी मिशन तथा **अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT)** को आरंभ किया है। **प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)** और **स्वच्छ भारत मिशन-शहरी** को क्रमशः सभी के लिए आवास एवं स्वच्छ शहरी वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए आरंभ किया है।
- **ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स (EoLI):** इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा संधारणीय शहरीकरण को सुनिश्चित करने हेतु आरंभ किया गया है। इसे राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रकाशित किया जाता है।
- **15वें वित्त आयोग ने नए शहरों का विकास करने के संदर्भ में राज्यों के लिए 8,000 करोड़ रुपये के प्रदर्शन-आधारित चुनौती निधि (challenge fund) की सिफारिश की है।** इसके तहत प्रस्तावित प्रत्येक नए शहर के लिए 1,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होगी। इस प्रस्तावित योजना के तहत एक राज्य में केवल एक नया शहर हो सकता है।

---

[24] Sustainable Development Goals: SDGs

[25] Metropolitan Planning Committees: MPCs

[26] District Planning Committees: DPCs

[27] Model Building By-Laws, 2016

भारत की शहरी नियोजन क्षमता के समक्ष चुनौतियां

- **संस्थागत स्पष्टता का अभाव:** शहर के साथ-साथ राज्य स्तर पर भूमि और जल, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट जैसे क्षेत्रों की योजना बनाने वाले प्राधिकरणों या संस्थाओं की अधिकता है। इससे अस्पष्टता के साथ-साथ कार्यों में दोहराव (अतिव्यापन) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही, इससे कार्यों एवं उत्तरदायित्व संबंधी विभाजन पर भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है।
- **प्रभावी विकेंद्रीकरण का अभाव:** इसे निम्नलिखित मुद्दों के माध्यम से दर्शाया जा सकता है:
  - अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों को 'शहरी नियोजन' के कार्य आवंटित नहीं किए गए हैं।
  - अधिकांश राज्यों में MPCs और DPCs कार्य नहीं कर रही हैं और कुछ राज्यों में तो उनका गठन भी नहीं हुआ है।
- **सहभागितापूर्ण निर्णय-निर्माण का अभाव:** राज्यों ने शहरी स्थानीय निकायों के अनेक कार्यों को पूरा करने के लिए महानगरीय एवं शहरी विकास प्राधिकरण जैसे समानांतर सरकारी संस्थाओं का गठन किया है। जबकि, ये निकाय सीधे नागरिकों के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं।
- **नगरपालिका के शासी निकायों (गवर्नेंस बॉडीज) के कामकाज में समस्याएं:**
  - अधिकांश भारतीय शहरों में महापौर के पास सीमित कार्यकारी उत्तरदायित्व होते हैं।
  - कई राज्यों में नियोजन अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। साथ ही, ऐसे निकायों के प्रमुख भी प्रायः योग्य शहरी योजनाकार नहीं होते हैं।
- **'शहरी' क्षेत्र के तौर पर मान्यता नहीं मिलना:** भारत की जनगणना (वर्ष 2011) के अंतर्गत जनसंख्या के आकलन हेतु लगभग 8,000 कस्बों की गणना शहर के रूप में की गई है। हालांकि, इनमें से आधे (जिन्हें **जनगणना नगर** के रूप में भी जाना जाता है) अब भी प्रशासनिक रूप से 'ग्रामीण' ही हैं। साथ ही, भारत के संदर्भ में 'शहरी' क्षेत्र को परिभाषित करने वाले मापदंड अप्रासंगिक हो चुके हैं।
- **नगरों एवं अन्य क्षेत्रों के लिए योजना का अभाव:** वर्तमान में, लगभग 52% वैधानिक नगरों और 76% जनगणना नगरों के पास स्थानिक विकास और अवसंरचनात्मक निवेश का मार्गदर्शन करने के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं है।
- **अन्य मुद्दे:**
  - सार्वजनिक क्षेत्रक में **पर्याप्त और तकनीकी रूप से योग्य योजनाकारों का अभाव है।**
  - शहरी नियोजन में **निजी क्षेत्र की कम भागीदारी।**
  - ग्रामीण क्षेत्र नियोजन, तटीय क्षेत्र नियोजन, औद्योगिक क्षेत्र नियोजन और पहाड़ी क्षेत्र नियोजन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में **विशेषज्ञ पेशेवरों की कमी।**
  - प्रशासकों या निर्वाचित पदाधिकारियों में **शहरी नियोजन और उससे संबंधित सामाजिक-आर्थिक लाभों के बारे में सीमित जागरूकता है।**

आगे की राह: इस रिपोर्ट द्वारा की गई सिफारिशें

स्वस्थ शहरों की योजना	• '500 स्वस्थ शहर कार्यक्रम (500 Healthy Cities Programme)' नामक एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना आरंभ की जाएगी। इसकी अवधि 5 वर्ष की होगी। इसके लिए प्राथमिकता वाले शहरों का चयन राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
मास्टर प्लान तैयार करने संबंधी वर्तमान दृष्टिकोणों में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप और उसमें सुधार करना	• नागरिकों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का आकलन करना। • संबंधित एजेंसियों का स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करना। • मास्टर प्लान रिपोर्ट में वित्तीय कार्यान्वयन योजना के साथ विशिष्ट प्रस्तावों को विकसित करना और उनका समावेश करना। • भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) प्लेटफॉर्म पर शहर का सुसंगत बेस मैप (आधार मानचित्र) तैयार करना। • शहर के सभी संबंधित उप-क्षेत्रों का मानचित्रण करना।
शहरी भूमि का उचित उपयोग	• 'स्वस्थ शहर कार्यक्रम' के तहत आने वाले शहरों की भूमि की दक्षता का वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर उचित उपयोग करने हेतु एक उप-योजना का प्रस्ताव किया गया है। इस उप-योजना का नाम है- 'विकास नियंत्रण विनियमों की तैयारी/संशोधन' ('Preparation/Revision of Development Control Regulations')।
शहरी शासन को नए सिरे से व्यवस्थित करना	• विभिन्न प्राधिकरणों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन तथा नियमों और विनियमों में उपयुक्त संशोधन करना, आदि। • अत्यधिक गतिशील संगठनात्मक संरचना का निर्माण करना, नगर नियोजकों और अन्य विशेषज्ञों के कार्य विवरणों का मानकीकरण करना। • जन भागीदारी और अंतर-एजेंसी समन्वय को सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से अपनाना।
मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना	• सार्वजनिक क्षेत्र में योग्य शहरी नियोजकों की कमी का समाधान करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है: o नगर नियोजकों के रिक्त पदों को भरने में तेजी लाना।

	○ नगर नियोजकों के अतिरिक्त पदों को पार्श्व प्रवेश (lateral entry) पदों के रूप में स्वीकृत करना। ○ नगर नियोजकों के पदों पर योग्य उम्मीदवारों का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए भर्ती संबंधी नियमों में अपेक्षित संशोधन करना। ○ नगर नियोजन से जुड़े कर्मचारियों की नियमित रूप से क्षमता निर्माण करना। इसके लिए MoHUA द्वारा संचालित राष्ट्रीय शहरी शिक्षण मंच[28] का उपयोग किया जा सकता है।
नगर और ग्राम नियोजन संबंधी अधिनियमों में वांछित बदलाव करना	• **नियोजन संबंधी कानूनों** (नगर और ग्राम नियोजन या शहरी और क्षेत्रीय विकास संबंधी अधिनियमों या अन्य प्रासंगिक अधिनियमों सहित) की नियमित समीक्षा करने के लिए राज्य स्तर पर एक शीर्ष समिति का गठन करना।
नियोजन में स्पष्टता लाना और नियोजन में नागरिकों को शामिल करना	• निम्नलिखित रणनीतियों के साथ 'नागरिक संपर्क अभियान' का संचालन करना: ○ MoHUA के नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक और संबंधित शहरी प्रशासन की वेबसाइटों पर मास्टर प्लान/क्षेत्रीय योजनाओं को प्रकाशित करना। ○ नागरिकों की भागीदारी हेतु विज्ञापन करना।
स्थानीय शहरी नेतृत्व का निर्माण करना	• शहरी नियोजन से संबंधित आर्थिक और सामाजिक लाभों के संबंध में शहर स्तर के निर्वाचित पदाधिकारियों हेतु अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को तैयार करना और उन्हें लागू करना।
निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने के लिए प्रयास करना	• तकनीकी परामर्श सेवाएं प्राप्त करने के लिए उचित प्रक्रियाओं को अपनाना। • सार्वजनिक क्षेत्र में परियोजना निर्माण और प्रबंधन कौशल को सुदृढ़ करना। • निजी क्षेत्र से परामर्श देने वाली एजेंसियों का पैनल बनाना।
शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रयास करना	• प्रत्येक केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक 'नियोजन विभाग' स्थापित करना। • 'ग्रामीण क्षेत्र के नियोजन' संबंधी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना। • नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) आदि में एक पाठ्यक्रम के रूप में 'नियोजन' को शामिल करना, इत्यादि।
मानव संसाधन को सुदृढ़ करने और मांग-आपूर्ति में तालमेल के लिए उपाय करना	• भारत सरकार के एक वैधानिक निकाय के रूप में 'शहरी और ग्रामीण योजनाकारों का राष्ट्रीय परिषद'[29] का गठन करना। • साथ ही, सभी योजनाकारों के स्व-पंजीकरण को सक्षम बनाने के लिए 'शहरी और ग्रामीण योजनाकारों का राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म'[30] का गठन करना।

3.2. भारत में कृषि ऋणग्रस्तता (Agricultural Indebtedness in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय** ने एक सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2013 से वर्ष 2018 के मध्य कृषि से जुड़े प्रत्येक परिवार का औसत बकाया ऋण में 57.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण का शीर्षक **"ग्रामीण भारत में कृषि से जुड़े परिवारों और परिवारों की भूमि जोत की स्थिति का आकलन, 2019"**[31] है।

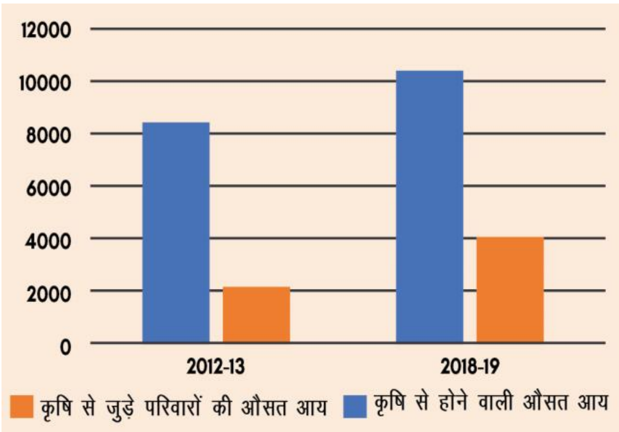

इस सर्वेक्षण या रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **कृषि से जुड़े परिवारों की औसत आय** और **कृषि आय में वृद्धि** हुई है (ग्राफ देखें)।
- आंध्र प्रदेश में प्रति कृषक परिवार औसत बकाया ऋण सर्वाधिक (2.45 लाख रुपये) है। साथ ही, इस राज्य में ऋणग्रस्त कृषक परिवारों का उच्चतम अनुपात (93.2 प्रतिशत) भी है। इसके बाद तेलंगाना (91.7 प्रतिशत) और केरल (69.9 प्रतिशत) का स्थान आता है।

बढ़ती ऋणग्रस्तता के कारण

ऋणग्रस्तता का आशय ऋण के कारण पैदा होने वाली निर्धनता या ऐसी स्थिति से है जहां एक परिवार लगातार बढ़ते ऋण जाल में फंस जाता है। कृषि से जुड़े परिवारों में बढ़ते ऋण के लिए निम्नलिखित कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है:

---

[28] National Urban Learning Platform

[29] National Council of Town and Country Planners

[30] National Digital Platform of Town and Country Planners

[31] Situation Assessment of Agricultural Households and Land Holdings of Households in Rural India, 2019

- **सरकारी प्रयासों के कारण संस्थागत वित्त तक पहुंच में वृद्धि:** वर्ष 2013-14 से वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान कृषि के लिए ग्राउंड लेवल क्रेडिट (GLC) बढ़कर लगभग दोगुना (7.30 लाख करोड़ रुपये से 13.92 लाख करोड़ रुपये) हो गया है।
- **कृषि उत्पादकता एवं आय में अपर्याप्त वृद्धि:** इसके लिए निम्नलिखित कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है:

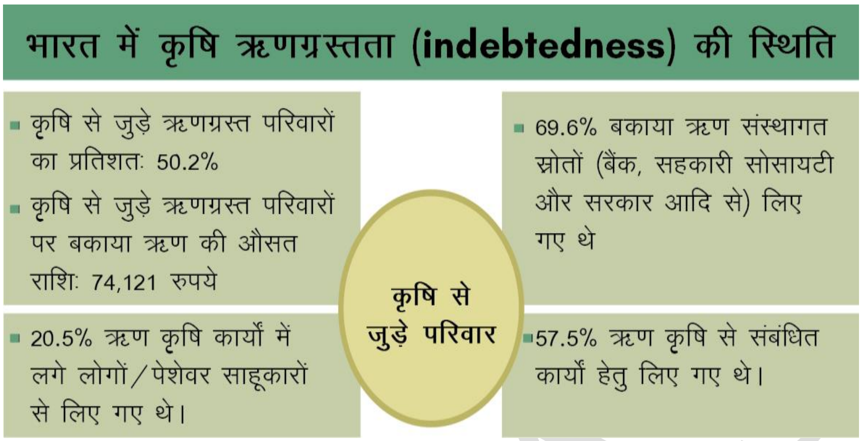

  - **खेती की बढ़ती लागत:** ऋण का उपयोग कृषि मशीनीकरण में निवेश करने तथा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पीड़कनाशक आदि जैसे आधुनिक आगतों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लगभग 95 प्रतिशत ट्रैक्टर, ऋण लेकर खरीदे जाते हैं।
  - **जलवायु परिवर्तन** के कारण मौसम और वर्षा का पैटर्न प्रभावित हुआ है, जिससे कृषि से संबंधित उत्पादकता में गिरावट आई है।
  - **मूल्य अस्थिरता,** कृषि उत्पादों के मार्केटिंग की निम्नस्तरीय पद्धतियां और मूल्य में पर्याप्त वृद्धि के अभाव से कृषि ऋण में वृद्धि हुई है।
  - **छोटी जोतों वाली निर्वाह कृषि** के कारण जीवन यापन के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना भी कठिन हो जाता है।
- **जोखिम से बचाने के लिए निम्नस्तरीय तंत्र:** भारत में जागरूकता की कमी और दावों के भुगतान में देरी के कारण फसल बीमा को अपनाने की गति अब भी धीमी है।
- **अनौपचारिक ऋणों की उच्च लागत:** वर्तमान में भी लघु और सीमांत किसान, काश्तकार और खेतिहर मजदूर अब भी अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त के अनौपचारिक स्रोतों (जैसे- स्थानीय साहूकार आदि) पर अत्यधिक निर्भर हैं। इसके लिए उन्हें अधिक ब्याज दर का भुगतान करना पड़ता है, जो उन्हें ऋण के चक्र में धकेल देता है।
- **पैतृक ऋण का चक्र:** ग्रामीण लोगों द्वारा ऋण गैर-उत्पादक उद्देश्यों जैसे कि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने और सामाजिक कार्यों (जैसे- विवाह, जन्म, मृत्यु से संबंधित) आदि के लिए लिया जाता है। इस ऋण का बोझ किसानों को पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले ऋण चक्र में फंसा देता है। कृषि आय की अनिश्चितता के कारण इस चक्र का टूटना और कठिन हो जाता है।
- **कृषि ऋण माफी:** सरकार द्वारा अधिक मात्रा में कृषि ऋण को माफ करने के कारण किसानों के लिए हानि होने पर ऋण की अदायगी के भय के बिना ऋण लेना आसान हो जाता है।
- **मुकदमेबाजी:** भारत में कृषि कार्य करने वाले कई लोग भूमि, संपत्ति आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार के विवादों में संलग्न हैं, जिसमें अत्यधिक व्यय और समय लगता है।

ऋणग्रस्तता (indebtedness) के प्रभाव

कृषि मशीनरी खरीदने या फसल विविधीकरण में निवेश करने के लिए लिया गया संधारणीय ऋण भविष्य की आय और कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर सकता है। जबकि गैर-संधारणीय ऋण से निम्नलिखित मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं:

- कृषि के आधुनिकीकरण में **निवेश का कम होना।**
- ऋण संबंधी उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए **दबाव में आकर कम मूल्य पर फसलों को बेचना।**
- **कृषक समुदाय का हाशिये पर चला जाना** और कुछ चरम मामलों में किसानों द्वारा आत्महत्या करना।
- कृषि से जुड़े परिवारों में बढ़ी हुई ग्रामीण गरीबी और **इसका समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास (शैक्षिक और स्वास्थ्य) पर प्रभाव।**
- **ऋणग्रस्तता की स्थिति नए ऋणों के समक्ष बाधा उत्पन्न करती है** और डिफ़ॉल्ट की बढ़ती संभावना के कारण बैंकिंग प्रणाली पर दबाव बनाती है।
- **कई बार साहूकारों का ऋण न चुका पाने के कारण किसानों को अपनी संपत्ति (गिरवी रखी गई भूमि) से हाथ धोना पड़ जाता है।** इससे किसान भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं। यह स्थिति कृषि संबंधी निर्णय लेने की उनकी क्षमता को सीमित कर देती है।
- बढ़ते ऋण ने **एक आर्थिक गतिविधि के रूप में कृषि की उपयोगिता को कम कर दिया है।** यह स्थिति खाद्य सुरक्षा के सामने संकट पैदा करती है और किसानों को ऋण के अंतहीन चक्र में धकेल देती है।

आगे की राह

बढ़ते ऋण के मुद्दे का समाधान करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके तहत निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है:

- किसानों को कृषि संबंधी आधुनिक तकनीकों से अवगत कराना चाहिए। जलवायु के अनुकूल और उच्च मूल्य वाली कृषि फसलों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को आरंभ करना चाहिए। यह कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सही है।

* फसल बीमा योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाकर जोखिम कम करना।
* ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की मोबाइल शाखाओं की स्थापना करने, लेन-देन की लागत को कम करने, भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण करने जैसे प्रयासों के माध्यम से विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों की **संस्थागत ऋण सुविधाओं तक पहुंच में वृद्धि करना।**
* **वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्रों** की स्थापना करके किसानों को दीर्घकालिक ऋण के बारे में शिक्षित करना चाहिए। इसके माध्यम से बैंकों, स्वयं-सहायता समूहों, एग्री क्लीनिकों और इसी तरह के अन्य संस्थानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।
* किसानों को साहूकारों का ऋण चुकाने में सक्षम बनाने हेतु बैंकों को प्रयास करना चाहिए। इसके लिए बैंकों **"मनी लेंडर्स डेट रिडेम्पशन फंड"** की स्थापना करना होगा, जिससे दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने हेतु एकमुश्त उपाय किया जा सके। साहूकारों के साथ समझौता करने में स्थानीय सिविल सोसाइटी संगठन, गैर-सरकारी संगठन या पंचायती राज संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

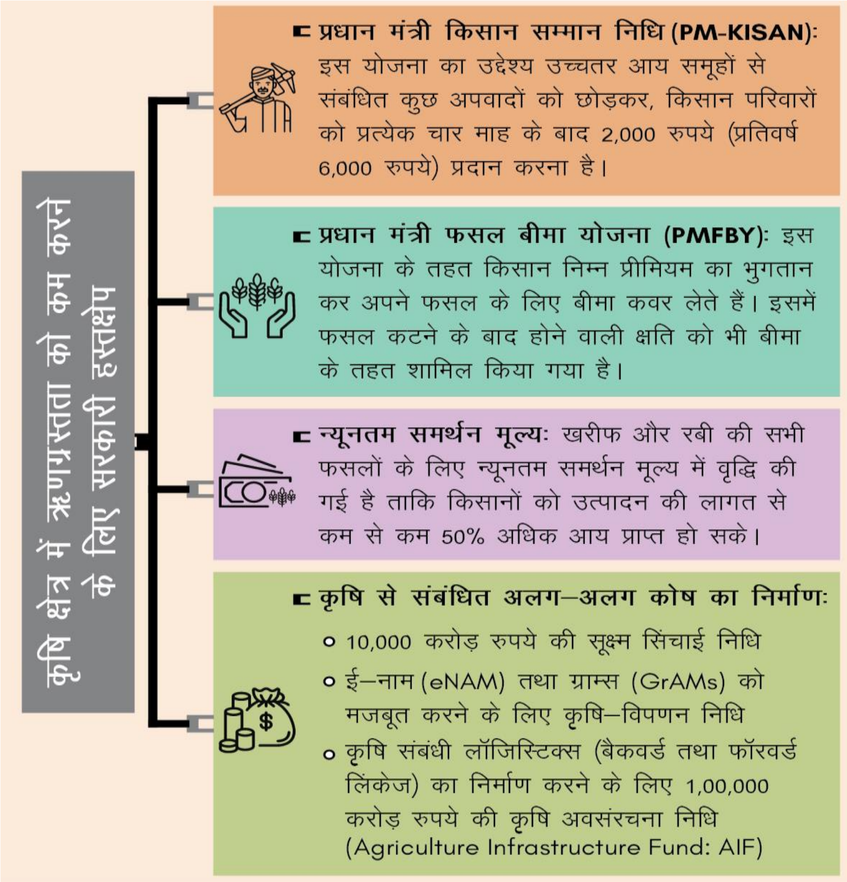

3.3. कृषि पर समझौता (Agreement on Agriculture: AoA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** का **"कृषि पर समझौता (AoA)** विकासशील देशों के पक्ष में नहीं है।

कृषि पर समझौते (AoA) के बारे में

* विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा अंतिम रूप देने के बाद **AoA वर्ष 1995 में लागू हुआ।**
  * इसका लक्ष्य कृषि उत्पादों के व्यापार के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और कम विकृत (distorted) बाजार का मार्ग प्रशस्त करना है। इसके लिए यह **कृषि उत्पादों के व्यापार और घरेलू नीतियों में दीर्घकालिक सुधार हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता है।**
* **इस समझौते में निम्नलिखित शामिल है:**
  * **बाजार तक पहुंच:** कृषि वस्तुओं के व्यापार में विद्यमान प्रतिबंधों को समाप्त कर आयात पर कर या शुल्क का उपयोग करना।
  * **घरेलू समर्थन:** सब्सिडी और अन्य सहायता कार्यक्रमों के उपयोग को सीमित या बंद करना, जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन को प्रोत्साहित और व्यापार को विकृत करते हैं।
  * **निर्यात प्रतिस्पर्धा:** निर्यात संबंधी सब्सिडी और अन्य सरकारी सहायता कार्यक्रमों के उपयोग को सीमित या बंद करना, जो निर्यात को प्रतिस्पर्धा रहित बनाते हैं।
* इस समझौते के तहत WTO के सदस्य "कृषि वस्तुओं की एक सूची" पर सहमत हुए हैं और उन्होंने कुछ प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। इससे कृषि उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ (प्रशुल्क) की सीमा निर्धारित की गयी है और साथ ही घरेलू समर्थन एवं निर्यात संबंधी सब्सिडी के स्तर को भी निर्धारित या सीमित किया गया है।
* AoA के अस्तित्व में आने के बाद भी कृषि व्यापार संबंधी सुधार की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। इसलिए WTO के सदस्य लगातार कृषि व्यापार सुधार पर समझौता वार्ता करते रहते हैं।

कृषि पर समझौता (AoA): समझौता वार्ता का क्रमविकास

दौर (Round) या मंत्रीस्तरीय सम्मेलन	मुख्य प्रावधान
उरुग्वे दौर (1986-94)	• AoA पर WTO के सदस्यों द्वारा उरुग्वे दौर की वार्ता के दौरान हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के साथ लागू हुआ। • सदस्य देशों ने घरेलू समर्थन और निर्यात संबंधी सब्सिडी को कम या समाप्त करने और बाजार पहुंच प्रदान करने के बारे में प्रतिबद्धता व्यक्त की। • यह खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता सहित **गैर-व्यापारिक मुद्दों को भी शामिल** करता है। इसमें विकासशील देशों के लिए **विशेष और विभेदक (special and differential) उपाय** प्रदान किए गए हैं। • इसके तहत विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को **कृषि संबंधी विशेष सुरक्षोपाय (Special Agricultural Safeguard)** प्रदान किये गए हैं। इसके चलते ये देश आयात में अत्यधिक वृद्धि (मात्रा में) या आयात मूल्य में एक निश्चित सीमा से अधिक गिरावट की स्थिति में अतिरिक्त शुल्क लगा सकते हैं। • **उरुग्वे दौर के दौरान घरेलू समर्थन की कुछ निश्चित श्रेणियां बनाईं गईं:** **ग्रीन बॉक्स** ○ ग्रीनबॉक्स के अंतर्गत किए जाने वाले उपायों में कटौती करने का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ तक कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य इसमें और अधिक वृद्धि कर सकते हैं। ○ यह विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के सदस्य देशों पर लागू होता है। हालांकि, विकासशील देशों के मामले में खाद्य सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों तथा शहरी और ग्रामीण निर्धनों के लिए सब्सिडी युक्त खाद्य पदार्थों के संबंध में सरकार द्वारा रखे गए स्टॉक से संबंधित कार्यक्रमों के संबंध में विशेष सुविधा (स्पेशल ट्रीटमेंट) प्रदान की जाती है। **(भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली ग्रीनबॉक्स के अंतर्गत नहीं आती है)** **अंबर बॉक्स** ○ कृषि उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाले सभी घरेलू समर्थन उपायों (कुछ अपवादों सहित) को अंबर बॉक्स के अंतर्गत शामिल किया गया है। ○ उदाहरण के लिए– न्यूनतम समर्थन मूल्य; सरकारी खरीद मूल्य; उर्वरक, सिंचाई के लिए जल, ऋण तथा विद्युत आदि पर दी जाने वाली सभी सब्सिडियों का कुल योग इसमें शामिल है। **ब्लू बॉक्स** ○ ब्लू बॉक्स के अंतर्गत शामिल चीजें मूल रूप से अंबर बॉक्स सब्सिडी के ही समान होती हैं लेकिन इनकी प्रवृत्ति उत्पादन को सीमित करने की होती है। सामान्य रूप से अंबर बॉक्स के तहत दी जा सकने वाली कोई भी ऐसी सहायता जिसके कारण किसानों को अपना उत्पादन भी सीमित करना पड़ता है तो उसे ब्लू बॉक्स में रखा जाता है। ○ इन उपायों को कमी करने से संबंधित प्रतिबद्धताओं से भी छूट दी जाती है। **विशेष एवं विभेदित उपाय बॉक्स** ○ इसमें किसानों को ट्रैक्टरों और पंपसेटों, कृषि से संबंधित इनपुट सेवाओं जैसे उर्वरकों आदि के लिए दी जाने वाली निवेश सब्सिडी शामिल होती हैं। ○ इस बॉक्स में शामिल सब्सिडी केवल विकासशील और निम्न आय वाले देशों द्वारा दी जा सकती हैं।
	• **डी मिनिमिस (De Minimis):** एम्बर बॉक्स में शामिल सब्सिडी के लिए एक सीमा तय की गयी है जिसे 'डी मिनिमिस' कहते हैं। इस प्रकार, AoA के तहत घरेलू समर्थन की एक न्यूनतम मात्रा की अनुमति दी है, भले ही उससे व्यापार में बाधा आए। यह विकसित देशों के लिए उत्पादन मूल्य का 5% और विकासशील के लिए 10% तक है। • **पीस क्लॉज (Peace Clause):** यह WTO के किसी सदस्य द्वारा अनुमत सीमा से अधिक दिए गए घरेलू समर्थन और निर्यात संबंधी सब्सिडी को WTO के अन्य सदस्यों द्वारा चुनौती दिए जाने से संरक्षण प्रदान करता है। ○ हालांकि, यह क्लॉज या शांति उपबंध 1 जनवरी 2004 को समाप्त हो गया था। इसके बाद दिसंबर 2013 में WTO के बाली सम्मेलन में चार वर्ष की अवधि (वर्ष 2017 तक) के लिए एक अन्य अस्थायी पीस क्लॉज का प्रावधान किया गया था। ▪ इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि किसी भी सदस्य देश को उसकी आबादी के लिए चलाये जा रहे खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों को लागू करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, भले ही उसके द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी से WTO के AoA में निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन होता हो।
दोहा दौर (नवंबर 2001)	दोहा दौर में गैर-कृषि बाजार पहुंच (NAMA)[32], सेवाओं, विवाद निपटान, डंपिंग रोधी शुल्क, सब्सिडी, कृषि से जुड़े मुद्दों आदि पर वार्ता की गयी थी।

[32] Non-Agricultural Market Access: NAMA

वर्ष 2013 में बाली में मंत्रीस्तरीय सम्मेलन	• खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए **सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण के संबंध में स्थायी समाधान** हेतु वार्ता करने के लिए एक समझौता किया गया। • **"सामान्य सेवाओं" की ग्रीन बॉक्स सूची के विस्तार का प्रस्ताव दिया गया।** • **सभी प्रकार की निर्यात संबंधी सब्सिडी को कम करने** तथा पारदर्शिता एवं निगरानी में सुधार **हेतु एक घोषणा-पत्र जारी किया गया।** • बाली में एक **अस्थायी शांति उपबंध** शामिल किया गया।
वर्ष 2015 का नैरोबी पैकेज	• **कृषि निर्यात सब्सिडी को समाप्त करने** और निर्यात उपायों पर एकसमान प्रभाव वाले अनुशासन को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। • WTO के सदस्य विकासशील देशों के सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रमों के उपयोग के संबंध में एक **स्थायी समाधान** तक पहुंचने के लिए पर सहमत हुए थे। • मंत्रियों द्वारा **विशेष सुरक्षा तंत्र के संबंध में समझौता वार्ता को** जारी रखने पर सहमति व्यक्त की गई।

AoA के संबंध में भारत और अन्य विकासशील देशों द्वारा उठाए गए मुद्दे

मुद्दे	चिंताएं	इन मुद्दों के समाधान हेतु भारत के प्रस्ताव
खाद्य सुरक्षा का स्थायी और व्यावहारिक समाधान	• भारत इस बात पर जोर देता है कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश खाद्यान्न के सार्वजनिक भंडारण के विवाद के स्थायी समाधान के लिए सहमत हों। • विकासशील देश इस बात पर बल देते हैं कि **उन्हें किसी भी सीमा का उल्लंघन करने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए।** इसके लिए विकासशील देशों का तर्क है कि सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण उनके खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए अति महत्वपूर्ण है। • भारत, **बाली सम्मेलन के पीस क्लॉज से संतुष्ट नहीं है।** इसके तहत भारत को केवल अगले चार वर्षों (2017 तक) के लिए WTO के कानूनी प्रतिबंध से छूट मिली थी। अर्थात् यदि भारत के MSP कार्यक्रम के कारण सब्सिडी की सीमा 10% से आगे निकल जाती है तो 2017 तक WTO के अन्य देश भारत पर कोई कानूनी कार्यवाही आरंभ नहीं करवा सकते थे। • इसके अलावा, नैरोबी और ब्यूनस आयर्स में आयोजित मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भी, सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण के संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया था।	• खाद्य सुरक्षा का मुद्दा जहाँ ओर आर्थिक रूप से प्रासंगिक है, वहीं दूसरी ओर भारत जैसी बड़ी कृषि अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक चिंता का विषय भी है। इस विषय का समाधान कृषि संबंधी समझौता वार्ताओं जल्द से जल्द होना चाहिए। • **गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार और कृषि के विविधीकरण** के लिए विकासशील देशों द्वारा किए गए सभी उपायों को छूट प्रदान की जानी चाहिए। • **कृषि उत्पादों की सूची को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है।** इसलिए इसमें प्राथमिक कृषि वस्तुओं जैसे कि रबर, प्राथमिक वन उत्पाद, जूट, नारियल-जटा, आदि को शामिल करना आवश्यक है।
विकसित देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली उच्च कृषि सब्सिडी	• WTO के नियम (जैसे- ग्रीन बॉक्स) विकसित देशों को इस तरह की उच्च सब्सिडी के बाद भी बचाते हैं। विकासशील देशों के अनुसार, ये सब्सिडी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्यों को अस्थिर और कम करती हैं, जो विकासशील देशों में कृषि आय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। • वर्ष 2015 में, **अमेरिकी सरकार ने अपने प्रत्येक किसान को औसतन 7,860 डॉलर की सब्सिडी प्रदान की।** इसके विपरीत वर्ष 2014 में, भारत सरकार ने 9.05 करोड़ किसानों को औसतन 417 डॉलर की सब्सिडी प्रदान की।	• विकसित देशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले निर्यात ऋण, निर्यात गारंटी, मूल्यों में छूट और बीमा कार्यक्रम सहित **निर्यात में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को निर्यात सब्सिडी में शामिल किया जाना चाहिए।**
बाजार तक पहुंच	• मुख्य रूप से विकासशील देशों द्वारा ही अपने बाजारों को खोला गया है। • **विकसित देशों के बाजारों में** विकासशील देशों के उत्पादों की पहुंच निरंतर **बाधित होती रही है।** इसका कारण विकसित देशों की उच्च घरेलू समर्थन वाली नीतियां और उच्च शुल्क दर हैं जो	• WTO के विकसित सदस्य देशों को **संरक्षणवादी उद्देश्यों के लिए** विकासशील देशों के विरुद्ध व्यापार संबंधी अत्यधिक कठोर प्रतिबंधों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

	बाजार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। • विकसित देशों द्वारा **स्वच्छता और पादप-स्वच्छता (SPS)**[33] **उपायों** तथा **व्यापार के समक्ष तकनीकी बाधाओं (TBT)**[34] का उपयोग चुनिंदा रूप से विकासशील देशों से होने वाले आयात को रोकने के लिए जाता है। इस संबंध में विकसित देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मानकों की तुलना में अधिक उच्च स्तर के मानकों को लागू किया जाता है।	• WTO के विकासशील सदस्य देशों को **बाजार पहुंच** प्रदान करने से संबंधित किसी भी कानूनी बाध्यता से छूट प्रदान करनी चाहिए। • WTO के विकासशील सदस्य देशों को उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रचलित उच्च नकारात्मक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए **शुल्क या टैरिफ के उचित स्तर को बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।**

3.4. भारत का निर्यात (India's Exports)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के निर्यात क्षेत्रक में कई तरह की प्रगति देखने को मिली है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत का **तिमाही निर्यात** पहली बार **100 अरब डॉलर के स्तर को पार कर गया।** यह कोविड संकट के दौरान सरकार द्वारा अलग-अलग क्षेत्रकों के लिए किए गए उपायों के परिणामस्वरूप हुआ है।
- भारत के द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए **400 बिलियन डॉलर के पण्य या वस्तु निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।** वर्ष 2027 तक **1 ट्रिलियन डॉलर** के कुल निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- मंत्रिमंडल ने **निर्यात क्षेत्रक को बढ़ावा देने हेतु अनेक उपायों की घोषणा की है।** साथ ही, सरकार ने **निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर शुल्कों और करों से छूट (RoDTEP)**[35] योजना के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

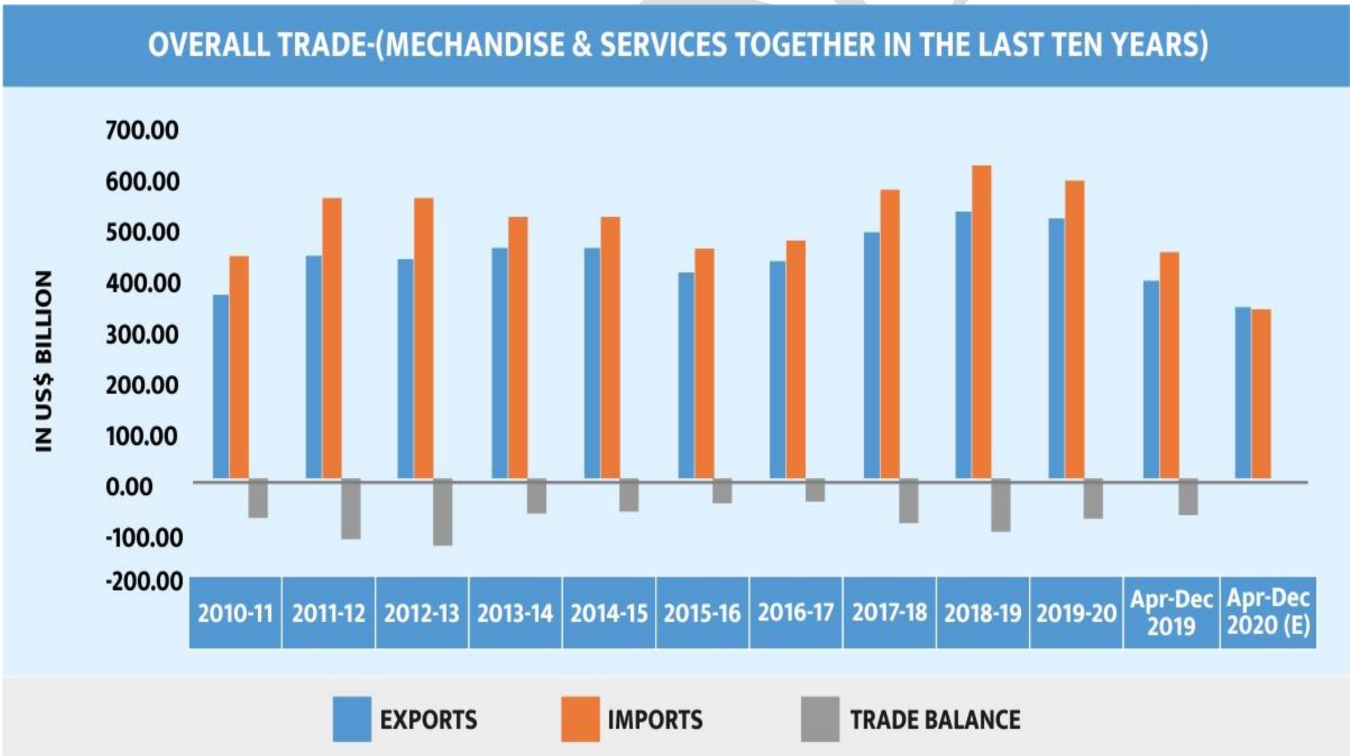

भारत के कुल व्यापार का रुझान

- भारत का कुल निर्यात (वस्तुओं और सेवाओं दोनों) वर्ष 2019-20 में 526.6 बिलियन डॉलर था, जबकि यह वर्ष 2018-19 में 538.1 बिलियन डॉलर था।

---

[33] Sanitary & Phytosanitary: SPS

[34] Technical Barriers to Trade: TBT

[35] Remission of Duties and Taxes on Exported Products: RoDTEP

- निर्यात में यह गिरावट मुख्य रूप से वैश्विक व्यापार में जारी गिरावट (स्लोडाउन) के कारण हुई है। यह स्थिति कोविड-19 संकट के कारण और गंभीर हो गई। इसके परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला और मांग में बड़े पैमाने पर बाधा उत्पन्न हुई, जिसके कारण बड़ी संख्या में आर्डरों को रद्द करना पड़ा।

- **वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी** वर्ष 1991 के 0.6% से बढ़कर **वर्ष 2018 में 1.7%** हो गई। यह चीन की 13% और अमेरिका की 9% हिस्सेदारी के मुकाबले बहुत कम है।
    - वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले देशों की सूची में **भारत 18वें स्थान** पर था।
- GDP के प्रतिशत के रूप में **भारत का निर्यात अपनी GDP का लगभग 18 प्रतिशत है।**
- भारत के सेवा व्यापार की उच्च वृद्धि **निर्यात के लिए महत्वपूर्ण रही है।** भारत के पण्य/वस्तु व्यापार घाटे के लगभग 50% की वित्तीय भरपाई सेवा व्यापार के अधिशेष द्वारा की जाती है।

कोविड-19 के दौरान और वर्तमान समय में भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा उठाए गए कदम

- **निर्यातकों के लिए राहत:** एडवांस ऑथोराईजेशन (अग्रिम प्राधिकार) के लिए आयात वैधता अवधि[36] और निर्यात दायित्व अवधि[37] को बढ़ाया गया है।
- **विश्व को दवाओं और चिकित्सीय उपकरणों का निर्यात,** जैसे कि हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वाइन और पैरासिटामोल, N95 मास्क, 2/3 स्तरीय सर्जिकल मास्क, अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र, PPE कीट आदि।
- **इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और व्यापार सुविधा (ट्रेड फैसिलिटेशन) के माध्यम से ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में वृद्धि:** विदेशी व्यापार को सुगम बनाने के लिए तकनीक आधारित कई समाधान अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए, तरजीही उद्गम प्रमाण-पत्र[38] के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म आरंभ किया गया है।
- देश में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन या व्यापार पारितंत्र को मजबूत करने के लिए **तकनीकी विनियमों** को अपनाया गया है और **गुणवत्ता नियंत्रण आदेश** जारी किए गए हैं।
- **व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र:** घरेलू उद्योग के लिए पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा दिया गया है। उन्हें शीघ्र राहत देने के प्रयासों के तहत एंटी डंपिंग की जाँच हेतु ई-फाइलिंग आदि की सुविधा प्रदान की गई है।
- **निर्यात केंद्र के रूप में ज़िलों का विकास करना:** इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:
    - सभी राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र अपने यहाँ राज्य निर्यात रणनीति/नीति तैयार करेंगे,
    - प्रत्येक जिले में उत्पादों/सेवाओं की पहचान की जाएगी,
    - विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा ज़िला निर्यात कार्य योजना (District Export Action Plans: DEAPs) तैयार की जाएगी, आदि।

---

[36] Import Validity period

[37] Export Obligation period

[38] Preferential Certificate of Origin

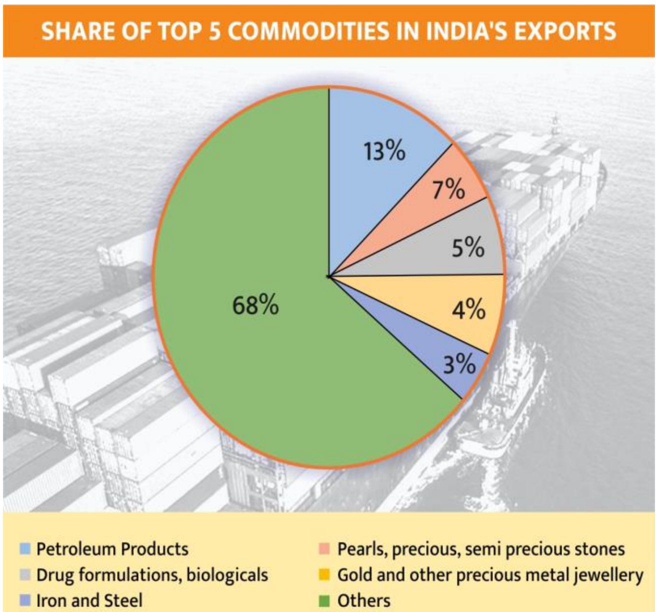

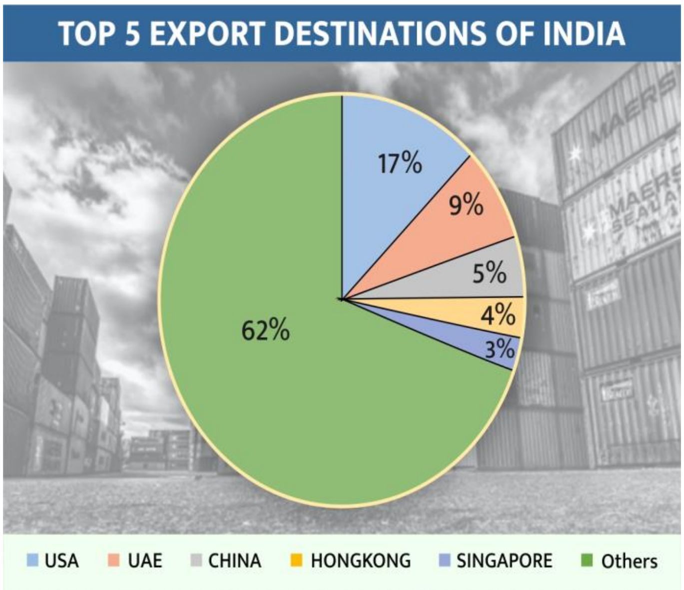

निर्यात में भारत के ख़राब प्रदर्शन के कारण

- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global Value Chains: GVCs) में कम भागीदारी:** पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया के बड़े निर्यातक राष्ट्रों की तुलना में भारत की GVCs में भागीदारी बहुत कम है।
  - उदाहरण के लिए, चीन से पूंजी गहन उत्पादों की निर्यात वृद्धि मुख्य रूप से GVC में इसकी अग्रणी भागीदारी से प्रेरित है।
- **भारत से निर्यातित वस्तुओं/सेवाओं में सीमित विविधता:** देश से निर्यात होने वाली कुल वस्तुओं में लगभग 78 प्रतिशत का योगदान शीर्ष 10 प्रमुख निर्यात होने वाली वस्तुओं का है।
- **भारतीय उत्पादों का कम प्रतिस्पर्धी होना:** कई घरेलू कारक भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाज़ार प्रतिस्पर्धा में बने रहने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन बाधाओं में कमजोर बुनियादी ढांचा, जटिल भूमि और श्रम कानून, खंडित और अनियमित लॉजिस्टिक क्षेत्र आदि शामिल हैं।
- **क्षेत्रीय असमानता:** भारत के कुल निर्यात के 70 प्रतिशत में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना का प्रभुत्व है। निर्यात को बढ़ावा देने के मामले में भारत को मुख्य तौर पर तीन बुनियादी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:
  - निर्यात संवर्धन पार्क और हब विकसित करने में तटीय राज्यों ने देश के स्थलरुद्ध राज्यों (landlocked states) के मुकाबले बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे **निर्यात संबंधी अवसंरचना में क्षेत्रीय असमानता की स्थिति बनी हुई है।**
  - **राज्यों में व्यापार संबंधी सहायता और विकास हेतु अकुशल नीतियों का होना एक और चुनौती है।** उत्तराखंड और तटीय राज्यों को छोड़कर निर्यातकों को उनकी गुणवत्ता या मात्रा में सुधार के लिए संबंधित राज्य सरकारों से प्रभावी सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।
  - **जटिल और विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अनुसंधान और विकास अवसंरचना का अभाव है।** यह स्थिति उप-राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार की प्रवृत्तियों को बाधित कर रही है। उदाहरण के लिए, 'हिमालयी' राज्यों ने अनुसंधान और गुणवत्ता नियंत्रित करने वाले संस्थानों की कमी की वजह से नवाचार के क्षेत्र में अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं किया है।
- **भारत कम कुशल और श्रम प्रधान निर्यात में तुलनात्मक लाभ उठाने में विफल रहा है।** हाल के वर्षों में वस्त्र एवं परिधान और फ़ुटवियर के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कम हुई है। इस संदर्भ में, बांग्लादेश लगभग भारत के बराबर आ चुका है और वियतनाम, भारत को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया है।

भारत को निर्यात आधारित संवृद्धि की आवश्यकता क्यों है?

आर्थिक सर्वेक्षण (2019) में निम्नलिखित कारणों से भारत के लिए निर्यात आधारित संवृद्धि मॉडल का समर्थन किया गया है:

- निर्यात की सहायता से भारत **'आत्मनिर्भर भारत'** पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।
- **आर्थिक संवृद्धि हेतु:** अधिक निर्यात होने से देश को अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इससे रोजगार के अधिक अवसर सृजित होते हैं और चालू खाता घाटे में भी कमी होती है। इसके अलावा, इससे मांग उत्पन्न होती है और बुनियादी ढांचे का निर्माण भी होता है।
  - विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, बड़े निर्यातक देश भी हैं। यह तथ्य की पुष्टि चीन करता है, जो कि विश्व का अग्रणी निर्यातक देश है।

- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने हेतु:** निर्यात से घरेलू विक्रेताओं की वैश्विक बाज़ार तक बेहतर पहुंच प्राप्त होती है। इससे निर्यातकों को वैश्विक बाज़ार में हिस्सेदारी करने का सुनहरा अवसर मिलता है।
- **क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने हेतु:** राज्यों की निर्यात प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार करने से निर्यात आधारित संवृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के साथ-साथ लोगों के जीवन स्तर को भी बेहतर किया जा सकता है।
    - आर्थिक सर्वेक्षण में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि जिन राज्यों का विश्व बाज़ार के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों से भी व्यापारिक संबंध हैं, वे अधिक समृद्ध हैं।

भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

भारत की विदेश व्यापार नीति (FTP)[39], 2015-20 को मार्च वर्ष 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें निर्यात के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन देने का समर्थन किया गया है। ये प्रोत्साहन सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' पहलों के अनुरूप हैं, ताकि आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के साथ-साथ स्थानीय उत्पादों की बेहतर पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं:

निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं (Export Promotion Schemes)	• **निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर शुल्कों और करों से छूट (RoDTEP) योजना:** इसके तहत निर्यात को सभी प्रकार के शुल्क से मुक्त करने की सुविधा आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि घरेलू करों को निर्यात में लागत के रूप जोड़ा जाए। इसलिए, सभी प्रकार के अदृश्य या छुपे हुए करों को रिफ़ंड कर दिया जाता है। ऐसे करों में निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के परिवहन हेतु उपयोग होने वाले ईंधन पर केंद्र और राज्य सरकार के कर, विनिर्माण के लिए उपयोग होने वाली बिजली पर शुल्क, मंडी कर आदि शामिल हैं। ○ इस योजना को **भारत से वस्तु निर्यात योजना (MEIS)**[40] की जगह लाया गया है। ज्ञातव्य है कि MEIS योजना WTO के नियमों के अनुसार नहीं थी। इस योजना के तहत निर्यातकों को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता था, ताकि भुगतान किए गए शुल्क पर नुकसान की वापसी की जा सके। ○ **RoDTEP योजना की विशेषताएं:** ▪ विभिन्न क्षेत्रों के लिए कर वापसी की दर 0.5% से 4.3% तक है। ▪ छूट का दावा माल ढुलाई या फ्रेट ऑन बोर्ड (FOB) के मूल्य के प्रतिशत के तौर पर करना होगा। अर्थात् शिपिंग, बीमा और माल ढुलाई के व्यय को छोड़कर निर्यातित वस्तु के मूल्य पर छूट का दावा किया जा सकेगा। ▪ **छूट को हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट / इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट (ई-स्क्रिप) के रूप में जारी किया जाएगा।** इसका प्रबंधन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIS) के द्वारा किया जाएगा। ▪ इस योजना के तहत **स्टील, फ़ार्मा और केमिकल उद्योग को शामिल नहीं किया गया है।** परिधान (गारमेंट) निर्यातकों के लिए, अलग से राज्य एवं केंद्रीय लेवी और करों से छूट (RoSCTL)[41] योजना अधिसूचित की गई है। • **भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS)[42]:** अधिसूचित सेवाओं के सेवा प्रदाता, शुद्ध अर्जित विदेशी मुद्रा के 5% की दर से मुक्त हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के पात्र हैं।
शुल्क से छूट / माफ़ी योजना (Duty Exemption / Remission Schemes)	• **अग्रिम प्राधिकार योजना (Advance Authorisation Scheme: AAS):** यह योजना व्यापारियों को कच्चे माल को 0% आयात शुल्क पर आयात करने की अनुमति देती है। इसके लिए शर्त यह है कि उन कच्चे माल का उपयोग निर्यात उत्पादों के विनिर्माण के लिए किया जाएगा। • **शुल्क वापसी योजना {Duty Drawback (DBK) Scheme}:** इसके तहत निर्यातकों को निर्यातित वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर लगने वाले सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर मुआवजा दिया जाता है।
पूंजीगत वस्तु निर्यात प्रोत्साहन योजना {Export Promotion	• इसके तहत, भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए विनिर्माताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात की सुविधा प्रदान की जाती है।

[39] Foreign Trade Policy: FTP

[40] Merchandise Exports from India Scheme: MEIS

[41] Rebate of State and Central Levies and Taxes: RoSCTL

[42] Service Exports from India Scheme: SEIS

 ©Vision IAS

Capital Goods (EPCG) Scheme}	
निर्यातोन्मुख इकाइयां (Export Oriented Units : EOUs)	• इसका लक्ष्य निर्यात में वृद्धि करना है। इसके तहत 100% निर्यातक कंपनियों को अनुकूल पारितंत्र प्रदान किया जाता है। यह योजना कर अनुपालन के एवज में कुछ छूट और रियायतें प्रदान करती है।
हाल ही में आरंभ की गई पहलें	• **इंडियाएक्सपोर्ट (IndiaXports) पहल:** इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक MSMEs द्वारा किए जाने वाले निर्यात में 50% की वृद्धि करना है। इसके तहत एक इन्फ़ो पोर्टल होगा जो भारतीय MSMEs द्वारा किए जाने वाले निर्यातों के लिए ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करेगा। इस पोर्टल पर निर्यात की संभावना, संभावित बाज़ार के साथ-साथ निर्यात के रुझान आदि के बारे में भी आवश्यक जानकारी उपलब्ध होगी। • **निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (Export Credit Guarantee Corporation: ECGC) में पूंजी निवेश:** इस निगम का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। इसका उद्देश्य निर्यात के लिए ऋण जोखिम बीमा और संबंधित सेवाएं प्रदान करके निर्यात को बढ़ावा देना था। • 13 उच्च क्षमता वाले क्षेत्रकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)** प्रदान किया जाता है। इनमें ऑटोमोबाइल, बैटरी सेल, फ़ार्मा, टेलिकॉम नेटवर्किंग, खाद्य और वस्त्र क्षेत्रक आदि शामिल हैं। • हाल ही में, नीति आयोग ने **निर्यात तत्परता सूचकांक (EPI)**[43] जारी किया है। इसमें प्रत्येक राज्य की निर्यात क्षमता और वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में क्षेत्रीय स्तर की अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका पर चर्चा की गई है। • **हाल ही में, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति** का मसौदा प्रस्तुत किया गया। इसमें सिंगल विंडो ई-लॉजिस्टिक्स मार्केट तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे लॉजिस्टिक्स लागत GDP के 13-14% से घटकर 10% हो जाएगी। • **विदेश व्यापार नीति (FTP) को 31 मार्च 2022 तक छह महीने के लिए बढ़ाया गया:** FTP के तहत निर्यात को बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। • **राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (NEIA)**[44] **को जारी रखना** और इसमें अगले पांच वर्षों (2021-2022 से 2025-2026) के दौरान **1,650 करोड़ रुपये का निवेश करना।** ○ यह निर्यातकों को निर्धारित बाजार में प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स (परियोजना निर्यात) की क्षमता का दोहन करने में मदद करेगा और भारत में विनिर्माण को बढ़ाएगा। ○ **NEIA ट्रस्ट का गठन वर्ष 2006 किया गया था।** इसका उद्देश्य निर्यात करने वाली भारत की सामरिक और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को बढ़ावा देना है।
अन्य	• **निर्यातकों के लिए GST रिफ़ंड की व्यवस्था।** • **परिवहन और विपणन सहायता योजना:** इसके तहत भारतीय कृषि उत्पादों को वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु सरकार द्वारा माल ढुलाई लागत की एक निश्चित राशि वापस की जाएगी। • **बाजार पहुंच पहल (MAI)**[45] **योजना** का उद्देश्य नए बाज़ारों में विपणन, बाजार अनुसंधान, प्रचार और ब्रांडिंग को बढ़ावा देना है। • **ब्याज समानीकरण योजना (IES)**[46] के तहत MSME क्षेत्र में सभी विनिर्माताओं को 5% ब्याज सहायता प्रदान की जाती है और चिन्हित 416 ट्रैरिफ़ लाइनों में सभी निर्यातकों को 3% ब्याज सहायता प्रदान की जाती है। • **निर्विक (NIRVIK) योजना:** यह योजना भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC)[47] द्वारा शुरू की गई है। यह योजना उच्च बीमा कवर, छोटे निर्यातकों के लिए कम प्रीमियम और दावों के निपटान की एक सरल प्रक्रिया प्रदान करती है।

[43] Export Preparedness Index: EPI

[44] National Export Insurance Account: NEIA

[45] Market Access Initiative: MAI

[46] Interest Equalisation Scheme: IES

[47] Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.: ECGC

कोविड के बाद के समय के लिए आगे की राह

- **मेड इन इंडिया उत्पादों की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाना:**
  - **व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना:** इसके तहत प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके लिए अवसंरचना का निर्माण करना, सस्ती दरों पर विद्युत की आपूर्ति करना, भूमि और श्रम बाज़ारों में सुधार करना और कंपनियों को वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाने के लिए एक अनुकूल पारितंत्र की व्यवस्था करना आवश्यक है। **इससे भारत में आने वाले FDI में और अधिक वृद्धि होगी।**
  - **भारत के विनिर्माण आधार में सुधार करना:** इसे MSME[48] की प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि एवं सुधार करके और भारत को वैश्विक स्तर पर विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करके प्राप्त किया जा सकता है।
    - भारत के कुल निर्यात में MSMEs की लगभग 40% की हिस्सेदारी है।
  - **व्यापार उदारीकरण:** वैश्विक मूल्य श्रृंखला में देश की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, **निर्यात पर लगने वाले शुल्कों में कमी करने की आवश्यकता** है, जिनमें पिछले कुछ वर्षों काफी वृद्धि हुई है। **वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने और मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए एक मुक्त** और सुविधाजनक आयात परिवेश का निर्माण करना महत्वपूर्ण होता है।
  - **अनुसंधान और विकास:** अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने में अनुसंधान एवं विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही, इससे उत्पादों में अत्यधिक नवाचार को भी बढ़ावा मिलता है।
- **निर्यात के संभावित क्षेत्रों का पता लगाना और उसे मज़बूत करना:**
  - **भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं/सेवाओं में विविधता लाने की आवश्यकता है।** साथ ही, निर्यात योग्य नए उत्पादों की पहचान और ऐसी वस्तुओं के लिए प्रासंगिक बाजार और उसके लिए रणनीति तैयार करने की भी आवश्यकता है।
    - उदाहरण के लिए, भारत से निर्यात होने वाली **टेक्सटाइल श्रेणी** में उससे संबंधित अन्य उत्पादों को शामिल करने की आवश्यकता है। इसमें, कपास और कपास आधारित वस्त्र के अलावा **मानव-निर्मित फ़ाइबर और तकनीकी टेक्सटाइल** को शामिल किया जा सकता है।
  - **संभावित क्षेत्रकों में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना:** विनिर्माण अवसंरचना में सुधार के लिए PLI योजना के तहत निर्धारित गए क्षेत्रों में SEZs स्थापित किए जा सकते हैं।
- **मज़बूत विदेश व्यापार नीति:** वर्तमान में निर्माण की जा रही विदेश व्यापार नीति में विदेशी व्यापार को बढ़वा देने के संदर्भ में एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाना महत्वपूर्ण है।
  - नई विदेश व्यापार नीति के तहत अफ्रीका जैसे बाज़ारों का पता लगाना चाहिए, जिनकी क्षमता का का पूर्ण दोहन नहीं किया गया है। इसके लिए ऐसे देशों के साथ व्यापार और निवेश संबंध को पुनः निर्धारित कर मजबूत करना चाहिए। साथ ही, लोगों के मध्य आपसी संपर्क को बढ़ाने के उपाय किए जाने चाहिए। निर्यातकों को क़ानूनी और कारोबारी माहौल को समझने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- **देशों के साथ व्यापार संबंध को बढ़ाना:** एक्ट ईस्ट नीति को मज़बूत करने हेतु पड़ोसी देशों जैसे कि बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ व्यापार संबंध को बढ़ाने और उसमें सुधार करने पर बल दिया जाना चाहिए। भारत को यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए सार्थक बातचीत का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।
- **पड़ोसियों से सीखना:** बांग्लादेश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा परिधान निर्यातक देश बन गया है, वहीं वियतनाम का निर्यात पिछले आठ वर्षों में लगभग 240% बढ़ा है।
  - वियतनाम मुख्य रूप से मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से एक मुक्त व्यापार नीति का पालन करता है। इससे वियतनाम के महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार वियतनाम में निर्मित उत्पादों पर आयात शुल्क नहीं लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ के 99% उत्पाद जल्द ही वियतनाम में भी शुल्क-मुक्त प्रवेश करेंगे।

3.5. ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस या व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business: EoDB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व बैंक समूह ने निर्णय लिया है कि वह अब "डूइंग बिज़नेस" रिपोर्ट का प्रकाशन बंद कर देगा। ज्ञातव्य है कि विश्व बैंक समूह अपने इस रिपोर्ट के माध्यम से देशों के व्यापार माहौल के आधार पर उनकी रैंकिंग जारी करता है।

---

[48] सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (Micro, Small & Medium Enterprises: MSMEs)

ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (EoDB) रैंकिंग के बारे में

- व्यापार/कारोबार सुगमता परियोजना को वर्ष 2002 में आरंभ किया गया था। यह 191 अर्थव्यवस्थाओं और उप-राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर चुनिंदा शहरों की **कारोबार से जुड़े नियम-कानून और उनके प्रवर्तन की स्थितियों का मापन प्रदान करता है।**
    - इसके तहत **घरेलू स्तर की छोटी और मध्य आकार की कंपनियों** का अध्ययन किया जाता है और उस कंपनी के जीवन चक्र के दौरान उन पर लागू होने वाले नियम-कानूनों का मापन किया जाता है। (इंफ़ोग्राफ़िक देखें)
- EoDB सूचकांक वस्तुतः विश्व बैंक समूह द्वारा आरंभ की गई एक रैंकिंग प्रणाली है। इसके अंतर्गत उच्चतर रैंकिंग (अर्थात् न्यूनतम संख्यात्मक मान) **एक बेहतर स्थिति** को संदर्भित करती है। यह संबंधित देश की व्यवसाय संबंधी नियमों की सरलता और संपत्ति अधिकारों के मजबूत संरक्षण की स्थिति को दर्शाता है।
- **EoDB रैंकिंग 2020 में भारत अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए 63वें स्थान पर पहुंच गया है।** वर्ष 2014 में भारत 142वें स्थान पर था।

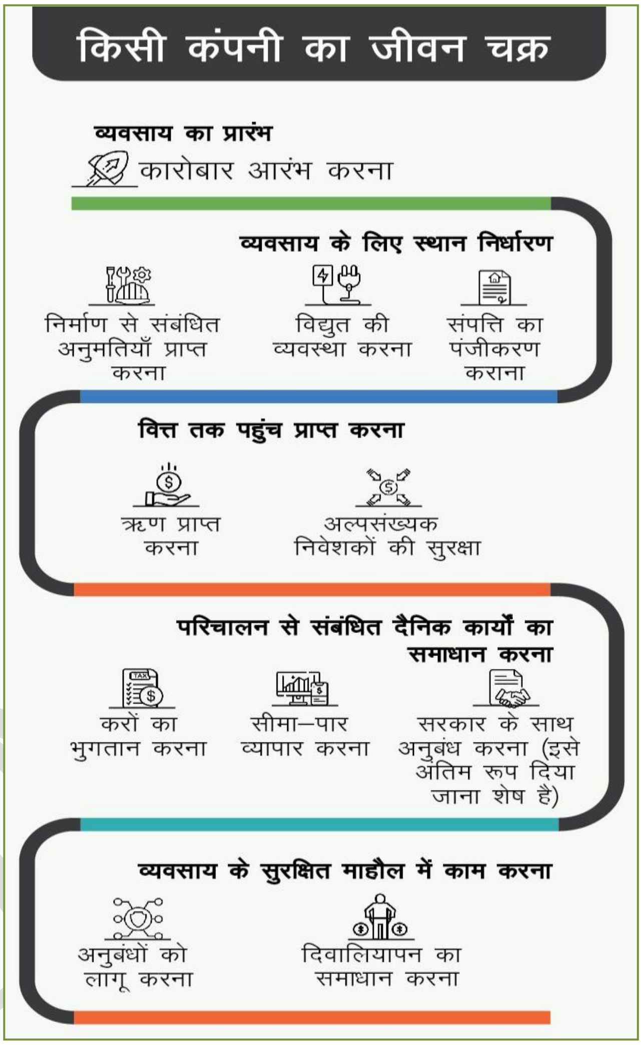

EoDB रैंकिंग से संबंधित चुनौतियाँ

- **रैंकिंग में अनियमितताएं: वर्ष 2018 और 2020 की रिपोर्ट में डेटा से जुड़ी अनियमितताओं की समीक्षा के बाद** इस रैंकिंग को बंद करने का निर्णय लिया गया है।
    - रैंकिंग से संबंधित अनियमितताओं के कारण चार देश, यथा- चीन, सऊदी अरब, यू.ए.ई., और अज़रबैजान प्रभावित हुए थे।
- **उदारवादी पक्षपात:** यह पाया गया है कि इसमें उदारवादी पक्षपात के कारण आर्थिक गतिविधियों की जटिलता को कम करके कुछ मात्रात्मक मैट्रिक्स (quantifiable metrics) तक ही सीमित कर दिया है। **इसके चलते उन देशों को प्रोत्साहन प्राप्त हो जाता है जिनकी आर्थिक नीतियां विश्व बैंक के आर्थिक विकास के दर्शन के अनुरूप हैं।** विश्व बैंक के आर्थिक विकास के दर्शन में निवेश के लिए नियम-कानूनों और बाधाओं को समाप्त करना, बाज़ार अनुकूल सुधार को बढ़ावा देना, श्रम संरक्षणवाद को कम करना आदि शामिल हैं।
- **स्थायी संरचनात्मक, सामाजिक या राजनीतिक समस्याओं की उपेक्षा:** इस रैंकिंग की इस बात के लिए भी आलोचना की गई है कि यह वास्तविक और टिकाऊ संरचनात्मक सुधारों पर बल देने के बजाए सिस्टम में व्याप्त कमियों का उपयोग करता है। इसके चलते अनेक देश केवल उन कमियों को दूर कर रैंकिंग में हमेशा ऊपर रहने की होड़ में लगे रहते हैं।
- **सभी के लिए एक दृष्टिकोण:** इसके अंतर्गत आर्थिक संवृद्धि और विकास को मापने एवं समझने के लिए "सभी के लिए एक दृष्टिकोण" को अपनाया जाता रहा है। यह मुख्य रूप से संस्थानों और हितधारकों की वैचारिक प्राथमिकता पर आधारित है। इस तरह के तरीकों को अपनाए जाने से हमेशा कुछ अहम खामियों के रह जाने की संभावना बनी रहती है।

EoDB रैंकिंग की आवश्यकता क्यों हैं?

- कई विशेषज्ञ इस विचार का सदैव समर्थन करते हैं कि **व्यापार से जुड़े विनियमों, व्यापारिक माहौल और आर्थिक परिणामों के मध्य एक अहम और मजबूत संबंध होता है।**
    - व्यापार के लिए विनियामक माहौल **उत्पादकता, वृद्धि, रोजगार, व्यापार, निवेश, वित्त की सुलभता और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के आकार को प्रभावित करता है।**
- EoDB वस्तुतः कुशल बाजारों को बढ़ावा देने, उद्यमों को प्रोत्साहित करने तथा माल ढुलाई व्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु ज़मीनी स्तर पर विद्यमान पारदर्शी नियमों का उल्लेख करता है। इससे निवेशकों की सोच और भावनाएं बदलने में मदद मिलती है।

- किसी व्यापार पर नियम-कानून संबंधी अत्यधिक बाध्यताएं उसके प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। इन नियम-कानूनों का पालन करने में समय और लागत दोनों का व्यय होता है। इससे व्यापार की प्रतिस्पर्धा क्षमता प्रभावित होती है।
    - कम नियन-कानूनों के होने से उद्यमी अपना समय उत्पादक गतिविधियों में लगा सकते हैं।
- नीति आयोग द्वारा भी राज्य स्तर पर EoDB रैंकिंग व्यवस्था को भी आरंभ किया गया है। यह वार्षिक सुधार कार्य योजना को पूरा करने में राज्यों की प्रगति पर आधारित है।
- राज्यों को प्रदान की जाने वाली इस रैंकिंग से **निवेश आकर्षित करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और प्रत्येक राज्य में व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने में सहायता मिलती है।**

भारत में व्यापार करने में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के सम्मुख चुनौतियाँ

भारत कई महत्वपूर्ण मानदंडों (पैरामीटर) के मामले में अभी भी पिछड़ा हुआ है

- वैसे तो अनेक मामले में भारत में प्रगति हुई है लेकिन व्यवसाय आरंभ करने, अनुबंधों को लागू करने और संपत्ति का पंजीकरकण करने जैसे महत्वपूर्ण मानदंडों के मामले में भारत अभी भी पिछड़ा हुआ है।

उच्च प्रशुल्क या टैरिफ संरचना तथा संरक्षणवादी नीतियां

- भारत में प्रशुल्क संरचना और व्यापार संबंधी विनियमन पहले से ही गैर–पारदर्शी हैं तथा इनके बारे में अनुमान लगाना भी कठिन कार्य है। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका के कई निवेशकों और निर्यातकों की बाजार तक पहुंच सीमित हो जाती है।
- भारत में लागू औसत प्रशुल्क दर, विश्व व्यापार संगठन के देशों के मध्य सबसे अधिक दरों में से एक है।

अस्थिर नीतिगत माहौल

- कुछ साल पहले की एक घटना इसका एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के बाद कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का व्यापक पैमाने प्रवेश हुआ था। लेकिन निरंतर बदलती नीतियों के कारण जल्द ही कई कंपनियों ने स्वयं को इस क्षेत्रक से अलग कर लिया।

अवसंरचना

- भारत में सड़क, रेल–मार्ग, हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों, पावर ग्रिड और दूरसंचार अवसंरचना की वर्तमान स्थिति बहुत दयनीय है। इससे व्यापार करने में सुगमता के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत होती हैं।

बौद्धिक संपदा से संबंधित सुरक्षात्मक उपाय

- वैसे तो भारत में स्थानीय कानून व्यापक स्वरूप में निर्मित किए गए हैं और वे सामान्य रूप से यूरोपीय यूनियन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बौद्धिक संपदा कानूनों के सुसंगत भी हैं। फिर भी इन कानूनों को लागू करने के संबंध में कुछ चिंताएं व्यापत हैं।
- संवेदनशील बौद्धिक संपदाओं का संरक्षण करने के संबंध में अधिकारी तंत्र की ओर से किए जाने वाले विलंब तथा पारदर्शिता का अभाव चिंता का मुख्य विषय है।

भारत द्वारा अपनी रैंकिंग में सुधार करने हेतु लागू किए गए कुछ EoDB सुधार:

- **मेक इन इंडिया** की सहायता से कई सुधारों को लागू किया गया है। उदाहरण के लिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना, व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापारिक माहौल से संबंधित अप्रासंगिक नीतियों और नियम-कानूनों को समाप्त करना, अवसंरचना विकास इत्यादि।
- **वेब आधारित स्पाइस प्लस (SPICe+) और एजाइल प्रोफॉर्म (AGILE PROform)** को आरंभ किया गया है। यह 3-चरणों में नई कंपनी के निगमीकरण की सुविधा प्रदान करता है। इससे पहले वर्ष 2014 तक 14 चरणों की प्रक्रिया का पालन करना पड़ता था।
- भारत में कॉर्पोरेट कानूनों में सुधार करने हेतु व्यापक रणनीति के भाग के रूप में **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016** के माध्यम से एक आधुनिक दिवालिया व्यवस्था को स्थापित किया गया है।
- मुंबई और दिल्ली में **वन स्टॉप शॉप पोर्टल** का भी शुभारंभ किया गया है।
- **GST रिटर्न फाइल करने के लिए सरल प्रक्रिया,** छोटे कारोबार आरंभ करने के दौरान लगने वाले शुल्क को समाप्त करना, इत्यादि।

- विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने में लगने वाले समय में भी कमी आई है। वर्ष 2014 में विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने में 105 दिन लगते थे, लेकिन वर्ष 2019 में यह घटकर 53 दिन हो गया।
- वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र समाधान के लिए दिल्ली और मुंबई में **आधुनिक सुविधाओं साथ समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना की गई है।**
- **सभी प्रकार के आयात और निर्यात संबंधी लेन-देनों के लिए सिंगल विंडो,** सभी हितधारकों जैसे कि पोर्ट और टर्मिनल ऑपरेटर को एक सामान्य मंच पर एकीकृत किया गया है। बंदरगाहों पर कंसाइनमेंट के फ़ास्ट ट्रैकिंग क्लीयरेंस की व्यवस्था की गई है।
- कराधान विधि (संशोधन) क़ानून, 2021 को अधिसूचित कर दिया गया है। इसने कराधान कानूनों में निश्चितता लाते हुए भूतलक्षी या पूर्वव्यापी (retrospective) कराधान व्यवस्था को समाप्त कर दिया है।

3.6. वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme For Textiles}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने मानव निर्मित फाइबर (MMF) के परिधानों एवं MMF वस्त्रों और तकनीकी वस्त्र के 10 खंडों/उत्पादों के लिए PLI योजना को मंजूरी प्रदान की है।

इस क्षेत्रक से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां/पदों की परिभाषा

- **मानव निर्मित फाइबर/रेशे (Man-Made Fibre: MMF):** संश्लेषित और सेलुलोस युक्त रेशे/फाइबर द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए गए वस्त्रों को MMF कहा जाता है।
    - कच्चे तेल से संश्लेषित फाइबर का उत्पादन किया जाता है जबकि सेलुलोस युक्त फाइबर लकड़ी के लुगदी से निर्मित किए जाते हैं। संश्लेषित स्टेपल फाइबर की मुख्य किस्मों में पॉलिएस्टर, ऐक्रेलिक और पॉलीप्रोपाइलीन शामिल हैं।
    - विस्कोस फाइबर, मोडाल आदि सेलुलोस युक्त फाइबर हैं।
- **तकनीकी टेक्सटाइल/वस्त्र:** तकनीकी वस्त्र ऐसे उत्पाद हैं जो सौंदर्य विशेषताओं की बजाय मुख्य रूप से **तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों के लिए निर्मित** किए जाते हैं। इनका उपयोग ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा आदि सहित अलग-अलग उद्योगों में किया जाता है।

इस योजना की प्रमुख विशेषताएं

- **बजटीय परिव्यय (Budgetary outlay):** इस योजना के लिए 10,683 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था की गयी है।
- **योजना की अवधि:** यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए है।
- अधिसूचित श्रेणी (MMF वस्त्र, परिधान) के उत्पादों और तकनीकी वस्त्र के उत्पादन के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और सिविल कार्यों (भूमि और प्रशासनिक निर्माण की लागत को छोड़कर) में **निवेश के आधार पर अलग-अलग प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है।**
    - इस योजना के तहत न्यूनतम 300 करोड़ रुपये का निवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति / कंपनी / फर्म के लिए **15% प्रोत्साहन राशि** की व्यवस्था की गयी है। इसके लिए शर्त यह है कि वे इस योजना के तहत अधिसूचित उत्पादों के विनिर्माण और बिक्री द्वारा न्यूनतम 600 करोड़ रुपये के कारोबार (टर्नओवर) के लक्ष्य को प्राप्त लें।
    - साथ ही, इस योजना के तहत न्यूनतम 100 करोड़ रुपये का निवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति / कंपनी / फर्म के लिए **15% प्रोत्साहन राशि** की व्यवस्था की गयी है। इसके लिए शर्त यह है कि वे इस योजना के तहत अधिसूचित उत्पादों के विनिर्माण और बिक्री द्वारा न्यूनतम 200 करोड़ रुपये के कारोबार (टर्नओवर) के लक्ष्य को प्राप्त लें।

- इस योजना के तहत केवल भारत में पंजीकृत विनिर्माण कंपनियां ही भाग लेने के लिए पात्र होंगी।
- **आकांक्षी जिलों, टियर 3, टियर 4 कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।**

भारतीय वस्त्र उद्योग पर एक नज़र

- वस्त्र क्षेत्र का भारतीय GDP में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 7%, तथा भारत की निर्यात आय में 12% योगदान है।
- भारत **विश्व में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक,** रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और तकनीकी वस्त्रों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
- विश्व स्तर पर **हाथ से बुने हुए कपड़ों का 95% हिस्सा** अकेले भारत से आयात किया जाता है।
- वस्त्र और परिधान (textiles and apparel) के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 5% है।
- चीन के बाद भारत MMF फाइबर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
- यह क्षेत्रक **45 मिलियन से अधिक लोगों (कुल रोजगार का 21%)** को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। साथ ही, यह 100 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का अप्रत्यक्ष स्रोत भी है।

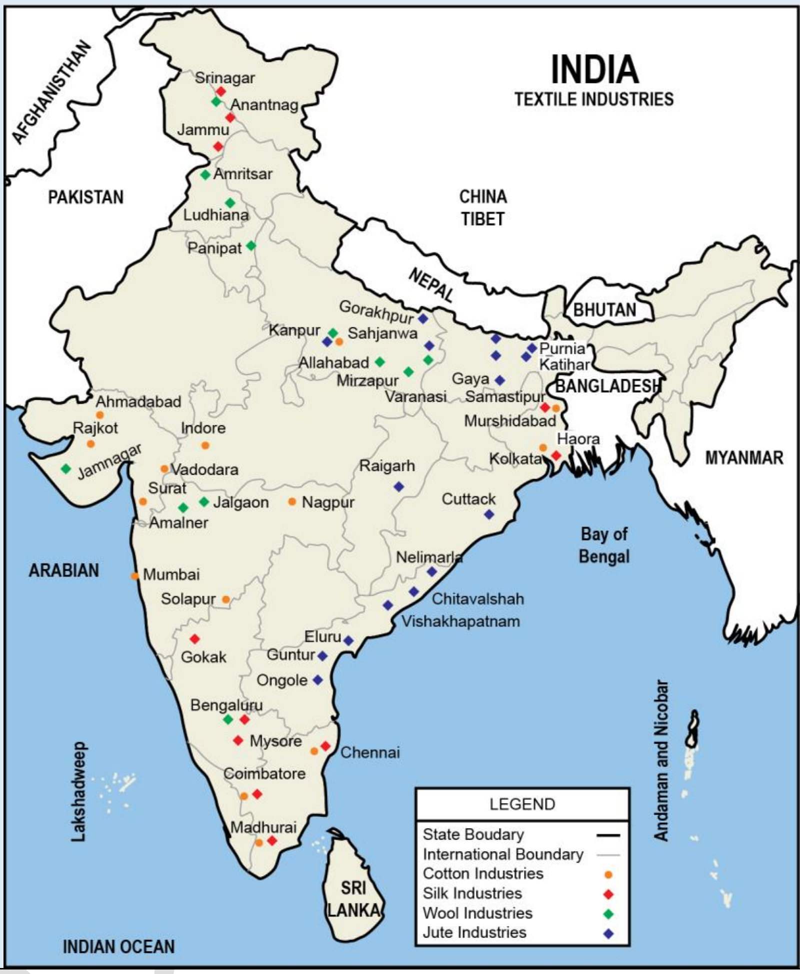

भारत में वस्त्र क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

- **उच्च बिखराव:** भारतीय वस्त्र उद्योग अधिक बिखरा हुआ है। इसमें असंगठित क्षेत्रक व छोटे और मध्यम उद्योगों का अत्यधिक प्रभुत्व है।
- **निवेश लागत अधिक होना:** बाजार की अप्रत्याशित परिस्थितियों, मौसमी दशाओं और नीतियों आदि के परिणामस्वरूप कच्चे माल की आपूर्ति में गिरावट आई है। इसके कारण सामग्री की लागत में वृद्धि हुई है।
  - बढ़ती ब्याज दरें और श्रम मजदूरी तथा श्रमिकों का वेतन इस क्षेत्रक से संबंधित अन्य प्रमुख चुनौतियां हैं।
- **वस्तु और सेवा कर (GST) का प्रभाव:** GST के कारण भारतीय वस्त्र और परिधान क्षेत्रक में अनेक व्यवधान उत्पन्न हुए हैं, जिससे इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बाधित हुई है।
  - उदाहरण के लिए, MMF पर 18 प्रतिशत, सूती धागों पर 12 प्रतिशत और वस्त्रों पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। इस उल्टी कर संरचना (inverted tax structure) के कारण MMF वस्त्र महंगे हो जाते हैं।
- **अवसंरचना संबंधी बाधाएं:** सड़कों, राजमार्गों आदि की खराब स्थिति आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करती है। इससे मांग को पूरा करने में विलंब होता है। इससे माल को गोदाम में रखने और माल ढुलाई की लागत में वृद्धि होती है।
- **समान स्तर का अभाव:** भारत की कताई क्षमता वैश्विक स्तर की है। वहीं बुनाई करने और परिधान बनाने के संदर्भ में इसकी स्थिति निम्न है।
- **अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक निर्यात बाजार:** वैश्विक बाजार में प्रशुल्क (टैरिफ) और गैर-प्रशुल्क बाधाओं के साथ-साथ **मुक्त/अधिमान्य व्यापार समझौतों की कमी** भारतीय वस्त्र उद्योग के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

- ○ कम मूल्य के परिधान बाजार में भारत को चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा है।
- **पर्यावरणीय मुद्दे:** वस्त्र प्रसंस्करण में अत्यधिक रसायनों और अत्यधिक मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है। इसमें गैर-जैवनिम्नीकृत अनेक रसायनों का उपयोग किया जाता है, जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल नहीं होते हैं। साथ ही, वस्त्र इकाइयों के एक विशाल भाग द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जाता है।
- **अन्य मुद्दे:**
    - नवीनतम तकनीक तक कम पहुंच और अल्प स्वचालन (low automation) क्षमता।
    - बाल श्रम और व्यक्तिगत सुरक्षा मानदंड जैसे सामाजिक मुद्दे।
    - वैश्विक और घरेलू मांग में गिरावट।
    - प्रशिक्षित श्रम का अभाव।

वस्त्र उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम	
अवसंरचनात्मक विकास	• एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला स्थापित करने के लिए **7 व्यापक एकीकृत वस्त्र क्षेत्रक और परिधान पार्कों (पी.एम. मित्रा) की स्थापना की गयी है।**
प्रौद्योगिकी में सुधार	• वस्त्र उद्योग से संबंधित प्रौद्योगिकी/मशीनरी में सुधार के लिए **संशोधित प्रौद्योगिकी सुधार निधि योजना** की शुरुआत की गई है।
क्षेत्रक विशेष मिशन	• आधारभूत निवेश, करघे और सहायक उपकरण, डिजाइन और विकास, अवसंरचना का विकास, हथकरघा उत्पादों के विपणन आदि हेतु **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम** का आरंभ किया गया है। • 1,480 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ और चार वर्ष की कार्यान्वयन अवधि (वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक) के लिए **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन** को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
क्षमता निर्माण और सामाजिक सुरक्षा	• संगठित क्षेत्रक में कताई और बुनाई को छोड़कर, वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास हेतु **समर्थ (स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर) योजना** की शुरुआत की गयी है। • परिधान निर्माण क्षेत्र में नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए **स्कीम फॉर इंक्यूबेशन इन अपैरल मनुफैक्चरिंग (SIAM)** का भी आरंभ किया गया है। • वस्त्र और परिधान उद्योग के श्रमिकों के लिए इन उद्योगों के निकट सुरक्षित, उपयुक्त और सुविधाजनक आवास प्रदान करने हेतु **वस्त्र उद्योग कामगार आवास योजना (STIWA)**[49] का भी शुभारंभ किया गया है।
अन्य उपाय	• **निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर शुल्कों और करों से छूट (RoDTEP) योजना:** इस योजना के तहत सभी प्रकार के अदृश्य या छुपे हुए करों को रिफ़ंड कर दिया जाता है। ऐसे करों में निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के परिवहन हेतु उपयोग होने वाले ईंधन पर आरोपित वैट, विनिर्माण के लिए उपयोग होने वाली बिजली पर शुल्क, मंडी कर के साथ-साथ GST और आयात/सीमा शुल्क आदि शामिल हैं। • भारत में **वस्त्र और परिधान क्षेत्र में 100% FDI (स्वचालित मार्ग के माध्यम से) की अनुमति है।** • MMF क्षेत्रक में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए MMF फाइबर और सूती धागों के विनिर्माण के लिए एक प्रमुख कच्चे माल **प्यूरिफाइड टेरेफ्टेलिक एसिड (PTA)** पर डंपिंग रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।

आगे की राह

- **गैर बुने हुए और तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में आगामी अवसरों का उपयोग करना:** फिटनेस और स्वच्छता पर अत्यधिक बल देने, ब्रांड के संबंध में समझ, तेजी से बदलते फैशन के रुझान आदि सहित उपभोक्ता के रुझान में होने वाले बदलाव के कारण इन क्षेत्रकों की मांग में वृद्धि हो रही है।

---

[49] Scheme for Textile Industry Workers' Accommodation: STIWA

* **अवसंरचनात्मक विकास:** 'प्लग एंड प्ले' सुविधा के साथ बंदरगाहों के पास मेगा परिधान पार्कों की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही, बहिःस्राव उपचार (effluent treatment) के लिए साझा आधारभूत ढांचा इन उद्योगों को अपने परिचालन का विस्तार करने में सहायता कर सकता है।
* **उल्टी शुल्क संरचना में सुधार करना:** GST परिषद की 45वीं बैठक में वस्त्रों पर लगने वाली उल्टी शुल्क संरचना में सुधार हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इन सुधारों को 1 जनवरी, 2022 से लागू किया जाएगा।
* **मुक्त व्यापार समझौतों में तीव्रता लाना:** भारतीय परिधानों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ भारत की जारी FTA वार्ताओं में तीव्रता लाने की आवश्यकता है।
* **प्रौद्योगिकी उन्नयन पर ध्यान देना:** इसके तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं स्वचालन में नए और आगामी विकास का उपयोग करना चाहिए।
* **टिकाऊ वस्त्रों और परिधानों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना:** इस उद्देश्य को वस्त्रों के उन्नयन एवं उनके पुन: उपयोग तथा प्राकृतिक रंगों के उपयोग को बढ़ावा देकर किया जा सकता है।

3.7. दूरसंचार क्षेत्रक (Telecom Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **दूरसंचार क्षेत्रक** में कई संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक (structural and procedural) सुधारों को स्वीकृति प्रदान की है।

दूरसंचार क्षेत्रक के बारे में

* दूरसंचार को टेलीकॉम के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अत्यधिक दूरी पर स्थित स्थानों के मध्य **सूचनाओं का आदान-प्रदान** किया जाता है। इसमें सूचनाओं का आदान-प्रदान **वॉयस, डेटा और वीडियो आदि के माध्यम से किया जाता** है। दूरसंचार प्रणाली को आम तौर पर **दूरसंचार सेवा प्रदाताओं** द्वारा संचालित किया जाता है।

भारत में दूरसंचार क्षेत्र का विकास–क्रम

वर्ष 1851	कोलकाता के निकट एक स्थान पर पहला लैंडलाइन कनेक्शन शुरू हुआ।
वर्ष 1854	पहला इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ अस्तित्व में आया।
वर्ष 1881	टेलीफोन सेवा को औपचारिक रूप से आरम्भ किया गया।
वर्ष 1947	सभी दूरसंचार कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर डाक (पोस्ट), टेलीफोन एवं टेलीग्राफ (PTT) निकाय का गठन किया गया।
वर्ष 1984	दूरसंचार उपकरण विनिर्माण में निजी क्षेत्रक का प्रवेश।
वर्ष 1985	डाक एवं दूरसंचार के लिए दो अलग–अलग विभागों का निर्माण किया गया।
वर्ष 1989	दूरसंचार आयोग का गठन किया गया।

वर्ष 1994	राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा की गई।
वर्ष 1997	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का गठन किया गया।
वर्ष 1999	नई दूरसंचार नीति की घोषणा की गई।
वर्ष 2004	ब्रॉडबैंड नीति व इंट्रा–सर्कल विलय के दिशा–निर्देश लागू किए गए।
वर्ष 2012	राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा की गई।
वर्ष 2018	राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, टेलीकॉम आयोग का नाम राष्ट्रीय डिजिटल संचार आयोग कर दिया गया।

- **भारत में दूरसंचार क्षेत्रक से संबंधित प्रमुख तथ्य:**
    - भारत **विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार** बाजार है। दूरसंचार बाजार को **तीन खंडों, यथा-** वायरलेस, वायरलाइन आधारित और इंटरनेट सेवाओं में विभाजित किया जा सकता है। (इन्फोग्राफिक देखें)।
    - भारत में दूरसंचार उद्योग का ग्राहक आधार (Subscriber Base) लगभग 1.17 बिलियन है।
    - दूरसंचार की पहुंच को **टेली-घनत्व (प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या)** के रूप में संदर्भित किया जाता है। **वित्त वर्ष 2021 में भारत का टेली-घनत्व बढ़कर 88%** हो गया है।
    - विश्व स्तर पर भारत, **इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में दूसरे स्थान पर** है।
    - **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त करने के मामले में दूरसंचार तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रक** है। कुल FDI प्रवाह में इसकी हिस्सेदारी लगभग 7.1% है। यह क्षेत्रक **प्रत्यक्ष रूप से 2.2 मिलियन और अप्रत्यक्ष रूप से 1.8 मिलियन लोगों को रोजगार** प्रदान करता है।

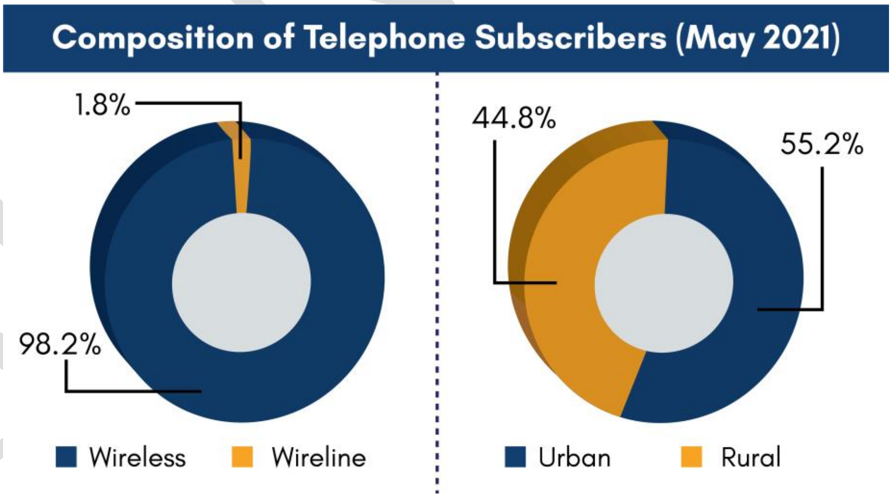

- इस उद्योग में **विगत कुछ वर्षों में निम्नलिखित कारकों के कारण तीव्र विकास** हुआ है:
    - किफायती प्रशुल्क दरें,
    - व्यापक रूप से उपलब्धता,
    - मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) को आरंभ करना,
    - 3G और 4G कवरेज का विस्तार,
    - ग्राहकों का विकसित होता उपभोग पैटर्न, और
    - अनुकूल विनियामकीय माहौल।
- वर्तमान में, संपूर्ण देश में 5G तकनीक के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए भारत में **5G स्पेक्ट्रम का परीक्षण किया जा रहा है।**

- यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि **वर्ष 2023-2040** की अवधि के दौरान **5G तकनीक भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 450 बिलियन डॉलर का योगदान करेगी।**

दूरसंचार क्षेत्र के विकास के चालक

अत्यधिक मांग

- ग्रामीण ग्राहकों का टेली–घनत्व अप्रैल 2021 में 60.44% हो गया, जो अप्रैल 2020 में 60.26% था। यह **ग्रामीण क्षेत्र में मांग में संभावित वृद्धि** को इंगित करता है।
- युवाओं की बढ़ती आबादी और उच्चतर वास्तविक आय तथा लोगों की परिवर्तनशील जीवन शैली।
- भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का आरंभ किया है जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल, खुदरा बिक्री इत्यादि जैसे क्षेत्रकों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है।

नीतिगत समर्थन

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के अंतर्गत 'दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना' के लिए 12,195 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
- दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रालय ने पब्लिक डेटा ऑफिसों के माध्यम से सार्वजनिक वाईफाई सेवाएँ प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये सेवाएं पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर द्वारा दी जाएंगी।

निवेश में बढ़ोतरी

- वर्ष 2021–22 में, दूरसंचार विभाग द्वारा 58,737 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, जिसमें से 44% राशि का आवंटन पूंजीगत व्यय के लिए किया गया।
- केंद्रीय बजट 2021–22 के अंतर्गत सरकार द्वारा दूरसंचार अवसंरचना के लिए 14,200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इसमें रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क के कार्य को पूरा करना, 2.2 लाख ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रदान करना और साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र की मोबाइल सेवाओं में सुधार करने का कार्य शामिल है।

दूरसंचार क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

- **अत्यधिक ऋण के बोझ तले दबा क्षेत्र:** विश्लेषकों का अनुमान है कि इस उद्योग पर लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण बकाया है। इस वित्तीय दबाव के लिए विभिन्न कारक जैसे कि घटता प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (ARPU)[50], ओवर द टॉप (OTT) सेवाएं, अलाभकारी राजस्व साझाकरण व्यवस्था आदि मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं।
- **कराधान से संबंधित मुद्दे:** दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा देय शुल्क की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली समायोजित सकल राजस्व (AGR)[51] की परिभाषा पर **14 वर्षों से मुकदमेबाजी** जारी है। हालांकि जहाँ दूरसंचार कंपनियों द्वारा तर्क दिया जाता रहा है कि इसमें केवल दूरसंचार सेवाओं से प्राप्त राजस्व को शामिल किया जाना चाहिए, वहीं दूरसंचार विभाग इस तथ्य पर बल देता रहा है कि **AGR में गैर-प्रमुख दूरसंचार परिचालनों से अर्जित राजस्व सहित ऑपरेटर द्वारा अर्जित सभी राजस्व को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।**
  - वर्ष 2019 में, उच्चतम न्यायालय ने AGR के सबंध में दूरसंचार विभाग (DoT) पक्ष में निर्णय दिया था। इसके चलते दूरसंचार क्षेत्रक पर **लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व बकाया हो गया।** हाल ही में, सरकार ने भूतलक्षी कर (retrospective tax) को समाप्त कर इस विवाद को ख़त्म कर दिया है।
- **राइट-ऑफ-वे (RoW) नियमों में एकरूपता का अभाव:** केंद्र द्वारा निर्धारित नियमों (वर्ष 2016 में अधिसूचित) को लागू न करने के कारण दूरसंचार और अवसंरचना प्रदाताओं को **नेटवर्क विस्तार पर आवश्यकता से अधिक खर्च करना पड़ा** है।
  - कुछ मामलों में, कंपनियों द्वारा 1,000 रुपये प्रति कि.मी. के **निर्धारित शुल्क से 1,000% अधिक तक का भुगतान** करना पड़ा है।
- **अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ पर दबाव:** रिलायंस जियो के प्रवेश के बाद प्रतिस्पर्धा में अधिक वृद्धि हुई है। वॉयस और डेटा दोनों के लिए **टैरिफ दरों में अत्यधिक गिरावट** (जो कि डेटा उपयोगकर्ताओं के लिए लाभकारी है) के कारण अन्य दूरसंचार कंपनियों के लाभ पर दबाव पड़ा है।
- **5G अवसंरचना में अत्यधिक निवेश:** भारत में 5G को लागू करने के लिए मजबूत और विश्वसनीय अवसंरचना की आवश्यकता है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर केबल, सेलुलर टावर, एंटीना, रिपीटर्स आदि में **अत्यधिक निवेश करना पड़ेगा।**

---

[50] Average Revenue Per Unit: ARPU

[51] Adjusted Gross Revenue: AGR

- **यह एक पूंजी-गहन क्षेत्रक है।** दूरसंचार क्षेत्रक को स्पेक्ट्रम अधिग्रहण, नेटवर्क विकसित करने, विश्वसनीय सुरक्षा व्यवस्था की स्थापना आदि के लिए भी अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है।

- **स्पेक्ट्रम उपयोग हेतु उच्च शुल्क:** संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क को केवल उतना ही रखा गया है जिससे स्पेक्ट्रम के प्रबंधन और विनियमन की लागत को पूरा किया जा सके। हालांकि, भारत में स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क को **AGR के 3% से 6% की सीमा के मध्य** रखा गया है।
- **अवैध मोबाइल बूस्टर:** अवैध सिग्नल बूस्टरों और रिपीटर्स के कारण मोबाइल टावरों से प्राप्त होने वाले सिग्नल बाधित होते हैं, जिससे सेलुलर नेटवर्क की समग्र गुणवत्ता प्रभावित होती है और कॉल ड्रॉप जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
- **अर्ध-ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना का अभाव:** दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अर्ध-ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने हेतु **शुरू में बहुत अधिक लागत** का वहन करना पड़ेगा। इन लागतों के लिए उत्तरदायी मुख्य कारण विद्युत और सड़कों जैसे **आधारभूत अवसंरचना की कमी** है, जिसके परिणामस्वरूप अवसंरचना विकसित करने में **अत्यधिक समय** लग जाता है।
  - सेलुलर अवसंरचना के संचालन और रखरखाव के लिए **प्रशिक्षित कर्मियों की कमी** भी एक बड़ी समस्या है।

हालिया सुधार दूरसंचार क्षेत्रक को कैसे सहयोग प्रदान कर सकते हैं:

हालिया सुधार	प्रभाव
• पिछली नीलामी में बोली जीतने वालों के लिए **AGR के भुगतान और स्पेक्ट्रम बकाया पर चार वर्ष की अधिस्थगन अवधि (moratorium) प्रदान की गयी है।** सरकार अधिस्थगन अवधि के समापन पर **ऋण को इक्विटी में बदलने के विकल्प** का प्रयोग कर सकती है। • लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के भुगतान में देरी होने पर अब SBI की **मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) और उसके ऊपर दो प्रतिशत** का ब्याज वसूला जाएगा। पहले यह MCLR के अलावा चार प्रतिशत था। • AGR की परिभाषा के दायरे से अब गैर-दूरसंचार राजस्व को हटाकर **AGR को तर्कसंगत बनाया गया है।**	• इससे दूरसंचार कंपनियों पर **मौजूदा वित्तीय दबाव कम होगा।** अधिस्थगन अवधि से उद्योग को **ऋण चुकाने और पूंजीगत व्यय** में सहायता मिलेगी। • ICRA के अनुसार, अधिस्थगन अवधि से उद्योग को **46,000 करोड़ रुपये का वार्षिक नकदी प्रवाह का लाभ** प्राप्त होगा। • हालांकि, सरकार को **एक दीर्घकालिक समाधान** सुनिश्चित करने के लिए **दूरसंचार कंपनियों पर लगने वाले शुल्क और करों को कम करना चाहिए।** • बाजार के रुझान के अनुरूप **स्पेक्ट्रम हेतु आरक्षित मूल्य (reserve price)** को भी **कम करने** की आवश्यकता है।
• दूरसंचार कंपनियों को आगामी नीलामी में अर्जित किए जाने वाले एयरवेव्स के लिए **कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क नहीं** देना होगा। वे बिना किसी अतिरिक्त लागत के **स्पेक्ट्रम साझा कर सकते** हैं, और **नीलामी के दौरान अर्जित एयरवेव्स 20 की बजाए 30 वर्षों तक** रख सकते हैं। • वायरलेस उपकरणों के लिए **वर्ष 1953** के सीमा शुल्क अधिसूचना के तहत **लाइसेंस की अनुपयोगी आवश्यकता** को **स्व-घोषणा** के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया है। • **नीलामी कैलेण्डर / अवधि को भी निर्धारित किया गया है** अर्थात् स्पेक्ट्रम की नीलामी सामान्यतः: प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में की जाएगी।	• इन प्रयासों से **प्रक्रियात्मक बाधाओं को भी कम करने** में सहायता मिलेगी। इन प्रक्रियात्मक बाधाओं से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में बाधा उत्पन्न होती थी। • भावी प्रयासों के रूप में, सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह क्षेत्र केवल दो आपूर्तिकर्ताओं के प्रभुत्व तक सीमित न हो जाए। साथ ही, ग्राहक सेवा और इससे संबंधित नई तकनीक में निवेश को बढ़ावा देने के लिए **अधिक से अधिक कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।** • इस क्षेत्रक में बड़ी कंपनियों द्वारा सेवाओं का अत्यंत कम मूल्य निर्धारित करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। इसके तहत दूरसंचार कंपनियों द्वारा **दूरसंचार सेवाओं के लिए (विशेष रूप से डेटा के लिए) निम्नतम निर्धारित मूल्य** घोषित किए जाने की मांग की जा रही है।
• कैबिनेट ने सुरक्षा उपायों के साथ स्वचालित मार्ग के माध्यम से **100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति** देकर दूरसंचार क्षेत्रक में विदेशी स्वामित्व संबंधी नियमों को भी उदार बनाया है।	• इससे पहले, स्वचालित मार्ग से केवल 49 प्रतिशत निवेश की अनुमति थी, और 49 प्रतिशत के स्तर से अधिक विदेशी निवेश के लिए **संबंधित प्राधिकरण से स्वीकृति की आवश्यकता** होती थी। • स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% FDI की अनुमति से **निवेशकों के लिए अनुकूल परिवेश का निर्माण करने में सहायता मिलेगी** तथा यह स्थिति निवेश को प्रोत्साहित करेगी।

इन सुधारों का सरकार के वित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- सभी अधिस्थगन (moratorium) की पेशकश, निवल वर्तमान मूल्य के संरक्षण के साथ की गई है। हालांकि, तीन में से दो निजी अभिकर्ताओं द्वारा इस विकल्प का चयन करने के बाद भी सरकार को **अगले चार वित्तीय वर्षों के दौरान कुछ राजस्व हानि** का सामना करना पड़ेगा।
- चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, लाइसेंस शुल्क करारोपण और अन्य करारोपण से **लगभग 54,000 करोड़ रुपये राशि के प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की** है।
  - हालांकि, टेलीकॉम कंपनियों द्वारा अधिस्थगन का विकल्प चुनने के बाद इस राशि का बड़ा **हिस्सा अगले चार वित्तीय वर्षों के लिए छोड़ना होगा।**
- अधिस्थगन (Moratorium) अवधि के अंत में, सरकार के पास यह विकल्प होगा कि वह कंपनी की ओर से देय राशि को इक्विटी में बदल सके। हालांकि, यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि यदि बाजार की स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो सरकार इस इक्विटी को बाजार में उचित दर पर नहीं बेच सकेगी।

आगे की राह

मजबूत दूरसंचार क्षेत्रक, भारत के डिजिटल संचार क्षेत्रक की आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **डिजिटल इंडिया** मिशन का मुख्य आधार बन सकता है। वर्तमान विश्व दूरसंचार क्षेत्रक में आधुनिक तकनीकी प्रगति जैसे 5G, IoT आदि के युग में प्रवेश कर चुका है। इस क्षेत्रक को अधिक **ग्राहक केंद्रित** और **एप्लीकेशन संचालित** बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। इसके लिए राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 द्वारा प्रदान किए गए विजन को अपनाया जा सकता है।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति की विशेषताएं:

- प्रत्येक नागरिक को **50 Mbps स्पीड पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी** प्रदान करना;
- वर्ष 2020 तक **सभी ग्राम पंचायतों को 1 Gbps** और वर्ष 2022 तक 10 Gbps की कनेक्टिविटी प्रदान करना;
- **सभी गैर-पहुंच वाले क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी** स्थापित करना;
- डिजिटल संचार क्षेत्रक में **100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश** को आकर्षित करना;
- नए युग के कौशल निर्माण के लिए **दस लाख लोगों को प्रशिक्षित करना;**
- **डिजिटल संचार अवसंरचना और सेवाओं को सुरक्षित करना;** आदि।

3.8. नागरिक उड्डयन क्षेत्रक (Civil Aviation Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नागर विमानन मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए 100 दिवसीय विकास योजना की घोषणा की है।

भारत के नागर विमानन (सिविल एविएशन) क्षेत्रक का संक्षिप्त विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान नागर विमानन उद्योग देश में सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रहे उद्योगों में से एक के रूप में उभरा है।

- भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। ऐसी संभावना है कि भारत वर्ष 2024 तक यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हवाई यात्री परिवहन बाजार बन जाएगा।
- वर्ष 2009 से 2019 के मध्य हवाई यात्री परिवहन की वैश्विक वृद्धि में भारत ने 5.9% का योगदान किया था।

विमानन उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक आधार पर 35 बिलियन डॉलर का योगदान करता है। यह देश में 1.7 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। साथ ही, यह भारत में पर्यटन तथा निवेश को भी प्रोत्साहित करता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- नागरिक उड्डयन/विमानन क्षेत्रक पर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप उड़ानों का संचालन बाधित हुआ है और यात्रियों एवं माल ढुलाई की मात्रा में अत्यधिक गिरावट आई है। हालांकि, यह क्षेत्रक सुधार की दिशा में प्रगतिशील है।
- 100 दिनों की इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्रक को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसके तहत तीन प्रमुख क्षेत्रों, यथा- अवसंरचना, नीतिगत लक्ष्य और सुधार संबंधी पहलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
    - इसके तहत अगले 100 दिनों में **चार नए हवाई अड्डों का निर्माण किया** जाएगा। इसमें **अगरतला, कुशीनगर, जेवर (ग्रेटर नोएडा) हवाई अड्डा** और **देहरादून में दूसरा टर्मिनल बिल्डिंग** का निर्माण इत्यादि शामिल हैं। साथ ही, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी **छह हेलीपोर्ट** और उड़ान (UDAN) योजना के तहत **50 नए उड़ान मार्गों** को शामिल किया जाएगा।
    - **रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार सेवाओं के लिए भी नई नीति** की घोषणा की गई है।

रखरखाव, मरम्मत, जीर्णोद्धार (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) सेवाओं के बारे में

- विमानन क्षेत्रक में MRO सेवा का आशय विमान या विमान के कलपुर्जों की मरम्मत, सेवा तथा जांच या निरीक्षण से है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित होता है जिससे सभी विमानों की सुरक्षा और उनकी सफल उड़ान को सुनिश्चित किया जाता है।
- MRO बाजार विमानन क्षेत्रक से संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यवसाय बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एयरफ्रेम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर (OEMs) द्वारा मुख्य रूप से विमान के विकास और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है न कि विमानों के लिए आवश्यक कलपुर्जे और अन्य घटकों पर।
- कुछ समय पहले तक, MRO सेवाओं पर 18% कर लगाया जाता था, जबकि इन सेवाओं पर विदेशों में 5% कर लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, विदेशों से MRO सेवाओं के आयात पर भी कोई भी सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है। इस स्थिति ने भारत के MROs बाजार की प्रतिस्पर्धा क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर दिया है।
    - **हाल ही में, सरकार ने घरेलू MRO सेवाओं के लिए वस्तु और सेवा कर (GST) की दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया है।**

- इस क्षेत्र के लिए योग्य प्रतिभा के साथ श्रम के संबंध में लाभप्रद स्थिति और एयरलाइन के बेड़े में अत्यधिक वृद्धि के बावजूद भी भारतीय **MROs सेवाएं अभी भी अलाभकारी बनी हुई हैं। भारत के 90% MRO संबंधी कार्यों को देश के बाहर किया जाता है, जिनसे अंततः परिचालन लागत में वृद्धि होती है।**
- **नई नीति में निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल किया गया है:**
  - खुली बोली (निविदाओं) के माध्यम से भूमि को पट्टे पर देना और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा वसूली जाने वाले रॉयल्टी को समाप्त करना।
  - खुली निविदाओं के माध्यम से MRO सुविधाएं स्थापित करने वाली संस्थाओं के लिए 3 से 5 वर्ष की मौजूदा अल्पावधि की जगह 30 वर्षों के लिए भूमि आवंटित करना।
  - MRO गतिविधियों के संबंध में सैन्य और नागरिक सेवाओं के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए वार्ता करना।
- **मंत्रालय ने MRO सुविधाओं की स्थापना के लिए निवेश आकर्षित करने हेतु आठ हवाई अड्डों की पहचान की है, ताकि** MRO गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। इन हवाई अड्डों में बेगमपेट, भोपाल, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, जुहू, कोलकाता और तिरुपति शामिल हैं।
- विमान से संबंधित **MRO सेवाओं के बाजार के आकार में वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गयी है। इसके लिए मुख्य रूप से विमानन कंपनियों द्वारा अपने परिचालन को पुनः व्यवस्थित करना और कोविड-19 प्रभाव से उबरने हेतु किए गए प्रयास उत्तरदायी हैं।** साथ ही, नई नीति संभवतः भारत को एक वैश्विक MRO हब के रूप में स्थापित करने में भी सहायता करेगी।

इस क्षेत्रक के विकास हेतु उत्तरदायी कारक

- **नीतिगत कारक:** राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 द्वारा FDI मानदंडों में ढील देकर और उड़ान योजना के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाकर हवाई यात्रा को सुलभ एवं वहनीय बनाया गया है। इसने विमानन क्षेत्रक में अनुकूल माहौल का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन प्रयासों के निम्नलिखित परिणाम हुए हैं:
  - क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) के अंतर्गत शामिल 53 हवाई अड्डों में से **22 हवाई अड्डों को वंचित और असेवित क्षेत्रों** में संचालित किया जा रहा है।
  - इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) की एक रिपोर्ट के अनुसार, **भारत के औसत घरेलू हवाई किराए में** वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में **70% तक** की गिरावट हुई है।
  - **यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत की रैंकिंग** वर्ष 2015 में 52 थी, जो वर्ष 2019 में 34 हो गई।
- **आर्थिक कारक:** भारत के मध्यम वर्ग का बढ़ता आकार, सीमा-पार व्यापार में वृद्धि, विश्वस्तरीय हवाई अड्डों का विकास, ईंधन की कीमतों में गिरावट और कम लागत वाली विमान सेवाओं की क्षमता में वृद्धि इत्यादि इस क्षेत्रक के विकास को बढ़ावा देने वाले कारकों में शामिल हैं।

इस क्षेत्रक के समक्ष व्याप्त चुनौतियाँ

- **अवसंरचना का अभाव:** हवाई अड्डों पर अपर्याप्त हैंगर स्थान (विमानों को रखने की जगह) और हवाई अड्डों के विस्तार हेतु भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति इस क्षेत्र के सम्मुख दो प्रमुख बाधाएं हैं।
  - इसके अतिरिक्त, PPP मॉडल के तहत हवाई अड्डे के विकास के लिए धन की आवश्यकता और सरकारी स्वीकृति प्राप्त करने में लगने वाले समय के कारण परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी अन्य बाधाओं में शामिल हैं।
- **ईंधन की अधिक लागत:** भारत में ईंधन लागत की हिस्सेदारी कम लागत वाले विमान सेवाओं की **कुल परिचालन लागत का 45%** है, जो वैश्विक औसत (30%) की तुलना में काफी अधिक है। इसके अलावा, भारत में केंद्र और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले उच्च करों के कारण **आसियान और मध्य-पूर्व देशों** की तुलना में विमानन ईंधन का मूल्य लगभग **60% अधिक** है।
  - यह नागर विमानन उद्योग की लाभप्रदता स्थिति को वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में होने वाली अस्थिरता के प्रति सुभेद्य बनाती है।
- **कौशल की कमी:** इस उद्योग लिए मान्यता प्राप्त कुशल लोगों (जैसे कि एयरलाइन पायलटों और चालक दल से लेकर रखरखाव और ग्राउंड हैंडलिंग कर्मियों) की अनुपलब्धता भी इस क्षेत्रक के विभिन्न भागों के विकास को बाधित करती है।

संबंधित तथ्य

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 246** के साथ पढ़े जाने पर **सातवीं अनुसूची की सूची 1 (संघ सूची) की प्रविष्टि 29,** संसद को विमान पत्तनों; वायुयानों और विमान चालन; विमानक्षेत्रों की व्यवस्था; विमान यातायात तथा विमानक्षेत्रों के विनियमन के विषय में कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करती है।

इस क्षेत्रक में विनियामक

विनियामक	कार्य
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण **(AAI)**	यह विमानपत्तनों (एयरपोर्ट्स) के निर्माण तथा प्रबंधन को विनियमित करता है।
नागर विमानन महानिदेशालय **(DGCA)**	यह वायुयानों की सुरक्षा और परिचालन (उड़ान) को विनियमित करता है।
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो **(BCAS)**	यह विमानपत्तनों एवं वायु–मार्गों के लिए सुरक्षा संबंधी मानकों को विनियमित करता है।
विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण **(AERA)**	यह टैरिफ तथा शुल्कों का विनियमन करता है।

विकास नीति की रूपरेखा

सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) नीतिः इसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और हैदराबाद जैसे प्रमुख महानगरों के विमानपत्तनों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से अपनाया गया है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीतिः

- मौजूदा विमानपत्तनों के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। लेकिन 74% से अधिक विदेशी निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) का अनुमोदन अनिवार्य होता है।
- ग्रीन फील्ड विमानपत्तनों के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।
- घरेलू एयरलाइन में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। लेकिन यह विदेशी निवेश किसी विदेशी एयरलाइन कंपनी द्वारा नहीं किया जा सकता है।

आगे की राह

भारत का विमानन उद्योग बड़े पैमाने पर मौजूद विकास के अवसरों का लाभ उठाने में प्रायः असफल रहा है। वर्तमान में भी देश की अधिकांश आबादी के लिए हवाई परिवहन एक महंगा विकल्प बना हुआ है।

- उड़ान पहल के तहत जारी परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने की आवश्यकता है।
- विमानन प्रौद्योगिकियों में बेहतर अनुसंधान के लिए दीर्घकालिक योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। इससे देश में विनिर्माण पारितंत्र तैयार करने में सहायता मिलेगी।
- एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कराधान और मूल्य निर्धारण संरचना को वैश्विक मानदंडों के अनुरूप करना चाहिए। इसलिए इसे वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाने हेतु विचार किया जाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, भारत इस क्षेत्र में स्वयं को ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में स्थापित करके कई अन्य लाभ प्राप्त कर सकता है।

3.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News In Shorts)

3.9.1. कार्ड टोकनाइजेशन (Card Tokenization)

- हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भुगतान प्रणाली की संरक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए कार्ड टोकन सेवाओं पर दिशा-निर्देशों का विस्तार किया है।
  - ये दिशा-निर्देश मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कलाई घड़ी, बैंड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उपकरणों के साथ-साथ पेमेंट एग्रीगेटर सहित **इंटरनेट से जुड़ने वाले प्रत्येक उपकरण के लिए टोकनाइजेशन दिशा-निर्देशों का विस्तार करते हैं।**
  - कार्ड जारीकर्ताओं को टोकन सेवा प्रदाताओं के रूप में कार्ड टोकनाइजेशन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है।

- कार्ड डेटा का टोकनाइजेशन ग्राहक की स्पष्ट सहमति से किया जाएगा, जिसमें प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की आवश्यकता होगी।
- जनवरी 2019 और अगस्त 2021 के आर.बी.आई. के परिपत्रों में अनुशंसित डिवाइस-आधारित टोकन ढांचे को अब कार्ड-ऑन-फिटनेस टोकनाइजेशन (CoFT) सेवाओं तक विस्तारित कर दिया गया है।
- लेन-देन पर नज़र रखने और/अथवा समाधान के उद्देश्यों के लिए, संस्थाएं लागू मानकों का अनुपालन करते हुए सीमित डेटा - वास्तविक कार्ड नंबर के अंतिम चार अंक और कार्ड जारीकर्ता के नाम - संगृहीत कर सकती हैं।

- **टोकनाइजेशन कार्ड के विवरण को एक वैकल्पिक कोड के साथ प्रतिस्थापित करने को संदर्भित करता है जिसे 'टोकन' कहा जाता है।** यह कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता (वह इकाई जो कार्ड के टोकन के लिए ग्राहक से अनुरोध स्वीकार करती है और टोकन जारी करने के लिए इसे कार्ड नेटवर्क पर भेजती है) और डिवाइस के संयोजन के लिए विशिष्ट है।
  - ज्ञातव्य है कि टोकन का उपयोग पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) टर्मिनलों और क्यू.आर. कोड आधारित भुगतान के मामले में संपर्क रहित लेन-देन करने के लिए किया जाता है।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता धोखाधड़ी के प्रति कम से कम सुभेद्य हों और उनके द्वारा कार्ड के माध्यम से किया गया लेनदेन सुरक्षित रहे। ज्ञातव्य है कि, गैर-नकद लेनदेन किसी को भी **धोखाधड़ी के प्रति सुभेद्य** बना सकते हैं।
  - व्यापारी कार्ड के विवरण (स्रोत बैंकों और कार्ड जारीकर्ताओं जैसे कि रुपे, वीज़ा और मास्टरकार्ड को छोड़कर) का भंडारण/ संग्रह नहीं करेंगे। इसलिए कार्ड का विवरण लीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्यापारी के डेटाबेस में कार्ड विवरण की बजाय यादृच्छिक संख्या शामिल होगी।
- **1 जनवरी 2022 से, कार्ड जारीकर्ता और/या कार्ड नेटवर्क के अतिरिक्त कार्ड लेनदेन/भुगतान श्रृंखला में कोई भी संस्था वास्तविक कार्ड डेटा संग्रहित नहीं करेगी।**
  - इससे पहले, कार्ड भुगतान लेनदेन की प्रक्रिया में शामिल संस्थाएं ई-कॉमर्स व्यापारियों सहित अपने सर्वर पर कार्ड विवरण (कार्ड-ऑन-फाइल के रूप में भी जाना जाता है) संग्रहित करती थीं, जिससे **कार्ड डेटा चोरी होने का जोखिम काफी हद तक बढ़ जाता था।**

3.9.2. ऋण प्रदायगी व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु खाता संग्राहक प्रणाली आरंभ की गई है (Account Aggregator system launched to bolster lending ecosystem)

- भारत ने एक **डेटा साझाकरण प्रणाली** के रूप में **खाता संग्राहक प्रणाली** का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य निवेश तथा ऋण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है।
- **खाता संग्राहक** एक वित्तीय इकाई है। इसके द्वारा **किसी व्यक्ति के सभी वित्तीय डेटा को प्राप्त करके समेकित** किया जा सकता है। यह इस डेटा को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है, जिससे पाठक **किसी व्यक्ति की विभिन्न वित्तीय धारिताओं को सरलता से समझकर विश्लेषण** कर सके।
- वर्ष 2016 में, **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934** के तहत RBI ने **"गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- खाता संग्राहक (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016"**[52] जारी किए थे।
  - **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम** की **धारा 45-I** के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के एक विशेष वर्ग के रूप में **खाता संग्राहक** को,
    - वित्तीय डेटा का सुलभ साझाकरण सुनिश्चित करना, तथा
    - उपयोगकर्ताओं के लिए पूर्व विकसित सहमति ढांचा प्रदान करना होता है।
- **महत्व:** फर्म्स को समय पर मात्रात्मक तथा गुणात्मक डेटा की उपलब्धता होगी। इससे, उन्हें लघु व्यवसायों की उधार पात्रता का आकलन करने, किसी व्यक्ति के लिए धन प्रबंधन उत्पाद की सिफारिश करने या किसी परिवार के लिए बीमा पॉलिसी तैयार करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
  - विश्व के **किसी अन्य देश ने ऐसा विस्तृत डेटा-साझाकरण ढांचा विकसित नहीं** किया है, जिसे 50 मिलियन से अधिक व्यवसायों तथा एक बिलियन से अधिक लोगों को कवर करने के लिए स्थापित किया जा सकता है।

3.9.3. सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत लेनदारों की समिति के लिए नई आचार संहिता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है {Government proposes new Code of Conduct for Committee of Creditors (CoC) under Insolvency and Bankruptcy Code}

- यह प्रस्ताव एक संसदीय समिति ने "वर्षों से लेनदारों द्वारा अनुपातहीन रूप से लिए गए **अत्यधिक और अस्थिर 'हेयर कट'** को लेकर आपत्ति प्रकट करने के पश्चात् प्रस्तुत किया है।"

[52] Non-Banking Financial Company - Account Aggregator (Reserve Bank) Directions, 2016

- ○ एक हेयरकट, एक ऋण के लिए संपार्श्विक या जमानत के रूप में उपयोग की जा रही **संपत्ति पर निर्धारित बाजार मूल्य से कम मूल्य** को संदर्भित करता है।
- ○ CoC के लिए आचार संहिता **CoC की पारदर्शी और निष्पक्ष कार्यप्रणाली को बढ़ावा** देगी। साथ ही, उन्हें IBC, 2016 के तहत **समाधान प्रक्रिया के प्रति अधिक जवाबदेह** भी बनाएगी।
- CoC में अग्रलिखित शामिल होते हैं- कॉर्पोरेट ऋणी के वित्तीय ऋणदाता या कॉर्पोरेट ऋणी की अनुपस्थिति में कार्यकारी ऋणदाता।
  - ○ यह **कॉरपोरेट देनदार के लिए मतदान हिस्सेदारी के 66% मत द्वारा समाधान योजना को स्वीकृति** प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि कॉरपोरेट देनदार के लिए समयबद्ध और सफल समाधान हेतु इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
- **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC)[53], 2016 के बारे में:**
  - ○ दिवाला संहिता, दिवाला समाधान के लिए एकल-बिंदु समाधान (one stop solution) प्रक्रिया प्रदान करती है। इसका उद्देश्य छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करना और व्यवसाय करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है।
  - ○ IBC, कंपनियों और व्यक्तियों के मध्य दिवाला समाधान के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करती है।
  - ○ हालांकि, इस संहिता का परिणाम मिश्रित रहा है (इन्फोग्राफिक देखें)।

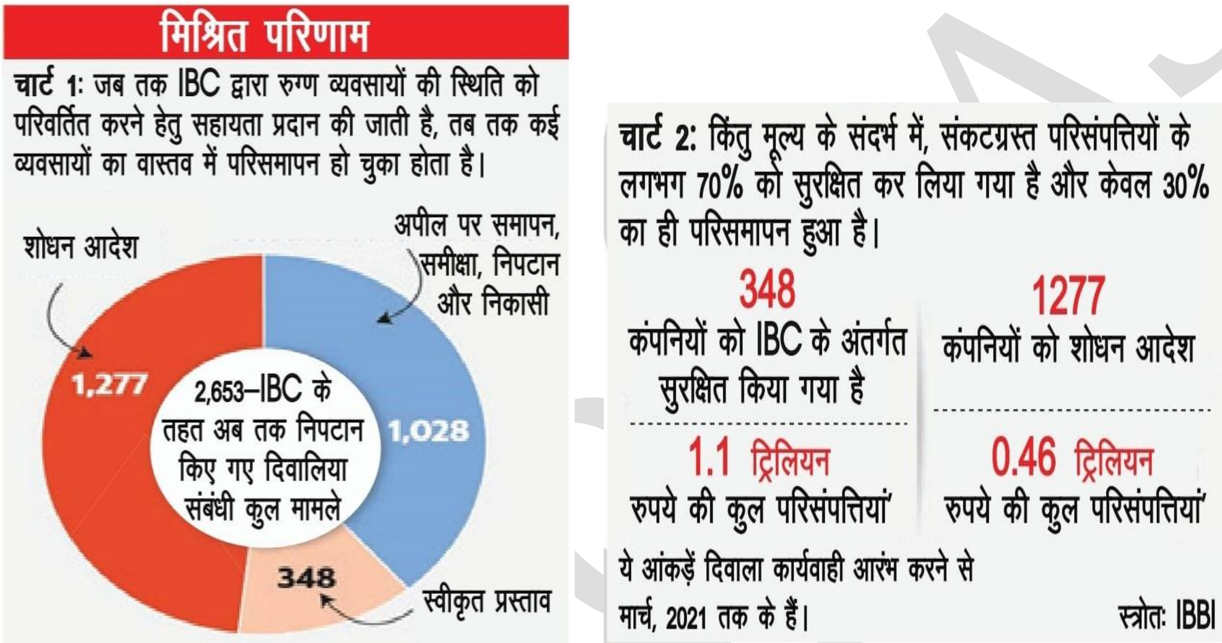

3.9.4. भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज की रूपरेखा तैयार की है {SEBI lays the framework Social stock exchanges (SSE)}

- **सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSEs)** स्थापित करने का प्रस्ताव प्रथम बार वर्ष 2019 में केंद्रीय बजट के दौरान प्रस्तुत किया गया था।
- SSE एक **विनियमित वित्तपोषण प्लेटफ़ॉर्म** के रूप में कार्य करता है। यह प्लेटफ़ॉर्म **लाभकारी सामाजिक उद्यमों** और **गैर-लाभकारी संगठनों** को सामाजिक उद्देश्य के लिए धन जुटाने की अनुमति प्रदान करता है।
  - ○ **कुछ सबसे प्रमुख SSEs हैं:** सोशल स्टॉक एक्सचेंज, **यूनाइटेड किंगडम;** सोशल वेंचर कनेक्शन, **कनाडा;** इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज, **सिंगापुर** आदि।
- **SSE की आवश्यकता:**
  - ○ समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करने वाले उद्यमों को पूंजी जुटाने हेतु बाजार तक बेहतर पहुंच प्रदान करना।
  - ○ निजी क्षेत्र की भागीदारी का लाभ उठाकर **विकासात्मक लक्ष्यों** को प्राप्त करने में सरकार पर भार को कम करना।
  - ○ बेहतर परियोजना कार्यान्वयन, क्योंकि SSE में सूचीबद्ध उद्यमों के प्रदर्शन की सूक्ष्मता से निगरानी की जाएगी।
- सेबी ने भी एक **गोल्ड एक्सचेंज** स्थापित करने हेतु रूपरेखा की घोषणा की है। यह एक्सचेंज निवेशकों को **इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट** (EGR) के रूप में प्रतिभूति प्रदान करेगा।

---
[53] Insolvency and Bankruptcy Code: IBC

○ अन्य प्रतिभूतियों के समान ही EGR का भी कारोबार, समाशोधन और निपटान किया जा सकेगा। साथ ही, यह स्वर्ण के उचित और पारदर्शी मूल्य की खोज, निवेश तरलता तथा गुणवत्ता के आश्वासन में सहायता करेगा।

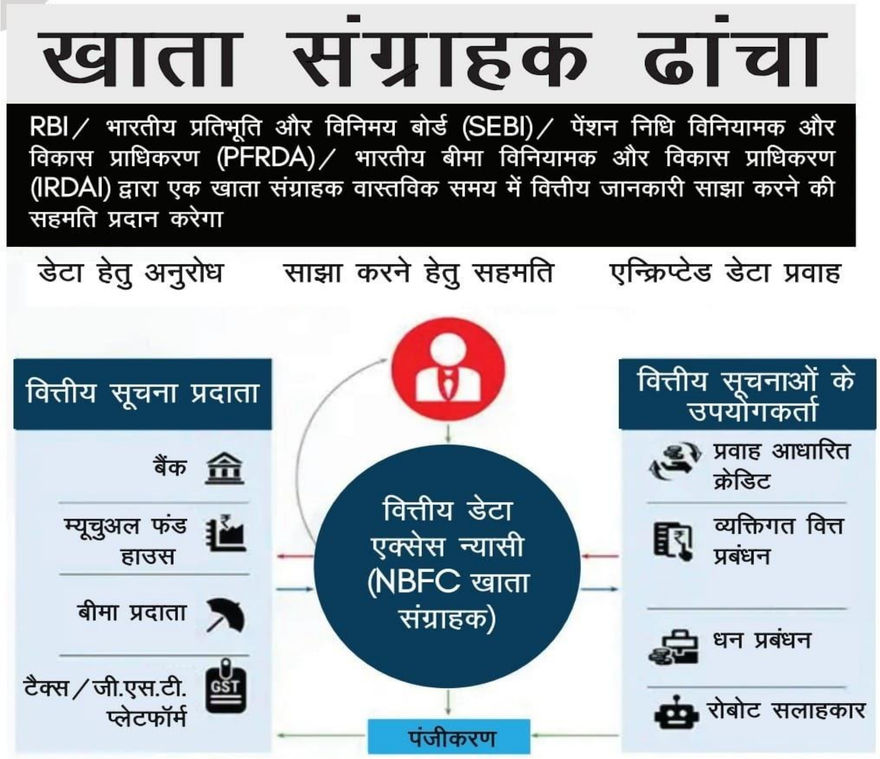

- **SSE के लिए फ्रेमवर्क में शामिल हैं:**
  - SSE मौजूदा स्टॉक एक्सचेंजेस के एक पृथक खंड के रूप में सेबी के विनियामक दायरे अंतर्गत कार्य करेगा।
  - सेबी द्वारा अनुमोदित 15 व्यापक पात्र सामाजिक गतिविधियों के आधार पर, उन गतिविधियों में शामिल **गैर-लाभकारी संगठन,** SSE में पंजीकरण के उपरांत **इक्विटी, जीरो-कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉण्ड, म्यूचुअल फंड आदि** के माध्यम से वित्त जुटा सकते हैं।
  - सेबी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड/NABARD), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी/SIDBI) तथा स्टॉक एक्सचैंजेस के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये के कोष के साथ **क्षमता निर्माण निधि** स्थापित करेगा।
  - SSE में पंजीकृत/धन जुटाने वाले सामाजिक उद्यमों के लिए **सामाजिक लेखापरीक्षण** अनिवार्य होगा।

नोट: सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया मई 2021, मासिक समसामयिकी के आर्टिकल 3.5 सोशल स्टॉक एक्सचेंज का संदर्भ लें।

3.9.5. भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियामक सैंडबॉक्स योजना के तहत तीसरा कोहॉर्ट खोलने की घोषणा की {Reserve Bank of India (RBI) announced opening of the third cohort under Regulatory Sandbox (RS)}

- विनियामक सैंडबॉक्स **एक नियंत्रित / परीक्षण विनियामक परिवेश (test regulatory environment) में नए उत्पादों या सेवाओं के प्रत्यक्ष परीक्षण को संदर्भित करता है।** इसके लिए विनियामक परीक्षण के सीमित उद्देश्य हेतु कुछ विनियामकीय छूट की अनुमति प्रदान कर सकते हैं अथवा नहीं।
  - विनियामक सैंडबॉक्स सावधानीपूर्वक निगरानी करते हुए और जोखिमों को नियंत्रित करते हुए बाजार सहभागियों को **नए वित्तीय नवाचारों के लाभों एवं जोखिमों पर साक्ष्य एकत्र करने की अनुमति प्रदान करता है।**
  - तीसरे कोहार्ट का थीम **'एम.एस.एम.ई. उधार'** (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उधार) है।
- ध्यातव्य है कि रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2019 में **'खुदरा भुगतान'** विषय के साथ **प्रथम कोहार्ट के लिए** और वर्ष 2020 में **'सीमा-पार भुगतान'** विषय वाले **दूसरे कोहार्ट** हेतु आवेदन आमंत्रित किए थे।
  - विनियामक सैंडबॉक्स का उद्देश्य **वित्तीय सेवाओं में उत्तरदायी नवाचार को प्रोत्साहन प्रदान करना, दक्षता को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना है।**
- **विनियामक सैंडबॉक्स के लाभ:**
  - यह विनियामकों, वित्तीय सेवा प्रदाताओं, नवोन्मेषकों तथा फिनटेक कंपनियों और ग्राहकों सहित **सभी पक्षों पर 'काम करते हुए सीखने' को प्रोत्साहन प्रदान** करता है।
  - यह व्यापक और अधिक महंगी शुरुआत की आवश्यकता के बिना **उत्पाद की व्यवहार्यता के परीक्षण की अनुमति देता है।**
  - फिनटेक ऐसे समाधान प्रदान करते हैं, जो महत्वपूर्ण तरीके से **वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ा सकते हैं।**
  - **यह उपभोक्ताओं** को उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला, अल्प लागत एवं वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से **बेहतर परिणाम सुलभ करवाता है।**

3.9.6. टी+1 (व्यापार + 1 दिन) निपटान चक्र {T+1 (Trade plus 1 day) settlement cycle}

- **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)** ने बाजारों के लिए एक वैकल्पिक **T+1 निपटान चक्र** प्रस्तुत किया है।
    - T+1 से यह तात्पर्य है कि वास्तविक लेनदेन होने के एक दिन के भीतर ही निपटान को पूर्ण कर दिया जाएगा।
    - यह **1 जनवरी 2022** से लागू होगा।
    - इसके द्वारा **बाजार की तरलता** और ट्रेडिंग टर्नओवर में बढ़ोतरी होने तथा निपटान जोखिम एवं ब्रोकर डिफॉल्ट्स/चूक के कम होने से **घरेलू निवेशकों को लाभ पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है।**
    - T+2 निपटान चक्र पर वापस जाने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज को बाजार को एक माह पूर्व नोटिस देना होगा।

3.9.7. विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights: SDRs)

- कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न संकट से निपटने हेतु SDRs का अब तक का सर्वाधिक विशाल आवंटन (लगभग 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर) किया गया है।
- यह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति में बढ़ोतरी करेगा और आयात अर्थव्यवस्था में सहायता प्रदान करेगा। साथ ही, इससे 'विनिमय दर' भी मजबूत होगा।
- SDR एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है। इसे वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के अनुपूरण हेतु निर्मित किया गया था।
- इसका मूल्य पांच मुद्राओं की एक बास्केट पर आधारित है, जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रॅन्मिन्बी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग शामिल हैं।

3.9.8. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत सीड कैपिटल मॉड्यूल का शुभारंभ किया है {Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) launched the PMFME Scheme Seed Capital Module}

- MoFPI ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के साथ मिलकर प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन (PMFME)[54] योजना के तहत सीड कैपिटल मॉड्यूल का शुभारंभ किया है। यह मॉड्यूल **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के एम.आई.एस. पोर्टल** पर लॉन्च किया गया है।
- इसका उद्देश्य भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत **शहरी स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के सदस्यों को** प्रारंभिक पूंजी सहायता (नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए आवश्यक शुरुआती पूंजी) की सुविधा प्रदान करना है।
    - **PMFME योजना के तहत प्रति SHG सदस्य 40,000 रुपये की** प्रारंभिक पूंजी **(सीड कैपिटल) सहायता** प्राप्त करने के लिए सीड कैपिटल पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
- **PMFME योजना:**
    - यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने और इस **क्षेत्र के औपचारीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करने** के लिए प्रारंभ किया गया है।
        - इस योजना को **वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक कार्यान्वित** किया जाएगा।
    - इस योजना का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की 2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करना है:
        - प्रति SHG सदस्य को 40,000 रुपये की प्रारंभिक पूंजी सहायता।
        - 10 लाख रुपये की सीमा के साथ **35% तक पूंजी निवेश के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सहायता।**
        - **सामान्य बुनियादी ढांचे की स्थापना** के लिए 35% तक क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता।

3.9.9. रेल कौशल विकास योजना {Rail Kaushal Vikas Yojana (RKVY)}

- रेल मंत्रालय ने **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तत्वावधान** में रेल कौशल विकास योजना (RKVY) आरंभ की है।
- RKVY का उद्देश्य **गुणात्मक सुधार लाने के लिए युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण कौशल** प्रदान करना है।

[54] Pradhan Mantri Formalisation of Micro food processing Enterprises: PMFME

- इस योजना में **10वीं कक्षा में उत्तीर्ण और 18-35 वर्ष के मध्य के उम्मीदवार आवेदन** करने के पात्र होंगे।

- इसके अंतर्गत **तीन वर्ष की अवधि के दौरान 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण** प्रदान किया जाएगा।
- इसमें चार कार्यों, अर्थात् इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें 100 घंटे का प्रारंभिक बुनियादी प्रशिक्षण शामिल होगा।

3.9.10. डिजी सक्षम (DigiSaksham)

- श्रम और रोजगार मंत्रालय ने **एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम 'डिजी सक्षम'** का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तेजी से प्रौद्योगिकी संचालित युग में डिजिटल कौशल पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है।
  - यह माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ आरंभ की गई एक संयुक्त पहल है।
- प्रथम वर्ष में तीन लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ-साथ **एडवांस कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल में नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।**
  - नौकरी की तलाश करने वाले व्यक्ति, **राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) पोर्टल** के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
  - यह पहल **अर्ध-शहरी क्षेत्रों के नौकरी की तलाश करने वाले वंचित समुदायों से संबंधित व्यक्तियों** को प्राथमिकता प्रदान करती है।

3.9.11. डेयरी फार्मिंग क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (Capacity Building Program For Women In Dairy Farming)

- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने डेयरी फार्मिंग और संबद्ध गतिविधियों में महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु एक **देशव्यापी प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम** की शुरूआत की है।
  - इसके लिए NCW ने संपूर्ण भारत के **कृषि विश्वविद्यालयों के साथ एक भागीदारी पहल को आरंभ किया है।**
  - यह ग्रामीण महिलाओं को सशक्त और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करेगा।
- NCW **भारत का एक सर्वोच्च व राष्ट्रीय स्तर का सांविधिक** (NCW अधिनियम, 1990 के तहत) **संगठन** है। इसे महिलाओं के हितों की रक्षा और उनके प्रोत्साहन को सुनिश्चित करने हेतु अधिकार प्रदान किए गए हैं।

3.9.12. परिवहन एवं विपणन सहायता योजना {Transport and Marketing Assistance (TMA) scheme}

- सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कृषि उत्पादों के लिए TMA योजना के दायरे को बढ़ाया गया है। इसके तहत **डेयरी उत्पादों** को इस योजना शामिल कर और सहायता की दरों में वृद्धि की गई है।
  - इस योजना को कृषि उत्पादों के भारतीय निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली उच्चतर मालभाड़ा लागत हानि **को कम करने के लिए** आरंभ किया गया था। यह योजना **मालभाड़े के अंतर्राष्ट्रीय घटक हेतु सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।**
  - इस योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
  - इस योजना के तहत सहायता की दरों में वृद्धि की गई है। **समुद्री मार्ग से किए जाने वाले निर्यात के लिए 50 प्रतिशत** और **हवाई मार्ग से किए जाने वाले निर्यात के लिए 100 प्रतिशत** की बढ़ोत्तरी की गई है।

3.9.13. भारत का प्रथम यूरो-मूल्यवर्ग का ग्रीन बॉण्ड (India's first ever Euro-denominated green bonds)

- विद्युत क्षेत्रक में अग्रणी **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC)** द्वारा **300 मिलियन यूरो का 7-वर्षीय यूरो ग्रीन बॉण्ड** जारी किया गया है।
- ग्रीन बॉण्ड में, **जारीकर्ता द्वारा जुटाई गई धनराशि को अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन आदि जैसी 'हरित' परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए निर्धारित किया जाता है।**
  - वर्ष 2007 में, यूरोपीय निवेश बैंक और विश्व बैंक जैसे विकास बैंकों द्वारा ग्रीन बॉण्ड आरंभ किए गए थे।
  - भारत के लिए, **यस बैंक** वर्ष 2015 में ग्रीन बॉण्ड जारी करने वाला **प्रथम बैंक था।**

3.9.14. केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष दिसंबर माह तक किसानों के डेटाबेस को 5.5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया जाएगा (Centre to raise farmers database from 5.5 crore to 8 crore by December end)

- कृषि को **डिजिटल प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा ज्ञान** से जोड़ने के लिए **कृषि मंत्रालय** द्वारा एक **राष्ट्रीय किसान डेटाबेस** निर्मित किया गया है।

- इस डेटाबेस को राज्यों की सहायता से दिसंबर 2021 तक **5.5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़** कर दिया जाएगा। इसे **राज्य भूमि रिकॉर्ड डेटा** (जैसा कि **कर्नाटक** द्वारा किया गया है) से **संबद्ध** करने की अनुमति भी प्रदान की जाएगी।
- **पी.एम.-किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड** तथा **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** जैसी मौजूदा योजनाओं से डेटा प्राप्त करके एक **राष्ट्रीय किसान डेटाबेस** निर्मित किया जा रहा है।

- यह डेटाबेस एग्री-स्टैक के प्रमुख भाग के रूप में कार्य करेगा, जो **कृषि में प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों** का एक संग्रह है। यह उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर नवोन्मेषी कृषि-केंद्रित समाधान निर्मित करने के लिए **संघीय किसान डेटाबेस** का उपयोग करेगा।
  - इसमें **सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स** तथा बाह्य स्रोतों जैसे मौसम की जानकारी आदि का उपयोग शामिल है।

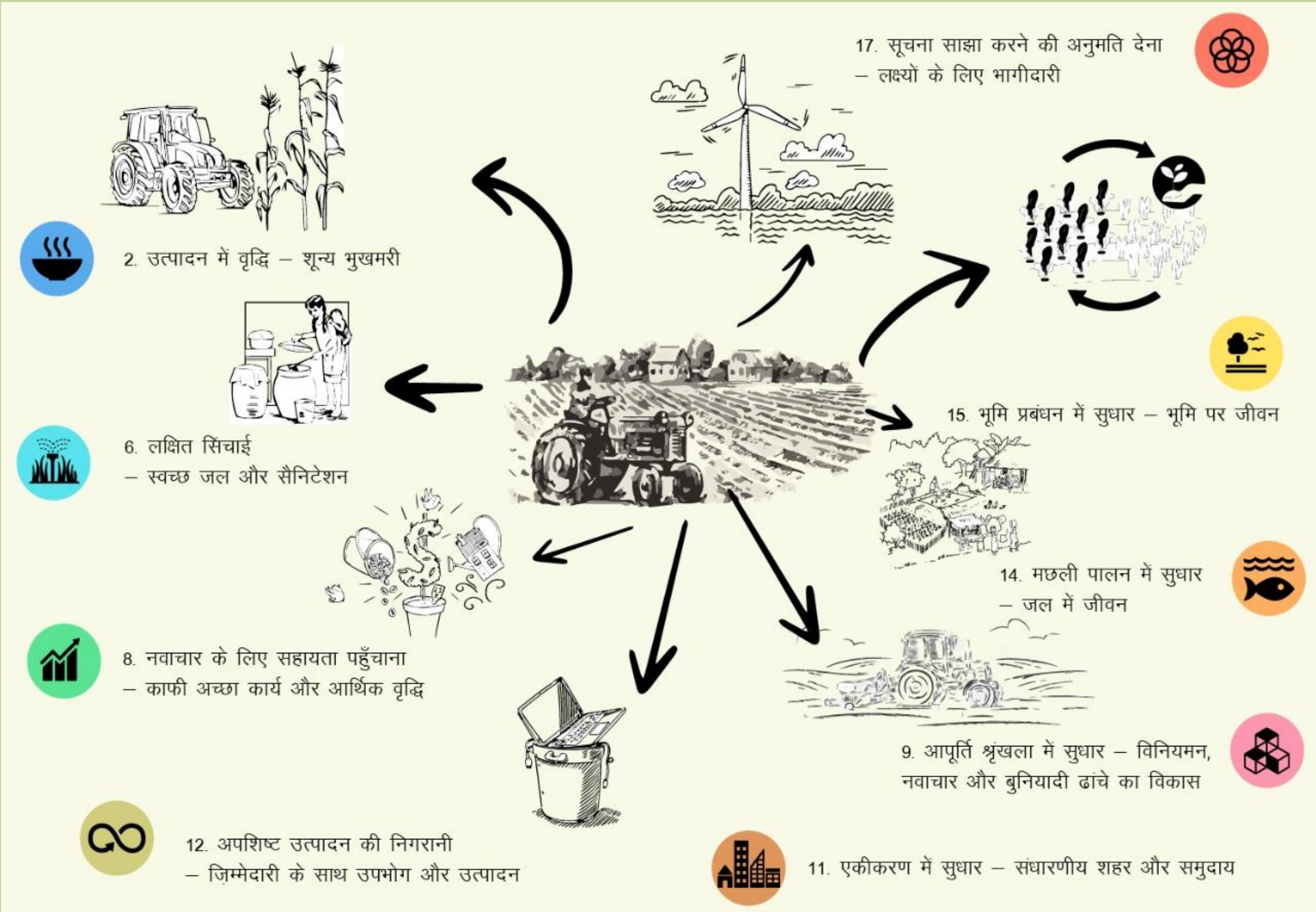

- **डिजिटल कृषि की दिशा में किए गए अन्य उपाय:**
  - **IndEA डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर (IDEA):** यह कृषि दक्षता तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु एक **राष्ट्रीय डिजिटल कृषि पारितंत्र** है।
    - इसमें **राष्ट्रीय डिजिटल कृषि मिशन** (NMDA)[55] के मार्गदर्शन हेतु बहु-हितधारक **IDEA सलाहकार परिषद** तथा प्रत्येक किसान को एक **विशिष्ट किसान पहचान-पत्र (UFID)**[56] प्रदान करना आदि शामिल हैं।
  - कृषि क्षेत्र में **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना।**
  - **एकीकृत किसान सेवा मंच।**

3.9.15. सरकार द्वारा जिला स्तरीय विद्युत समितियों के गठन के आदेश जारी किए गए (Government Issues Orders to Set Up District-Level Power Committees)

- **विद्युत मंत्रालय** (MoP) द्वारा **जिला स्तरीय समितियां** (DLCs)[57] गठित की जाएंगी, जो केंद्र सरकार की **सभी विद्युत संबंधी योजनाओं का पर्यवेक्षण करेंगी।**

[55] National Mission on Digital Agriculture: NMDA

[56] Unique Farmer ID: UFID

- ○ ध्यातव्य है कि समिति में **जिले के वरिष्ठ सांसद अध्यक्ष के रूप में**, जिले के अन्य सांसद **सह-अध्यक्ष** के रूप में तथा जिला कलेक्टर सदस्य सचिव के रूप में सम्मिलित होंगे।
  - ○ इसके अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय को सूचित करते हुए **जिला विद्युत समितियों की स्थापना को अधिसूचित और सुनिश्चित करना है।**
- यह देश में विद्युत क्षेत्र के सुधारों और उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में **लोगों की भागीदारी एवं निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।**
- **यह 24X7 विश्वसनीय, टिकाऊ और वहनीय विद्युत सुनिश्चित** करने के सरकार के प्रयासों की पृष्ठभूमि में शामिल है।
- **विद्युत क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई पहलें:**
  - ○ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY),
  - ○ एकीकृत विद्युत विकास योजना (Integrated Power Development Scheme: IPDS),
  - ○ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि।
    - ▪ हाल ही में, मंत्रिमंडल ने ₹3.03 ट्रिलियन की **'पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना'**[58] को स्वीकृति प्रदान की है, जो एक सुधार-आधारित और परिणाम संबद्ध योजना है।
  - ○ इसका उद्देश्य **निजी क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनियों** (डिस्कॉम्स) **को छोड़कर** सभी डिस्कॉम्स/विद्युत विभागों की **परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है।** डिस्कॉम्स को परिणाम संबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

3.9.16. वैश्विक नवाचार सूचकांक- 2021 में दो स्थान के सुधार के साथ भारत 46वें स्थान पर आ गया है {India Jumps 2 Spots to 46th Rank in the Global Innovation Index (GII) 2021}

- यह सूचकांक **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन** (WIPO)[59], **कॉर्नेल विश्वविद्यालय** और **इनसीड (INSEAD)** द्वारा सह-प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट विश्व के 131 देशों तथा अर्थव्यवस्थाओं की नवाचार क्षमता एवं निष्पादन के संबंध में उनकी वार्षिक रैंकिंग प्रदान करती है।
  - ○ इसके **80+ संकेतक** राजनीतिक परिवेश, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और व्यापार माहौल / परिवेश सहित नवाचार के व्यापक पहलुओं का विश्लेषण करते हैं।
  - ○ वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII)[60] 2021 का विषय **'ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस'** है।
- **मुख्य बिंदु:**
  - ○ **स्विट्ज़रलैंड** इस सूची में शीर्ष पर है। इसके उपरांत **स्वीडन, अमेरिका** और **ब्रिटेन** का स्थान है।
  - ○ भारत ने विशाल **बौद्धिक संपदा, उद्यमशील स्टार्ट-अप पारितंत्र तथा सार्वजनिक एवं निजी अनुसंधान** संगठनों द्वारा किए गए असाधारण कार्यों के सहयोग से अपनी रैंकिंग में सुधार किया है (वर्ष 2015 में 81 से वर्ष 2021 में 46वें स्थान तक)।
  - ○ भारत निम्न मध्यम आय वर्ग की 34 अर्थव्यवस्थाओं में **दूसरे स्थान** पर तथा मध्य और दक्षिणी एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में **प्रथम स्थान** पर है।
- **भारत नवाचार सूचकांक-13 (India Innovation Index-I3):** इसे **नीति आयोग** द्वारा **इंस्टिट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस** के सहयोग से जारी किया गया है।
  - ○ **भारत नवाचार सूचकांक** के उद्देश्य हैं-
    - ▪ भारत के नवाचार परिवेश के निरंतर मूल्यांकन हेतु एक व्यापक तंत्र का निर्माण करना,
    - ▪ राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर रैंकिंग प्रदान करना,
    - ▪ अवसरों एवं चुनौतियों को चिन्हित करना, तथा
    - ▪ नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु सरकारी नीतियों को तैयार करने में सहायता करना।
- **भारत नवाचार सूचकांक** नवाचार आगत को **'सक्षमकर्ता'** **(Enablers)** तथा **इनोवेशन निर्गत का निष्पादन (Performance)** के रूप में मापन करता है।
  - ○ **सक्षमकारी संकेतक:** मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान कार्यकर्ता, व्यावसायिक परिवेश, सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था।
  - ○ **निष्पादन संकेतक:** ज्ञान सृजन व ज्ञान प्रसार।

---

57 District-Level Committees: DLCs

58 Revamped Distribution Sector Scheme

59 World Intellectual Property Organisation: WIPO

60 Global Innovation Index: GII

VISIONIAS

3.9.17. अंकटाड व्यापार और विकास रिपोर्ट, 2021 जारी की गई (UNCTAD Trade and Development Report 2021, released)

- **प्रमुख निष्कर्ष:**
  - संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (अंकटाड) ने संभावना व्यक्त की है कि वर्ष 2020 में 3.5% की गिरावट के पश्चात् **इस वर्ष विश्व उत्पादन में 5.3% की वृद्धि** होगी।
  - अंकटाड ने **वर्ष 2022 में विश्व उत्पादन में 3.6% की वृद्धि** होने की संभावना व्यक्त की है।
  - वर्ष 2020 में भारत को 7% के संकुचन का सामना करना पड़ा था। परन्तु वर्ष 2021 में इसके **7.2% की दर से वृद्धि** करने की संभावना है।
  - इस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि **वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.7% रहेगी,** जो कि वर्ष 2021 में देश की संभावित वृद्धि दर से धीमी है।
  - भारत में रिकवरी, कोविड-19 की मानवीय और आर्थिक लागत एवं निजी खपत पर खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव से बाधित है।
  - **आय और संपत्ति संबंधी असमानताओं में वृद्धि हुई है** तथा भारत में सामाजिक अशांति में बढ़ोतरी हुई है।

QUIZ
SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

4. सुरक्षा (Security)

4.1. ओवर-ग्राउंड वर्कर (Overground Workers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जम्मू और कश्मीर (J&K) पुलिस ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के एक शिविर पर किए गए ग्रेनेड हमले के आरोप में तीन ओवरग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार किया है।

ओवर-ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) कौन होते हैं?

- जम्मू और कश्मीर पुलिस **"आतंकवादियों को समर्थन प्रदान करने वाले व्यक्ति" को ओवर-ग्राउंड वर्कर के रूप में संदर्भित करती है।**
    - संदिग्ध उग्रवादियों या आतंकवादियों को सुरक्षित आश्रय, बच निकलने की सुविधा या सूचना प्रदान करने या उनके लिए एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को ओवर-ग्राउंड वर्कर कहा जाता है।
- **ओवर-ग्राउंड वर्कर** को प्रायः **'बिना हथियारों के आतंकवादी'** के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।
- इन्हें आम तौर पर **सुनियोजित रूप से फंसाने** की रणनीति बनाकर भर्ती किया जाता है। इसके तहत युवाओं का पहले कट्टरपंथीकरण किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें अधिक गंभीर अपराधों में शामिल किया जाता है और अंततः वें **ओवर-ग्राउंड वर्कर के रूप में** कार्य करने लगते हैं।
- **ओवर-ग्राउंड वर्करों** की भावी आतंकवादी बनने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है।
    - हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों द्वारा कश्मीर में आतंकवाद को बनाए रखने हेतु सुस्थापित **ओवर-ग्राउंड वर्करों** के एक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है।

ओवर-ग्राउंड वर्करों से निपटने में आने वाली समस्याएं

- **इस हेतु अपनाए जाने वाले कठोर उपायों से उग्रवाद/चरमपंथ को बढ़ावा मिल सकता है:** OGW से संबंधित गतिविधियों के लिए युवाओं की आकस्मिक गिरफ़्तारी से उनके समाज में वापस मुख्यधारा में शामिल होने की संभावनाएं पूरी तरह से समाप्त हो सकती हैं। इस प्रकार यह स्थिति आतंकवादियों को ऐसे युवाओं को देशद्रोह के लिए उकसाने में सहयोग कर सकती है।
- **सरकार की नकारात्मक धारणा:** OGWs के प्रति सरकार की कार्रवाई सामान्य जनता के बीच एक मजबूत **"हम बनाम उन"** की अवधारणा को बढ़ावा दे सकती है और उन्हें भारतीय राजनीति से अलग कर सकती है।

- **पता लगान कठिन:** OGWs छोटे पैमाने पर हमले करने में भी समर्थ होते हैं, और घटना को अंजाम देने के बाद आबादी के साथ अतिशीघ्र घुल-मिल जाते हैं।

ओवरग्राउंड वर्करों से निपटने हेतु उपाय

- **ओवरग्राउंड वर्करों, आतंकवादियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों का पता लगाने हेतु विभिन्न एजेंसियों को मिलकर संयुक्त रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है** ताकि इस प्रकार से उपलब्ध खुफिया जानकारी और जमीनी वास्तविकताओं के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जा सके।
- युवाओं के बीच अलगाव की भावना और विश्वास की कमी को दूर करने के क्रम में **युवाओं को देश की मुख्यधारा से जोड़ने वाले कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर लागू किया जाना** चाहिए।
  - उदाहरण के लिए, युवा फोरमों को एक ऐसे मंच के रूप में संचालित किया जा सकता है जहां राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा की जा सके।
- **कश्मीर के लिए एक दीर्घकालिक कट्टरता उन्मूलन और कट्टरता रोधी नीति विकसित करना:** इसके लिए इस विषय से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जांच की आवश्यकता होगी। इसके तहत विभिन्न पहलुओं को शामिल करने वाले दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। इन विशेषज्ञों में धार्मिक विद्वान, धर्म और राजनीति दर्शन के विशेषज्ञ, साइबर-जिहाद के विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, शिक्षाविद, नागरिक समाज के सदस्य आदि शामिल हो सकते हैं।
- **मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पुनर्वास के साथ-साथ रणनीतिक संपर्क व्यवस्था** से उनकी मानसिकता को परिवर्तित किया जा सकता है और उन्हें मुख्यधारा में वापस लाया जा सकता है।
- OGWs की कानून विरोधी गतिविधियों के साक्ष्य एकत्रित करने और उन्हें उजागर करने के लिए समय-समय पर **खुफिया-सूचना आधारित स्टिंग ऑपरेशन को लॉन्च** किया जाना चाहिए।
- सोशल मीडिया पर चरमपंथ को बढ़ावा देने वाली विषय-वस्तुओं को हतोत्साहित करने के लिए **कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य तकनीकों में निवेश को बढ़ावा** दिया जाना चाहिए।

OGWs से निपटने के लिए भारत में उठाए गए कदम

- वर्ष 2017 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उग्रवादी नेटवर्क एवं उनके **ओवर-ग्राउंड वर्करों** और शीर्ष आतंकवादी कमांडरों को समाप्त करने के लिए **ऑपरेशन ऑल आउट** शुरू किया गया था।
- शांति और सुरक्षा को बाधित करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों और **ओवर-ग्राउंड वर्करों** को गिरफ़्तार करने हेतु **जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978** का उपयोग किया जाता है।
- **ऑपरेशन सद्भावना**, जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा आरंभ की गई एक अनूठी मानवीय पहल है। इसका उद्देश्य आतंकवाद से प्रभावित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। इसके तहत शिक्षा, महिला और युवा सशक्तीकरण तथा स्वास्थ्य देखभाल जैसे सामाजिक संकेतकों में सुधार करने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक/अवसंरचना विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से क्षमता निर्माण हेतु भी कार्य किया जाता है।
- **वर्ष 2021 में आरंभ किया गया "मिशन पहल":** इसके तहत, अधिकारियों द्वारा कश्मीरी युवाओं के साथ प्रत्यक्ष वार्ताएं की जाती हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को अपनी शिकायतों और भारत सरकार तथा सेना के अधिकारी के प्रति उनमें व्याप्त अविश्वास के कारणों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- **उस्ताद, उड़ान और नई मंजिल** जैसी शिक्षा छात्रवृत्ति और आजीविका योजनाएं।
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का **वतन को जानो कार्यक्रम** एक छात्र विनिमय कार्यक्रम के साथ-साथ खेल एवं एक नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम भी है।
- **हिमायत** और **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)** जैसी कई योजनाओं के तहत **जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर** भी प्रदान किए जाते रहे हैं।
- युवा कश्मीरियों के लिए **सेना** प्रत्येक वर्ष **लगभग 100 "राष्ट्रीय एकता" यात्राएं आयोजित करती है,** जहां उन्हें पूरे भारत के इतिहास, संस्कृति और विकास के अवसरों से परिचित कराया जाता है।
- **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग:** स्थानीय पुलिस के साथ-साथ सशस्त्र बलों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। इसके तहत चरमपंथी कंटेंट तथा भड़काऊ लेखों की निगरानी की जाती है और इसके बारे में तकनीकी प्लेटफार्मों को सूचना दी जाती है। साथ ही, इस प्रकार की विषयवस्तु का खंडन करने के लिए वास्तविक जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है।
- **कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा किये जाने अन्य प्रयासों में शामिल हैं:**
  - पुलिस और जनता के बीच विभिन्न स्तरों पर बेहतर संपर्क स्थापित करना।

- जम्मू और कश्मीर में कार्य करने वाले सभी सुरक्षा बलों के बीच रियल टाइम आधारित खुफिया जानकारी साझा करना।
- सुरक्षा बलों द्वारा अतिरिक्त नाके लगाकर और गश्त आदि उपायों के द्वारा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कदम उठाना।
- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) द्वारा आतंकवादी संगठनों को मिलने वाले धन के प्रवाह पर नजर रखना इत्यादि।

4.2. सैन्य लॉजिस्टिक समझौते (Military Logistics Agreements)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत द्वारा शीघ्र ही रूस के साथ द्विपक्षीय लॉजिस्टिक समझौते को पूर्ण कर लिया जाएगा, जबकि यू.के. के साथ यह समझौता अपने अंतिम चरण में है।

अन्य संबंधित तथ्य

- रूस के साथ, पारस्परिक आदान-प्रदान हेतु लॉजिस्टिक समझौते (RELOS)[61] पर शीघ्र ही हस्ताक्षर कर लिया जाएगा।
- RELOS एक प्रकार की पारस्परिक व्यवस्था है। इसके तहत दोनों राष्ट्र एक-दूसरे के बंदरगाहों, सैन्य बेस और सैन्य प्रतिष्ठानों / सुविधाओं पर आगमन के दौरान सैन्य लॉजिस्टिक सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।

सैन्य लॉजिस्टिक्स समझौते क्या हैं?

- ये सामान्यतः प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं जो ईंधन, राशन और स्पेयर पार्ट्स की पुनः पूर्ति की सुविधा प्रदान करती हैं। साथ ही, इसके तहत बंदरगाहों पर आगमन और संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान एक-दूसरे के युद्धपोतों, सैन्य विमानों और सैनिकों के लिए ठहरने के स्थान (बर्थिंग) तथा रखरखाव की सुविधा प्रदान की जाती है। ये सुविधाएं एक-दूसरे को पारस्परिक आधार पर प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार यह मुख्य रूप से एक-दूसरे को लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाती है।

सैन्य लॉजिस्टिक्स समझौतों के लाभ

- **भारत की सैन्य पहुंच का विस्तार:** इससे भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विभिन्न समुद्री क्षेत्रों तक पहुंच और विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए:
    - RELOS से भारत को आर्कटिक क्षेत्र में रूसी सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त हो जाएगी।
    - लॉजिस्टिक्स आदान-प्रदान पर समझौता ज्ञापन (LEMOA)[62] भारत को जिबूती, डिएगो गार्सिया, गुआम और सुबिक बे में अमेरिकी सैन्य सुविधाओं तक पहुंच और ईंधन भरने की सुविधा प्रदान करता है।
    - साथ ही, फ्रांस के साथ यह समझौता दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में भी भारत को पहुंच प्रदान करता है।
- **समय और लागत की बचत:** ऐसे समझौतों के कारण सेनाओं द्वारा मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR)[63] अभियान या द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जैसे प्रत्येक सैन्य परिचालन में शामिल होने लिए अनावश्यक रूप से लॉजिस्टिक हेतु अतिरिक्त व्यय नहीं करने पड़ते हैं। इन समझौतों में शामिल देश एक-दूसरे को पारस्परिक रूप लॉजिस्टिक्स संबंधी सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार सेनाओं को ऐसे समझौतों की अनुपस्थिति में प्रत्येक सैन्य परिचालन हेतु अनावश्यक रूप से लॉजिस्टिक हेतु अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है।
- **राष्ट्रों के बीच सहयोग और एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने की बेहतर क्षमता:** शांति अभियानों, HADR जैसी गतिविधियों में शामिल होने तथा अंतर्राष्ट्रीय अधिदेश (UN) के तहत सुरक्षा बलों की संयुक्त तैनाती के दौरान एक-दूसरे के सुरक्षा बलों को पारस्परिक आधार पर सुविधा प्रदान करने से राष्ट्रों के सहयोगात्मक संबंध बेहतर होते हैं।
- **सामरिक महत्व:** इससे किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्रों में अपनी सीमाओं से दूर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना सरल हो जाता है। इससे सुदूर स्थित जलक्षेत्रों तक देश की रणनीतिक पहुंच और उपस्थिति का विस्तार होता है। साथ ही, इससे देश की स्थिरता में कई गुना वृद्धि होती है।
- **भारतीय नौसेना को बढ़त:** इन समझौतों के कारण सैन्य परिचालन की उत्पादकता में सुधार हुआ है तथा बीच समुद्र (high seas) में भारतीय और साझेदार नौसेनाओं की एक साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता को भी मजबूती मिली है।
- विगत कुछ वर्षों में भारतीय नौसेना को ऐसे समझौतों से निम्नलिखित लाभ हुए हैं:
    - हिंद महासागर की सीमा से लगे परिवहन के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की निगरानी हेतु हिंद-प्रशांत में स्वतंत्र रूप से परिचालन संभव हुआ है,
    - व्यापार के लिए सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने में सुविधा मिली है, तथा
    - HADR आदि में भी सहायता मिली है।

---

[61] Reciprocal Exchange of Logistics Agreement: RELOS

[62] Logistics Exchange Memorandum of Agreement: LEMOA

[63] Humanitarian Assistance and Disaster Relief: HADR

भारत के सैन्य लॉजिस्टिक समझौते

- भारत ने **क्वाड देशों (भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका)** के साथ-साथ **फ्रांस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया** के साथ भी ऐसे समझौते किए हैं।
- भारत वर्तमान में **यूनाइटेड किंगडम** के साथ भी इस तरह के एक समझौते को अंतिम रूप देने हेतु प्रयासरत है। साथ ही, भारत द्वारा अन्य भागीदार देशों जैसे **वियतनाम** के साथ भी इस संबंध में वार्ताएं की जा रही हैं।

सैन्य लॉजिस्टिक समझौतों से संबंधित चिंताएं

- **विदेश नीति को नए सिरे से व्यवस्थित करना:** इसके लिए भारत को साझेदार देश की पसंद-नापसंद के अनुसार अपनी विदेश और सैन्य नीति में बदलाव करना पड़ेगा। इससे इस क्षेत्र में स्थित अन्य देशों के साथ पारंपरिक मित्रता प्रभावित हो सकती है।
    - उदाहरण के लिए, LEMOA पर हस्ताक्षर से रूस के साथ पारंपरिक मित्रता प्रभावित हो सकती है।
- **क्षेत्राधिकार से संबंधित मुद्दे:** उदाहरण के लिए, साझेदार देशों के सैनिकों का अवैध व्यवहार किसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा? भारतीय वायु और नौसैन्य ठिकानों के कुछ हिस्सों पर संवेदनशील सैन्य भंडारों की मौजूदगी होती है। इस प्रकार विदेशी सैन्य कर्मियों द्वारा इनकी निगरानी से उत्पन्न होने वाली संप्रभुता संबंधी समस्याओं के कारण ये मुद्दे और भी जटिल हो जाएंगे।
- **संप्रभुता का मुद्दा:** उदाहरण के लिए, LEMOA की निम्नलिखित मुद्दों को लेकर आलोचना की जा रही है:
    - अमेरिकी गुट में भारत के शामिल होने को लेकर, और
    - अमेरिका को भारतीय भूमि से अभियानों को करने की अनुमति देने हेतु देश में एक अमेरिकी बेस की स्थापना करने जैसे कई मुद्दों को लेकर।

निष्कर्ष

भारत एक दशक से भी अधिक समय से सैन्य लॉजिस्टिक्स समझौतों को संपन्न करने से कतराता रहा है। लेकिन बदलती भू-राजनीतिक स्थिति और मुखर होते चीन ने भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समान विचारधारा वाले भागीदार देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें लॉजिस्टिक्स समझौते भी शामिल हैं।

4.3. संक्षिप्त सुर्खियां (News In Shorts)

4.3.1. थिएटर कमांडर, सीधे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करेंगे {Theatre commanders will report to Chief of Defence Staff (CDS)}

- पहली बार भारत के **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ** (CDS) ने भारतीय सेना को **एकीकृत थिएटर कमान** (ITC)[64] में **पुनर्गठित** करने पर जारी विचार-विमर्श का सार्वजनिक रूप से उल्लेख किया है।
    - ITC के अंतर्गत तीनों सैन्य-सेवाओं (थल सेना, वायु सेना एवं नौसेना) की क्षमताओं को एकीकृत किया जाएगा, ताकि **युद्ध व उसके संचालन हेतु उनकी क्षमताओं/संसाधनों का बेहतर उपयोग** किया जा सके।
    - **एकीकृत थिएटर कमान** का विचार **कारगिल समीक्षा समिति** और **डी. बी. शेकटकर समिति** द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- वर्तमान में मौजूद **17 एकल-सेवा** कमानों को केवल **चार भौगोलिक कमानों** में संयोजित किया जाएगा।
    - **पश्चिमी थिएटर कमान:** पाकिस्तान से संलग्न सीमा के लिए।
    - **उत्तरी थिएटर कमान:** चीन से संलग्न सीमा के लिए।
    - **समुद्री कमान:** हिंद महासागर क्षेत्र (IOR)[65] के लिए।
    - **द्वीपीय कमान:** यह पहले से ही सक्रिय/क्रियाशील है। इसे **अंडमान और निकोबार कमान (ANC)** कहा जाता है। यह पूर्वी हिंद महासागर में भारत की क्षमता विकसित करेगा।
    - **हवाई क्षेत्र** तथा **साइबर युद्ध** पांचवें एवं छठे ITCs होंगे।
- CDS ने यह भी कहा है कि सरकार **राष्ट्रीय सुरक्षा** के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु एक अग्रिम उपाय के रूप में मिसाइलों के लिए **"रॉकेट फोर्स"** निर्मित करने पर भी विचार कर रही है।
- **CDS के बारे में:**
    - CDS सभी त्रि-सेवा मामलों पर रक्षा मंत्री के **प्रमुख सैन्य सलाहकार** के रूप में कार्य करता है।
    - **CDS की सेवानिवृत्ति की आयु** से संबंधित प्रावधान, **नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)**, **मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC)** तथा **केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC)** की सेवानिवृत्ति की आयु से संबंधित उपबंधों के समान होते हैं।

---

64 Integrated Theatre Commands: ITC

65 Indian Ocean Region: IOR

नोट: एकीकृत थिएटर कमान के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया जून 2021, मासिक समसामयिकी के आर्टिकल 4.1 एकीकृत थिएटर कमान का संदर्भ लें।

4.3.2. हेलीना (हेलीकॉप्टर आधारित नाग) {HELINA (Helicopter based NAG)}

- हेलीना के सभी परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं।
- यह **तीसरी पीढ़ी का 'दागो और भूल जाओ' श्रेणी का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) सिस्टम** है जो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) पर लगा हुआ है।
- इसे **भारतीय थल सेना** में शामिल किया जा रहा है। इसके एक अन्य संस्करण **ध्रुवास्त्र (DHRUVASTRA)** को **भारतीय वायु सेना** में शामिल किया जा रहा है।
- **विशेषताएं:** यह सभी प्रकार के मौसम तथा दिन और रात में कार्य करने की क्षमता से युक्त है। यह पारंपरिक कवच के साथ-साथ विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच वाले युद्धक टैंकों को नष्ट कर सकता है। **इसकी न्यूनतम रेंज 500 मीटर और अधिकतम रेंज 7 कि.मी. है।**

4.3.3. सुर्ख़ियों में रहे युद्ध अभ्यास (Exercises in News)

- **जैपेड अभ्यास (ZAPAD Exercise):** यह **रूसी सशस्त्र बलों** द्वारा संचालित किए जाने वाले **थिएटर स्तर** के अभ्यासों में से एक है। इस सैन्य अभ्यास में मुख्य रूप से **आतंकरोधी ऑपरेशन** पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत इस सैन्य अभ्यास में भाग लेता है।
- **'सिमबेक्स' ('SIMBEX'): सिंगापुर-भारत द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास** के 28वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसे **दक्षिण चीन सागर में** कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण **बिना किसी मानवीय संपर्क** के 'एट-सी ओनली' अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया था।
    - वर्ष 1994 में आरंभ किया गया सिम्बेक्स किसी भी विदेशी नौसेना के साथ **भारतीय नौसेना का सबसे लंबा चलने वाला निर्बाध द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास** है।
- **अभ्यास सूर्य किरण:** यह **भारतीय सेना और नेपाली सेना के मध्य** एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है।
- **ऑसिन्डेक्स (AUSINDEX):** यह **रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और भारतीय नौसेना** के मध्य आयोजित किया जाने वाला एक **द्विवार्षिक समुद्री युद्धाभ्यास है।** इस वर्ष इसे ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है।
- **समुद्र शक्ति: भारत और इंडोनेशिया की नौसेना** ने द्विपक्षीय अभ्यास 'समुद्र शक्ति' के तीसरे संस्करण में भाग लिया।
- **शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास 2021: SCO शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास का छठा संस्करण** दक्षिण पश्चिम रूस के ऑरेनबर्ग क्षेत्र में आरंभ हुआ।
    - इसमें SCO के वर्तमान सदस्य देशों, यथा- चीन, रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने भाग लिया।

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. अंटार्कटिका के पर्यावरण का संरक्षण (Protecting The Antarctic Environment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने अंटार्कटिका के पर्यावरण का संरक्षण करने हेतु सहायता करने की पेशकश की है। साथ ही, भारत ने **पूर्वी अंटार्कटिका और वेडेल सागर** को समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPAs)[66] नामित करने हेतु भी समर्थन प्रदान किया है।

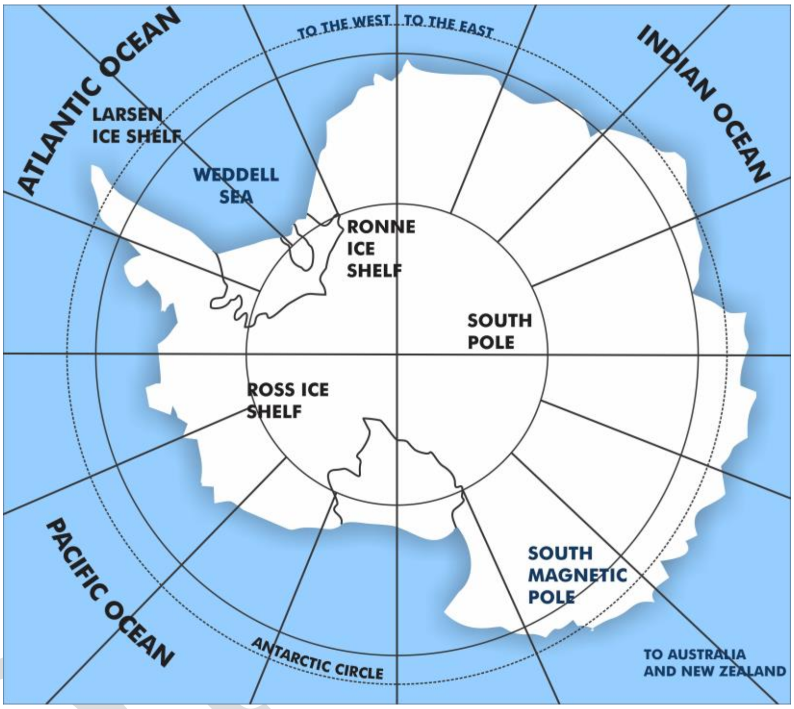

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने अंटार्कटिका में संरक्षण संबंधी गतिविधियों में भागीदारी करने हेतु अपनी इच्छा प्रकट की है। इसलिए भारत ने अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधन संरक्षण आयोग (CCAMALR)[67] के सदस्य देशों से भविष्य में इन समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPAs) के निर्माण, अनुकूलन और कार्यान्वयन तंत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया है।
    - अंटार्कटिक क्षेत्र में पूर्वी अंटार्कटिका और वेडेल सागर को MPAs के रूप में नामित करना **अवैध, असूचित और अनियंत्रित मत्स्यन (IUUF)[68] को विनियमित करने के लिए आवश्यक** है।
    - MPAs के रूप में नामित किसी क्षेत्र में निम्नलिखित प्रावधान किए जाते हैं:
        - उस क्षेत्र के **सभी प्राकृतिक संसाधनों या उसके कुछ भाग को संरक्षण प्रदान किया जाता है,**
        - ऐसे क्षेत्रों में पर्यावास का संरक्षण करने, पारितंत्र की निगरानी करने या मत्स्यन से संबंधित प्रबंधन उद्देश्यों को पूरा करने हेतु निश्चित गतिविधियां **सीमित या प्रतिबंधित होती हैं।**
- **CCAMALR का गठन वर्ष 1982** में किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्री जीवन का संरक्षण करना है। इसका गठन **अंटार्कटिक संधि प्रणाली (ATS)[69] के भाग के रूप में किया गया** था, जो **अंटार्कटिक संधि, 1959** का केंद्रीय विषय है।
    - **यह अंटार्कटिका में मछली पकड़ने संबंधी कार्य को प्रबंधित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य संपूर्ण अंटार्कटिक समुद्री पारितंत्र की प्रजातियों की विविधता और स्थिरता को बनाए रखना है।**

समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPAs)

- MPA महासागर में एक निर्धारित क्षेत्र होता है। महासागर के अन्य क्षेत्रों की तुलना में MPAs में मानवीय गतिविधियों को अत्यधिक कठोरतापूर्वक **नियंत्रित/विनियमित किया जाता है। इन्हें स्थलीय भू-भाग में स्थित संरक्षित क्षेत्रों के रूप में समझा जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों को स्थानीय, राज्य, क्षेत्रीय, देशज, प्रादेशिक या राष्ट्रीय प्राधिकरणों द्वारा प्राकृतिक या ऐतिहासिक समुद्री संसाधनों की रक्षा हेतु विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है।**
- **MPAs और इनके नेटवर्कों द्वारा प्रकृति के अनुकूल समाधान प्रस्तुत किया जाता है। इन समाधानों का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन और शमन की दिशा में वैश्विक प्रयासों का समर्थन करना होता है।**
    - मार्च 2021 तक, **संरक्षित क्षेत्रों पर विश्व डेटाबेस[70] से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर समुद्रों का केवल 7.65% हिस्सा ही संरक्षित क्षेत्रों**

---

[66] Marine Protected Areas: MPAs

[67] Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources: CCAMALR

[68] Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUUF

[69] Antarctic Treaty System: ATS

के अंतर्गत शामिल है।

- यह जैव विविधता अभिसमय (CBD)[71] के आईची लक्ष्य 11 के संबंध में देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं की तुलना में बहुत कम है। इन लक्ष्य के तहत वर्ष 2020 तक महासागरीय क्षेत्र के 10 प्रतिशत भाग को MPA के अंतर्गत शामिल करना था। साथ ही, IUCN वर्ल्ड पार्क कांग्रेस 2014 में सिफारिश की गई थी कि वैश्विक महासागर के 30 प्रतिशत क्षेत्र को नो-टेक MPA क्षेत्र के रूप में शामिल करने की आवश्यकता है। इस प्रकार वर्तमान में MPA के तहत शामिल क्षेत्र इन सिफारिशों से भी काफी पीछे है।
    - **नो-टेक MPAs** ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं।

अंटार्कटिका के बारे में

- अंटार्कटिका कोई देश नहीं है। **यहां न तो कोई सरकार है और न ही कोई स्थानीय आबादी है।** इसके बजाय, सम्पूर्ण महाद्वीप को वैज्ञानिक संरक्षण प्रदान करके अलग रखा गया है।
- 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन में बारह देशों द्वारा अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। **इन बारह देशों के वैज्ञानिक वर्ष 1957-58** के अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष (IGY)[72] कार्यक्रम के दौरान **अंटार्कटिका में और उसके आसपास के क्षेत्र में कार्यरत थे।**
    - **ये 12 देश हैं:** अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, USSR (अब रूस), यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
    - **इस संधि में शामिल सदस्यों की कुल संख्या अब 54 (भारत सहित)** हो गई है।
    - यह संधि **वर्ष 1961 में लागू हुई थी** और तब से लेकर अब तक कई अन्य राष्ट्र इस संधि में शामिल हो गए हैं।
    - इस संधि ने एक गैर-स्थायी आबादी वाले **महाद्वीप के लिए नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बुनियाद भी रखी है।**

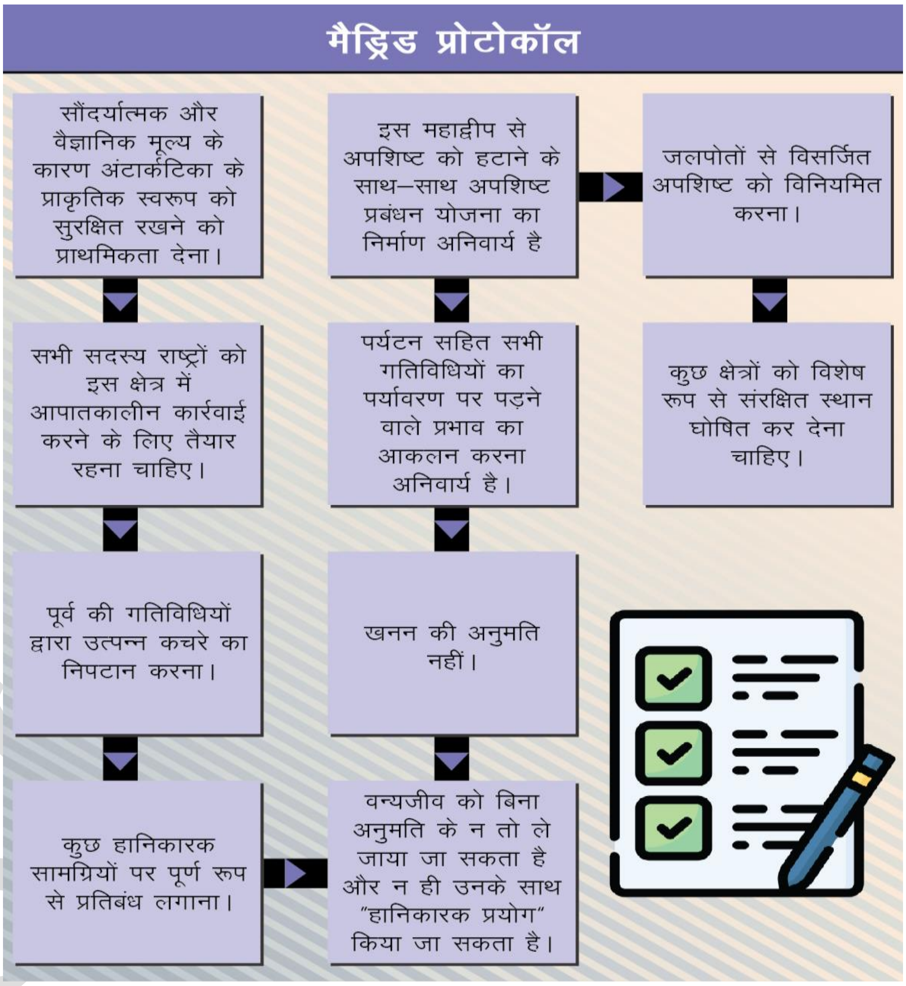

- इस संधि को "समस्त मानव जाति के हित को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य अंटार्कटिका का उपयोग हमेशा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करना और अंटार्कटिका को अंतर्राष्ट्रीय विवाद का विषय नहीं बनने देना है।"
    - इसके उद्देश्यों में शामिल हैं:
        - **इस क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रयोजन के अतिरिक्त सैन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित** रखना;
        - इस क्षेत्र में परमाणु विस्फोट और परमाणु अपशिष्ट का निपटान करने को प्रतिबंधित रखना;
        - वैज्ञानिक अनुसंधान और डेटा के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना; और
        - इस क्षेत्र पर किए जाने वाले सभी क्षेत्रीय दावों को स्थगित रखना है।
- **अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल पर वर्ष 1991 में मैड्रिड में हस्ताक्षर किए गए थे** और यह प्रोटोकॉल वर्ष 1998 में लागू हुआ था।

---

[70] World Database on Protected Areas
[71] Convention on Biological Diversity: CBD
[72] International Geophysical Year: IGY

○ इसका उद्देश्य अंटार्कटिका के पर्यावरण और इस पर निर्भर एवं संबंधित पारितंत्र के संरक्षण को बढ़ाना था।

अंटार्कटिका के समक्ष मौजूद चुनौतियां

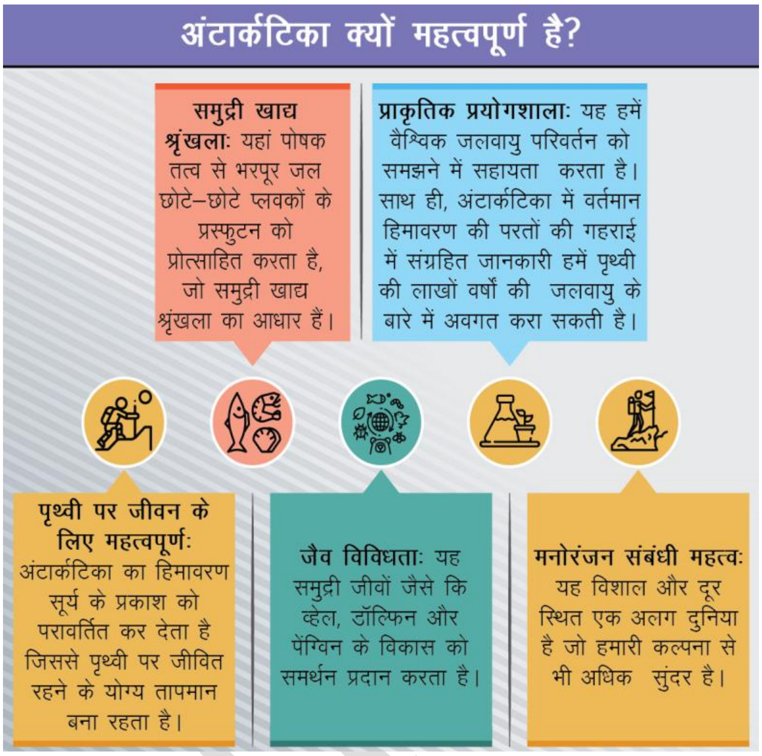

- **पक्षकारों या सदस्य देशों के मध्य क्षेत्रीय विवाद:** उदाहरण के लिए, अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम द्वारा इस महाद्वीप के एक ही क्षेत्र पर समान दावा किया जाता है। फ़ॉकलैंड (माल्विनास) द्वीपों और आसपास के क्षेत्रों पर विवाद से इन दोनों देशों के अंटार्कटिक संबंध नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं।
- **मुखर चीन:** चीन द्वारा प्रतिवर्ष अंटार्कटिका पर अत्यधिक मात्रा में धन व्यय किया जा रहा है। इस अत्यधिक व्यय के पीछे अंटार्कटिका के संसाधनों (जैसे- मत्स्यन और खनिज) में चीन के हितों को लेकर कई प्रकार का अंदेशा लगाया जा रहा है। साथ ही, यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि चीन अंटार्कटिक संधि में व्याप्त कमजोरियों का फायदा भी उठा सकता है।
- **जलवायु परिवर्तन:** अंटार्कटिका के जैव-भौतिक स्वरूप में जलवायु परिवर्तन के कारण महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। इन बदलावों में समुद्री सहत पर हिमावरण के निर्माण प्रतिरूप में परिवर्तन और हिमावरण का अस्थिर होना शामिल हैं।
- **बदलती दशाएं:** पर्यटन; अवैध, असूचित और अनियंत्रित रूप से मछली पकड़ने की घटनाओं में वृद्धि; जैव-विज्ञान संबंधी खोज आदि से संबंधित गतिविधियों में तीव्रता से वृद्धि हो रही है। ये सभी गतिविधियां मिलकर अंटार्कटिका के नाजुक पारितंत्र के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं।
  - **जैव-विज्ञान संबंधी खोज** का आशय सजीवों के संबंध में अनुसंधान से प्राप्त जानकारी के व्यवसायीकरण से है।
- **अन्य कानूनों के प्रावधानों से टकराव:** वर्ष 1959 में अंटार्कटिक संधि के अस्तित्व में आने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय कानून में अत्यधिक बदलाव हुए हैं।
  - उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि, 1982 (इसे UNCLOS[73] के रूप में भी जाना जाता है) के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA)[74] का गठन किया गया है। यह प्राधिकरण गहरे समुद्र तल से खनिज संसाधनों का दोहन करने की अनुमति देने के लिए उत्तरदायी है। इस संबंध में यह प्रश्न उठता है कि क्या ISA अंटार्कटिक क्षेत्र के गहरे समुद्र में खनिजों का दोहन करने की अनुमति दे सकता है। जबकि मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत अंटार्कटिक में खनिजों का दोहन करना प्रतिबंधित है।

अंटार्कटिका में भारत के प्रयास

- भारत ने **वर्ष 1983 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे** और शीघ्र ही भारत ने इसके तहत एक परामर्शदात्री सदस्य का दर्जा प्राप्त कर लिया।
- अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल (इसे पर्यावरण प्रोटोकॉल या **मैड्रिड प्रोटोकॉल** भी कहते हैं) **वर्ष 1998 में भारत के लिए लागू हुआ था।**
- **भारत** राष्ट्रीय अंटार्कटिक कार्यक्रम प्रबंधक परिषद (COMNAP)[75], अंटार्कटिका अनुसंधान वैज्ञानिक समिति (SCAR)[76] और अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधन संरक्षण आयोग (CCAMLR) का भी सदस्य है।
- **भारत के अनुसंधान केंद्र:** भारत द्वारा शिरमाचेर हिल्स पर **मैत्री** और लारसेमन्न हिल्स पर **भारती** अनुसंधान केंद्रों को स्थापित किया गया है। ज्ञातव्य है कि इससे पहले **दक्षिण गंगोत्री** वर्ष 1984 में स्थापित किया गया पहला भारतीय अनुसंधान केंद्र था।
- वर्तमान में भारत के अंटार्कटिक अभियान को **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** से प्राप्त पैसे से वित्त पोषित किया जाता है।
- **भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2021**
  - इस विधेयक का उद्देश्य **अंटार्कटिका के पर्यावरण और इस पर निर्भर एवं संबंधित पारितंत्र का संरक्षण करने हेतु भारत के पास स्वयं के राष्ट्रीय उपायों की व्यवस्था करना है।**

---

[73] United Nations Convention on the Law of the Sea
[74] International Solar Alliance: ISA
[75] Council of Managers of National Antarctic Programme: COMNAP
[76] Scientific Committee of Antarctica Research: SCAR

○ यह भारत की अंटार्कटिक गतिविधियों और अंटार्कटिक संधि एवं CCAMLR के अनुसार **अंटार्कटिका के पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए विनियामकीय ढांचा प्रदान करता है।**

आगे की राह

- **संधि को प्रभावी रूप से लागू करना:** इसके तहत सर्वप्रथम ATS के नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए। इसके लिए अंटार्कटिक संधि के सदस्यों को अंटार्कटिक संधि प्रणाली के प्रत्येक सदस्य देश पर दबाव बनाना चाहिए। पर्यावरण का संरक्षण करने वाले नए अधिक कठोर विनियमों का निर्माण करने का कोई लाभ नहीं होगा यदि उन्हें प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जाए।
- **वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर नए विनियम बनाना:** इसके लिए वैज्ञानिकों को यह सीखना होगा कि इस क्षेत्र के लिए नीति बनाने हेतु वैज्ञानिक निष्कर्षों को कैसे उपयोगी बनाया जाए। यह एक कुशल पर्यावरण संरक्षण प्रणाली के लिए एक अनिवार्य घटक होगा।
- **इस क्षेत्र के लिए एक समर्पित पर्यटन अभिसमय का निर्माण करना:** यह अभिसमय/कन्वेंशन अंटार्कटिक संधि के मौलिक उद्देश्यों का समर्थन करने का कार्य कर सकता है। अंटार्कटिक संधि के मौलिक उद्देश्यों में वैज्ञानिक अनुसंधान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना और ऐसा करने के दौरान अंटार्कटिक क्षेत्र के व्यवसायीकरण का विरोध करना शामिल है।
- **व्यवहार संबंधी बदलाव:** लोगों को अंटार्कटिक के पर्यावरण और पारितंत्र की नाजुक स्थिति के बारे में बताना चाहिए। साथ ही, लोगों को इस क्षेत्र के संबंध में मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न समस्याओं के बारे में अपनी समझ को भी विकसित करने की आवश्यकता है।

5.2. तटीय शहरों के लिए जलवायु कार्य योजना (Climate Action Plan For Coastal Cities)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बढ़ते जलवायु परिवर्तन के कारण शहरों में **प्रचंड बाढ़ और भूस्खलन जैसी चरम मौसमी घटनाएं लगातार घटित** हो रही हैं। इसलिए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए मुंबई जलवायु कार्य योजना (MCAP) का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

जलवायु कार्य योजना क्या है?

- जलवायु कार्य योजना वस्तुतः **ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन** और संबंधित जलवायविक प्रभावों का मापन करने, योजना बनाने और शमन करने की विस्तृत और रणनीतिक रूपरेखा प्रदान करती है। साथ ही, यह **जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणामों का समाधान करने हेतु निवारक उपाय भी प्रदान करती है।**
    - यह योजना बताती है कि शहर कैसे उन्हें प्रभावित करने वाले जलवायु संबंधी खतरों के प्रति अपने आप को अनुकूलित और बेहतर करेंगे। साथ ही, यह उन खतरों के बारे में भी अवगत कराती है जिनकी आने वाले वर्षों में वृद्धि होने की संभावना है।

तटीय शहरों के लिए जलवायु कार्य योजना की आवश्यकता

- **तटीय बाढ़ और समुद्री जलस्तर में वृद्धि:** तटीय शहर **तूफानी समुद्री लहरों (storm surges या तूफान महोर्मि), अपरदन और समुद्री लवणीय जल के स्थलीय भाग में प्रवेश करने** के प्रति सुभेद्य होते हैं। जलवायु परिवर्तन और समुद्री जलस्तर में वृद्धि से इन खतरों में और अधिक वृद्धि हो सकती है। समुद्री जलस्तर में वृद्धि से तटीय पारितंत्र नष्ट और जलमग्न हो सकता है। साथ ही, इससे आर्द्रभूमि के अस्तित्व के संबंध में भी संकट उत्पन्न होता है।

जलवायु कार्य योजना की प्रक्रिया

जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन हेतु एक समग्र दृष्टिकोण स्थापित करना
शहरों के समक्ष उपस्थित चुनौतियों और उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए शहरों को अपनी क्षमता का आकलन करना चाहिए। यह जलवायु कार्य योजना को आधार प्रदान करने के साथ–साथ उसके दायरे को भी निर्धारित करेगा।

लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजनैतिक प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करना
जलवायु कार्य योजना की सफलता के लिए मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होती है। जलवायु कार्य योजना को प्रगति प्रदान करने के लिए कई शहरों में मेयर और वरिष्ठ नेतृत्व का ठोस समर्थन अनिवार्य होता है।

एक सुविकसित संवाद माध्यम विकसित करना
लक्षित समूहों के साथ जुड़ने के लिए शहरों में समन्वित रणनीति होनी चाहिए। एक कुशल संवाद योजना में योजना के विभिन्न चरणों, योजना को जारी करने और तदनुसार योजना के क्रियान्वयन के दौरान लोगों तक व्यापक पहुंच के साथ–साथ उनकी भागीदारी की प्रक्रिया को भी शामिल करना चाहिए।

बहु–हितधारकों और सभी क्षेत्रकों का समर्थन सुनिश्चित करना
एक प्रभावी योजना बनाने के लिए सभी क्षेत्रकों को शामिल करते हुए एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता होती है। साथ ही, इसमें सभी प्रकार की प्रशासनिक सीमाओं में कार्य करने वाले अभिकर्ताओं को भी शामिल करना चाहिए। कुछ शहर प्रमुख निजी क्षेत्रकों और गैर–सरकारी हितधारकों से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में वे अहम भूमिका निभा सकता हैं।

कार्रवाइयों की पहचान करना और उनके लिए प्राथमिकता निर्धारित करना
एक प्रभावी योजना में शहरी विकास के अलग–अलग क्षेत्रकों के लिए विस्तृत और एकीकृत कार्रवाइयों की पहचान की जाती है। इसके बाद कार्रवाई के परिणाम को विभिन्न पैमानों पर आंका जाता है। कार्रवाइयों की प्राथमिकता का निर्धारण बहु–मानकों से संबंधित आकलन की पारदर्शी प्रक्रिया और शहर में जारी अन्य प्रयासों के साथ समन्वय के आधार पर किया जाता है। तत्पश्चात इसे नगरपालिका की सभी प्रक्रियाओं और कार्यकरण में शामिल करके संस्थागत रूप दिया जाता है।

कार्यान्वयन के लिए योजना तैयार करना
कार्य योजना में पर्याप्त विवरण के साथ–साथ उत्तरदायित्व का भी स्पष्ट रूप से निर्धारण किया जाना चाहिए। ताकि वे कार्रवाई–योग्य हों और वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त एजेंसी और संगठन द्वारा उन्हें कार्यान्वित किया जा सके।

- **चरम मौसमी घटनाएं: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** के आंकड़े दर्शाते हैं कि 1980 के दशक से अरब सागर में आने वाले चक्रवातों की संख्या और तीव्रता दोनों में वृद्धि हुई है। यह स्थिति घनी आबादी वाले तटीय क्षेत्र के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न करती है।
  - उदाहरण के लिए, ताउते चक्रवात ने पश्चिमी तट के सभी पांच राज्यों (केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात), द्वीपों और क्षेत्रों (लक्षद्वीप, आदि) को प्रभावित किया था।
- **खाद्य असुरक्षा में वृद्धि:** तटीय शहरों में जलवायु परिवर्तन से **फसल के पोषण और उपज दोनों में कमी हुई है।** साथ ही, **मछलियों की मात्रा में भी गिरावट आई है और पादपों एवं कीटों की प्रजातियों को भी नुकसान पहुंचा है।** (इन्फोग्राफिक देखें)

- **जैविक खतरे:** यहाँ वाहक जनित और जल जनित बीमारियां मुख्य समस्याएं हैं। साथ ही, उच्च तापमान और तटीय क्षेत्र में लम्बे समय तक रहने वाली आर्द्र दशाएं तटीय शहरों को अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्रभावित करती हैं। इस स्थिति के कारण यह क्षेत्र मच्छरों, कृन्तकों और प्रसारित होने वाले रोगों के वाहक अन्य जंतुओं लिए अधिक अनुकूल हो जाता है।
- **जीवों और संपत्ति के विनाश रोकने के लिए:** तटीय समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले दो मुख्य खतरे हैं- प्राकृतिक आपदाएं और तटरेखा का अपरदन। तटीय समुदाय को विशेष रूप से **तूफानों और सुनामी से अधिक खतरा रहता है।** साथ ही, वर्तमान में तटीय क्षत्रों में लोगों की बढ़ती संख्या के कारण इस प्रकार के खतरों से जान-माल की हानि होने की घटनाओं में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

जलवायु कार्य योजनाओं की दिशा में सरकार द्वारा की गई पहलें

- वर्ष 2009 में भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को **राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना** (NAPCC)[77] की रणनीति के अनुरूप **राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (SAPCC)** तैयार करने का निर्देश दिया था।
  - **ओडिशा जलवायु परिवर्तन कार्य योजना:** भारत में ओडिशा विस्तृत SAPCC तैयार करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है। इसका योजना के तहत **अनुकूलन संबंधी रणनीति** का उद्देश्य **सुभेद्यता में कमी करना और लचीलापन प्राप्त करना** है।
  - **मुंबई जलवायु कार्य योजना:** इसके योजना के तहत शमन और अनुकूलन संबंधी रणनीतियों के साथ जलवायु प्रत्यास्थता (climate resilience) पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है।
  - **गुजरात जलवायु परिवर्तन कार्य योजना:** इसका उद्देश्य **संधारणीय और जलवायु-प्रत्यास्थ भविष्य** का निर्माण करना है।
- **टिकाऊ तटीय प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (NCSCM)[78]:** इसकी स्थापना चेन्नई में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य तटीय और द्वीपों पर रहने वाले पारंपरिक समुदायों के लाभ और कल्याण के लिए **भारत में तटीय और समुद्री क्षेत्रों के एकीकृत और सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना** है।
- **राष्ट्रीय तटीय मिशन (NCM):** वर्ष 2019 में, MoEF&CC ने NAPCC के तहत NCM की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया था। इसका उद्देश्य अनुकूलन और शमन संबंधी उपायों के माध्यम से **तटीय और समुद्री पारितंत्र, तटीय क्षेत्रों में अवसंरचना और समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का समाधान करना है।** NCM के अंतर्गत **एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (ICZM)[79] परियोजना के सभी चरण शामिल होंगे।**
  - ICZM तटीय क्षेत्रों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक गतिशील, बहु-विषयक और क्रमबद्ध प्रक्रिया है।

इन प्रयासों के बावजूद भी तटीय शहर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक सुभेद्य बने हुए हैं। इस स्थिति को भारत के पूर्वी तट पर आए हालिया चक्रवातों से हुई हानि में देखा जा सकता है।

तटीय शहरों के लिए प्रभावी जलवायु कार्य योजना बनाने के लिए क्या किया जा सकता है?

- **उचित कार्यान्वयन और वित्तपोषण द्वारा सहायता:** तटीय शहरों के लिए जलवायु कार्य योजनाओं में लघु और दीर्घ अवधि वाली कार्यान्वयन योग्य कार्रवाई को स्पष्टता के साथ शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही, इन्हे आवश्यक वित्तीय, संस्थागत और नीतिगत समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए।
- **तटीय शहर जलवायु कार्य योजना निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत:** इसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और निम्न उत्सर्जन करने वाली विकासात्मक (या शमन) गतिविधियों को अपनाना है। साथ ही, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन प्राप्त करना और स्थानीय स्तर पर जलवायु के प्रति लचीलेपन को अपनाया जाना है। (इन्फोग्राफिक देखें)

---

[77] National Action Plan on Climate Change: NAPCC
[78] National Centre for Sustainable Coastal Management: NCSCM
[79] Integrated Coastal Zone Management: ICZM

- **तटीय जोखिम का आकलन करना:** इसके तहत तटीय डेटा के साथ-साथ भविष्य की जलवायु से संबंधित अनुमानों का उपयोग करके एक **कुशल तटीय जोखिम आकलन व्यवस्था को तैयार करना** चाहिए। यह हमें आपदा से बचने और समुद्री तट-रेखा को प्रत्यास्थ बनाने के संबंध में जानकारी प्रदान करेगा।

- **जलवायु सूचना सेवाओं (Climate Information Services: CIS) तक पहुँच में सुधार करना:** लोगों की CIS तक पहुंच संबंधी अभाव की स्थिति बनी हुई है। यह स्थिति भविष्य की परिस्थितियों के अनुसार योजना बनाने या तैयार रहने के लिए लोगों की सूचित निर्णय लेने की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। वर्तमान में लोगों द्वारा अत्यधिक मात्रा में सूचना का उपयोग और उसका साझाकरण किया जाता है। इसलिए CIS तक पहुँच में सुधार करना चाहिए, ताकि लोगों की सूचित निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हो सके।
- **क्षमता निर्माण:** जलवायु परिवर्तन का समाधान करना एक जटिल चुनौती है। इस संबंध में कार्रवाई के लिए शहर के कई सरकारी विभागों या एजेंसियों की भागीदारी के साथ-साथ राजनीतिक समर्थन भी अनिवार्य है। एक प्रभावी जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के लिए सभी क्षेत्रकों को शामिल करते हुए **व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है,** जिसमें अभिकर्ताओं द्वारा प्रशासनिक सीमाओं से परे समन्वय पूर्वक कार्य किया जाता हो। (इन्फोग्राफिक देखें)
- **तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ):** वर्तमान में चक्रवातों, बाढ़ आदि की बढ़ती आवृत्ति और गंभीरता एक मुख्य समस्या बन गई है। अतः जलवायु परिवर्तन और समुद्री जलस्तर में वृद्धि संबंधी वर्तमान वैश्विक चुनौती को देखते हुए वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर तटीय क्षेत्रों का विकास और प्रबंधन करना आवश्यक है। इसके लिए CRZ विनियमों का पालन करने की तत्काल आवश्यकता है।

निष्कर्ष

तटीय शहरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के काफी महत्वपूर्ण रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम होते हैं। इसलिए **जलवायु परिवर्तन, विकास संबंधी परियोजनाओं और जनसंख्या वृद्धि को जलवायु अनुकूलन और शमन नीति में शामिल करने** की तत्काल आवश्यकता है।

5.3. वायु प्रदूषण का मापन (Air Pollution Measurement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) वर्ष 2005 के बाद पहली बार **वैश्विक वायु प्रदूषण मानकों को सख्त करने वाला अपडेट जारी किया है।**

Pollutant	Averaging time	2005 AQGs	2021AQG level
$PM_{2.5}$ µg/m³	Annual	10	5
	24-hour	25	15
$Pm_{10,}$ µg/m³	Annual	20	15
	24-hour	50	45
$O_{3,}$ µg/m³	Annual	-	60
	Peak season	100	100
$NO_{2,}$ µg/m³	Annual	40	10
	24-hour	-	25
$SO_{2,}$ µg/m³	24-hour	20	40
CO, µg/m³	24-hour	-	4

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्ष 1987 से ही WHO द्वारा **समय-समय पर स्वास्थ्य आधारित वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देश (AQG)[80] जारी किए गए हैं।** इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण के संबंध में मानवीय जोखिम को कम करने में सरकारों और नागरिक समाज की सहायता करना है।
- WHO द्वारा वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देश को अंतिम बार वर्ष 2006 में **"वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश - वैश्विक अपडेट 2005"** नामक शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया था। तब से लेकर अब तक वायु प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के साक्ष्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये साक्ष्य वायु प्रदूषण के मापन और जोखिम संबंधी आकलन में हुई प्रगति पर आधारित हैं।
- **वैश्विक दिशा-निर्देशों के इस अपडेट का समग्र उद्देश्य** वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु स्वास्थ्य-आधारित मापन योग्य सिफारिशें करना है। इसके तहत कई प्रमुख वायु प्रदूषकों को उनकी लघु या दीर्घ अवधि आधारित सांद्रता के आधार पर व्यक्त किया गया है।
- इस दिशा-निर्देश से संबंधित अपडेट में अंतरिम लक्ष्यों के साथ-साथ AQG के स्तरों के संबंध में भी सिफारिशें तैयार की गई हैं, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है।

क्या आप जानते हैं?

OpenAQ एक गैर–लाभकारी संगठन है। यह संगठन वायु की गुणवत्ता से संबंधित सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध डेटाबेस के रखरखाव का कार्य करता है। इस डेटाबेस में वायु की गुणवत्ता से संबंधित वर्तमान और पूर्व में संग्रह किए गये कुल डेटा शामिल हैं। ये डेटा सरकारी एजेंसियों से वास्तविक समय के आधार पर एकत्रित किए जाते हैं।

[80] Air Quality Guidelines: AQG

- इन दिशा-निर्देशों में कुछ निश्चित प्रकार के कणिकीय पदार्थों (उदाहरण के लिए, ब्लैक कार्बन / एलिमेंटल कार्बन, अत्यंत सूक्ष्म कण और रेत एवं धूल भरी आंधी से उत्पन्न होने वाले कण) के **प्रबंधन के लिए बेहतर पद्धतियों** का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में इसके लिए वायु की गुणवत्ता संबंधी दिशा-निर्देशों का स्तर निर्धारित करने हेतु **मात्रात्मक साक्ष्य अपर्याप्त** हैं।
- वर्तमान दिशा-निर्देश **वैश्विक स्तर पर बाहरी और आंतरिक दोनों परिवेश** पर लागू होते हैं। हालांकि, प्रासंगिक प्रभाव और जोखिम न्यूनीकरण संबंधी नीतियों की अनूठी विशेषताओं के कारण इन दिशा-निर्देशों में रोजगार की दशाओं वाले परिवेशों (occupational settings) को शामिल नहीं किया गया है।

WHO के सभी दिशा-निर्देशों की तरह यह भी **कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।** AQG वस्तुतः साक्ष्य आधारित सूचना प्रदान करने वाला साधन है। यह **वायु प्रदूषकों के स्तर** और दुनिया भर में वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से होने वाली **बीमारियों को कम करने के लिए** नीति-निर्माताओं को कानून और नीतियों का निर्माण करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है।

भारत में वायु प्रदूषण का मापन और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ इसकी तुलना

- **वायु निगरानी नेटवर्क और इसमें शामिल एजेंसियां:** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने **वर्ष 1984** में आगरा और अनपरा के 7 स्टेशनों पर **राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी (NAAQM)[81] कार्यक्रम** को आरंभ किया था। बाद में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर **राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (NAMP)[82]** कर दिया गया।
  - इस नेटवर्क के तहत वर्तमान में देश के 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित **804 ऑपरेटिंग स्टेशन** शामिल हैं।
  - यह निगरानी निम्नलिखित संस्थाओं की सहायता से की जा रही है:
    - **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;**
    - **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;**
    - **प्रदूषण नियंत्रण समितियों;**
    - **राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर।**
  - CPCB द्वारा **वायु गुणवत्ता डेटा के संबंध में एकरूपता व सुसंगतता सुनिश्चित करने** के लिए इन संस्थाओं के साथ समन्वय किया जाता है। साथ ही, यह इन संस्थाओं को निगरानी स्टेशनों के संचालन के लिए **तकनीकी और वित्तीय सहायता भी प्रदान करता** है।
- **वायु गुणवत्ता मानक:** NAAQS (राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक) के रूप में CPCB के वायु गुणवत्ता मानक में अग्रलिखित **12 मापदंड शामिल हैं-** कार्बन मोनोऑक्साइड (CO); नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2); सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2); 2.5 माइक्रोन से छोटे कणिकीय पदार्थ (PM2.5), 10 माइक्रोन से छोटे कणिकीय पदार्थ (PM10); ओजोन (O_3); लेड (Pb); अमोनिया (NH_3); बेंजो(a) पाइरीन (BaP); बेंजीन (C_6H_6); आर्सेनिक (As); और निकल (Ni)}।

Pollutant	SO_2	NO_2	$PM_{2.5}$	PM_{10}	O_3		$CO (mg/m^3)$		Pb	NH_3
Averaging time (HR)	24	24	24	24	1	8	1	8	24	24
Standard	80	80	60	100	180	100	4	2	1	400

  - NAAQS वस्तुतः **WHO के मौजूदा मानकों (वर्ष 2005 के दिशा-निर्देश)** को पूरा नहीं करते हैं और साथ ही जारी किये गए दिशा-निर्देश संबंधी अपडेट से भी काफी अलग हैं। उदाहरण के लिए, **NAAQS वर्ष 2009 में अपने संशोधित दिशा-निर्देश के तहत 24 घंटे की अवधि हेतु PM10 और 100 के लिए 60 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर की वार्षिक सीमा** निर्धारित करता है। **WHO के संशोधित दिशा-निर्देशों में इसकी सीमा क्रमशः 15 और 45 निर्धारित की गयी है।**

वायु प्रदूषण का मापन क्यों आवश्यक है?

- **प्रदूषकों के स्तर का आकलन करने हेतु:** प्रदूषकों के स्तर का मापन करने से आस-पास के वायु (ambient air) गुणवत्ता मानकों के संबंध में प्रदूषण के स्तर का आकलन करने में सहायता मिलती है।
- **प्रभावी रणनीतियाँ तैयार करने हेतु:** वायु प्रदूषण में कमी करने से संबंधित रणनीतियों का निर्माण करने के लिए वायु प्रदूषकों की निगरानी करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन रणनीतियों को वायु प्रदूषण में कमी करने में सबसे कुशल और प्रभावी होना चाहिए। इसलिए इसके तहत सबसे खराब वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों को लक्षित करना चाहिए और सबसे अधिक प्रदूषणकारी स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
  - यह **वायु गुणवत्ता का पूर्वानुमान लगाने** (अर्थात् वायु में प्रदूषकों के व्यवहार की निगरानी) में भी सहायता करता है। साथ ही, यह वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए वैकल्पिक रणनीतियों में शामिल दुविधाओं का मूल्यांकन करने में भी सहायता करता है।

---

[81] National Ambient Air Quality Monitoring: NAAQM
[82] National Air Quality Monitoring Programme: NAMP

©Vision IAS

- **मानकों के प्रवर्तन हेतु:** यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि किस सीमा तक कानूनी मानकों और मौजूदा मानदंडों का पालन किया जा रहा है। साथ ही, यह दोषपूर्ण मानकों और अपर्याप्त निगरानी कार्यक्रमों की पहचान करने में भी सहायता करता है।
- **प्रभाव का आकलन करने हेतु:** वायु प्रदूषण मापन की सहायता से विश्लेषक और अन्य हितधारक नीतियों के परिणामस्वरूप आए परिवर्तनों को बेहतर रूप से समझ सकते हैं और नीतियों में आवश्यकतानुसार उपयुक्त बदलाव भी कर सकते हैं।
- **लोगों को सचेत करने हेतु:** वायु प्रदूषण मापन से जनता को वायु प्रदूषण से संबंधित खतरों के बारे में सूचना प्रदान करने की क्षमता में सुधार होता है। इस प्रकार नए और अधिक कुशल वायु प्रदूषण का मापन करने वाले साधनों के विकास से जनता और पर्यावरण के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार करने में सहायता मिल सकती है।
- **वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु:** डेटा के वृहद समूहों को समझने योग्य रूप प्रदान करने से शोधकर्ताओं को पर्यावरणीय परिघटनाओं का अध्ययन करते समय बेहतर अंतर्दृष्टि मिलती है।

वायु प्रदूषण मापन की सीमाएं

- **व्यापकता का अभाव:** भारत में वायु गुणवत्ता संबंधी निगरानी की व्यापकता का अभाव है। यह स्थिति इसलिए है क्योंकि भारत में वायु गुणवत्ता संबंधी निगरानी मुख्य रूप से कुल 5,000 शहरों और कस्बों में से लगभग 344 शहरों/कस्बों में ही की जा रही है।
- **अनिश्चितता और पूर्वाग्रह:** नमूना एकत्र करने, रासायनिक विश्लेषण और डेटा रिपोर्टिंग करने में विभिन्न निगरानी एजेंसियों, कर्मियों और उपकरणों की भागीदारी से प्रक्रिया में अनिश्चितता और पूर्वाग्रह की स्थिति उत्पन्न होती है।
- **परिचालन में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना:** निगरानी स्टेशनों का कार्य विभिन्न तकनीकी और परिचालन संबंधी पहलुओं के कारण बाधित हो सकता है। यह व्यवधान लम्बे समय तक बिजली कटौती और रखरखाव संबंधी समस्याओं के कारण हो सकता है। इससे निगरानी स्टेशनों से डेटा का निरंतर प्रवाह और प्रसार बाधित होता है।
- **वास्तविक समय आधारित डेटा प्राप्त करने में विलम्ब:** ग्रीनपीस इंडिया के अनुसार, कई शहरों में वास्तविक समय आधारित (रीयल-टाइम) डेटा जारी करने वाले वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का अभाव है। इसके कारण वायु प्रदूषण संबंधी डेटा की उपलब्धता में पर्याप्त अंतराल बना हुआ है। कई स्थानों पर मैनुअल वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन होने के कारण परिणाम प्राप्त होने में लगभग तीन दिन लग जाते हैं।

आगे की राह

पिछले दशकों में निगरानी करने संबंधी अवसंरचना में कई गुना वृद्धि हुई है। लेकिन कई मामलों में अभी भी यह अपने आरंभिक स्तर पर ही है। मापन संबंधी रूपरेखा की प्रभाविता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक है:

  - अनिवार्य रूप से मानकों को निरंतर अपडेट करना,
  - डेटा एकत्र करने की तकनीक अधिक सटीक होनी चाहिए,
  - डेटा एकत्र करने के स्रोतों में विविधता लानी होगी, और
  - सबसे महत्वपूर्ण, इस प्रकार के डेटा के महत्व और उद्देश्यों के बारे में अधिक जागरूकता उत्पन्न करनी होगी।

संबंधित तथ्य

शून्य अभियान:

- यह उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ सहयोग से **शून्य-प्रदूषण उत्पन्न करने वाले डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा** देने वाली एक पहल है।
  - इस अभियान का उद्देश्य शहरों में डिलीवरी करने वाले खंड में **इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना** है। साथ ही, शून्य-प्रदूषण डिलीवरी से संबंधित लाभों के बारे में **उपभोक्ताओं में जागरूकता** भी उत्पन्न करना है।
- यह अभियान **नीति आयोग**, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (RMI), और RMI इंडिया द्वारा आरम्भ किया गया है।

उच्चतम न्यायालय ने प्रतिबंधित पटाखों के उपयोग पर सवाल उठाए:

- उच्चतम न्यायालय ने **पटाखों में बेरियम जैसे विषैले तत्वों पर प्रतिबंध लगाने वाले अपने वर्ष 2018 के निर्णय की भावना का उल्लंघन करने हेतु** पटाखा विनिर्माताओं को फटकार लगाई है।
- **न्यायालय ने वर्ष 2018** में पटाखों के संबंध अपने निर्णय के तहत **लड़ियों वाले पटाखों के विनिर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था।** उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय इन पटाखों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और इनसे उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की समस्या के कारण दिया था।
  - साथ ही, उच्चतम न्यायालय ने पटाखों में कुछ रसायनों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया था। इनमें बेरियम (यह हरा रंग प्रदान करता है), लिथियम (लाल), आर्सेनिक, सुरमा (चमक के लिए), सीसा या पारा और स्ट्रोंशियम क्रोमेट जैसे रसायन शामिल थे।
- हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने केवल **"हरित"** (सुरक्षित जल और वायु स्प्रिंकलर जो कम ध्वनि और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं) या **"उन्नत" पटाखों** (जो भरण सामग्री के रूप में राख का उपयोग नहीं करते हैं) के **विनिर्माण और बिक्री की अनुमति** दी थी।

5.4. चक्रीय प्लास्टिक अर्थव्यवस्था (Circular Plastic Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्लास्टिक के लिए एक चक्रीय व्यवस्था[83] बनाने हेतु **प्लास्टिक समझौता** आरंभ करने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया है।

भारत प्लास्टिक समझौते (India Plastics Pact: IPP) के बारे में

- इंडिया प्लास्टिक पैक्ट को **वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया (WWF-India)** और **भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)** के सहयोग से आरम्भ किया गया है।
- इस पहल का उद्देश्य वर्तमान **रैखिक (linear)** प्लास्टिक प्रणाली को एक **चक्रीय (circular)** प्लास्टिक अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसके लिए यह पहल **समयबद्ध लक्ष्य-आधारित प्रतिबद्धताओं** को निर्धारित करने हेतु संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के सभी हितधारकों को एकजुट करती है।
- IIP के विज़न, लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं वस्तुतः **'एलेन मैकआर्थर फाउंडेशन** की **नई प्लास्टिक अर्थव्यवस्था की चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप** हैं। इस सिद्धांत में यह कहा गया है कि *"प्लास्टिक कभी अपशिष्ट नहीं होता।"*
    - **प्लास्टिक समझौता मॉडल** को वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में लागू किया गया है।
- इस समझौते को नई तकनीकें प्रदान करने में यू.के. रिसर्च एंड इनोवेशन (UKRI) और वर्ल्डवाइड रिस्पॉन्सिबल एक्रेडिटेड प्रोडक्शन (WRAP) सहायता प्रदान कर रहा है। साथ ही, यह भारत में ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा समर्थित भी है।

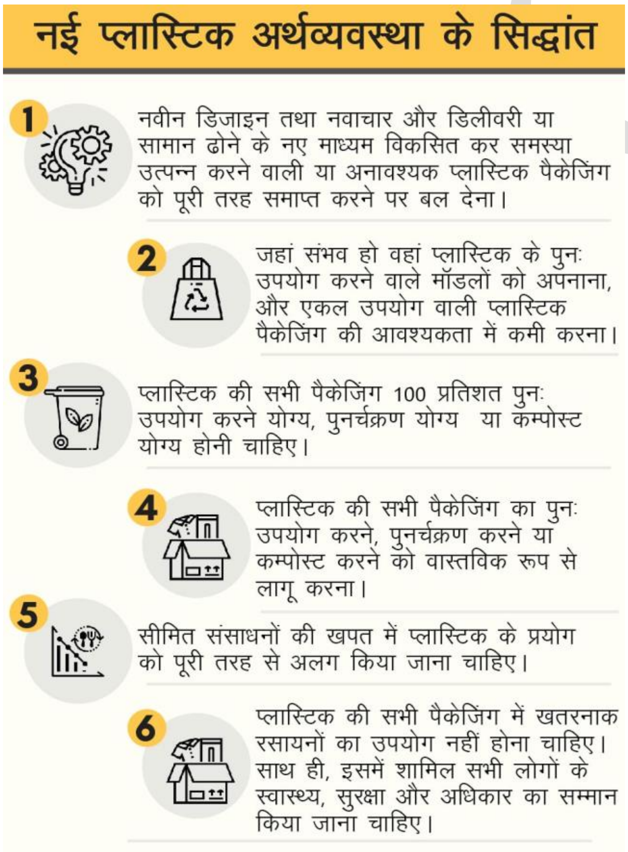

[83] circular system

चक्रीय प्लास्टिक अर्थव्यवस्था का महत्व

चक्रीय अर्थव्यवस्था में ग्राहक तक उत्पाद के पहुंचने से पहले और बाद तक की यात्रा के प्रत्येक चरण को महत्व प्रदान किया जाता है। यह दृष्टिकोण न केवल प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण होता है बल्कि यह आर्थिक, सामाजिक और जलवायु संबंधी महत्वपूर्ण लाभ भी प्रदान करता है।

भारत में प्लास्टिक पुनर्चक्रण (recycling) के समक्ष चुनौतियां

- **जागरूकता में कमी** के कारण सभी प्रकार के कचरे को एक साथ मिश्रित कर दिया जाता है।
- प्लास्टिक अपने घनत्व के कारण **अधिक स्थान घेरता है और इसके परिवहन में भी दोगुना व्यय होता है।**
- **मिथकों और पुनर्चक्रित प्लास्टिक उत्पादों की बाजार में कम स्वीकृति के कारण** प्लास्टिक कचरे को लैंडफिल में डाल दिया जाता है।
- **प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करने से पहले उसे हाथों से अलग किया जाना अनिवार्य होता है।** इस संबंध में अवसंरचना और सरकारी नीतियों का अभाव है।

क्या आप जानते हैं?

प्लास्टिक उद्योग को आर्थिक संवृद्धि में बड़ा योगदानकर्ता माना जाता है। वर्ष 2020 में, भारत द्वारा 7 बिलियन डॉलर मूल्य का प्लास्टिक निर्यात किया गया और इसमें अगले 5 वर्षों में दोगुना वृद्धि होने की उम्मीद है।

- अलग किए गए कचरे की सुनिश्चित मात्रा और तकनीकी जानकारी की कमी एवं कानून के अनुपालन आदि के कारण **पुनर्चक्रण करने संबंधी उद्यम लाभकारी नहीं होते है।**
- **अनुसंधान एवं विकास में निवेश की कमी से तकनीकी नवाचार की सीमित स्थिति:** उदाहरण के लिए, बहुस्तरीय पैकेजिंग (MLPs)[84] का पुनर्चक्रण करना महंगा होता है। MLPs की विभिन्न परतें आपस में चिपकी होती हैं जिसके कारण इनकी परतों को अलग करना मुश्किल हो जाता है। इसके विपरीत प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करने वालों के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने की दृष्टि से एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक घटिया स्तर की होती है।
- **कोविड के कारण बढ़ी हुई जटिलताएं:** इस रोग के संचरण के भय ने हमारी जीवन शैली में अति-स्वच्छता पूर्वक रहने वाले घटक को शामिल भी किया और इसमें सुधार भी किया है। इसके कारण प्लास्टिक पैकिंग वाले खाद्य पदार्थ और किराने के सामान की मांग में वृद्धि हुई है और साथ ही डिस्पोजेबल बर्तनों के उपयोग में भी वृद्धि हुई है।

चक्रीय प्लास्टिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016** के अनुसार, प्लास्टिक कचरे/अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रह, प्रसंस्करण और निपटान के लिए अवसंरचना विकसित करने का उत्तरदायित्व प्रत्येक स्थानीय निकाय का होगा।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018** के तहत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)[85] को आरम्भ किया गया। यह उपभोक्ता द्वारा उत्पाद का उपयोग करने के बाद प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए निर्माता को उत्तरदायी बनाता है।
- **हाल ही में सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021** को अधिसूचित किया है। इसके तहत वर्ष 2022 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं को प्रतिबंधित किया जाना है। साथ ही, इसके तहत सितंबर, 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 से 75 माइक्रोन और दिसंबर, 2022 से 120 माइक्रोन तक बढ़ाया जाना निर्धारित किया गया है।
- हाल ही में उच्चतर शिक्षण संस्थानों के छात्रों और स्टार्ट-अप इंडिया पहल के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के लिए **इंडिया प्लास्टिक चैलेंज - हैकाथॉन 2021** का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य निर्धारित की गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्पों का विकास करने में नवाचार को और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए डिजिटल समाधान को प्रोत्साहित करना है।

प्लास्टिक की चक्रीय अर्थव्यवस्था के सफल कार्यान्वयन हेतु आगे की राह

- **4R सिद्धांत** {Reduce (कमी करना), Reuse (पुनः उपयोग करना), Recycle (पुनर्चक्रण करना), और Recover (पुनः प्राप्त करना)} **पर आधारित संधारणीय विकल्प:** उदाहरण के लिए, चक्रीय अर्थव्यवस्था के नेटवर्क में प्लास्टिक को वापस लाने के लिए वापसी खरीद (buyback) योजनाएं और वैकल्पिक पैकेजिंग के रूप में कृषि अवशेषों का उपयोग करने जैसी पहलों को प्रोत्साहित करना होगा। इनका लक्ष्य पराली दहन के साथ-साथ पर्यावरण में प्लास्टिक की मात्रा को कम करना है।
- जैव-निम्नीकरण से संबंधित विकल्पों को व्यापक पैमाने पर अपनाया जाना और उनके उपयोग को किफायती बनाना चाहिए। इसके लिए **विनियमन द्वारा समर्थित एक प्रोत्साहन संरचना का निर्माण करना चाहिए।**

---

[84] Multi Layered Packaging: MLPs

[85] Extended Producer Responsibility: EPR

* **कचरा प्रबंधन पद्धतियों को मजबूत करना आवश्यक है।** शहरों में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (Material Recovery Facilities) के माध्यम से अपशिष्ट का पृथक संग्रहण और प्रसंस्करण करना चाहिए।
    * बेंगलुरू नगर पालिका द्वारा सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (सूखा कचरा संग्रहण केंद्र) को स्थापित किया गया है। इन सुविधाओं में प्लास्टिक के पुनर्चक्रण योग्य कचरे को पूर्व-निर्धारित दरों पर बेचा जा सकता है।

प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी करने और उसका पुनर्चक्रण करने के लिए की गई रचनात्मक पहलें

इंडोनेशिया
यहाँ के एक शहर में एक नई नीति आरंभ की गई है। इसके तहत, यूज़ हो चुके प्लास्टिक की बोतल को एकत्रित किया जाता है और उसके बदले में उपभोक्ता को पूरे शहर में मुफ़्त बस यात्रा करने का मौका मिलता है।

यूनाइटेड किंगडम
यहाँ प्लास्टिक के उत्पादन और आयात पर प्लास्टिक पैकेजिंग कर लगाया गया है। इसका उद्देश्य उत्पादकों को पुनर्चक्रण किए गए पैकेजिंग उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

साउथ कोरिया
यहाँ सुपरमार्केट, किराना स्टोर और कैफे में "प्रीसाइक्लिंग" अभ्यास (अर्थात् स्वयं के मग और पुनः यूज़ किए जाने वाले बैग लाना) से डिस्पोजेबल की खपत पर अंकुश लगाया जा रहा है।

जोमैटो
पहले जोमैटो ऐप से ऑर्डर करने पर इसमें मौजूद एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन स्वतः कटलरी का भी अनुरोध कर देता था। अब जोमैटो स्वतः कटलरी, टिशू और स्ट्रॉ का विकल्प नहीं दे रहा है। हालांकि जरूरत पड़ने पर ग्राहक इन चीजों के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और फिर डिस्पोजेबल कटलरी भेजी जाएगी।

* **प्लास्टिक अपशिष्ट का बेहतर पुनः प्रयोग करना:** गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक का उपयोग सड़कें बनाने या उनसे ऊर्जा प्राप्त करने में करना चाहिए। साथ ही, इनका उपयोग जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करने के लिए एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है।
* गुणवत्ता नियंत्रण हेतु **भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा डिजाइन संबंधी मापदंड विकसित** किया जाना चाहिए। साथ ही, पुनर्चक्रित कच्चे माल से निर्मित उत्पादों के लिए बाजार का सृजन करना चाहिए।
* राज्य के शहरी विकास निकायों के साथ आम सहमति से **विस्तारित उत्पादक दायित्व संबंधी नीतियों को सख्ती से लागू** किया जाना चाहिए।

5.5. नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (Renewable Energy Certificate: REC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विद्युत मंत्रालय ने हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (REC) तंत्र को नया स्वरूप दिया है।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र (REC) व्यवस्था का सृजन क्यों करना पड़ा?

* देश में नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **विद्युत अधिनियम, 2003** के तहत **राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERC)** को संबंधित राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था।
* इसके तहत, **SERCs** ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) हेतु उनकी कुल ऊर्जा संबंधी आवश्यकता का निश्चित प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया। इस लक्ष्य को **नवीकरणीय खरीद दायित्व (Renewable Purchase Obligation: RPO)** कहा जाता है।
* यह स्थिति नवीकरणीय ऊर्जा की प्रचुर मात्रा वाले राज्यों के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न करती है। क्योंकि ऐसे राज्य अपनी अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत का विक्रय उन राज्यों को नहीं कर सकते हैं जिनके पास पर्याप्त संख्या में नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत नहीं है। इस प्रकार यह स्थिति नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत के अंतर–राज्य बिक्री को बाधित करती है।

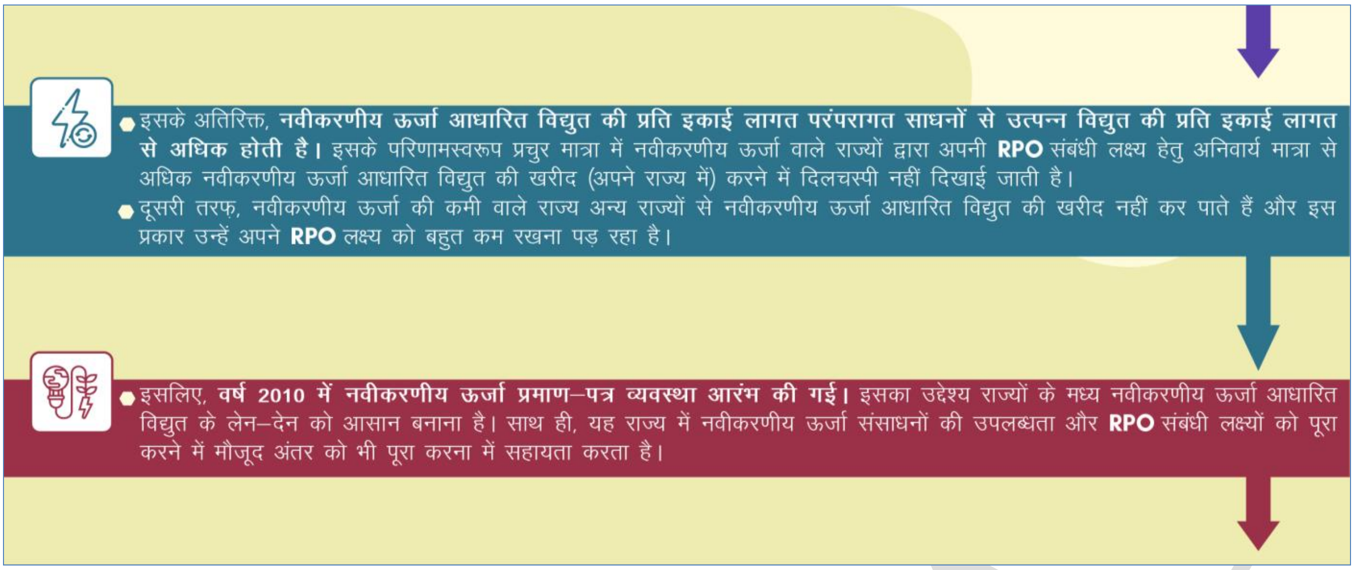

नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (REC) के बारे में

- नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र को **नवीकरणीय ऊर्जा क्रेडिट** भी कहा जाता है। यह एक **बाजार आधारित लिखत या साधन (इंस्ट्रूमेंट)** है। ज्ञातव्य है कि REC का धारक कानूनी रूप से नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने का दावा कर सकता है।
- **एक नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र 1 मेगावाट घंटे (MWh) के बराबर होता है।** दूसरे शब्दों में, यह नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन से उत्पन्न एक मेगावाट-घंटे की विद्युत से संबंधित पर्यावरणीय लाभों का प्रतिनिधित्व करता है।
- **RECs की निम्नलिखित दो श्रेणियां हैं:**
    - **सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र:** यह प्रमाण-पत्र पात्र संस्थाओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा आधारित विद्युत के उत्पादन के लिए जारी किया जाता है।
    - **गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र:** यह प्रमाण-पत्र पात्र संस्थाओं को सौर ऊर्जा के अलावा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत के उत्पादन के लिए जारी किया जाता है।
- समय-समय पर केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) द्वारा निर्धारित उच्चतम मूल्य (forbearance price) और न्यूनतम मूल्य (floor price) के भीतर RECs का लेन-देन पावर एक्सचेंज में होता है।
- **राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (NLDC)**[86] नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन सुविधाओं के पंजीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र जारी करने आदि के लिए उत्तरदायी है।
- REC को खरीदने के लिए विद्युत वितरण कंपनियां (यानी डिस्कॉम्स), ओपन एक्सेस उपभोक्ता, कैप्टिव पावर प्लांट (CPPs) आदि पात्र हैं।

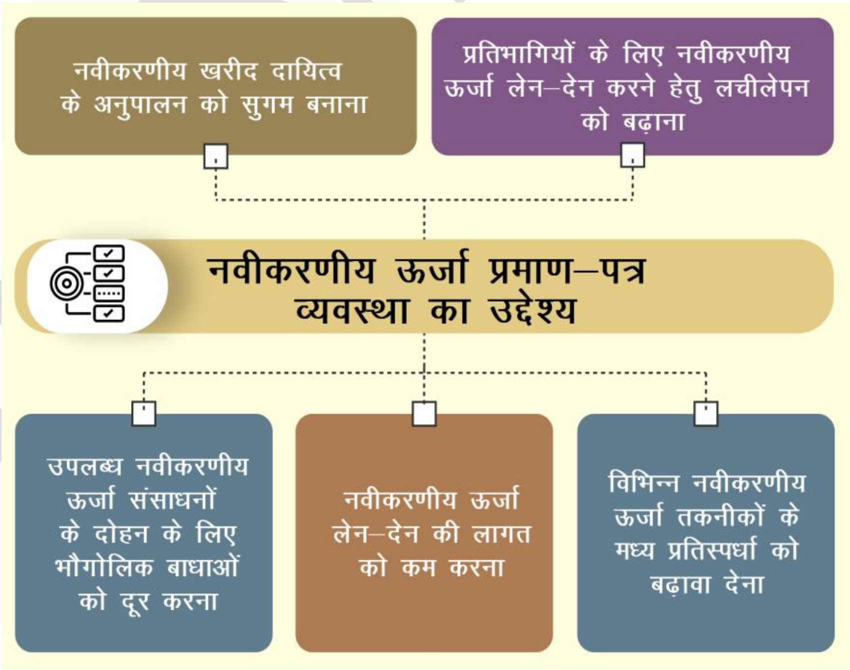

REC तंत्र को नया स्वरूप देने की आवश्यकता

- **वर्तमान में विद्युत से संबंधित परिदृश्य में उभरते परिवर्तनों के साथ समन्वय करने के लिए:**
    - वर्तमान में तकनीकी प्रगति, आकारिक मितव्ययिता (economies of scale) और बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण सौर फोटोवोल्टिक आदि जैसी प्रौद्योगिकियों के विकास के परिणामस्वरूप **सौर** और **पवन ऊर्जा के मूल्यों में गिरावट** आई है। हालांकि, आरंभिक चरण में इन प्रौद्योगिकियों से उत्पादित ऊर्जा का मूल्य अधिक था।

---

[86] National Load Despatch Centre: NLDC

- **नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों (REMCs)**[87] की स्थापना बेहतर पूर्वानुमान लगाने और नियोजन (प्लानिंग) करने के लिए की गई है।
- **पवार एक्सचेंज निम्नलिखित विभिन्न उत्पादों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित विद्युत को बेचने और खरीदने के लिए REC तंत्र के अतिरिक्त एक वैकल्पिक तंत्र प्रदान करता है:**
  - डे अहेड मार्केट (DAM),
  - टर्म अहेड मार्केट (TAM),
  - ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (GTAM), और
  - रियल टाइम मार्केट (RTM)।

- अपतटीय क्षेत्र में निर्मित विंड फार्म, पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर स्टेशन, हाइड्रोजन इत्यादि जैसी **नई और उच्च लागत वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना चाहिए**, ताकि भविष्य की ऊर्जा संबंधी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
- **REC बाजार से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना:**
  - **मांग से अधिक आपूर्ति होने के चलते REC के मूल्य में** वर्ष 2011-20 के दौरान काफी कमी देखी गयी। अधिकतर समय यह न्यूनतम मूल्य सीमा {15 अमेरिकी डॉलर से 28 अमेरिकी डॉलर प्रति मेगावाट घंटा (MWh)} के आस-पास रहा था।
  - **नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO) अनुपालन में पिछड़ना:** 31 राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में से लगभग 20 के द्वारा वित्त वर्ष 2020 में अपने RPO लक्ष्य का 50% से भी कम हिस्से को पूरा किया गया। इसके परिणामस्वरूप REC की समग्र मांग प्रभावित हुई है।

संशोधित नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र व्यवस्था में किए गए बदलाव हैं:

- **नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र उस समय तक वैध है** जब तक उसे बेचा नहीं जाता। (वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र की वैधता 3 वर्ष तक है।)
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र की **न्यूनतम और अधिकतम मूल्य वाली व्यवस्था का समापन।**
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्रों की जमाखोरी को रोकने हेतु **निगरानी और निरीक्षण की व्यवस्था।**
- **विद्युत खरीद अनुबंध (Power Purchase Agreement: PPA) की अवधि के लिए पात्र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा।** (वर्तमान में यह प्रावधान है कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र के लिए पात्र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को 25 वर्ष के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र मिलता रहेगा।)
- नई और उच्च मूल्य वाली नवीकरणीय ऊर्जा **तकनीकों के प्रोत्साहन के लिए उपायों की व्यवस्था।**
- बाध्य संस्थाओं की उनके **नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO) लक्ष्य** से ज़्यादा के लिए भी नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र जारी किया जा सकता है।
- सब्सिडी/रियायत या किसी अन्य शुल्क में छूट लेने वाले लाभार्थी को कोई नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र व्यवस्था में ट्रेडर्स के साथ–साथ द्विपक्षीय लेन–देन की अनुमति दी गयी है।

निष्कर्ष

भारत में ऊर्जा मिश्रण जीवाश्म ईंधन के प्रभुत्व से गैर-जीवाश्म ईंधन हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ तेजी से बदल रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर बल देते हुए, अखिल भारतीय बाजार-आधारित REC तंत्र आरंभ किया गया और इसने बहुत ही कम समय में सफलता भी प्राप्त की है।

इसलिए वर्तमान REC रूपरेखा को भी नवीकरणीय ऊर्जा बाजार की बढ़ती मांग और जलवायु परिवर्तन संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए समय-समय पर संशोधित करने की आवश्यकता है।

5.6. मेथनॉल अर्थव्यवस्था (Methanol Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित 'उच्च राख कोयला गैसीकरण-आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र' को हैदराबाद स्थित BHEL अनुसंधान एवं विकास केंद्र में आरंभ किया गया है।

---

[87] Renewable Energy Management Centres: REMCs

मेथनॉल अर्थव्यवस्था के बारे में

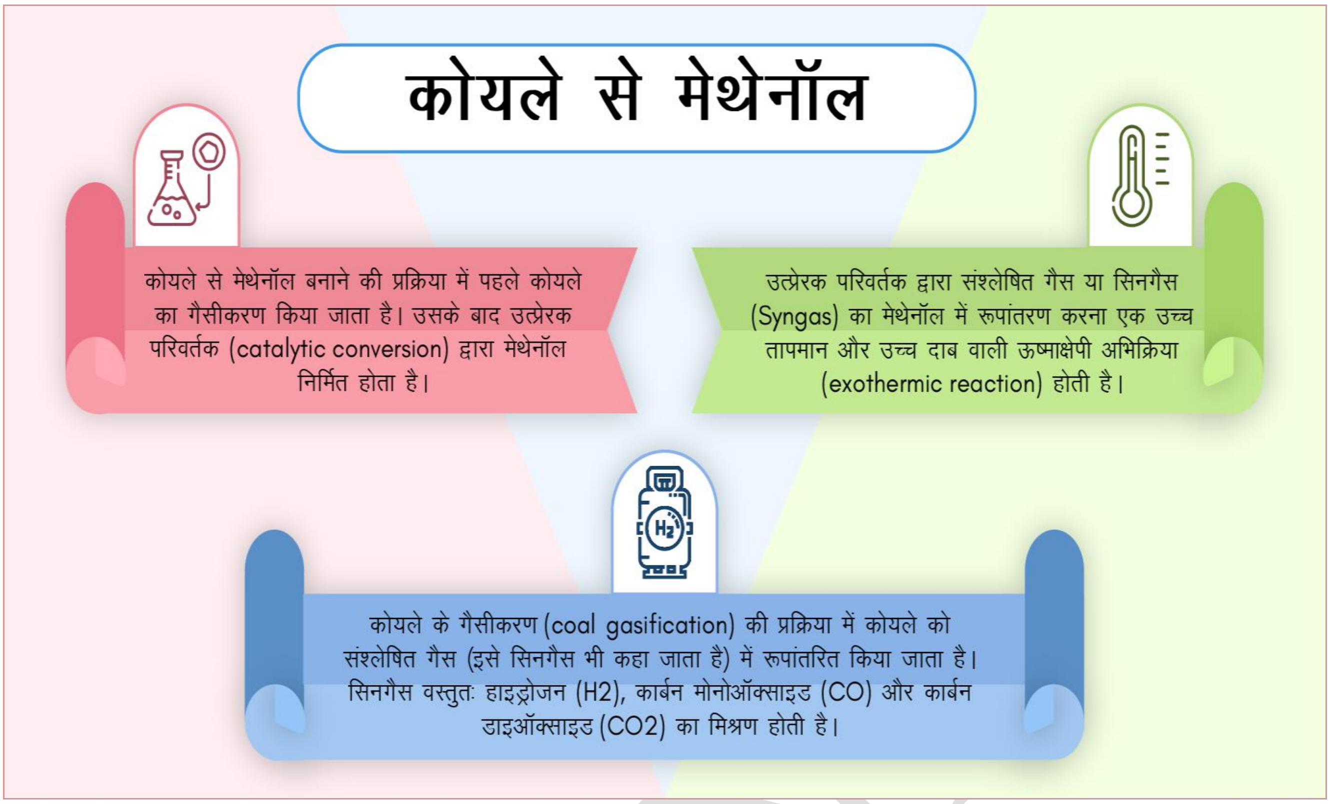

मेथनॉल अर्थव्यवस्था **तेल और कोयले पर निर्भरता को मेथनॉल से प्रतिस्थापित करने की अवधारणा पर आधारित** है। इसके **निम्नलिखित लाभ** हैं:

- **ऊर्जा सुरक्षा:** पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम ऊर्जा मान होने के बावजूद मेथनॉल निम्नलिखित के मामले में इन दोनों ईंधनों का स्थान ले सकता है:
  - परिवहन क्षेत्रक (सड़क, रेल और समुद्री);
  - ऊर्जा क्षेत्रक (इसमें डीजल जेनरेटर सेट, बॉयलर, प्रोसेस हीटिंग मॉड्यूल, ट्रैक्टर और कमर्शियल वाहन शामिल हैं);
  - खुदरा स्तर पर खाना पकाने के लिए {LPG (आंशिक रूप से), मिट्टी के तेल और लकड़ी के चारकोल की जगह उपयोग करना}; और
  - डाइमिथाइल ईथर (DME) के गैसीय रूप को LPG के साथ मिश्रित किया जा सकता है और यह बड़ी बसों और ट्रकों के लिए डीजल का एक उत्तम विकल्प हो सकता है।
- **आयात पर निर्भरता में कमी:**
  - मेथनॉल और DME वस्तुतः पेट्रोल व डीजल की तुलना में काफी सस्ते होते हैं। इस प्रकार इनके माध्यम से भारत वर्ष 2030 तक ईंधन आयात संबंधी लागत में 30% की कमी कर सकता है।
  - गैसोलीन में 15% मेथनॉल के सम्मिश्रण से गैसोलीन/कच्चे तेल के आयात में कम से कम 15% की कमी लाई जा सकती है।
  - गैसोलीन के साथ मेथनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम से आने वाले 3 वर्षों में भारत के ईंधन आयात लागत में वार्षिक रूप से कम से कम 5,000 करोड़ रुपये की कमी होगी।
- **सस्ता और दक्ष ईंधन:**
  - मेथनॉल को अपनाने से भारत के पास अपना स्वदेशी ईंधन लगभग 19 रुपये प्रति लीटर के मूल्य पर उपलब्ध होगा। यह किसी भी उपलब्ध ईंधन से प्रति लीटर कम से कम 30% सस्ता हो सकता है।
  - ईंधन के रूप में मेथनॉल में कई महत्वपूर्ण गुण होता है। ये गुण इसे स्पार्क-इग्निशन इंजन हेतु एक बेहतर ईंधन बनाते हैं, क्योंकि मेथनॉल की उच्च ऑक्टेन संख्या और बेहतर दक्षता होती है।

VISION

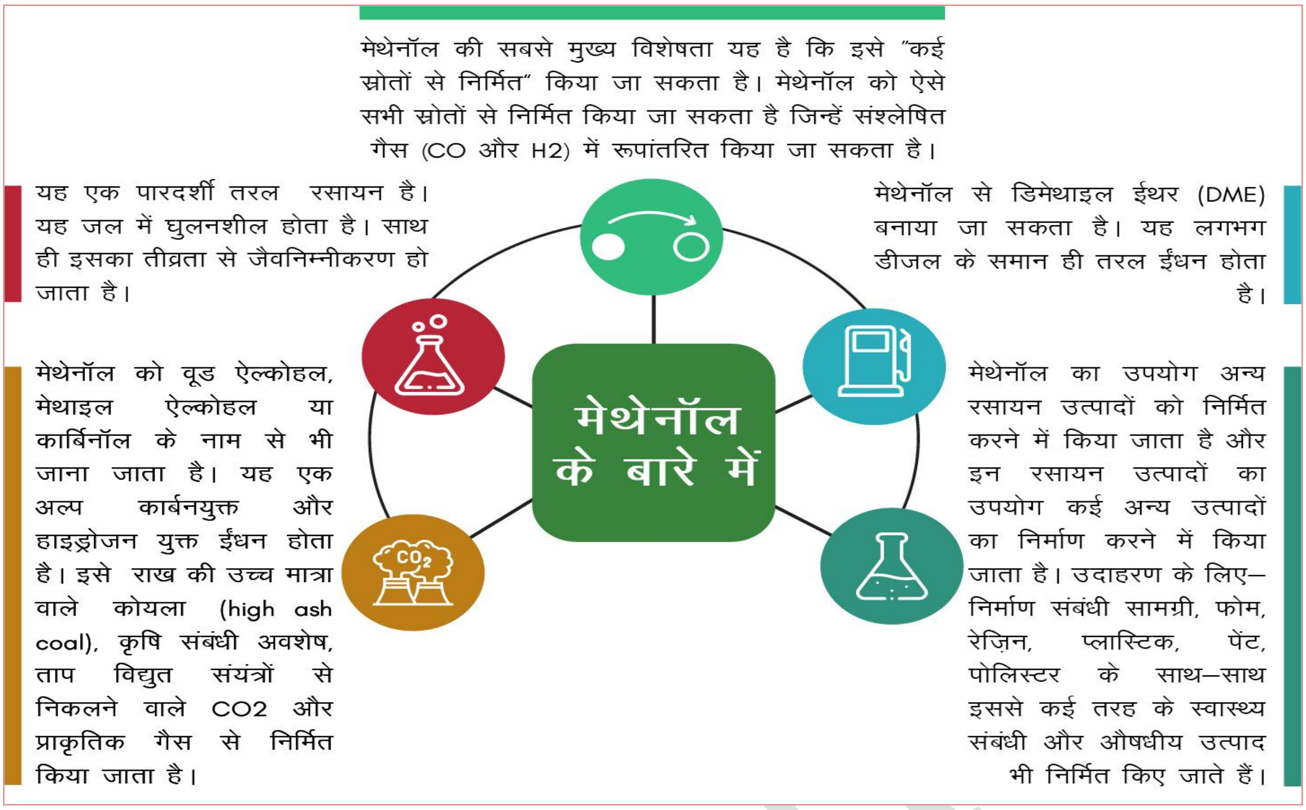

मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन:
- स्वदेशी रूप से ईंधन का उत्पादन करने और ऑटोमोबाइल क्षेत्रक के विकास से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि होगी। साथ ही, मेथनॉल आधारित उद्योगों में निवेश की भी वृद्धि होगी।
- मेथनॉल अर्थव्यवस्था के तहत मेथनॉल उत्पादन/अनुप्रयोग और वितरण सेवाओं के माध्यम से भी लगभग 50 लाख रोजगार का सृजन होगा।

- **लगभग शून्य प्रदूषण:**
  - मेथनॉल का दहन सभी आंतरिक दहन इंजनों में कुशलता से होता है। इसलिए इसके दहन से कणिकीय पदार्थ, कालिख आदि का उत्सर्जन नहीं होता है। साथ ही, इससे लगभग नगण्य मात्रा में SOx और NOx का उत्सर्जन होता है।
  - पेट्रोल में 15% मेथनॉल का मिश्रण करने से प्रदूषण में 33% की कमी होगी। साथ ही, डीजल के स्थान पर मेथनॉल के उपयोग से प्रदूषण में 80% से अधिक की कमी होगी।
  - COP-21 के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए यह एक बेहतर विकल्प है।

मेथनॉल अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां
- **भारतीय कोयले में राख की उच्च मात्रा होती है।** इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुलभ अधिकांश तकनीकें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगी।
- **भारत में प्राकृतिक गैस का अधिक भंडार नहीं है।** इसलिए भारत को आयातित प्राकृतिक गैस से मेथनॉल का उत्पादन करने से विदेशी मुद्रा का व्यय होगा। साथ ही, कभी-कभी प्राकृतिक गैस के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण भी यह आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होगा।
- परिवहन ईंधन में लंबे समय तक मेथनॉल के उपयोग को लेकर विभिन्न चिंताएं व्यक्त की गई हैं। इसमें **संक्षारण और इंजन की सामग्री के साथ इसका तालमेल, निम्न ऊर्जा मान, आग लगने का जोखिम और विषाक्तता आदि से संबंधित चिंताएं** शामिल हैं।
- इथेनॉल की ही तरह **मेथनॉल में कम ऊर्जा मान होने के कारण कम माइलेज (अर्थात् एक लीटर गैस ईंधन से एक वाहन कितने कि.मी. दूरी तय कर सकता है)** मिलता है। इसलिए वाहन में बार-बार ईंधन भरने की आवश्यकता होगी।
- मेथनॉल उत्पादन के लिए आवश्यक **नई तकनीक को अपनाने से संबंधी उच्च लागत** एक चुनौतीपूर्ण समस्या है।

भारत में की गई पहलें
- **मेथनॉल अर्थव्यवस्था के लिए नीति आयोग की कार्य योजना:**
  - वर्ष 2030 तक कच्चे तेल के आयात के 10% भाग को मेथनॉल द्वारा प्रतिस्थापित करना।
  - राख की उच्च मात्रा वाले भारतीय कोयले, स्ट्रैंडेड गैस और बायोमास का उपयोग करके वर्ष 2025 तक वार्षिक आधार पर 20 मीट्रिक टन मेथनॉल का 19 रुपये प्रति लीटर की दर से उत्पादन किया जा सकता है।

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा **मेथनॉल अर्थव्यवस्था अनुसंधान कार्यक्रम** आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय कोयले सहित विभिन्न स्रोतों जैसे कि थर्मल प्लांट, स्टील प्लांट आदि से उत्सर्जित CO_2 से मेथनॉल का उत्पादन करना है।
- **भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा LPG के साथ 20% DME सम्मिश्रण को अधिसूचित किया गया है।** साथ ही, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा **M-15, M-85, M-100 सम्मिश्रण** हेतु एक अधिसूचना जारी की गई है।
- **M-15 सम्मिश्रण के लिए परीक्षण मानकों और योजनाओं** को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के परामर्श से विकसित किया जा रहा है।
- **रेलवे** इंजनों में प्रत्यक्ष ईंधन इंजेक्शन के माध्यम से **5-20%** तक **मेथनॉल सम्मिश्रण करने की दिशा में काम कर रहा है।**
- वर्ष 2018 में, असम पेट्रोकेमिकल्स ने **एशिया का पहला कनस्तर-आधारित मेथनॉल खाना पकाने योग्य ईंधन** कार्यक्रम का आरंभ किया है।

निष्कर्ष

- **मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न व बढ़ते खतरे** ने सरकारी संस्थानों, उद्योग और विज्ञान जगत को **आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छ ईंधन** खोजने के लिए प्रेरित किया है।
- इस संदर्भ में **मेथनॉल, जीवाश्म ईंधन के एक स्वच्छ विकल्प के रूप में बहुत तेजी से उभरा है।** यह विद्युत उत्पादन, स्थलीय परिवहन, पोत परिवहन और उद्योग से होने वाले उत्सर्जन में भारी कटौती करने हेतु एक प्रभावी विकल्प प्रदान करता है।
- **भारत में कोयले का 125 अरब टन प्रमाणित भंडार,** प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होने वाला 500 मिलियन टन बायोमास तथा स्ट्रैंडेड और फ्लेयर्ड गैसों की अत्यधिक मात्रा में उपलब्धता से **भारत में मेथनॉल आधारित ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपार संभावनाएं हैं।**

5.7. संभवतः विलुप्त प्रजातियां (Possibly Extinct Species)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची के नवीनतम संस्करण में कई प्राणियों और पादपों को **'संभवतः विलुप्त' के रूप में सूचीबद्ध** किया गया है

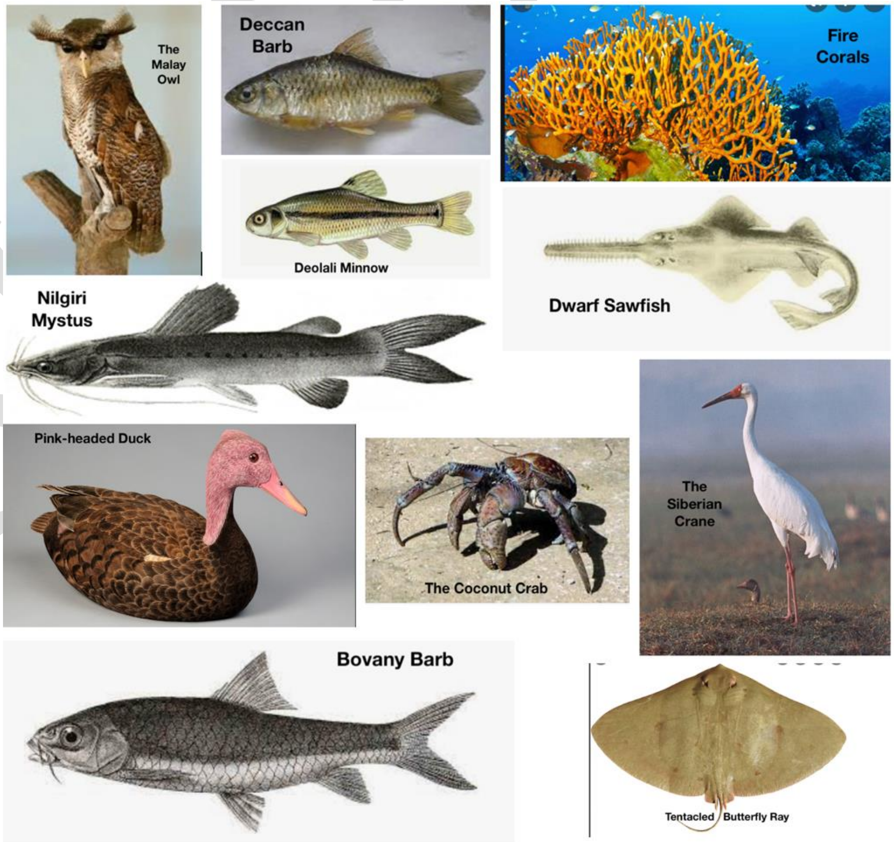

'संभवतः विलुप्त' से क्या तात्पर्य है?

- किसी प्रजाति की **उपस्थिति/आबादी में कब से उल्लेखनीय गिरावट** आई है, इसका अनुमान लगाने के लिए इस पद को एक सूचक या मार्कर के रूप में उपयोग किया जाता है।
  - इसके तहत चिन्हित प्रजातियों का **अंतिम आकलन 1900 के दशक के बाद** किया गया था। जिसके बाद उनकी उपस्थिति और उनकी आबादी के बारे में कोई अपडेट प्राप्त नहीं हुआ है। (कृपया इस लेख के अंत में परिभाषा देखें।)
- '1500 ईस्वी के बाद विलुप्त' के रूप में चिन्हित प्रजातियों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है:
  - **ग्रीन पीफॉल (Green peafowl); चीता; बालदार नाक वाला ऊदबिलाव (Hairy-nosed Otter); बांटेंग** (वर्तमान में दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक बोविड); **सुमात्रा और जावा के राइनो (गैंडा)** और **ओस्टियोब्रामा बेलंगेरी** (मणिपुर की स्थानिक मछली की एक प्रजाति)।
- **'संभवतः विलुप्त' भारतीय प्रजातियां:**
  - टेंटेकल बटरफ्लाई रे; ड्वार्फ सॉफिश; फायर कोरल; कोकोनट क्रैब (विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय आर्थ्रोपोड यानी संधिपाद प्राणी);

- **मछलियां:** बोवनी बार्ब (कावेरी नदी प्रणाली की स्थानीय मछली), देवलाली मिनो, दक्कन बार्ब और नीलगिरी मिस्टस (सभी तीन दक्कन क्षेत में पाए जाते हैं);
- **पक्षी:** गुलाबी सिर वाली बत्तख, साइबेरियन क्रेन, बफी फिश-उल्लू या मलय उल्लू।

IUCN द्वारा जारी अन्य प्रमुख अपडेट

- प्राणियों की 900 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं।
- IUCN ने आधिकारिक तौर अपना **"ग्रीन स्टेटस"** जारी किया है। यह **प्रजातियों की रिकवरी/पुनर्प्राप्ति का आकलन करने और संरक्षण प्रभावों का मापन करने वाला** पहला वैश्विक मानक है।
- **निम्नलिखित प्रजातियों की स्थिति में बदलाव आए हैं:**
  - **कोमोडो ड्रैगन** को सुभेद्य (VU) से **संकटग्रस्त (EN)** की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। यह इंडोनेशिया में स्थानिक रूप से पाई जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी जीवित छिपकली है।
  - **अल्बाकोर ट्यूना** और **येलोफिन ट्यूना** को संकट-उन्मुख (NT) से **संकटमुक्त (LC)** की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है।
  - **येराकुड डे गेको (Yeracud Day Gecko)** को संकटमुक्त से **संकटग्रस्त** की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है।
  - **सतारा गेको** को सुभेद्य से **गंभीर रूप से संकटग्रस्त (CR)** की श्रेणी में में शामिल कर दिया गया है।
  - **येलो मॉनिटर** को संकटमुक्त से **संकटग्रस्त** की श्रेणी में में शामिल कर दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की स्थापना वर्ष 1948 हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में है।

- IUCN **विश्व का सबसे पुराना वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है। इसके सदस्यों की संख्या 1,400 (सरकार और नागरिक समाज संगठन सहित) से अधिक सदस्य है।**
- वैश्विक संरक्षण कार्ययोजना निर्धारित करने के लिए **IUCN द्वारा प्रति चार वर्ष पर IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन किया जाता है।**

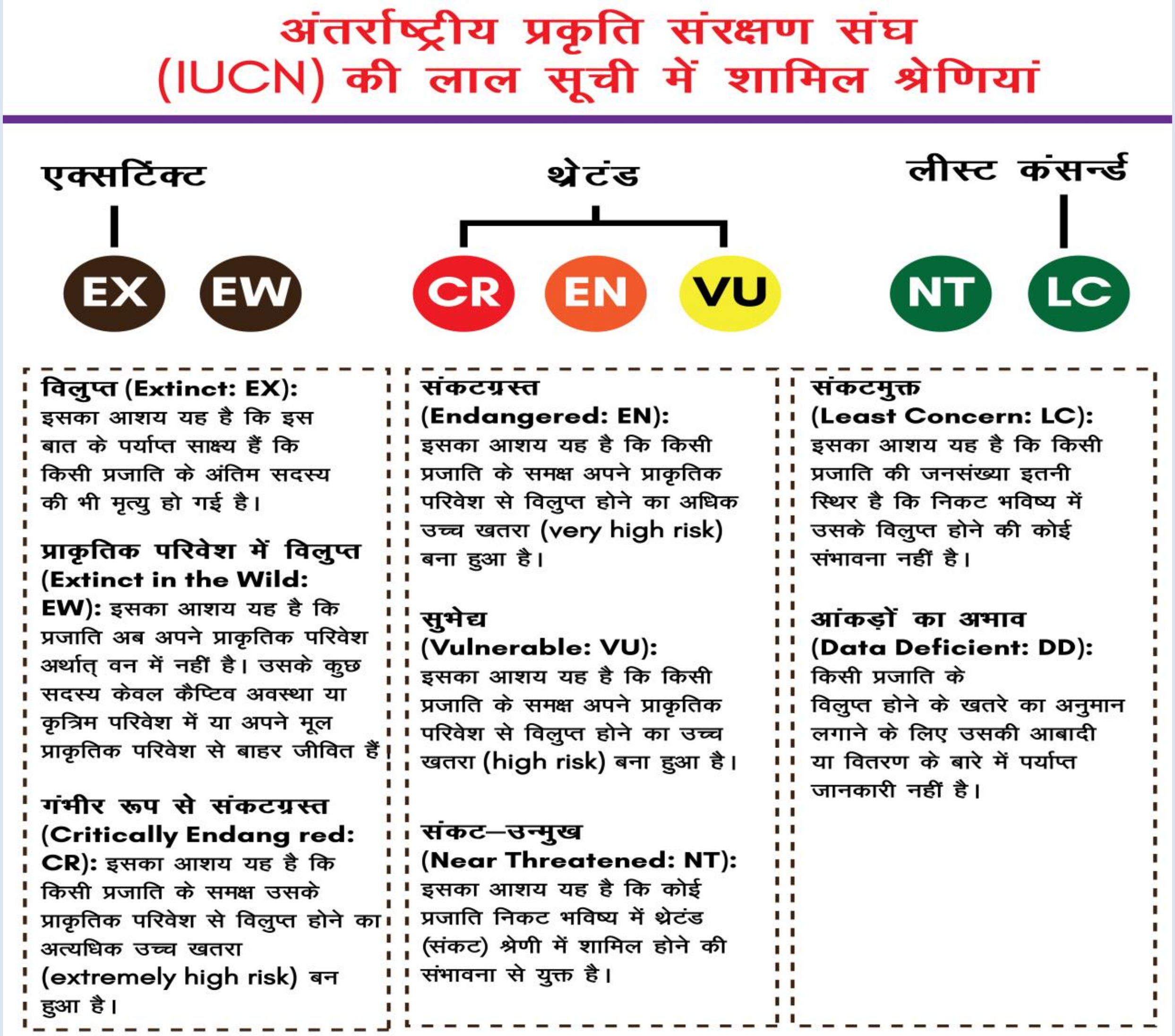

प्रजातियों की मौजूदगी, उत्पत्ति और मौसमी वितरण से संबंधित कोड की परिभाषाएं

कोड	उपस्थिति	परिभाषा
1	अस्तित्व (Extant)	यह उन ज्ञात/भावी प्रजातियों को संदर्भित करता है जिनकी किसी क्षेत्र में मौजूद होने की संभावना अधिक होती है। इस क्षेत्र के तहत मौजूदा या हाल (पिछले 20–30 वर्ष) में रिकॉर्ड/चिन्हित किए गए जीवों के नए पर्यावास स्थानों को शामिल किया जाता है। साथ ही, इसमें उचित ऊंचाई पर उपयुक्त संभावित पर्यावास की भी गणना की जाती है। प्रजाति के अस्तित्व वाले क्षत्रों (Extent of Occurrence: EOO) की गणना में उनके अस्तित्व वाले क्षत्रों को शामिल किया जाता है। "चिन्हित/निर्दिष्ट पर्यावासों" का मानचित्रण करते समय यह भी ध्यान रखा जाना महत्वपूर्ण है कि इस श्रेणी को प्रजाति के अस्तित्व वाले क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए। EOO वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मानदंड है जो मौजूदा पर्यावासित जीवों के स्थानिक प्रसार की गणना में मदद करता है।
2	आंशिक अस्तित्व (Probably Extant)	इसमें मानकों की अस्पष्टता के कारण इसके प्रयोग को सीमित कर दिया गया है। हालांकि, इसे स्थानिक आंकड़ों के आकलन हेतु अब भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन आगामी अवधि में इसके प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया जाएगा।
3	संभावित अस्तित्व (Possibly Extant)	यह किसी क्षेत्र में प्रजातियों की गैर–मौजूदगी को संदर्भित करता है। लेकिन उचित ऊंचाई पर उपयुक्त पर्यावास के वितरण के आधार पर उस क्षेत्र में प्रजातियों के पाए जाने की संभावना बनी रहती है। यह क्षेत्र उस स्थान की सीमा से बाहर (अर्थात् ज्ञात या चिन्हित किए जाने की सीमा से परे) होता है जहां प्रजातियां मौजूद होती हैं। इस क्षेत्र में प्रजातियों के पाए जाने की संभावना अत्यंत कम (अर्थात् वह क्षेत्र जो भौगोलिक बाधाओं से रहित होता है, या वह क्षेत्र जो ज्ञात या प्रजाति की मौजूदगी वाले क्षेत्र से दूर पर्यावास स्थानों के महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है) होती है। संभावित रूप से प्रजाति के अस्तित्व वाले क्षेत्रों की पहचान उन क्षेत्रों को चिन्हित करने में मदद कर सकते हैं जहां जीवों के अस्तित्व मौजूद हैं। प्रजाति के अस्तित्व वाले क्षत्रों की गणना (EOO) में प्रजातियों के संभावित अस्तित्व वाले क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
4	संभवतः विलुप्त (Possibly Extinct)	यह किसी क्षेत्र में (1500 ई. के बाद) ज्ञात/पूर्व में मौजूद प्रजातियों के बारे में इंगित करता है जहां कभी ये अत्यधिक संख्या में पाए जाते थे। हालांकि, पर्यावास की हानि और/या अन्य खतरों के कारण अब ये प्रजातियां इस क्षेत्र से विलुप्त हो गई हैं। इन प्रजातियों का पता लगाने हेतु किए गए प्रयासों के बावजूद भी इनके अस्तित्व की पुष्टि नहीं हो पाई है। प्रजाति के अस्तित्व वाले क्षत्रों (EOO) की गणना में प्रजाति के संभवतः विलुप्त क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
5	विलुप्त (Extint)	यह किसी क्षेत्र में (1500 ई. के बाद) ज्ञात/पूर्व में मौजूद प्रजातियों को रेखांकित करता है, जहां कभी इनकी संख्या सर्वाधिक थी। हालांकि, इन प्रजातियों को अब विलुप्त मान लिया गया है। इनका पता लगाने हेतु हाल में किए गए व्यापक प्रयासों के बावजूद भी इन प्रजातियों के अस्तित्व संबंधी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इन प्रजातियों की वर्गिकी (Taxon) के विलुप्ति के पीछे मुख्य रूप से इसने सम्बंधित जोखिमों में होने वाली अत्यधिक वृद्धि और प्रसार उत्तरदायी रहे हैं। प्रजाति के अस्तित्व वाले क्षत्रों (EOO) की गणना में प्रजाति के विलुप्त क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
6	अनिश्चित उपस्थिति (Presence Uncertain)	अनिश्चित उपस्थिति का तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र में प्रजातियों के मौजूद होने का रिकॉर्ड तो है, लेकिन प्रजाति के अस्तित्व संबंधी साक्ष्यों की पुष्टि की आवश्यकता भी है। इसमें प्रजातियों से संबंधित साक्ष्यों की पहचान या प्रमाणिकता अथवा उस क्षेत्र की सटीक सूचनाओं से संबंधित अनिश्चितता के कारण भी इन प्रजातियों के अस्तित्व संबंधी साक्ष्यों की पुष्टि पर बल दिया जाता है। प्रजाति के अस्तित्व वाले क्षत्रों (EOO) की गणना में 'प्रजाति की अनिश्चित उपस्थित वाले क्षेत्रों/साक्ष्यों' को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

5.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News In Shorts)

5.8.1. भारत का प्रथम डुगोंग संरक्षण रिज़र्व तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा (Tamil Nadu to set up India's first Dugong Conservation reserve)

- हाल ही में, तमिलनाडु सरकार ने पाक की खाड़ी में **डुगोंग के लिए भारत के प्रथम संरक्षण रिज़र्व** की स्थापना की घोषणा की है।
  - डुगोंग को **विभिन्न खतरों, यथा- पर्यावास क्षति, मत्स्यन जाल में फंसना, मांस और तेल के लिए शिकार इत्यादि** का सामना करना पड़ रहा है।
- **डुगोंग के बारे में**
  - डुगोंग एकमात्र शाकाहारी **समुद्री स्तनधारी जीव** है। इसे **समुद्री गाय** के नाम से भी जाना जाता है। **साइरेनिया जीववैज्ञानिक क्रम (Order Sirenia)** में दो कुल, यथा- डुगोंगिडे कुल (family Dugongidae) और ट्रिकेकिडाए (Trichechidae) या मैनाटी कुल (manatee family) सम्मिलित हैं। डुगोंग, डुगोंगिडे कुल की प्रजाति है। साथ ही, यह साइरेनिया जीववैज्ञानिक क्रम की चार जीवित प्रजातियों में से एक है।

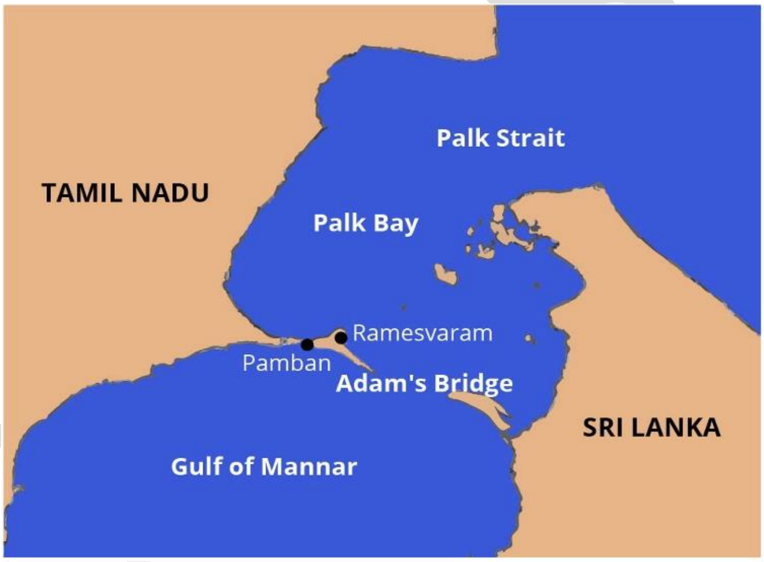

  - इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा **वल्नरेबल** के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह **वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I** में भी सूचीबद्ध है। ज्ञातव्य है कि यह **वन्य प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES)**[88] **के परिशिष्ट I में भी शामिल** है। डुगोंग मुख्य रूप से उथले जलीय-क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि वे मुख्य रूप से समुद्री घास पर जीवित रहते हैं।
  - डुगोंग समूहों में रहते हैं। इनकी डॉल्फिन की पूंछ के समान पूंछ होती है जिसकी सहायता वे तैर कर श्वसन हेतु सतह पर आते हैं। इनमें स्तन ग्रंथियां (Mammary glands) भी होती हैं।
  - डुगोंग का जीवनकाल **70 वर्ष या उससे अधिक** होता है। मादा डुगोंग प्रत्येक **2.5 से 7 वर्ष (6 से 17 वर्ष की आयु के आरंभ से)** में प्रजनन करती है। इनमें **13 से 15 महीने की गर्भधारण** अवधि और लगभग **18 महीने की पोषण अवधि** (Nursing Period अर्थात् जब बच्चा भोजन के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहता है) होती है।
  - डुगोंग की निकटतम संबंधी **स्टेलर्स समुद्री गाय**, शिकार के कारण अठारहवीं शताब्दी में ही विलुप्त हो गई थी।
- **संरक्षण के प्रयास:**
  - **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) तथा प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण (CMS)** द्वारा डुगोंग और उनके अधिवासों के संरक्षण एवं प्रबंधन पर एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया है।
    - भारत ने वर्ष 2008 में इस पर हस्ताक्षर किए थे और इसके लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है।
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र के 8 देशों के लिए **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)**[89] **और UNEP द्वारा "डुगोंग एवं समुद्री घास संरक्षण परियोजना"** का संचालन किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि **भारत इस परियोजना में शामिल नहीं है।**

5.8.2. यूनेस्को द्वारा "यूरोप के अमेज़न" में विश्व का प्रथम 5-देशीय बायोस्फीयर रिज़र्व घोषित किया गया (UNESCO declares world's first 5-country biosphere reserve in "Amazon of Europe")

- यह बायोस्फीयर रिज़र्व **मुरा, द्रवा और डेन्यूब (MDD)**[90] नदियों के **700 किलोमीटर** के अपवाह क्षेत्र तथा **ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी** और **सर्बिया** के भू-भाग में विस्तृत है।

[88] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES
[89] Global Environment Facility: GEF

- यह रिज़र्व, **बाढ़कृत मैदान वाले वनों, बजरी और रेत के तटों, नदी द्वीपों, गोखुर झीलों व घास भूमियों** से युक्त है।
- यहाँ यूरोप महाद्वीप के वाइट टेल्ड ईगल (सफ़ेद पूंछ वाली चील) के प्रजनन योग्य जोड़ों का उच्चतम घनत्व पाया जाता है। साथ ही, यहाँ लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे कि लिटिल टर्न, ब्लैक स्टॉर्क, ऊदबिलाव, बीवर और स्टर्जन भी पाई जाती हैं।

- यह बायोस्फीयर रिज़र्व **स्थलीय तथा तटीय पारिस्थितिक तंत्र** से युक्त एक क्षेत्र है। यह जैव विविधता के संरक्षण व इसके **सतत उपयोग के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु समाधान** को प्रोत्साहित करता है।
- यह बायोस्फीयर रिज़र्व **स्थानीय समुदायों** तथा सभी **इच्छुक हितधारकों** को इसके **योजना एवं प्रबंधन** में शामिल करता है। **यह निम्नलिखित तीन मुख्य कार्यों को एकीकृत करता है:**
  - **जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता** का संरक्षण करना;
  - **आर्थिक विकास, जो सामाजिक-सांस्कृतिक और पर्यावरणीय** रूप से संधारणीय हो; तथा
  - **लॉजिस्टिक समर्थन,** अनुसंधान, निगरानी, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से विकास को मजबूत करना।
- इस **बायोस्फीयर रिज़र्व** को **यूनेस्को** के महानिदेशक द्वारा **अंतर-सरकारी मैन एंड बायोस्फियर (MAB) कार्यक्रम** के तहत नामित किया गया है।
  - ज्ञातव्य है कि MAB कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों तथा उनके पर्यावरण के मध्य के संबंधों को बढ़ाने हेतु वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है।
- MAB कार्यक्रम के **वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व (WNBR)** में उत्कृष्ट स्थलों का एक **गतिशील तथा इंटरैक्टिव** नेटवर्क शामिल है।
- WNBR में **131 देशों के 727 बायोस्फीयर रिज़र्व** शामिल हैं, जिनमें **22 सीमा-पारीय स्थल** शामिल हैं। इसका लक्ष्य **अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय** और **पारिस्थितिकी तंत्र-विशिष्ट सहयोग का** निर्माण करना है।
- **भारत में यूनेस्को द्वारा नामित 12 बायोस्फीयर रिज़र्व है।** ये हैं- नीलगिरि, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नॉकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचनकमर-अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलाई, कंचनजुंगा तथा पन्ना।

5.8.3. हाईबोडॉन्ट शार्क (Hybodont sharks)

- राजस्थान के **जैसलमेर** से पहली बार **जुरासिक युग** (लगभग 160 से 168 मिलियन वर्ष प्राचीन) की **हाईबोडॉन्ट शार्क की एक प्रजाति के दांत** मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है।
  - **हाईबोडॉन्ट,** शार्क का एक विलुप्त समूह है। यह ट्राइसिक और प्रारंभिक जुरासिक युग के दौरान **समुद्री व नदी परिवेशों, दोनों में मछलियों का एक प्रमुख समूह था।**
- हालांकि, **मध्य जुरासिक युग से** समुद्री परिवेशों में **हाईबोडॉन्ट की संख्या में गिरावट आरंभ** हो गई और अंत में **65 मिलियन वर्ष पूर्व क्रेटेशियस युग के अंत तक यह विलुप्त हो गई।**

5.8.4. प्रधान मंत्री ने विशेष गुणों वाली फसलों की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की {Prime Minister (PM) dedicates to the nation 35 crop varieties with special traits}

- इन विशेष गुणों वाली फसल की किस्मों को **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद** (ICAR)[91] द्वारा विकसित किया गया है। ये फसलें जलवायु परिवर्तन तथा कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटने हेतु तैयार की गई हैं।
- **इन 35 किस्मों में शामिल हैं:**
  - **जलवायु प्रतिरोधी फसलें:** सूखे को सहन करने वाली काबुली चने की किस्म, विल्ट और स्टरिलिटी मौज़ेक प्रतिरोधी अरहर, सोयाबीन की शीघ्र पकने वाली किस्म, चावल की रोग प्रतिरोधी किस्में आदि।
  - **उच्च पोषण युक्त फसलें:** गेहूं, बाजरा, मक्का और काबुली चना आदि की बायो फोर्टिफाइड किस्में।
- ये विशेष-गुणों वाली फसलों की किस्में **निम्नलिखित समस्याओं का समाधान करने में मदद करेंगी:**
  - कृषि के समक्ष जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले जोखिम (जैसे नए कीटों के हमले, नए रोगों में वृद्धि आदि)।
    - ICAR द्वारा **जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्यता के आकलन** के अनुसार, भारत में 109 ग्रामीण जिले **अत्यधिक उच्च जोखिमग्रस्त (very high-risk)** जिलों के रूप में, जबकि 201 जिले **जोखिमग्रस्त (risk)** जिलों के रूप में वर्गीकृत हैं।
  - कुछ फसलों में **पोषण-रोधी कारक** (ANF)[92] पाए गए हैं**,** जो मानव एवं पशु स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

---

[90] Mura, Drava and Danube: MDD

[91] Indian Council of Agricultural Research: ICAR

    - ANF को उन पदार्थों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में प्रजातियों के **सामान्य उपापचय द्वारा उत्पन्न** होते हैं। **ये खाद्य पदार्थों में इष्टतम पोषण के विपरीत** प्रभाव डालते हैं।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने **रायपुर में राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान**[93] के परिसर का भी उद्घाटन किया।
- **संबंधित तथ्य:** शोधकर्ताओं द्वारा किए गए परीक्षण के अनुसार **भारतीय चावल की 12 पारंपरिक किस्मों से** अल्पपोषित माताओं में महत्वपूर्ण फैटी एसिड की पोषण संबंधी मांग को पूरा किया जा सकता है।
- भारत में, **स्तनपान कराने वाली महिलाओं में दुग्ध की मात्रा में वृद्धि करने के लिए पारंपरिक चिकित्सा में** एथिकराय, दूध-सर, कयामे, नीलम सांबा, श्रीहरि, महाराजी और भेजरी जैसी विभिन्न पारंपरिक किस्मों को महत्व प्रदान किया गया है।
    - अन्य पारंपरिक किस्मों जैसे केलस, दूधेबोल्टा और भटमुरी में **आयरन प्रचुर मात्रा में होता है तथा एनीमिया के उपचार** के लिए इसे माताओं के आहार में शामिल किया जा सकता है।

5.8.5. वर्ष 1970 से वर्ष 2019 के मध्य चरम मौसमी, जलवायवीय एवं जलीय आपदाओं के परिणामस्वरूप मृत्यु दर तथा आर्थिक क्षति से संबंधित एटलस जारी किया गया {The Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes (1970–2019)}

- यह एटलस **विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)** द्वारा जारी किया गया है। यह एक **अंतर सरकारी संगठन** तथा मौसम विज्ञान (मौसम और जलवायु), क्रियाशील जल विज्ञान एवं भूभौतिकीय विज्ञान से संबंधित **संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी** है।
- **मुख्य निष्कर्ष:**
    - इस दौरान मौसम, जलवायु तथा जलीय आपदाओं के कारण लगभग 11,000 से अधिक आपदाएं घटित हुईं। इनमें दो मिलियन लोगों की मृत्यु तथा **3.64 ट्रिलियन डॉलर** की आर्थिक हानि हुई है।
        - इस प्रकार, एटलस के अनुसार, विगत 50 वर्षों में **मौसमी, जलवायवीय और जलीय आपदा,** लगभग 50 प्रतिशत आपदाओं, 45 प्रतिशत मृत्युओं तथा 74 प्रतिशत आर्थिक क्षति के लिए उत्तरदायी थी।
    - इनमें से **91 प्रतिशत से अधिक मृत्यु विकासशील देशों** में हुई है।
    - आपदाओं की संख्या **पाँच गुना** तक बढ़ गई है। हालांकि, मृत्युओं में बड़ी गिरावट भी दर्ज की गई है।
        - यह **अग्रिम चेतावनी प्रणालियों** के कारण संभव हो सका है।
    - इस अवधि दौरान मौसम पर्यवेक्षण में महत्वपूर्ण कमियां व्याप्त थीं। कुल 193 **सदस्य देशों में से केवल आधे देशों** के पास ही **बहु-विपदा समय पूर्व-चेतावनी प्रणालियाँ** (MHEWS)[94] विद्यमान हैं।

---

[92] Anti-nutritional factors: ANF

[93] National Institute of Biotic Stress Management

[94] Multi-Hazard Early Warning Systems: MHEWS

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (वर्ष 2015-वर्ष 2030) ने MHEWSs के महत्वपूर्ण लाभों को स्वीकार करते हुए इसे अपने सात वैश्विक लक्ष्यों में शामिल करके इसके महत्व को रेखांकित किया है। (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

- **सेंडाई फ्रेमवर्क,** सदस्य देशों को आपदा के जोखिम से विकास संबंधी लाभों का संरक्षण करने के लिए ठोस कार्रवाई प्रदान करता है।

5.8.6. जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2050 तक 216 मिलियन लोग अपने ही देश में प्रवास करने के लिए विवश हो सकते हैं (Climate change can force 216 million people to migrate within their own countries by 2050)

- हाल ही में, विश्व बैंक द्वारा नवीनतम **ग्राउंड्सवेल (Groundswell) रिपोर्ट** जारी की गई है।
- **मुख्य निष्कर्ष:**
  - जलवायु परिवर्तन, आंतरिक प्रवास को प्रेरित करने वाला एक शक्तिशाली कारक है, क्योंकि:
    - जलवायु परिवर्तन से लोगों की आजीविका नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, और
    - जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुभेद्य स्थानों पर लोगों का रहना कठिन हो जाता है।
  - इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक **आंतरिक जलवायु प्रवास** के विभिन्न **"हॉटस्पॉट्स"** उभर सकते हैं। ये हॉटस्पॉट्स **वर्ष 2050** तक और अधिक प्रसारित एवं गहन हो जाएंगे।
  - इस प्रकार के प्रवासन के हॉटस्पॉट्स **ग्रामीण, शहरी तथा तटीय क्षेत्रों** में अधिक सकेंद्रित होंगे।
  - वर्ष 2050 तक **उप-सहारा अफ्रीका** में आंतरिक जलवायु शरणार्थियों की संख्या सर्वाधिक होगी।
  - ध्यातव्य है कि वैश्विक उत्सर्जन को कम करने तथा **हरित, समावेशी एवं लोचशील विकास** का समर्थन करने के लिए तत्काल और ठोस कार्रवाई से जलवायु संबंधी प्रवास के मामलों को **80 प्रतिशत** तक कम किया जा सकता है।
- **सिफारिशें:**
  - जलवायु संबंधी प्रवास को बढ़ावा देने वाले जलवायु जनित दबाव को कम करने हेतु वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती की जानी चाहिए।
  - **दूरदर्शी हरित, प्रत्यास्थ और समावेशी विकास योजना** में जलवायु संबंधी प्रवासन को एकीकृत किया जाना चाहिए।
  - प्रवासन पूर्व, प्रवासन के दौरान व प्रवासन के पश्चात् प्रत्येक चरण हेतु **योजना निर्मित की जानी चाहिए,** ताकि सकारात्मक अनुकूलन एवं विकास परिणामों को सुनिश्चित किया जा सके।
  - इस रिपोर्ट में जलवायु संबंधी प्रवास के कारकों के संबंध में समझ विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके लिए साक्ष्य-आधारित अनुसंधानों, मॉडलों तथा परामर्शों में निवेश करने की अनुशंसा की गई है, ताकि एक कुशल नीति का निर्माण किया जा सके।

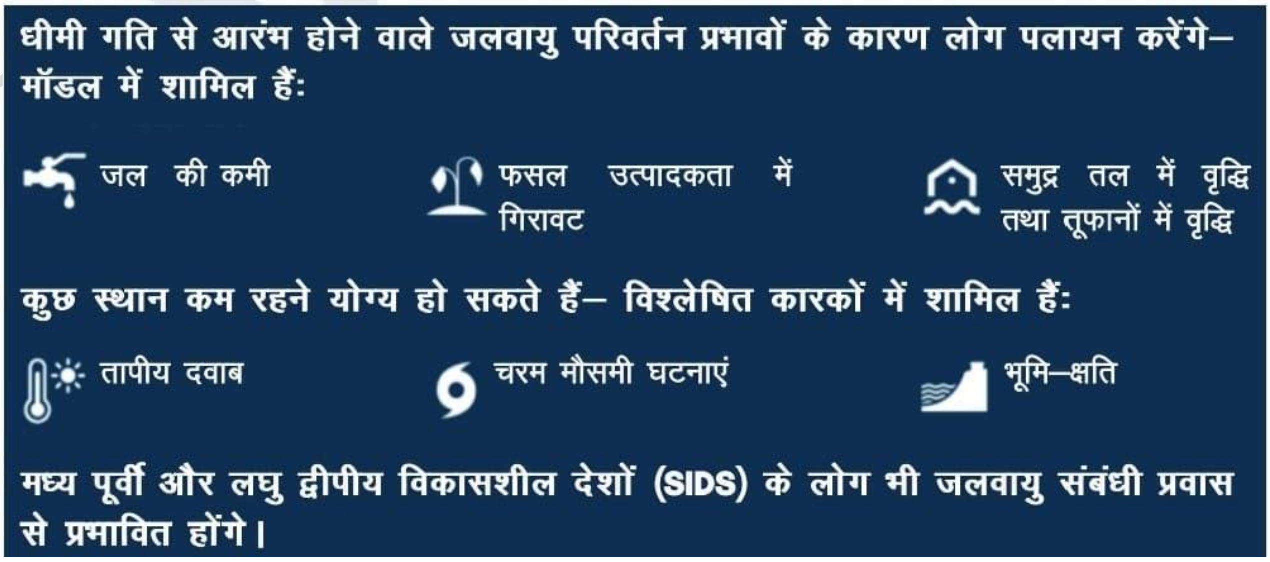

5.8.7. खाद्य प्रणाली को रूपांतरित करने हेतु "ए मल्टी बिलियन डॉलर ऑपरच्यूनिटी: रीपर्पज़िंग एग्रीकल्चरल सपोर्ट टू ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम" नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है (A Multi-Billion-Dollar Opportunity: Repurposing Agricultural Support To Transform Food System)

* यह रिपोर्ट **खाद्य और कृषि संगठन (FAO), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** और **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** द्वारा **खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन** (FSS)[95] की पूर्व संध्या पर प्रकाशित की गई है।
    * **UN-FSS, 23 सितंबर** को न्यूयॉर्क में **संयुक्त राष्ट्र महासभा** के दौरान आयोजित होगा।
    * यह **वर्ष 2030** तक **सतत विकास लक्ष्यों** की प्राप्ति हेतु एक **वैश्विक खाद्य प्रणाली के रूपांतरण के लिए एक मंच** तैयार करने का प्रयास करेगा।
* **रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु:**
    * **मूल्य प्रोत्साहन तथा राजकोषीय सब्सिडी** समर्थन के ऐसे स्वरूप हैं, जिनका खाद्य प्रणालियों पर महत्वपूर्ण **नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।**
    * चीनी, गो-मांस, दूध व चावल जैसे **उत्सर्जन-गहन तथा अल्प स्वास्थ्यप्रद** खाद्य पदार्थों को अधिक समर्थन प्राप्त होता है। इसके विपरीत फल एवं सब्जियों जैसे **स्वास्थ्यप्रद और अधिक पौष्टिक खाद्य पदार्थों** को कम समर्थन मिलता है।
    * **उच्च एवं मध्यम आय वाले देशों में विकृत समर्थन उपाय** अब भी प्रचलित हैं।
    * **उप-सहारा अफ्रीका** के निम्न आय वाले देशों में वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण किसानों को प्राप्त सहायता लगभग नगण्य है।
    * **भारतीय कृषि क्षेत्र** विगत 20 वर्षों से नकारात्मक रूप से प्रभावित रहा है। इसका कारण यह है कि भारतीय कृषि नीति के तहत उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु किफायती खाद्य मूल्यों को सुनिश्चित करने पर बल दिया जाता है।

5.8.8. ग्रीन वॉयेज 2050 परियोजना (Green Voyage 2050 Project)

* इसे मई 2019 में लांच किया गया था। **यह नॉर्वे और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन** (IMO) द्वारा संचालित एक संयुक्त परियोजना है।
* इसका उद्देश्य **पोत परिवहन उद्योग को भविष्य में कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले उद्योग में परिवर्तित करना है।**
    * यह परियोजना **अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन के लिए प्रासंगिक जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा कुशल लक्ष्यों** के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में **विकासशील देशों** को समर्थन प्रदान करती है।

---
[95] Food Systems Summit: FSS

- इस परियोजना के तहत, ग्रीन शिपिंग (हरित पोत परिवहन) से संबंधित प्रायोगिक परियोजना का संचालन करने हेतु विश्व के प्रथम देश के रूप में भारत का चयन किया गया है।

5.8.9. क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग {Climate Action and Finance Mobilization Dialogue (CAFMD)}

- CAFMD, **संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत एजेंडा 2030 साझेदारी** के दो मुख्य बिंदुओं (अन्य बिंदु रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी है) में से एक है। जिन्हें **अप्रैल 2021 में घोषित** किया गया था।
- **CAFMD के तीन स्तंभ होंगे:**
  - **जलवायु कार्रवाई स्तंभ:** इसके तहत आगामी दशक में उत्सर्जन को कम करने के उपायों को लागू किया जाना है।
  - **कार्य योजना बनाने के लिए स्तंभ:** इसके तहत परिवहन, भवनों और उद्योग में 450 गीगावाट (GW) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को प्राप्त किया जाना है।
  - **वित्त स्तंभ:** 450 GW नवीकरणीय ऊर्जा को स्थापित करने और वृहद पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने हेतु वित्त को आकर्षित करना।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. बाल विवाह (Child Marriage)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ओडिशा सरकार ने राज्य को वर्ष 2030 तक बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए एक योजना आरंभ की है।

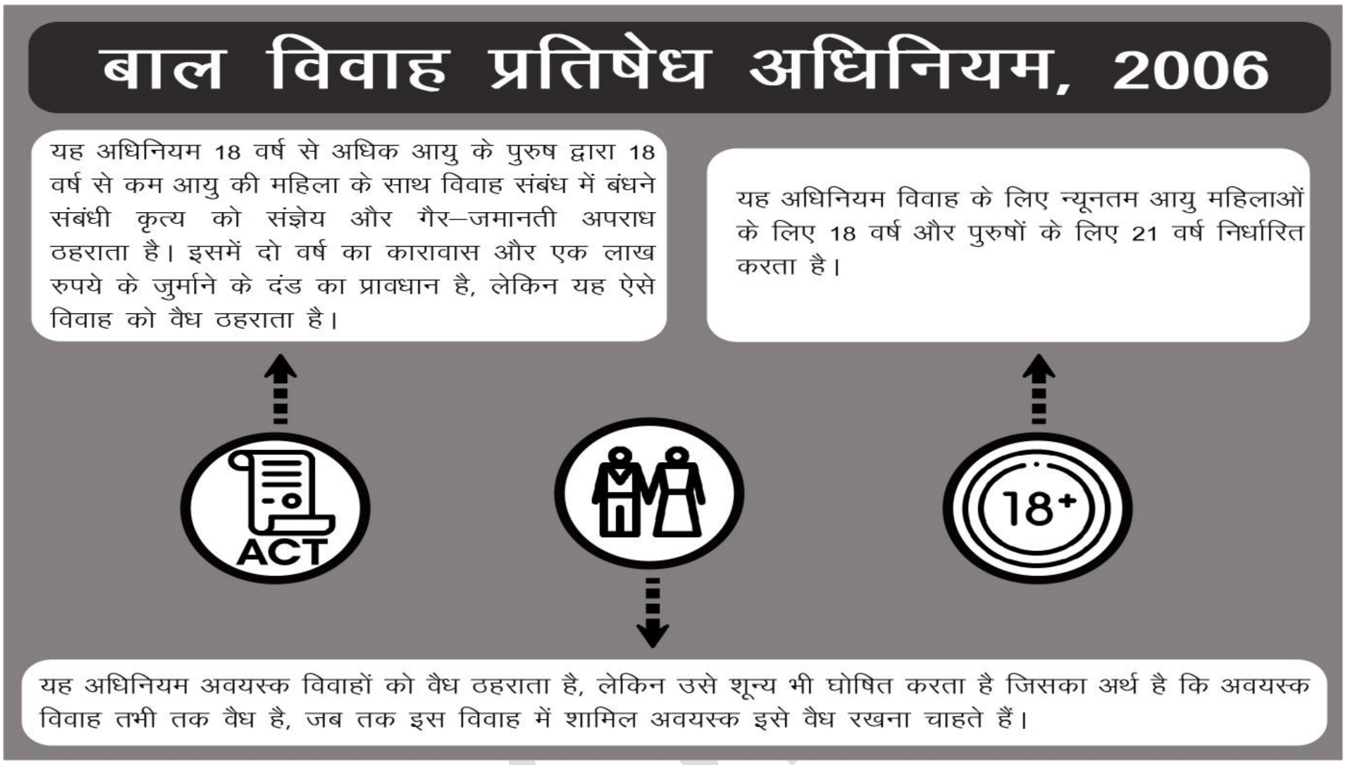

अन्य संबंधित तथ्य

- ओडिशा सरकार ने **राज्य रणनीतिक कार्य योजना' (SSAP)**[96] **के अनुसार 'बाल विवाह की कुरीति को समाप्त करने और किशोरियों के सशक्तीकरण पर अभिसारी कार्य बिंदुओं' पर विचार करने हेतु पांच विभागों** को जिम्मेदारी दी है। राज्य सरकार ने **बाल विवाह की कुरीति समाप्त करने** के लिए वर्ष 2019 में पांच वर्षीय 'राज्य रणनीति कार्य योजना' आरंभ की थी।
- इन विभागों में विद्यालय और जन शिक्षा, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण, उच्चतर शिक्षा तथा कानून विभाग शामिल हैं।

बाल विवाह के बारे में

- बाल विवाह एक ऐसा **औपचारिक विवाह या अनौपचारिक बंधन है, जिसे कोई व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु से पहले संपन्न करता है।**
    - बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006[97] के अनुसार, **पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है।**
- **भारत में बाल विवाह के चलन की गंभीरता**
    - भारत ऐसा देश है, जहां विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या में दुल्हन हैं। **विश्व भर की कुल दुल्हनों का एक तिहाई भारत में है।**
    - 15 से 19 वर्ष की **लगभग 16% बालिकाएं अभी विवाहित हैं।**
    - बाल विवाह की समस्या **देश भर में व्यापक पैमाने** पर फैली हुई है। हालांकि, यह **उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी भारत में बहुत सामान्य है।** उदाहरण के लिए झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों में।
    - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के **वर्ष 2020** के डेटा के अनुसार, **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006** के तहत कुल **785 मामले** दर्ज किए गए थे।

---

[96] State Strategy Action Plan: SSAP
[97] Prohibition of Child Marriage Act, 2006

बाल विवाह की रोकथाम के लिए देश की स्वतंत्रता से पहले किए गए प्रयास

- राजा राम मोहन राय ने **1828 ई. में ब्रह्म समाज** की स्थापना की थी। इस संगठन ने जाति प्रथा को समाप्त करने का कार्य किया था। इसके अतिरिक्त, सती प्रथा के विरुद्ध भी संघर्ष किया था। इस प्रथा के समाप्त होने से कई महिलाओं का जीवन बचाया जा सका था। उन्होंने महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार की भी सिफारिश की थी और बाल विवाह का भी विरोध किया था।
- 1864 ई. में जन्मी **रखमाबाई ने अपने पति के दांपत्य अधिकार के दावे को** अदालत में **दादाजी बनाम रखमाबाई मुक़दमे में चुनौती दी थी।** इसका नतीजा यह हुआ कि 1891 ई. में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, 1891 पारित हुआ था। इस मुक़दमे में उनकी मदद **बेहरामजी मालाबारी** ने की थी।
- **बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, 1929/शारदा अधिनियम** भारत की इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पारित किया गया था। इसमें लड़कियों के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई थी।

बाल विवाह को रोकने में आने वाली चुनौतियां

- **सांस्कृतिक:** उत्तरी भारत में बाल विवाह का कुछ पवित्र अवसरों से गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए, **राजस्थान में आखा तीज।** इस त्योहार के दौरान कई जिलों में बड़ी संख्या में बाल विवाह होता है। लेकिन, सामाजिक दबाव के कारण प्रशासन इस तरह के विवाहों को रोकने में असफल रहता है।
- **गरीबी:** गरीब परिवारों में, पुत्री के विवाह का अर्थ होता है कि खाने वाला एक सदस्य कम हो जाएगा। प्रायः दूल्हे के परिवार द्वारा दहेज अर्थात "वधु मूल्य" दिया जाता है। जहां दूल्हे के परिवार को दहेज देने की संस्कृति है, वहां दुल्हन की आयु कम होने पर कम दहेज देना पड़ता है।
- **पितृसत्तात्मक व्यवहार:** बाल विवाह को प्रायः विवाह से पहले लैंगिक संबंध से बचाव के तौर पर देखा जाता है। ऐसा करके माना जाता है कि लड़कियों को यौन हिंसा और प्रताड़ना से बचाने की जिम्मेदारी पिता से पति को स्थानांतरित हो गई है।
    - बाल विवाह का संबंध **परिवार के सम्मान को बहाल करने या बरकरार रखने** से हो सकता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय लाभ प्राप्त करने के स्रोत या कर्ज से मुक्ति के एक साधन के तौर पर भी इसका उपयोग किया जाता है। लड़की को **परिवारों के बीच किसी अपराध की हानि पूर्ति के तौर पर या क़र्ज़ के निपटान के साधन के रूप में** विवाह के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है, भले ही लड़की का किसी भी मामले से कोई लेना-देना न हो।

- **विषम लिंगानुपात:** गुजरात और हरियाणा जैसे कई राज्यों में लिंगानुपात बहुत विषम है। इससे दुल्हन मिलना कठिन हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप, लड़की का अपहरण करके या भावी पति द्वारा ख़रीद कर जबरन विवाह करना एक रिवाज बन गया है।
- **क़ानून का प्रभावी ढंग से लागू न होना:** बाल विवाह की रोकथाम के समक्ष कई बाधाएं हैं। उनमें आयु से जुड़े उचित दस्तावेज़ों का अभाव और बच्चों के मानवाधिकारों की सुरक्षा का अभाव तथा साथ ही PCMA, 2006 जैसे कानून का प्रभावी ढंग से लागू न होना भी शामिल है।

बाल विवाह की समाप्ति हेतु विश्व भर में उठाए गए क़दम

- **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDG)-5:** इसमें लैंगिक समानता हासिल करने और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाने पर बल दिया गया है।
    - **लक्ष्य 5.3:** इसमें सभी प्रकार की कुरीतियों जैसे बाल विवाह, कम आयु में और जबरन विवाह तथा महिलाओं के ख़तने के उन्मूलन पर बल

दिया गया है।

- **महिलाओं के विरुद्ध हर प्रकार के भेदभाव को पूर्ण रूप से समाप्त करने पर अभिसमय, 1979:** इसमें कहा गया है कि किसी बालक की सगाई और विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिलनी चाहिए।
- **अफ्रीका में बाल विवाह को खत्म करने के लिए अफ्रीकी संघ (AU) का अभियान:** इसमें भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की अपील की गई है। इसके लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाओं, विधायी सुधारों तथा जरूरी सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए कार्यक्रम एवं निवेश पर बल दिया गया है।

आगे की राह

- **कानून लागू करने की व्यवस्था में सुधार:** PCMA, 2006 को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति आवश्यक है।
- **विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण:** यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में अभी कोई ऐसा क़ानून नहीं है, जिसमें विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया हो। इसलिए, इस तरह के कानूनी प्रावधान को लागू करने से माता-पिता पर दबाव बनेगा कि वे बच्चों का विवाह देर से करें।
    - सुप्रीम कोर्ट ने **"सीमा बनाम अश्विनी कुमार, 2006"** मुक़दमे में निर्देश दिया था कि **प्रत्येक प्रकार के विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया जाए।**
- **लड़कियों की विद्यालयी और उच्चतर शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाना:** इसके लिए गरीब परिवार की बालिकाओं को छात्रवृत्ति और अन्य वित्तीय सहायता दी जा सकती है। इससे इन परिवारों की लड़कियां माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा हासिल कर सकेंगी। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार की कन्याश्री प्रकल्प योजना को लिया जा सकता है। यह शर्त के साथ एक नकद अंतरण योजना है। इसका उद्देश्य महिलाओं के बीच उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना है। साथ ही, 18 वर्ष की आधिकारिक आयु से पूर्व लड़कियों के विवाह को रोकना है।
- **लड़कियों की सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करना:** सुभेद्य और गरीब परिवार की लड़कियों के अनैतिक व्यापार के पीड़ित बनने का अधिक खतरा होता है। इसलिए, **अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956**[98] के प्रभावी कार्यान्वयन की ज़रूरत है। साथ ही, **उज्ज्वला योजना** के भी प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है। इससे, अनैतिक व्यापार की रोकथाम की जा सकती है और अनैतिक व्यापार की पीड़िताओं का पुनर्वास भी किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि अनैतिक व्यापार बाल विवाह को भी बढ़ावा देता है।
- **बाल विवाह की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान:** लड़कियों का विवाह देर से करने और किशोरियों के सशक्तीकरण का परिवेश बनाने के लिए मीडिया अभियानों (जैसे कि टीवी सीरियल बालिका वधु) की मदद ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक परिवर्तन के लिए सामूहिक कार्रवाई और सामुदायिक कार्यक्रम के आयोजन की भारत की मजबूत परंपरा को भी आगे लाया जा सकता है।
    - इसके लिए, महिला स्वयं सहायता समूहों और संगठनों को प्रोत्साहित करना होगा कि विवाह में देरी एवं बाल विवाह की रोकथाम के लिए वे भी सामूहिक कार्रवाई करें।

निष्कर्ष

बाल विवाह की कुरीति को समाप्त करने के लिए समाज को इस कुरीति की संचालक व्यवस्था, मानदंड और व्यवहारों को समझने की आवश्यकता है। साथ ही, यह भी जानने की जरूरत है कि विभिन्न मामलों में इसे समाप्त करने के लिए क्या कार्यनीति होनी चाहिए। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए सभी वर्ग की लड़कियों को केंद्र में रखना चाहिए। अलग-अलग परिवारों और समुदायों को साथ लेकर ऐसे नकारात्मक सामाजिक नियमों को बदलना होगा, जो लड़कियों की पसंद को सीमित करते हैं।

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021

- राजस्थान सरकार ने **"राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009"** में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। यह विधेयक **बाल विवाह सहित सभी विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण** का प्रावधान करता है।
- **इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएं:**
    - दोनों पक्ष ऐसे विवाह के पंजीकरण के लिए उस स्थान के **विवाह पंजीकरण अधिकारी** के समक्ष आवेदन कर सकते हैं, जहां वे पिछले 30 दिनों से अधिक समय से रह रहे हैं।

[98] Immoral Traffic Prevention Act, 1956

- **दूल्हे और दुल्हन** के बीच विवाह, जिन्होंने **क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष** की आयु पूरी नहीं की है, को विवाह के 30 दिनों के भीतर माता-पिता या अभिभावकों द्वारा पंजीकृत कराया जा सकता है।
- पंजीकरण को आसान बनाने और पारदर्शिता के लिए, पंजीकरण कई स्तर पर कराया जा सकता है। **जिला विवाह पंजीकरण अधिकारी** के साथ-साथ **अतिरिक्त जिला विवाह पंजीकरण अधिकारी** एवं **प्रखंड विवाह पंजीकरण अधिकारी** के स्तर पर भी रजिस्ट्रीकरण कराया जा सकता है।

6.2. शिक्षा में निजी क्षेत्रक की भागीदारी (Private Sector Participation in Education System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने निजी क्षेत्रक से अपील की है कि वे आगे आएं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना कुछ योगदान दें।

शिक्षा में निजी क्षेत्रक

- शिक्षा में निजी क्षेत्रक उस समय उपस्थित होता है, जब सरकार के पास सभी को शिक्षा सुलभ कराने के लिए सीमित संसाधन होते हैं।
  - अधिकांश बाजारों में, यह माना जाता है कि निजी क्षेत्रक का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना होता है। लेकिन, जब शिक्षा की बात आती है, **तो निजी क्षेत्रक को नॉट-फॉर प्रॉफिट** (लाभ के लिए नहीं) के आधार पर कार्य करने की ज़रूरत होती है।
- **सरकार शिक्षा में निजी क्षेत्रक को दो तरीक़े से अनुमति दे सकती है-**
  - **निजी वित्त पहल (PFI)[99]:** सरकार लंबे समय के लिए अनुबंध कर सकती है। इसमें ऐसे मामले शामिल होते हैं, जिनमें प्रमुख शिक्षा संस्थानों का स्वामित्व अधिकार निजी क्षेत्रक के पास हो।
  - **फ्रैंचाइज़ी के लिए अनुबंध:** कुछ विशेष शिक्षा संबंधी परिसंपत्तियों में ही निजी क्षेत्रक को निवेश की अनुमति दी जा सकती है।

भारत की शिक्षा व्यवस्था में निजी क्षेत्रक की भागीदारी की आवश्यकता

- **सरकारी व्यय की पूर्ति करने के लिए:** भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 3% शिक्षा क्षेत्रक पर व्यय करता है। हालांकि, कई नीतिगत दस्तावेजों में इस व्यय को GDP का 6% रखना आवश्यक घोषित किया गया है।
- **शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए:** भिन्न-भिन्न अनुसंधान संस्थानों सहित सरकारी शिक्षा संस्थान कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षकों की निम्न गुणवत्ता, शिक्षकों के अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति, निम्नस्तरीय अवसंरचना, अप्रचलित पाठ्यक्रम, अनुकूल अभिशासन तंत्र और अनुसंधान के लिए अनुकूल परिवेश का न होना आदि। इन सब कारणों से किसी समस्या का रचनात्मक समाधान तलाशने की संभावना बाधित होती है। इससे, शिक्षा की पूरी गुणवत्ता प्रभावित होती है। इन सबके परिणामस्वरूप सरकारी संस्थानों के भीतर भी निजी क्षेत्रक की भागीदारी की ज़रूरत अनुभव होती है।
- **उद्योग और शिक्षा जगत के बीच बढ़ते संबंधों का महत्व:** तकनीक के क्षेत्र में नवाचार और संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उद्योग एवं शिक्षा जगत के बीच सहभागिता आवश्यक है।

[99] Private Finance Initiative: PFI

 ©Vision IAS

- भारत डिजिटलीकरण के युग में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि भारत के पास **प्रौद्योगिकी की जानकार एक ऐसी युवा आबादी हो जो अपने ज्ञान को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और बिग डेटा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रयोग कर सके।** इससे, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे प्रमुख उद्योगों को जिन बड़ी चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है उनका समाधान किया जा सकता है।

- **निजी क्षेत्रक के परोपकारी कार्यों का लाभ उठाना:** निजी क्षेत्रक के कल्याणकारी कार्यों से न केवल वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, बल्कि शिक्षा प्रणाली के लिए व्यापक दर्शन और मिशन के रूप में भी मदद मिल सकती है। उच्चतर शिक्षा में नई सोच उत्पन्न करके, निजी क्षेत्रक के परोपकारी लोग सकारात्मक तौर पर उच्चतर शिक्षा के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं।

शिक्षा प्रणाली में निजी क्षेत्रक की भागीदारी से भारतीय शिक्षा क्षेत्रक को होने वाली समस्याएं

- **शिक्षा का समावेशी न होना:** शिक्षा के निजीकरण से शिक्षा प्रणाली समावेशी नहीं रह गई है। इससे अपेक्षाकृत संपन्न और धनी छात्रों को व्यापक विकल्प हासिल हुए हैं। लेकिन बहुत गरीब वर्ग, लड़कियां और वंचित वर्ग को कोई लाभ नहीं मिल रहा है।
- **शिक्षा का वाणिज्यीकरण:** मौजूदा विनियामक व्यवस्था केवल लाभ अर्जित करने वाले निजी स्कूलों द्वारा किए जा रहे शिक्षा के वाणिज्यीकरण और अभिभावकों के आर्थिक शोषण को नियंत्रित नहीं कर सकी है। इसके अतिरिक्त, इस कारण से ऐसे स्कूल भी हतोत्साहित होते हैं, जो निजी क्षेत्रक द्वारा या परोपकारी गतिविधि के तौर पर लोगों के कल्याण के लिए संचालित किये जा रहे हैं।
- **प्रभावी विनियमन का नहीं होना:** भारत में विनियमन और प्रत्यायन (accreditation) की व्यवस्था केंद्रीकृत है। संघीय राज्यों में इनकी पहुंच बहुत कम है। यह भी पाया गया है कि कई राज्यों में विनियामकीय एजेंसियों जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) में भ्रष्ट गतिविधियां प्रचलित हैं। इस प्रकार के भ्रष्ट क्रियाकलाप उच्चतर शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता को कम करते है।
- **नकारात्मक धारणा:** शिक्षा प्रदान करने वाले सरकारी और निजी क्षेत्रक के उद्देश्यों के बीच विचारणीय समानता नहीं है। प्राय: उनके उद्देश्य एक-दूसरे के विरोधाभासी होते हैं। इससे, इस तरह की व्यवस्था की संभावना को लेकर आशंका उत्पन्न होने लगती है।
- **काला धन:** अधिकतर निजी शिक्षा संस्थान ट्रस्ट या सोसायटी के रूप में संचालित हैं, जो लाभ अर्जन पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। परन्तु ये कुछ ऐसी संस्थाओं के साथ लेनदेन करती हैं, जो स्कूलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति करती हैं। इस प्रकार ये सोसायटी या ट्रस्ट बड़ी मात्रा में काला धन कमाती हैं।
  - इस बुराई को समाप्त करने के लिए कई विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा संस्थानों को 'लाभ अर्जित करने वाली संस्था' के तौर पर संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। शर्त यह होनी चाहिए कि उन्हें कम लागत में बेहतर शिक्षा प्रदान करनी होगी।

निजी क्षेत्रक की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उठाए गए क़दम

- **शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009** के तहत निजी स्कूलों के लिए नियम और मानक तय किए गए हैं।
  - इसमें सभी ग़ैर-अल्पसंख्यक निजी स्कूलों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि **उन्हें शुरुआती स्तर की कक्षा में 25% सीटें वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होंगी** और उन्हें नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी। इस कानून में राज्यों को शक्ति दी गई है कि वे इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए अपने नियम बना सकते हैं।
- **उत्कृष्ट संस्थान (Institutes of eminence: IoE) योजना:** यह योजना वर्ष 2017 में आरंभ की गई थी। इसके तहत UGC ने 10 सरकारी और 10 निजी संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान घोषित किया था। इस योजना का उद्देश्य उन्हें विश्व के प्रतिष्ठित रैंकिंग फ्रेमवर्क में से किसी में भी शीर्ष 500 में स्थान प्राप्त करने के योग्य बनाना है।
- **नई शिक्षा नीति (NEP):** भारत के ऐसे निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा जिनका उद्देश्य परोपकार और लोगों का कल्याण करना है। उनके लिए फ़ीस तय करने की प्रगतिशील व्यवस्था को अपनाने का प्रावधान किया गया है। इस नीति में अन्य विषयों के अतिरिक्त, निम्नलिखित का भी प्रावधान किया गया है:
  - **विनियमन:** शिक्षा के आवश्यक गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के सभी स्तरों हेतु एक प्रभावी गुणवत्तापरक स्व-विनियमन या प्रत्यायन प्रणाली तैयार की जाएगी। यह प्रणाली प्री-स्कूल शिक्षा व निजी तथा सरकारी और परोपकारी सभी संस्थानों के लिए लागू होगी।
  - **शिक्षा के वाणिज्यीकरण पर रोक लगाना:** सभी शिक्षा संस्थानों के लिए लेखा परीक्षण और ब्यौरा देने का वैसा ही मानक लागू होगा जैसा कि 'अलाभकारी (not for profit)' संस्थाओं के लिए होता है। यदि कुछ अधिशेष पाया जाता है, तो उसे शिक्षा क्षेत्रक में ही फिर से निवेश किया जाएगा।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** शिक्षा क्षेत्रक में स्वचालित मार्ग (automatic route) से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

आगे की राह

- **व्यापक नीति:** निवेश को लेकर सरकार की स्पष्ट और निर्णायक नीति होनी चाहिए। इससे संपूर्ण पहल को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होगी। साथ ही, सरकारी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- **विनियामक परिवेश:** निजी और सरकारी स्कूलों में शिक्षा के प्रावधान के लिए उचित विनियामक परिवेश तैयार करना होगा।
    - निजी और सरकारी दोनों शिक्षा क्षेत्रकों की कुछ जिम्मेदारी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर कार्य करना होगा कि शिक्षा संस्थान सरकारी मानकों के अनुसार हों और बाल अधिकार फ्रेमवर्क के अंतर्गत हों।
    - नागरिक समाज समूहों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के गठबंधनों और राज्यों को मिलकर कार्य करना चाहिए, ताकि शिक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए एक उचित विनियामक परिवेश तैयार किया जा सके।
- स्कूलों और विश्वविद्यालयों के विकास के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से **इन संस्थानों में एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) प्रकोष्ठ की स्थापना की जानी चाहिए।** स्कूलों और विश्वविद्यालयों को कंपनियों, ट्रस्ट फ़ंड, सोसायटी और NGOs के साथ भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **प्रबंधन और प्रशासन के लिए निजी क्षेत्रक की सेवा लेना:** निजी क्षेत्रक अपनी प्रबंधकीय क्षमताओं तथा उच्च कौशल युक्त प्रशासकीय योग्यताओं के लिए विख्यात है।
    - इसलिए प्रबंधकीय और प्रशासकीय कार्यों को आउटसोर्स कर देने से मौजूदा फैकल्टी सदस्य इन गतिविधियों से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार वे अपना अधिक समय एवं अवसर अपने अनुसंधान पर दे सकेंगे। जिन कार्यों को आउटसोर्स किया जा सकता है उनमें परिणाम तैयार करना, कार्यक्रमों का आयोजन और अलग-अलग समितियों का गठन तथा उनका कामकाज़ आदि शामिल हैं।
- **छात्रों को मौद्रिक और अमौद्रिक, दोनों सहायता प्रदान करना:** स्कॉलरशिप और वित्तीय सहायता कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। इनके तहत निजी क्षेत्रक वंचित पृष्ठभूमि के चुनिंदा छात्रों को आर्थिक सहायता दे सकता है। CSR फंडिंग और निजी क्षेत्रक के परोपकारी कार्य इन क्षेत्रों में वित्तपोषण के लिए उपयोगी स्रोत हो सकते हैं।
- **संगोष्ठियां और निवेशक सम्मेलन** निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रभावी तरीके हैं। इस तरह, उन्हें देश के शिक्षा क्षेत्रक में निजी पहल के बारे में सरकार की सोच से भी अवगत कराया जा सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य:

शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (NCF)[100] तैयार करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC)[101] का गठन किया है:

- NSC की **अध्यक्षता के.कस्तुरीरंगन करेंगे।** उन्होंने ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की प्रारूप समिति की भी अध्यक्षता की थी।
- **NSC के विचारार्थ विषयों में शामिल होंगे:**
    - समिति चार NCF विकसित करेगी: **स्कूली शिक्षा, बाल्यकालीन देखभाल और शिक्षा, शिक्षक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा।**
    - सभी NCF भविष्य के लिए संबंधित क्षेत्रों पर कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियों के प्रभावों पर भी विचार करेंगे।
    - राज्य पाठ्यक्रम रूपरेखा (SCF) से इनपुट प्राप्त किए जा सकते हैं।
- NCF, संपूर्ण देश के विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण और अधिगम प्रथाओं के लिए एक दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करता है। यह स्कूली शिक्षा की भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है।
    - NCF को अंतिम बार वर्ष 2005 में तैयार किया गया था और इसे वर्ष 1975, वर्ष 1988 और वर्ष 2000 में संशोधित किया गया था।
    - राज्य सरकारें भी **राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT)** की भागीदारी के माध्यम से अपने स्कूली पाठ्यक्रम को संशोधित करने में NCF का अनुपालन करती हैं। राज्यों की ये परिषदें SCFs तैयार करती हैं।
- NCF, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020 को लागू करने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
    - NEP-2020 ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 को प्रतिस्थापित किया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात (GER)[102] के साथ पूर्व-विद्यालय स्तर से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना है।

---

100 National Curriculum Frameworks: NCF

101 National Steering Committee: NSC

102 Gross Enrolment Ratio: GER

6.3. कृषि क्षेत्र का स्त्रीकरण (Feminization of Agriculture)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)[103] (2019-2020) के आंकड़े कृषि में महिला श्रम बल की भागीदारी दर में वृद्धि दर्शाते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **कृषि में संलग्न कामगारों की संख्या में** 42.5 प्रतिशत (2018-19) से **45.6 प्रतिशत** (वर्ष 2019-20) तक की वृद्धि हुई है।
- कार्यबल में लगभग **संपूर्ण वृद्धि कृषि द्वारा समायोजित की गई थी।** इसलिए कृषि ऐसे सिंक का कार्य करती आ रही है अर्थात् ऐसे कार्यबल को अवशोषित कर लेती है, जिन्हें कहीं और पारिश्रमिक देने वाला रोजगार नहीं मिल पाता है।
- **महिला श्रम बल भागीदारी दर** (LFPR)[104] **में तेजी से वृद्धि** हुई है और यह 5.5 प्रतिशत अंक (2018-19 से) तक बढ़ गई है। इसमें हुई अधिकतर वृद्धि **ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर** (LFPR) **बढ़ने से प्रेरित हुई है।**
- महिलाओं, विशेष रूप से कृषि-श्रमिकों के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की इस परिघटना को **भारतीय कृषि कार्यबल के स्त्रीकरण** की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है।
  - रोजगार के संबंध में, इस शब्द का प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग के स्त्रीकरण को दर्शाने के लिए किया जा सकता है, जहां **महिलाओं की भागीदारी सामान्य रूप से कहीं अधिक है।** उदाहरण के लिए, सेवा उद्योग, कृषि या परिधान उद्योग।

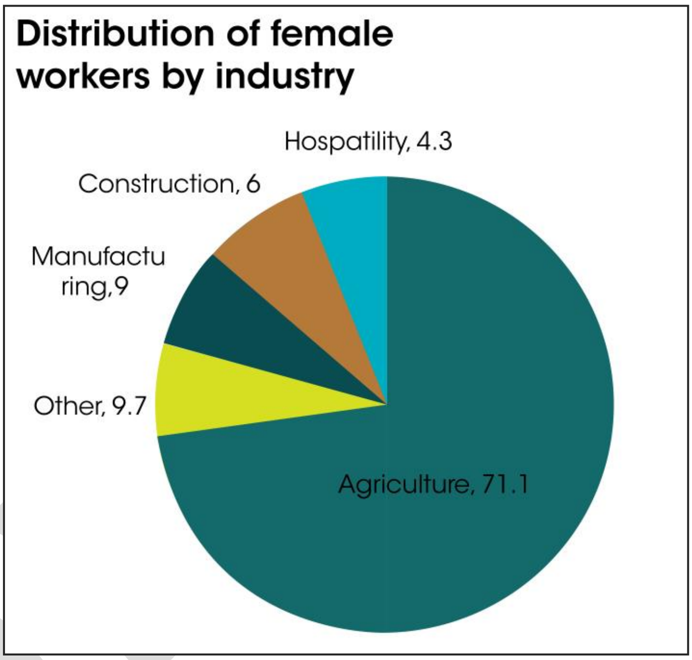

कृषि में स्त्रीकरण को प्रेरित करने वाले कारक

- **कृषि संकट के कारण पुरुषों का प्रवासन:** पुरुष या तो शहरी क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं या जब वे गांवों के भीतर कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं तो वे निर्माण, ईंट भट्टों व मिलों में दिहाड़ी मजदूरों के रूप में गैर-कृषि कार्य करते हैं या ड्राइवर, बढ़ई आदि के रूप में कार्य करते हैं।
  - ऐसा इसलिए है, क्योंकि गांवों में कृषि और संबद्ध सेवाओं की तुलना में गैर-कृषि कार्यों में मजदूरी अधिक मिलती है।
- **महिलाओं की गतिशीलता कम होती है:** सामाजिक मानदंडों के कारण महिलाएं प्रायः गांवों में रहती हैं और इसलिए कृषि कार्यों में संलग्न हो जाती हैं। ज्ञातव्य है कि सामाजिक-सांस्कृतिक व पितृसत्तात्मक मानदंड उन्हें ईंट भट्टों जैसे गैर-कृषि कार्यों में शामिल होने से रोकते हैं।
- **श्रम प्रधान कार्यों के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है:** महिलाओं को विनम्र और मेहनती माना जाता है। कुछ श्रम-गहन कार्यों के लिए केवल महिलाओं को ही अधिक उपयुक्त माना जाता है।
- **महिलाओं को काम पर रखने से कम उत्पादन लागत सुनिश्चित होती है:** महिलाएं कई बार कम वेतन वाले अनियमित कार्य स्वीकार कर लेती हैं। उन्हें काम पर रखना और हटाना आसान होता है। साथ ही, उन्हें काम पर रखने से उत्पादन लागतें नियंत्रित रहती हैं और पूंजी का संचय करना संभव होता है।

कृषि का स्त्रीकरण सही है	कृषि का स्त्रीकरण गलत है
• स्त्रीकरण महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्रक में सक्रिय भूमिका में लाता है। इसके अतिरिक्त, वे विभिन्न समुदायों के साथ सामाजिक भी हो जाती हैं। • यह उनके श्रम को प्रकट करता है और कई बार उनके श्रम को पर्याप्त महत्व भी दिया जाता है (हालांकि, सदैव ऐसा नहीं होता है)।	• कई अध्ययनों से संकेत मिलता है कि कृषि के स्त्रीकरण का कृषि **उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है,** क्योंकि महिलाओं को प्रौद्योगिकी, ऋण और बाजार की जानकारी का ठीक ढंग से उपयोग करने में कठिनाइयों का अधिक सामना करना पड़ता है। • एक अध्ययन के अनुसार, सबसे अधिक गतिविधि वाले मौसम **(पीक सीजन) में कृषि में अधिक कार्य करने से महिलाओं का पोषण स्तर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता**

[103] Periodic Labour Force Survey: PLFS

[104] Labour Force Participation Rate: LFPR

• इससे महिलाओं में कौशल का विकास करने और आत्मविश्वास में वृद्धि करने की संभावना बढ़ जाती है। • इससे उन्हें संगठित होने और अपनी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।	**है।** • महिलाओं को **पारंपरिक व कम भुगतान वाली भूमिकाओं जैसे कि ओसाई, फसल कटाई आदि तक सीमित** कर दिया गया है। इससे उनके पुरुष समकक्षों के साथ उनकी आर्थिक असमानता और भी अधिक बढ़ जाती है। घर के कार्यों के साथ ये कृषि कार्य उन पर बोझ बन जाते हैं। इससे **कृषि में महिलाओं कल्याण प्रभावित होता है।**

कृषि क्षेत्रक में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ

- **उत्पादक संसाधनों और बाजारों तक पहुँच में अंतर:** कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार, **कृषि में परिचालन जोत का केवल 14 प्रतिशत ही महिलाओं के स्वामित्व में था।** महिलाओं के लिए संपार्श्विक की इस तरह की कमी संस्थागत ऋण एवं उर्वरक, बीज आदि पर सब्सिडी प्राप्त करने तथा पीएम-किसान या अन्य सरकारी योजनाओं के तहत किश्तों जैसे लाभ अर्जित करने की किसी महिला किसान की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ज्ञातव्य है कि ऐसे लाभ केवल भू-स्वामियों को ध्यान में रख कर ही तैयार किए जाते हैं।
- **महिलाओं को किसानों के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है:** सरकार किसी व्यक्ति को **'किसान' माने जाने के लिए भूमि के स्वामित्व को आवश्यक मानती है।** लेकिन पितृसत्तात्मक मानदंड महिला को विरासत दिए जाने का विरोध करते हैं। इससे वे लाभ और अधिकार प्राप्त करने में असमर्थ हो जाती हैं।
  - परिणाम यह होता है कि, कृषि में अधिकांश महिलाएं **किसानों के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती हैं।**
  - ऑक्सफैम इंडिया की वर्ष 2017 की एक रिपोर्ट से पता चला है कि **इन प्रतिबंधों से महिलाओं की कृषि उत्पादकता बहुत बाधित हुई है।**
- **लघु भूमि जोत:** कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार, लगभग 90 प्रतिशत महिलाओं के स्वामित्व वाली भूमि जोत छोटी और सीमांत जोत की श्रेणी में आती हैं।
  - जोत के छोटे आकार के कारण, ये महिला किसान बड़े पैमाने पर कार्य करने से मिलने वाले आर्थिक लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाती हैं।
- **मजदूरी की असमानता:** श्रम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, कृषि की सात विशिष्ट गतिविधियों के मामले में, महिलाओं द्वारा अर्जित मजदूरी पुरुषों द्वारा प्राप्त मजदूरी की तुलना में औसतन **35.8 प्रतिशत कम** (1998-2015 के बीच की अवधि के लिए) थी।
- **नीति निर्माण में कोई प्रतिनिधित्व नहीं:** निर्णय लेने की प्रक्रिया में इन महिला कृषि-श्रमिकों की लगभग कोई भूमिका नहीं होती है और अवसरों तक उनकी पहुंच भी कम होती है। प्रचलित नीतिगत बहसों में उनकी समस्याओं को न के बराबर प्रस्तुत किया जाता है।

कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उठाए गए कदम

- सभी चालू योजनाओं/कार्यक्रमों और विकास गतिविधियों में **महिला लाभार्थियों के लिए बजट आवंटन का कम से कम 30% निर्धारित** किया गया है।
- **महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP),** दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) का एक उप-घटक है। यह परियोजना **कृषि में महिलाओं की वर्तमान स्थिति में सुधार लाने** और उन्हें सशक्त बनाने के लिए उपलब्ध अवसरों को बढ़ाने का प्रयास करती है।
- विभिन्न लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रमों/योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाना सुनिश्चित करने के लिए **महिला केंद्रित गतिविधियों** की शुरुआत की जा रही है।
- क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से उन्हें सूक्ष्म-ऋण (माइक्रो-क्रेडिट) से जोड़ने तथा उन्हें सूचना प्रदान करने के लिए **महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) पर ध्यान केंद्रित** किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, निर्णय लेने वाले विभिन्न निकायों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा रहा है।
- कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष **15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस के** रूप में घोषित किया है।

कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के तरीके

- **भूमि का स्वामित्व:** इससे उन्हें कई कृषि योजनाओं के तहत ऐसे लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो केवल भूस्वामियों के लिए आरक्षित हैं।

- **महिला केंद्रित विस्तार सेवाएं:** महिला किसानों की आवश्यकताओं हेतु विस्तार सेवाओं को अपनाना लाभकारी सिद्ध होगा। फार्म मशीनीकरण के तहत, महिलाओं हेतु उपयोग के लिए बेहतर अनुकूल कृषि मशीनों को नवोन्मेषी बनाने पर ध्यान देना फायदेमंद होगा।
    - ये विस्तार सेवाएं ग्रामीण आबादी को ध्यान में रखकर तैयार की गई अनौपचारिक शैक्षिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया **सलाह और जानकारी प्रदान** करके उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करती है।
- **नीति निर्माण में सुधार:** निर्णय लेने वाले विभिन्न मंचों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के तरीके खोजना जरूरी है। इससे अंततः महिलाओं को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण करने तथा मौजूद पारिश्रमिक अंतराल को समाप्त करने में सहायता मिलेगी।
- **जेंडर बजटिंग:** वर्ष 2020-21 में, कुल बजट का केवल 5 प्रतिशत ही लिंग निरपेक्ष परिणामों के प्रति संवेदनशील था और विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर केंद्रित था। इसकी परिधि और अधिक बढ़ने की संभावना है।
- **नागरिक समाज की भूमिका:** कृषक महिलाओं को समूहों में संगठित करने, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने, राज्य द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाने तथा उन्हें संधारणीय आजीविका के लिए प्रशिक्षित करने में नागरिक समाज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
    - उदाहरण के लिए, इसे तेलंगाना में डेक्कन डेवलपमेंट सोसायटी या मुसहर मंच और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में एक्शनएड के कार्यों में देखा जा सकता है।
- कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से **वैकल्पिक आर्थिक अवसरों को मजबूत करना चाहिए।**

6.4. भारत में द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल (Secondary Health Care in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग ने "जिला अस्पतालों के कामकाज में अपनाये जा रहे तौर-तरीके" शीर्षक से एक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह जिला अस्पतालों के प्रदर्शन-मूल्यांकन से संबंधित प्रथम रिपोर्ट है। यह स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करने वाले समुदायों और लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के डेटा-संचालित अभिशासन की ओर संक्रमण का प्रतीक है।
    - यह रिपोर्ट नीति आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा WHO-इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है।

इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- **भारत में जिला अस्पतालों में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर औसतन 24 बिस्तर हैं। इन आंकड़ों में बिहार में न्यूनतम 6 बिस्तर और पुडुचेरी में सर्वाधिक 222 बिस्तर हैं।**
    - **भारतीय जन स्वास्थ्य मानक** (IPHS)[105] 2012 के दिशा-निर्देश में यह अनुशंसा की गई थी कि जिला अस्पतालों में **प्रति 1 लाख जनसंख्या** (वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर) कम से कम **22 बिस्तर** होने चाहिए।
- भारत में एक जिला अस्पताल में औसतन **11 सहायता सेवाएं** उपलब्ध हैं। इसके विपरीत, IPHS ने 14 सहायता सेवाओं की पहचान की है, जो एक जिला अस्पताल द्वारा अवश्य उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
- **आकलन किए गए कुल 707 जिलों में से केवल 189** (लगभग 27%) **ने प्रति 100 बिस्तर पर 29 चिकित्सकों** (IPHS के आदर्श के आधार पर) **के अनुपात को पूरा किया है।**
- **भारत में जिला अस्पतालों में औसत बिस्तर उपयोग दर 57% है** (IPHS दिशा-निर्देश कम से कम 80% बिस्तर उपयोग की सलाह देते हैं)।
- जिला अस्पताल अपने सेवा वितरण में सुधार करने के लिए **विभिन्न क्षेत्रों में अनूठी पहल कर रहे हैं।**
    - उदाहरण के लिए, **बेलगाम जिला अस्पताल, कर्नाटक में 0% की प्रभावशाली ब्लड बैंक प्रतिस्थापन दर है** (प्रतिस्थापन पर जारी 0 यूनिट ब्लड)।

[105] Indian Public Health Standards: IPHS

द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में

* यह **स्वास्थ्य प्रणाली के दूसरे स्तर** को संदर्भित करता **है।** इसमें **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के रोगियों** को उपचार के लिए **उच्च अस्पतालों के विशेषज्ञों** के पास भेजा जाता है।
    * प्राथमिक और द्वितीयक सेवाओं के बीच मुख्य अंतर उपलब्ध कर्मचारियों की श्रेणी और विशेषज्ञता की दृष्टि से होता है।
* इसकी व्यवस्था **जिला या क्षेत्रीय अस्पतालों द्वारा** की जाती है। ये अस्पताल आपातकालीन देखभाल सहित आउट पेशेंट परामर्श और इनपेशेंट सेवाएं प्रदान करते हैं (इसकी मुख्य इकाइयों के लिए इन्फोग्राफिक देखें)।
* माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल में **मनोचिकित्सक, हृदय रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ** जैसे विभिन्न विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

भारत की त्रिस्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल	द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल	तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल
स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (Health and Wellness Centres: HWC)	जिला अस्पताल (District Hospital: DH) उप–जिला अस्पताल	मेडिकल कॉलेज और उन्नत आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान
उपकेंद्र (Sub Centres: SC)	ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Community Health Centres: CHC)	विशिष्ट गहन चिकित्सा इकाईयां (Intensive Care Units: ICU) उन्नत डायग्नोस्टिक सहायक सेवाएं
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (Primary Health Centres: PHCs)	CHC और DH में पदस्थापित विशेषज्ञ (स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, शल्य–चिकित्सक)	विशेषज्ञ मेडिकल कर्मचारी

* यह **रोगी और उन्नत चिकित्सा देखभाल के बीच** एक संपर्क के रूप में कार्य करता है।
* द्वितीयक देखभाल केंद्र अपने जिले या क्षेत्र में **प्राथमिक देखभाल क्लीनिकों को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता** भी प्रदान करते हैं।
    * कुछ राज्यों में, जिला अस्पतालों की सचल देखभाल टीम प्राथमिक देखभाल केंद्रों को मिर्गी जैसे सामान्य तंत्रिका तंत्र संबंधी रोगों के लिए सहायता प्रदान करती है।

नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) दिशा-निर्देश दस्तावेज़ के तहत मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए मॉडल प्रारूप रियायत समझौता

* इसका उद्देश्य **योग्य चिकित्सकों की कमी और चिकित्सा शिक्षा में विद्यमान अंतराल का निवारण करना था।**
    * प्रस्तावित PPP मॉडल के तहत, नीति आयोग के अनुसार रियायतग्राही वार्षिक रूप से न्यूनतम 150 एमबीबीएस की सीटों पर प्रवेश देने वाले **मेडिकल कॉलेज के डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और रखरखाव** के लिए उत्तरदायी होगा। साथ ही, **संबद्ध जिला अस्पताल** का उन्नयन, संचालन एवं रखरखाव भी करेगा।
* **इस प्रकार के समझौते का लाभ**
    * यह केंद्र / राज्य सरकार को **अपने सीमित संसाधनों और वित्त व्यवस्था को बढ़ाकर** चिकित्सा शिक्षा में विद्यमान अंतराल को समाप्त करने में मदद करेगा।
        * यह **चिकित्सा शिक्षा के लिए उपलब्ध सीटों** की वृद्धि करेगा। साथ ही, चिकित्सा शिक्षा की **लागत को भी युक्तिसंगत** करेगा।
    * यह जिला स्तर पर **विशेष स्वास्थ्य सेवाओं की** उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करेगा।
    * यह इन अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने में **निजी क्षेत्र की प्रबंधन क्षमता का लाभ उठाने में भी** मदद करेगा।
* **इस प्रकार की व्यवस्था के विरुद्ध व्यक्त की गई चिंताएं**
    * चूंकि, रियायतग्राही को रोगियों से शुल्क लेने की अनुमति दी जाएगी, इसलिए इससे **कमजोर वर्ग इनकी सुविधा प्राप्त करने वंचित हो सकते हैं।** इसका कारण यह है कि जिला अस्पतालों को ऐसे अधिकांश रोगियों के लिए अंतिम उपाय के रूप में देखा जाता है।
    * रियायतग्राही **को अत्यंत कम शुल्क पर अस्पताल सौंप दिए जाएंगे।** इसमें उनसे अपेक्षित स्वास्थ्य परिणामों का कोई उल्लेख नहीं होगा। इसके कारण जवाबदेही से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
    * चिकित्सा शिक्षा पहले ही बहुत महंगी है तथा अधिकतम योग्य छात्रों की पहुंच से बाहर है। **निजी क्षेत्रक में इतने अधिक कॉलेज और जुड़ जाने**

से इस प्रकार के छात्र प्रवेश के अवसर प्राप्त करने से वंचित हो जाएंगे।

  - जिला स्तर पर **राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर भी चिंता** व्यक्त की गई है।
  - स्वास्थ्य देखभाल पर **सरकारी व्यय बढ़ाए बिना और अपडेट किए बिना**, जिला अस्पतालों को निजी क्षेत्रक को सौंपने से केवल निजी क्षेत्रक को ही लाभ होगा।

द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल में चुनौतियां

- **उपलब्धता:** मुख्यतः ग्रामीण भारत के लिए, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना एक चुनौती है। लगभग 80 प्रतिशत चिकित्सक, 75 प्रतिशत औषधालय और 60 प्रतिशत अस्पताल शहरी क्षेत्रों में मौजूद हैं।
- **कुशल कार्यबल की अनुपलब्धता:** इस स्तर पर विशेष रूप से सार्वजनिक अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी रोगियों को महंगी निजी स्वास्थ्य देखभाल के लिए बाध्य करती है। भारत को वर्तमान में अपनी आबादी के लिए (कुल मिलाकर) 6.4 मिलियन अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों की जरूरत है।
- **कमजोर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (PHC) क्षेत्रक:** भारत में 60% PHCs में केवल एक चिकित्सक है, जबकि लगभग 5% में एक भी चिकित्सक नहीं है। प्राथमिक देखभाल से द्वितीयक और तृतीयक तक अपर्याप्त फीडर (प्रदायक) प्रणाली न केवल रोगियों का सही ढंग से चयन करके रेफर करने की प्रक्रिया (फ़िल्टरिंग) को प्रभावित करती है, बल्कि रोगों की रोकथाम और प्रारंभिक पहचान पर भी गहरा प्रभाव डालती है।
- **रोगियों का अत्यधिक भार:** कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पहले भी, रोगियों की अत्यधिक संख्या के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं पर अत्यधिक बोझ पड़ रहा था।
- **कमजोर शासन और जवाबदेही:** गोरखपुर अस्पताल, छत्तीसगढ़ नसबंदी शिविर और कोलकाता अस्पताल में हुई स्वास्थ्य संबंधी त्रासदियों और कई अन्य घटनाओं ने कोई भी दुर्घटना घटित होने पर जवाबदेही के मामले में गंभीर प्रश्न उत्पन्न किए हैं।
  - सभी मामलों में, समस्याओं के मूल कारण को जाने बिना डॉक्टरों को या तो निलंबित कर दिया जाता है या उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं।
- **कम स्वास्थ्य देखभाल खर्च:** वर्ष 2008-09 और वर्ष 2019-20 के मध्य, भारत का समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय (केंद्र और राज्य खर्च का योग) **सकल घरेलू उत्पाद के 1.2% से 1.6% के** बीच था।
  - यह आवंटन एक मूलभूत समस्या है। यह समस्या बुनियादी ढांचे, महत्वपूर्ण उपकरणों और उपभोग सामग्रियों की आपूर्ति, अस्पतालों की संख्या और अस्पताल में बनाए रखे जाने वाले डॉक्टरों, विशेषज्ञों, नर्सों एवं सहायकों जैसे कर्मचारियों को प्रभावित करती है।
- **महामारी से निपटने की क्षमता का अभाव:** कोविड-19 संकट ने भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मौजूद अत्यधिक कमियों को प्रकट किया है। देशों के लिए महामारी से निपटने हेतु तत्परताओं को मापने वाले वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक ने भारत को 57वां स्थान प्रदान किया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका (1) और ब्राज़ील (22) से अत्यधिक निम्न है। इससे भारत की महामारी संबंधी तैयारियों की अत्यंत अपर्याप्तता प्रकट होती है।

आगे की राह

- **निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना:** आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWCs) रोग की रोकथाम के केंद्र बन सकते हैं। इससे द्वितीयक स्तर पर दबाव कम हो सकता है।
- **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) में बेहतर रोगी प्रबंधन:** रोगियों के आने-जाने का कुशल प्रबंधन करने के लिए स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की परिचालन और नैदानिक प्रक्रियाओं को कारगर बनाने हेतु जहां भी संभव हो, प्रौद्योगिकी को अपनाने की जरूरत है।
  - वर्चुअल केयर प्रोटोकॉल और टेली हेल्थ सेवाओं को बढ़ावा देने से रोगियों के बेहतर प्रबंधन में सहायता प्राप्त हो सकती है।
- **स्वास्थ्य खर्च में सुधार:** स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को तत्काल बढ़ाया जाना चाहिए। इसे सकल घरेलू उत्पाद के <2% की वर्तमान स्थिति से बढ़ाकर कम से कम 5%-6% तक किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्रक की भागीदारी में सुधार के लिए रियायती ऋण, निर्धारित भूमि, एकल-खिड़की अनुमोदन, कर अवकाशों आदि का उपयोग किया जा सकता है।
- **लागत प्रभावशीलता में सुधार:** निर्धनता रेखा से ऊपर के लोगों से उपयोगकर्ता शुल्क वसूल करना, जबकि यह सुनिश्चित करना कि निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक मुफ्त पहुंच मिले।
- **बीमा कवरेज बढ़ाना:** इसके लिए सरकारी और निजी संस्थानों दोनों को मिलकर कार्य करने की जरूरत है। तीव्र प्रतिवर्तन काल (turnaround time) हेतु डिजिटल बीमा प्रक्रिया समाधानों को अपनाने से स्वास्थ्य बीमा के विस्तार में बढ़ोत्तरी होगी।
- **मानव संसाधन:** योग्य चिकित्सकों की कमी को दूर करने और चिकित्सा शिक्षा में अंतर को समाप्त करने के लिए, **नीति आयोग ने PPP मॉडल का सुझाव दिया है।** इससे मेडिकल सीटों को बढ़ाने के लिए **नए या मौजूदा निजी मेडिकल कॉलेजों को वर्तमान में संचालित जिला अस्पतालों से जोड़ने में मदद मिलेगी।**

- बजट 2020-21 में PPP मोड के तहत मौजूदा जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

- **स्वयं सहायता समूहों (SHGs) तथा पंचायती राज संस्थान को संलग्न करना तथा आग्ज़िल्यरी नर्सिंग मिडवाइफरी (ANMs) व मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा/ASHAs) को सक्षम बनाना:** SHGs, पंचायती राज संस्थानों (PRIs), आशा कार्यकर्ताओं, कौशल प्रशिक्षण प्राप्त ANMs आदि जैसे विकेन्द्रीकृत संस्थानों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इससे गांव/जिला स्तर पर एक अनेक कुशलताएं रखने वाली टीम बनाई जा सकेगी।
- **बेहतर जवाबदेही:** स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों में सेवा, सच्चाई, गोपनीयता, स्वायत्तता, समुचित सूचना देकर सहमति प्राप्त करने तथा न्याय के नैतिक मूल्य विकसित करने की भी जरूरत है।
  - इसके अतिरिक्त, रोगियों को भी स्वास्थ्य पेशेवरों के सामने आने वाली स्थितियों के बारे में अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है।

6.5. भारत में अपराध रिपोर्ट 2020 (Crime In India 2020 Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की "क्राइम इन इंडिया" 2020 रिपोर्ट जारी की गई।

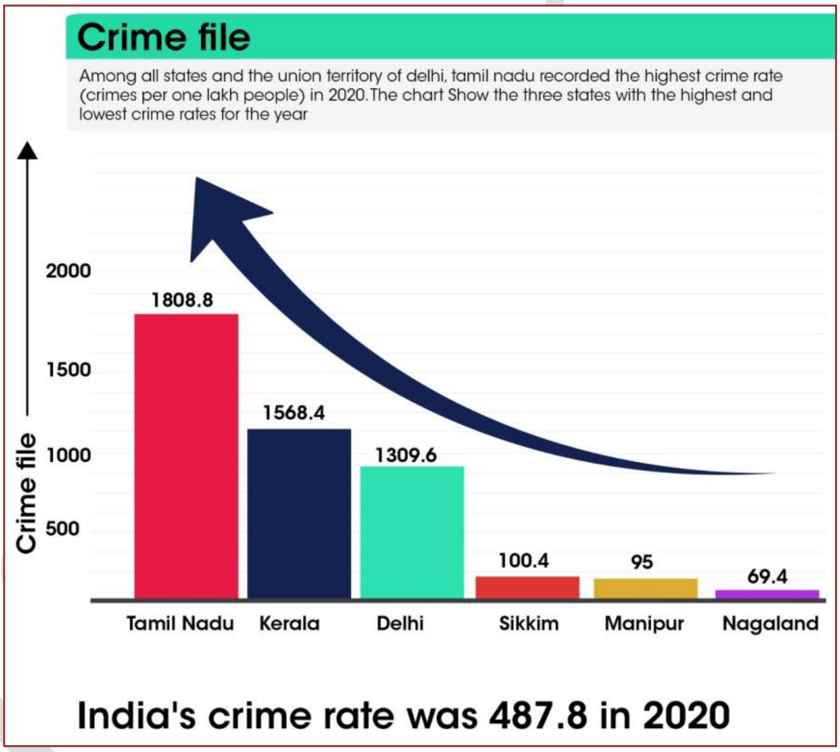

अन्य संबंधित तथ्य

- यह रिपोर्ट **भारतीय दंड संहिता (IPC) तथा विशेष और स्थानीय कानूनों (SLL)**[106] **के तहत दर्ज अपराधों** को शामिल करती है।
- अपराध दर की गणना प्रति एक लाख जनसंख्या पर की जाती है।

प्रमुख निष्कर्ष

- **कुल अपराध**
  - वर्ष 2019 की तुलना में **वर्ष 2020 में आपराधिक मामलों के दर्ज होने में 28% की वृद्धि हुई।** इसका मुख्य कारण देश भर में **कोविड-19 मानदंडों (norms) का उल्लंघन** था।
- **आम तौर पर होने वाले अपराधों में कमी:** महामारी और लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020 में आम तौर पर होने वाले अपराधों जैसे चोरी, डकैती और महिलाओं एवं बच्चों पर हमलों में कमी आई है।
- **महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों में 8.30% की गिरावट दर्ज की गई है।**
  - अधिकांश मामले **"पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता"** (30.0%) से संबंधित थे। इसके पश्चात् "महिलाओं पर उनका शील भंग करने के उद्देश्य से हमला" (23.0%) करने, 'महिलाओं के अपहरण और प्रलोभन देकर ले जाने संबंधी' मामले (16.8%) और 'बलात्कार संबंधी मामले' (7.5%) थे।
  - **असम** में महिलाओं के खिलाफ **अपराध की उच्चतम दर** दर्ज की गई, उसके बाद ओडिशा और तेलंगाना का स्थान था।

आंकड़ों में उछाल

अपराध	वर्ष 2019	वर्ष 2020	% वृद्धि
सांप्रदायिक दंगे	438	857	96%
जातिगत दंगे	492	736	50%
कृषक हिंसा	1,579	2,188	38%
आंदोलन/मोर्चा के दौरान दंगे या हिंसा	1,442	1,905	33%
विभिन्न समूहों के बीच तनाव में वृद्धि	1,058	1,804	70%
कुल दंगे (अन्य कारणों सहित) 45,985	**45,985**	**51,606**	**12%**

राज्य/सरकार के विरुद्ध अपराध में **27%** की कमी आई है, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश ऐसा प्रमुख राज्य है, जहां इसमें वृद्धि हुई है।
स्रोतः एन.सी.आर.बी.

---
106 Special and Local Laws: SLL

- **बच्चों के खिलाफ अपराध:** इसमें वर्ष 2019 की तुलना में 13.2% की कमी दिखाई दी है।
    - **किशोरों के खिलाफ मामलों में भी** 7.8% की कमी देखी गई है।
- **राजद्रोह के मामलों की संख्या वर्ष 2019 के 93 से घटकर वर्ष 2020 में 73 हो गई है।** इसमें **मणिपुर** में अधिकतम मामले दर्ज किए गए।
- **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध:** पिछले वर्ष की तुलना में एससी और एसटी के खिलाफ अपराध में क्रमशः 9.4% और 9.3% की वृद्धि हुई है।
- **मानव तस्करी के मामले:** लापता लोगों की संख्या में 15% की कमी आई है।
- **आर्थिक अपराध और साइबर अपराध के मामले**
    - आर्थिक अपराधों के मामलों में 12% की कमी देखी गई।
    - **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम** के तहत मामलों में 27% की गिरावट आई है।
    - **साइबर अपराधों में 11.80% की वृद्धि दर्ज** की गई है।

NCRB के बारे में

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986 में की गई थी। यह अपराध और अपराधियों की सूचना के संग्रह के रूप में कार्य करता है, जिससे अपराधियों को अपराध के साथ जोड़ने में जांचकर्ताओं को सहायता मिलती है।
- **टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981)** और गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स (1985) द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी।
- **इसे अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS)**[107] **परियोजना की निगरानी, समन्वय और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई** है।
- NCRB का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह **गृह मंत्रालय का एक हिस्सा** है,
- **इसके द्वारा होने वाले प्रकाशनों में शामिल है:**
    - भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएं।
    - भारत की कारागार सांख्यिकी।
    - भारत में अंगुली चिन्ह।
    - भारत में गुमशुदा महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट।
- **NCRB का प्रमुख उद्देश्य:**
    - **आईटी उत्पादों के विकास को नेतृत्व प्रदान करना और उनका समन्वय करना। साथ ही,** पुलिस संगठनों के लिए आईटी समाधान का नेशनल रिसोर्स सेंटर निर्मित करना।
    - कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अपराधों, अपराधियों, संपत्ति और संगठित आपराधिक गिरोहों के बारे में **सुरक्षित व साझा करने योग्य राष्ट्रीय डेटाबेस** बनाना एवं उन्हें बनाए रखना तथा सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए उनके उपयोग को बढ़ावा देना।
    - **राष्ट्रीय अपराध के आंकड़ों को** प्राप्त करना, संकलित करना, उनका विश्लेषण करना और उन्हें **प्रकाशित करना।**
    - भारत में संबंधित राज्यों, राष्ट्रीय जांच एजेंसियों, अदालतों और अभियोजकों से और उनके लिए अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के बारे में **जानकारी को जुटाना, उनका समन्वय करना तथा उनका प्रसार करना।**
    - अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के **कर्मियों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना।**
    - दोषी व्यक्तियों के **फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के राष्ट्रीय स्टोर** के रूप में कार्य करना। इसमें विदेशी अपराधियों फिंगरप्रिंट के रिकॉर्ड भी शामिल हैं।

6.6. स्वच्छ सर्वेक्षण (Swachh Survekshan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **जल शक्ति मंत्रालय** ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत **स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021** का शुभारंभ किया है। **आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का शुभारंभ** किया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 (SSG 2021) के बारे में

- इसे **'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में स्वच्छ भारत मिशन चरण-2** के अंतर्गत आरंभ किया गया है।
- यह भारत भर के गांवों में **स्वच्छता, सफाई और आरोग्यकारिता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है।**
- इसका उद्देश्य देश के गांवों में खुले में शौच मुक्त प्लस **(ODF-plus) पहलों में तेजी** लाने का समर्थन करना है। साथ ही ODF निरंतरता में वृद्धि हेतु **ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM)**[108] गतिविधियों में सुधार में तेजी लाना है।

---

107 Crime and Criminal Tracking Network & Systems: CCTNS

- SSG 2021 में प्रति गांव 10 घरों के सर्वेक्षण के अतिरिक्त, गांव में अपशिष्ट निपटान अवसंरचना का सर्वेक्षण भी शामिल है।
- ODF-plus स्तर का उद्देश्य **ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रबंधन सुनिश्चित करना है। साथ ही, ODF स्थिति का उन्नयन करना भी है** जिसमें पर्याप्त शौचालयों के निर्माण की जरूरत थी, ताकि लोगों को खुले में शौच न करना पड़े।

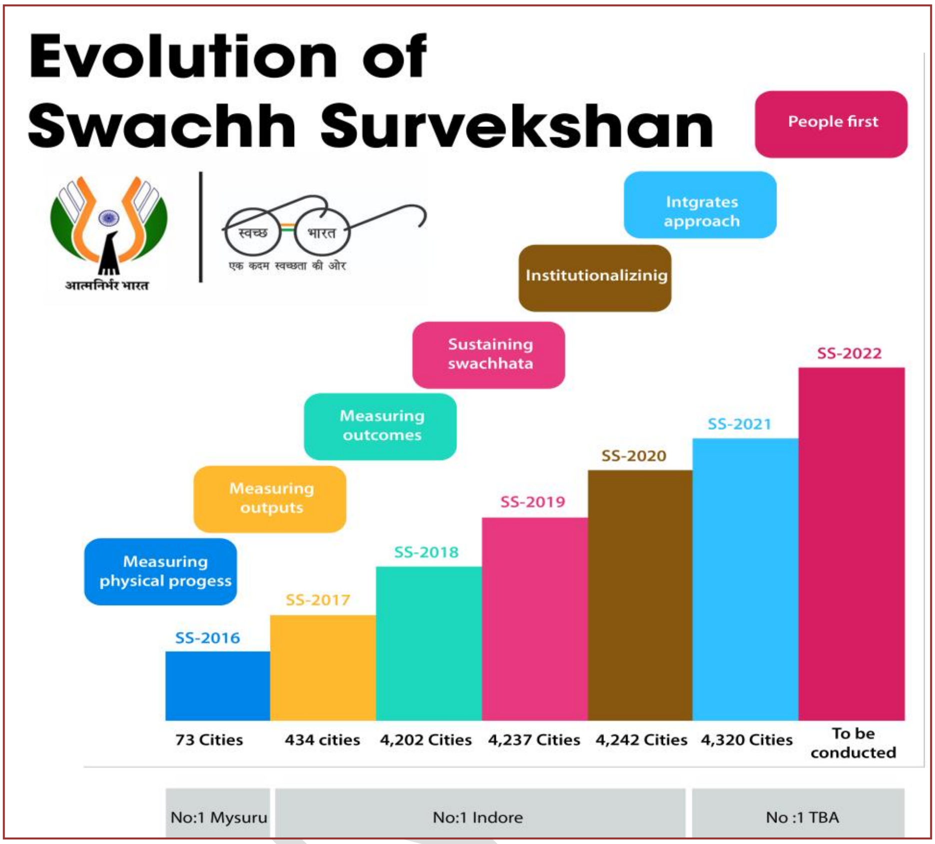

- यह एक **तीसरे पक्ष की एजेंसी** द्वारा संचालित किया जाएगा। यह एजेंसी अंतराल को समाप्त करने के लिए जमीनी चुनौतियों की पहचान करेगी और सभी राज्यों के साथ मिलकर कार्य करेगी।
    - देश के 698 जिलों के 17,475 गांवों को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के दायरे में लाया जाएगा।
    - **पेयजल और स्वच्छता विभाग** ने वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण' आरंभ किया था।
- **महत्व:**
    - SSG का प्राथमिक उद्देश्य **केवल रैंकिंग देना नहीं है, बल्कि यह जनांदोलन निर्मित करने** तथा इस कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक तीव्र कार्रवाई सुनिश्चित करने **का एक महत्वपूर्ण साधन भी है।**
    - यह सर्वेक्षण **जमीनी स्तर पर चुनौतियों की पहचान** करके और सभी राज्यों के साथ कार्य करके परिणामों में व्याप्त अंतराल को समाप्त करने में सहायता करेगा।
    - स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण ने **गांवों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को भी बढ़ावा** दिया है, ताकि स्वच्छ गांवों के निर्माण की दिशा में गांवों द्वारा नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें।
    - नागरिकों का फीडबैक आगे चलकर कार्यक्रम को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।

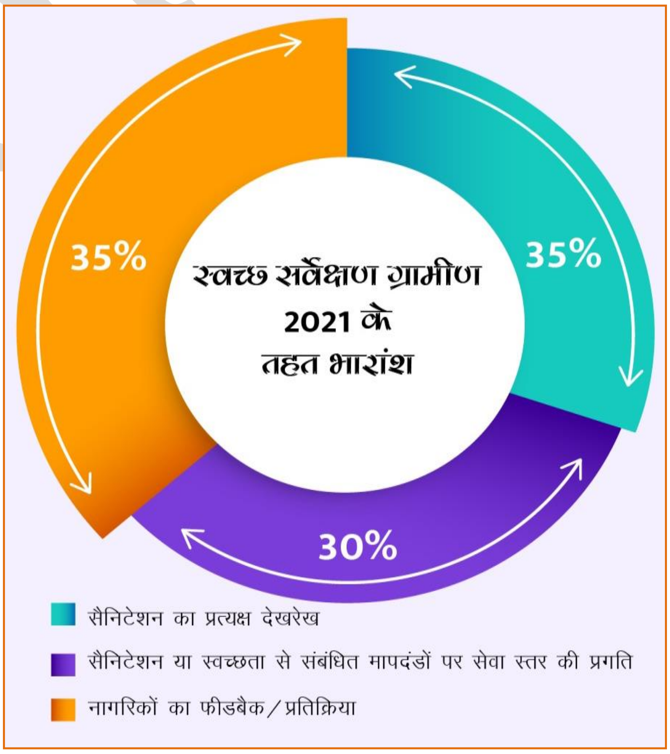

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के बारे में

- हाल ही में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण के सातवें दौर का शुभारंभ किया।
- स्वच्छ सर्वेक्षण संपूर्ण भारत के शहरों और कस्बों में **स्वच्छता, सफाई और आरोग्यकारिता** का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। इसे स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के रूप में वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था।

---

108 Solid and Liquid Waste Management: SLWM

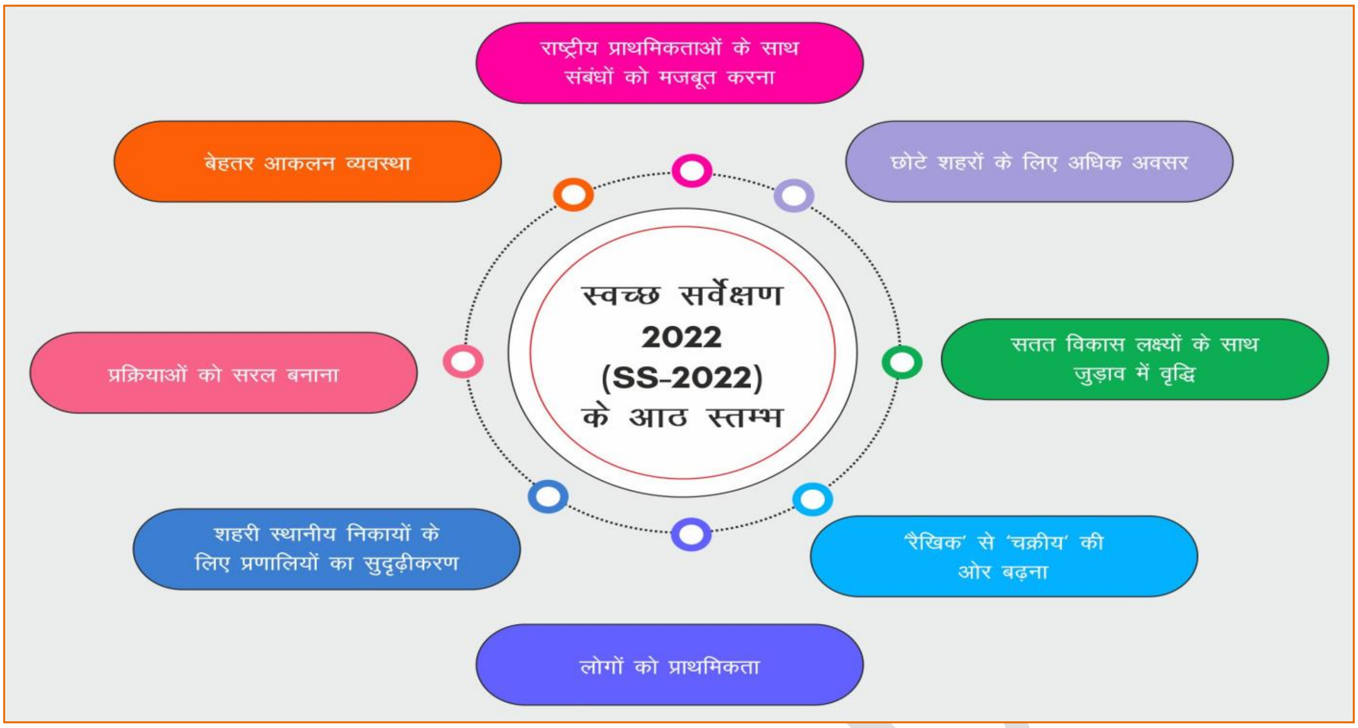

- इस सर्वेक्षण का उद्देश्य **व्यापक पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।** साथ ही, **कस्बों एवं शहरों को वासयोग्य बेहतर स्थान बनाने** की दिशा में एकजुट होकर प्रयास करने के महत्व के बारे में **समाज के सभी वर्गों के मध्य जागरूकता सृजित** करना है।
- **स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की मुख्य विशेषताएं**
  - इसे **"जनता प्रथम"** के सिद्धांत के साथ डिजाइन किया गया है। शहर के मूल्यांकन में **युवा वयस्कों और वरिष्ठ नागरिकों का मत** निर्णायक कारक बनेगा,
  - इसमें विशिष्ट वैज्ञानिक संकेतक शामिल किए गए हैं। ये संकेतक **शहरों को अग्रिम पंक्ति के सफाई कर्मचारियों के लिए उनकी कार्यस्थिति और आजीविका के अवसरों में सुधार** करने हेतु प्रेरित करते हैं।
  - प्रथम बार **जिलों को रैंकिंग प्रदान करने की प्रक्रिया** आरंभ की गई है।
  - **यह सर्वेक्षण 15 हजार से कम और 15-25 हजार के मध्य की दो जनसंख्या श्रेणियों** को शामिल करके छोटे शहरों को भी समान अवसर प्रदान करता है।
  - सर्वेक्षण का विस्तार करते हुए अब इसमें प्रतिदर्श के लिए 100 प्रतिशत वार्डों को शामिल कर लिया गया है। ज्ञातव्य है कि विगत वर्षों में यह आंकड़ा केवल 40 प्रतिशत था।
  - यह सर्वेक्षण शहरी भारत के स्मारकों और विरासत स्थलों को स्वच्छ करने के लिए नागरिकों को उत्तरदायित्व ग्रहण करने एवं पहल करने के लिए प्रेरित करके भारत की प्राचीन विरासत व संस्कृति की रक्षा करने के लिए तैयार है।
  - सर्वेक्षण के आगामी संस्करण में दस्तावेजों की डिजिटल ट्रैकिंग, स्वच्छता की जियो टैगिंग आदि जैसे बेहतर तकनीकी हस्तक्षेप होंगे। साथ ही, बेहतर दक्षता के लिए अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का उपयोग बढ़ेगा व जनता तक पहुंच बढ़ाने के लिए क्यूआर कोड आधारित नागरिक प्रतिक्रिया का उपयोग होगा।
- यह **'जनभागीदारी'** की व्यापक थीम के तहत **नागरिक केंद्रित गतिविधियों** की एक श्रृंखला आयोजित करेगा।
  - **'कचरा अलग करो'** जैसे अभियान स्रोत पर ही पृथक्करण की प्रथा को मजबूत करेंगे, जो एक प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन की आधारशिला है।
  - इसके अलावा, **'अपशिष्ट से धन' ('Waste to Wealth') की थीम के तहत, शहर भर में नागरिकों द्वारा संचालित प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा।**
  - यह स्वच्छता अभियान चलाने के लिए **नेताओं, उद्यमियों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), NGOs** आदि को मान्यता देगा और उन्हें सम्मानित भी करेगा।

6.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News In Shorts)

6.7.1. शिक्षा मंत्रालय ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए 'इंडिया रैंकिंग 2021' को जारी किया {Ministry of Education (MOE) Releases India Rankings of Higher Education Institutes (HEIs), 2021}

- यह **भारत में उच्चतर शिक्षण संस्थानों** (HEIs) को प्रदान की जाने वाली रैंकिंग का लगातार **छठा संस्करण** है। इसे **राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क** (NIRF)[109] द्वारा जारी किया गया है।
- NIRF को **शिक्षा मंत्रालय** (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा सितंबर 2015 में स्वीकृत किया गया था। यह फ्रेमवर्क देश भर के **संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा** तैयार करता है।
  - यह देश में HEIs को रैंक प्रदान करने के लिए भारत सरकार का प्रथम प्रयास है। NIRF से पूर्व, HEIs को आमतौर पर निजी संस्थाओं द्वारा रैंकिंग प्रदान की जाती थी।
  - वर्ष 2018 में देश भर के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए **'राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क'** में भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया था।
- सभी शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन **पांच मानकों** पर किया जाता है यथा- **शिक्षण, अधिगम और संसाधन, अनुसंधान एवं व्यावसायिक अभ्यास , स्नातक परिणाम, विस्तार व समावेशिता तथा अनुभव।**
- NIRF कुल **11 श्रेणियों** में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों को सूचीबद्ध करता है, जो इस प्रकार हैं**: समग्र राष्ट्रीय रैंकिंग, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, कॉलेज, चिकित्सा, प्रबंधन, फार्मेसी, विधि, वास्तुकला, दंत चिकित्सा और अनुसंधान।**

शीर्ष पाँच			
रैंक	**समग्र रूप से (Overall)**	**विश्वविद्यालय**	**महाविद्यालय**
1	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु	मिरांडा हाउस, दिल्ली
2	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU)	श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC), दिल्ली
3	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU)	लोयोला कॉलेज, चेन्नई
4	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	कलकत्ता विश्वविद्यालय	सेंट जेवियर्स महाविद्यालय, कोलकाता
5	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	अमृता विश्व विद्यापीठम	रामकृष्ण मिशन विद्यामंदिर, हावड़ा

6.7.2. 'साथ' पहल (Saath Initiative)

- हाल ही में, 'साथ' पहल का उद्घाटन **जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल** द्वारा किया गया था।
  - यह स्वयं सहायता समूह (Self Help Group: SHGs) से जुड़ी महिलाओं के लिए आरंभ किया गया एक कार्यक्रम है। इसके द्वारा ग्रामीण उद्यम को तीव्रता प्रदान किया जाएगा।
  - यह स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों पर **मार्गदर्शन** प्रदान करेगा और इन उत्पादों को **बाजार से जोड़ने में मदद** करेगा।
  - साथ ही, इसके तहत इन महिलाओं को **मार्केटिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी।**
- इस पहल का उद्देश्य कौशल प्रदान करना और **महिलाओं के व्यवसायों को उच्च स्तर के उद्यमों** में परिवर्तित करना है।

---

[109] National Institutional Ranking Framework: NIRF

6.7.3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को सुगम बनाने के लिए नियम निर्धारित करेगा {The Ministry Of Women And Child Development (MWCD) To Bring Rules To Ease Inter-Country Adoption}

- विधि मंत्रालय द्वारा **दत्तक ग्रहण (संशोधन) विनियम, 2021** का निरीक्षण कर लिया गया है। यह विनियम सुनिश्चित करेगा कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)[110] द्वारा हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम (HAMA)[111] के तहत अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण का विकल्प चुनने वाले भावी माता-पिता को शीघ्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्रदान किया जाए।
- ज्ञातव्य है कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के तहत दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को विनियमित किया जाता है।
  - वर्तमान में, भारत में अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण हेतु दो विकल्प हैं:
    - एक **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015**[112], इसे **CARA** विनियमित करता है, तथा
    - दूसरा **हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम** ।
  - वर्तमान में, CARA के माध्यम से दत्तक ग्रहण (अर्थात् बच्चों को गोद लेना) हेतु माता-पिता **विदेश यात्रा के लिए** अपने बच्चों का **पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु NOC ले सकते हैं।** किन्तु, **HAMA के तहत दत्तक ग्रहण के मामले में**, माता-पिता को NOC प्राप्त करने हेतु **न्यायालय की शरण में जाना पड़ता था,** क्योंकि इसके लिए कोई अन्य तंत्र मौजूद नहीं था।
- विगत माह, **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) ने दो वर्ष की उस अनिवार्य अवधि को समाप्त कर दिया था**, जिसके तहत बच्चे को गोद लेने वाले परिवार को CARA तथा अन्य अधिकारियों की निरंतर निगरानी के अधीन देश में रहना पड़ता था।
  - ऐसे मामलों में, गोद लिए गए बच्चे की प्रगति तथा सुरक्षा की निगरानी CARA और अन्य प्राधिकरणों की बजाय प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी या केंद्रीय प्राधिकरण या भारतीय राजनयिक मिशन या संबंधित सरकारी विभाग द्वारा की जाएगी।
- **महत्व:** यह दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु किया जा रहा है। साथ ही, यह बालकों के साथ शोषण या बाल तस्करी की भी रोकथाम सुनिश्चित करेगा।
  - केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, MWCD के तहत **एक सांविधिक निकाय** है। यह अंतर्देशीय (in-country) व अंतर-देशीय (inter-country) बाल दत्तक ग्रहण के लिए **नोडल निकाय** के रूप में कार्य करता है।
  - **HAMA को वर्ष 1956 में अधिनियमित** किया गया था। इसमें **हिंदू, सिख, बौद्ध तथा जैन समुदाय** शामिल हैं।

6.7.4. केंद्र सरकार द्वारा फोर्टिफाइड चावल के लिए एक समान विनिर्देशों की घोषणा की गई है (Centre Announces Uniform Specifications For Fortified Rice)

- **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** के तहत **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD)** ने ग्रेड ए के फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स (FRK) और सामान्य चावल के लिए एक समान विनिर्देश जारी किए हैं। इन विनिर्देशों के अनुसार सामान्य चावल के स्टॉक के साथ 1 प्रतिशत FRK मिलाया जाना चाहिए।
  - **वर्ष 2024** तक स्कूलों में **मध्याह्न भोजन** और **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)** सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत वितरित किया जाने वाला चावल **फोर्टिफाइड चावल** होगा।
- **महत्व:**
  - महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के उच्च स्तर को नियंत्रित करना।
  - निर्धनों के लिए पूरक आहार प्रदान करना।
- **बायो-फोर्टिफिकेशन** को भोजन में आवश्यक **सूक्ष्म पोषक तत्वों** (विटामिन और खनिज) की मात्रा में सोद्देश्य वृद्धि करने के अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जाता है। इससे खाद्य आपूर्ति की **पोषण गुणवत्ता में सुधार संभव हो** सकेगा तथा स्वास्थ्य के लिए **न्यूनतम जोखिम** के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सकेगा।

---
110 Central Adoption Resource Agency: CARA
111 Hindu Adoption and Maintenance Act: HAMA
112 Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015

- **बायो-फोर्टिफिकेशन** वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पारंपरिक पादप प्रजनन या उन्नत कृषि विज्ञान पद्धतियों या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य फसलों में विटामिन A, जिंक और आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की वृद्धि की जाती है।

- **भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)** के मानदंडों के अनुसार, 1 किलो फोर्टिफाइड चावल में **आयरन** (28 माइक्रोग्राम-42.5 माइक्रोग्राम), **फोलिक एसिड** (75-125 माइक्रो ग्राम) और **विटामिन B-12** (0.75-1.25 माइक्रोग्राम) होना चाहिए।
    - इसके अतिरिक्त, चावल में **जिंक**, **विटामिन-A**, **विटामिन-B1**, **विटामिन-B2**, **विटामिन B3** और **विटामिन B-6** जैसे **सूक्ष्म पोषक** तत्व भी पाए जा सकते हैं।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

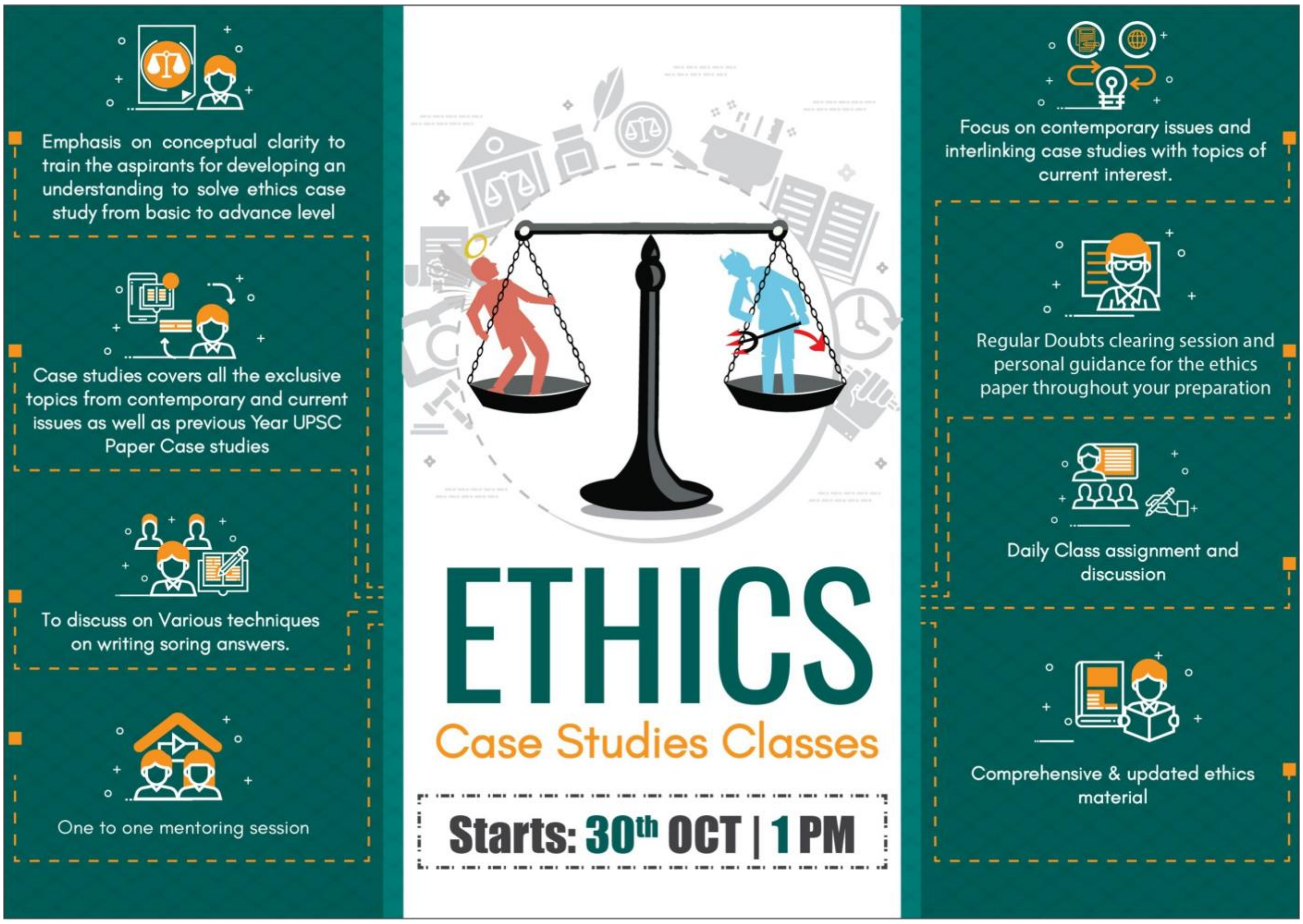
Emphasis on conceptual clarity to train the aspirants for developing an understanding to solve ethics case study from basic to advance level
Case studies covers all the exclusive topics from contemporary and current issues as well as previous Year UPSC Paper Case studies
To discuss on Various techniques on writing soring answers.
One to one mentoring session
ETHICS
Case Studies Classes
Starts: 30th OCT | 1 PM
Focus on contemporary issues and interlinking case studies with topics of current interest.
Regular Doubts clearing session and personal guidance for the ethics paper throughout your preparation
Daily Class assignment and discussion
Comprehensive & updated ethics material

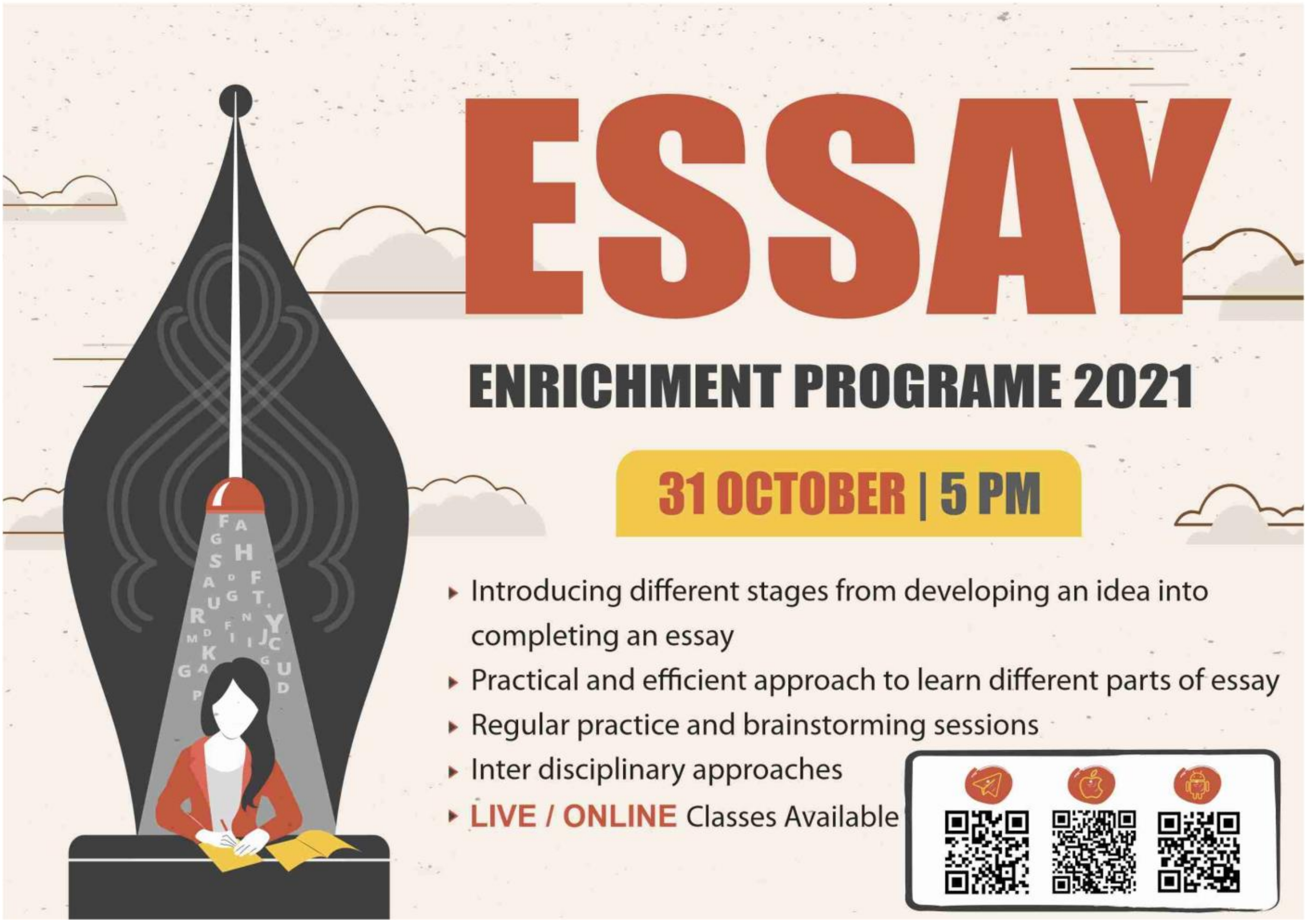
ESSAY
ENRICHMENT PROGRAME 2021
31 OCTOBER | 5 PM
Introducing different stages from developing an idea into completing an essay
Practical and efficient approach to learn different parts of essay
Regular practice and brainstorming sessions
Inter disciplinary approaches
LIVE / ONLINE Classes Available

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग (Use of Technology In Agriculture)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कृषि क्षेत्र में बीमा से जुड़े दावों को लेकर धोखाधड़ी बढती जा रही है। ऐसे में धोखाधड़ी और झूठे बीमा संबंधी दावों पर नजर रखने हेतु बीमाकर्ताओं के लिए ड्रोन और सैटेलाइट इमेजिंग के उपयोग को अनिवार्य किया जा सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- केंद्र तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं बिग डेटा का उपयोग करने** पर विचार किया जा रहा है। इससे बीमा से जुड़ी प्रक्रियाओं में होने वाले हेरफेर की पहचान और दावों के निपटान में होने वाले विलंब को कम किया जा सकता है।
- यह **बीमा संबंधी प्रक्रियाओं में किए जा रहे हेरफेर के निदान** को गति प्रदान करेगा। इन प्रक्रियाओं में किए जाने वाले हेरफेर से कृषि क्षेत्र के साथ-साथ औद्योगिक बीमा क्षेत्र में भी झूठे दावों को बढ़ावा मिलता है।

भारतीय कृषि में प्रौद्योगिकी या तकनीक का अनुप्रयोग

फसल एवं मृदा की निगरानी: इसके लिए कंपनियां फसल एवं मृदा स्वास्थ्य की जांच के लिए सेंसर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT आधारित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल उठा रही हैं।

भविष्य के लिए कृषि का अनुमानित विश्लेषण: प्रोद्योगिकी का प्रयोग बीज बोने के अनुकूल व उचित समय का पता लगाने या भविष्य में संभावित कीटनाशक हमले के बारे में सचेत करने के लिए किया जाता है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) को उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

वास्तविक समय में आकंड़ों का विश्लेषण: एक प्रभावी एवं स्मार्ट आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करने के लिए आवश्यक।

भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने वाले कारक

- **भारत में जनसंख्या एवं औसत आय में वृद्धि तथा वैश्वीकरण के प्रभाव** के कारण खाद्य पदार्थों की मात्रा, गुणवत्ता और पौष्टिकता एवं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की माँग में वृद्धि होगी।
- कृषि में प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने से **कुशल, पर्यावरण अनुकूल तथा न्यायसंगत कृषि एवं खाद्य प्रणाली** का निर्माण किया जा सकता है। यह खेतों को उपभोक्ताओं से जोड़ने में सक्षम हो सकता है।
- भारत **कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निधि (फंड्स) प्राप्त करने वाला और स्टार्ट-अप्स के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश** है।
    - वर्ष 2025 तक भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी (Agritech) बाजार बढ़कर 30-35 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा। उत्पादों, इनपुट्स (आगतों) और डिजिटल रूप से सक्षम लॉजिस्टिक्स की ई-बिक्री एग्रीटेक के प्रमुख घटक होंगे।

कृषि में प्रयोग होने वाले आधुनिक तकनीक

कृषि ड्रोन: उचित सेंसर का उपयोग कर ड्रोन किसानों को फसल, मृदा क्षरण, शुष्क क्षेत्रों, कवक संक्रमण इत्यादि से जुड़ी रियल टाइम सूचनाएं उपलब्ध करा सकते हैं।

उपग्रह चित्र या सेटेलाइट इमेज: खेत में गए बिना फसल पर निगरानी रखने के लिए।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धमत्ता): ऐसे समाधान आधारित डेटा तक पहुंचने के लिए जो मौसम की दशाओं, फसल को किस तरह की कटाई की जरूरत है और किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है, इस बारे में सूचना देते हैं।

मृदा एवं जल सेंसर: ये आर्द्रता एवं नाइट्रोजन स्तर का पता लगाते हैं।

मिनी–क्रोमोसोमल टेक्नोलॉजी: मिनी–क्रोमोसोम कोशिका के अंदर सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिनका प्रयोग किसी पौधे को दर्जनों या सैकड़ों नई विशेषताएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इसका प्रयोग कर कृषि जीन–वैज्ञानिक किसी पौधे में दर्जनों और यहां तक कि सैकड़ों नए गुण पैदा कर सकते हैं।

रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टेक्नोलॉजी: इसका उपयोग किसी विशेष फसल का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग खेती की उपज से जुड़ी सूचनाओं को उपलब्ध कराने के लिए भी किया जाता है।

स्मार्ट फोन: इसकी सहायता से किसान अपने प्रत्येक खेत पर गए बिना फोन या कम्प्यूटर से अपनी सिंचाई प्रणाली को नियंत्रित कर सकते हैं।

लंबवत खेती (Vertical Farming): यह किसानों को अपनी फसल उपज बढ़ाने के लिए शानदार संभावनाएं प्रदान करती है जिससे वे सीमित भूमि क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं से निपट सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम कर सकता है क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला में यात्रा करने की दूरी कम हो जाती है।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT): मृदा आर्द्रता की जांच, जल के स्तर, वर्षा, मौसम स्टेशन, सिंचाई पंप और मवेशियों के बायोमेट्रिक के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। स्मार्ट फोन से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है।

रोबोटिक्स: खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सकारात्मक रूप से प्रभाव डाल सकता है, विशेष रूप से उच्च मूल्य वाली फसलें जिसमें गहन श्रम की जरूरत होती है।

कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **भारत सरकार** द्वारा **"किसान सुविधा"** नामक एक नि:शुल्क ऐप का आरंभ किया गया है। यह किसानों को मौजूदा मौसम, बाजार मूल्य, डीलरों से संबंधित सूचनाएं, पादप संरक्षण आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- **इसरो (ISRO)** द्वारा **'भुवन'** नामक एक जियो-प्लेटफ़ॉर्म (या भू-पोर्टल) आरंभ किया गया है। यह वृक्षारोपण, कीटों निगरानी और मौसम संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करता है।
- **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** द्वारा देश के **कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs)** का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। इन केंद्रों को तकनीक का आकलन करने और इसके उपयोग और क्षमता विकास का प्रदर्शन (TADA-CD)[113] करने का दायित्व सौंपा गया है।
    - KVKs द्वारा प्रदर्शन, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य किसानों और कृषि क्षेत्र में संलग्न महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और कृषि विस्तार से जुड़े लोगों को लाभ प्रदान करना होता है।
- **ई-सगु (e-sagu):** यह किसानों को विशेषज्ञतापूर्ण परामर्श प्रदान वाली एक पहल है। इसके तहत परामर्श प्रदान करने के लिए इंटरनेट और ऑडियो-विजुअल संचार सुविधा का उपयोग किया जाता है। साथ ही, कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए किसानों को विभिन्न तकनीकों के बारे में नियमित परामर्श प्रदान किया जाता है।

कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग से होने वाले लाभ

- **फसलों की उन्नत किस्में:** जैव-प्रौद्योगिकी और ब्रीडिंग (चयनात्मक प्रजनन) के उपयोग से पर्यावरण अनुकूल और रोग प्रतिरोधी, जलवायु अनुकूल, अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट फसल किस्मों को विकसित करने में सहायता मिलेगी।
- **उत्पादकता में सुधार:** उपग्रहों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन आदि का उपयोग कर मृदा स्वास्थ्य, फसल क्षेत्र और उपज के संबंध में बेहतर डेटा एकत्र किया जा सकता है। यह कार्य कृषि को अधिक लाभदायक, आसान और पर्यावरण के अनुकूल बना सकता है। साथ ही, यह बेहतर अनुमानों के साथ बीमाकर्ताओं की लागत को भी कम कर सकता है।
- **पर्यावरणीय संधारणीयता:** सूक्ष्म स्तर पर या परिशुद्ध (Precision) कृषि प्रणालियों से पर्यावरणीय संधारणीयता में सुधार होता है। इस प्रणाली के तहत प्राकृतिक संसाधनों की सतत निगरानी की जाती है। साथ ही, इसके तहत पोषण की कमी होने या सूखे पड़ने से पहले ही आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई की जाती है।
- **उत्पादन लागत में कमी:** कृषि के यंत्रीकरण से समय में 20-30 प्रतिशत की बचत, शारीरिक श्रम में 20-30 प्रतिशत की कमी और कृषि उत्पादकता में 10-15 प्रतिशत की समग्र वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **जल उपयोग दक्षता में सुधार:** पारंपरिक कुंए एवं नलकूप, नहर, तालाब, बाढ़ के जल आदि से की जाने वाली सिंचाई की तुलना में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे आधुनिक तरीकों द्वारा खेतों में जल उपयोग की मात्रा को 70 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

[113] Technology Assessment and Demonstration for its Application and Capacity Development: TADA-CD

- **किसानों के जीवन में आराम:** स्मार्ट फोन आदि द्वारा नियंत्रित GPS तकनीक, ड्रोन, रोबोट आदि के उपयोग से किसानों के जीवन को सरल बनाया जा सकता है। इससे कृषकों को बेहतर परिणाम भी प्राप्त होते हैं। साथ ही, इन उन्नत उपकरणों द्वारा कृषि को अधिक लाभदायक, आसान और पर्यावरण अनुकूल बनाने में सहायता मिलेगी।
- **बेहतर निर्णय-निर्माण:** समय पर, सटीक और स्थान-विशिष्ट मौसम तथा कृषि संबंधी आंकड़ों के साथ-साथ खेतों और पशुओं के बारे में उपयुक्त आंकड़े प्राप्त होने से किसान अपने लिए बेहतर निर्णय लें सकेंगे।
- **जलवायु/मौसम पूर्वानुमान: ड्रोन, रिमोट सेंसर** और **उपग्रह** खेतों में एवं उसके आसपास के क्षेत्रों के मौसम के बारे में 24x7 डेटा एकत्रित करते हैं। इससे किसानों को तापमान, वर्षा, मृदा, आर्द्रता आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।

कृषि में प्रौद्योगिकी को अपनाने से संबंधित चुनौतियाँ

- **तकनीकी परामर्श की उच्च लागत:** छोटे आकार के जोत, घटिया सार्वजनिक अवसंरचना और मानव पूंजी में अपर्याप्त निवेश के कारण प्रासंगिक तकनीकी परामर्श एवं सेवाएं प्राप्त करने की लागत उच्च हो जाती है।
- **किसानों का अनिच्छुक होना:** जब तक किसानों को यह विश्वास नहीं हो जाता कि तकनीक में निवेश से उन्हें पर्याप्त लाभ होगा तब तक इसे अपनाने के लिए उन्हें मनाना एक कठिन कार्य है।
- **अनुसंधान एवं विकास का अभाव:** देश में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया जा रहा अनुसंधान एवं विकास मुख्यतः संसाधनों के अभाव, अनुसंधान से संबंधित विषय के बारे अपर्याप्त डेटा या जानकारी और प्रेरणा एवं प्रयासों की कमी से ग्रसित है।
  - देश में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) व्यवस्था की मौजूदा प्रकृति के कारण कृषि से संबंधित अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्रक का निवेश भी कम है।
- **डिजिटल अंतराल:** लघु और सीमांत कृषकों के पास डिजिटल एप्लिकेशन का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त कौशल और ज्ञान की कमी होती है। फलस्वरूप, इन डिजिटल अवसरों का लाभ न उठाने से ऐसे किसान कई प्रकार के लाभों से वंचित हो जाते हैं।
- **अकुशल श्रम:** डिजिटल तकनीक से कुशल श्रम की माँग में वृद्धि होती है और अकुशल श्रम की माँग में कमी होती है। इससे श्रम बाजार में असमानताओं को बढ़ावा मिलता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल में और अधिक वृद्धि हो सकती है।

आगे की राह

- मौजूदा सार्वजनिक कृषि रिकॉर्ड और मृदा की गुणवत्ता, मौसमी संबंधी दशाओं तथा कीट एवं रोग निगरानी से संबंधित डेटा का डिजिटलीकरण करना चाहिए। इससे किसानों की **आधारभूत डेटा तक पहुंच को मजबूत करने** और **डेटा साझाकरण को बढ़ावा देने** में सहायता मिलेगी।
- परिशुद्ध कृषि संबंधी डेटा को एकत्रित करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसी **तकनीकों को अपनाने में बाधा उत्पन्न करने वाले विनियमों की समीक्षा करनी चाहिए।**
- **डिजिटल उद्यमिता पारितंत्र का समर्थन करना चाहिए।** यह कृषि में डिजिटल समाधानों की बेहतर आपूर्ति हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ई-कृषि रणनीतियों, कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप नीतियों, नई तकनीकों का परीक्षण करने के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स आदि को अपनाने जैसे प्रयास किए जा सकते हैं।
- **तकनीक हस्तांतरण के लिए** स्वयं सहायता समूहों और किसान क्लबों जैसे प्रभावी तथा एक-दूसरे से जुड़े समूहों की आवश्यकता है। इसका उपयोग सरकार प्रायोजित योजनाओं के बारे में सूचनाओं के प्रसार हेतु एक माध्यम के रूप में किया जा सकता है।
- ऐसी तकनीकों को विकसित और प्रचारित किया जाना चाहिए जो न केवल उत्पादकता में वृद्धि करती हो बल्कि **प्राकृतिक संसाधन आधार की गुणवत्ता के संरक्षण और संवर्धन भी करती हो।**
- कृषि में तकनीकी स्तर को बढ़ाने के लिए **नई वित्तीय व्यवस्थाओं और सूक्ष्म ऋणों** की आवश्यकता पड़ सकती है। वर्तमान में इनकी उपलब्धता का स्तर आवश्यकता के अनुरूप नहीं है।

7.2. कोयला आधारित हाइड्रोजन (Coal Based Hydrogen)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **कोयला मंत्रालय** द्वारा **कोयला आधारित हाइड्रोजन** उत्पादन के लिए कार्ययोजना तैयार करने हेतु एक **कार्य बल और विशेषज्ञ समिति** का गठन किया गया है।

VISIONIAS

अन्य संबंधित तथ्य

यह **टास्क फ़ोर्स या कार्य बल** और **विशेषज्ञ समिति निम्नलिखित** विषयों पर विचार करेगी अर्थात् इसके विचारार्थ विषयों {Terms of Reference:TOR} में शामिल हैं:

- **विशेषज्ञों और उनकी भूमिकाओं की पहचान करना:** प्रत्येक हितधारक मंत्रालय द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की पहचान करना और साथ ही संबंधित विशेषज्ञों की पहचान करना एवं उन्हें सदस्यों के रूप में शामिल करना।
- कोयला आधारित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को प्राप्त करने की दिशा में **गतिविधियों पर निगरानी रखना।**
- **कोयला गैसीकरण मिशन, नीति आयोग** और हाइड्रोजन के क्षेत्र में कार्य कर रहे **अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों** के साथ समन्वय स्थापित करना।
- **कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग के लिए एक ऐसी कार्ययोजना तैयार करना** जो आर्थिक रूप से लाभदायक तथा पर्यावरण के अनुकूल हो। इसके लिए आवश्यक नीतिगत प्रोत्साहन भी दिया जाना है।

हाइड्रोजन की वैश्विक स्थिति

- हाइड्रोजन की वर्तमान वैश्विक मांग लगभग **70 मिलियन मीट्रिक टन** है। इसमें से अधिकांश का उत्पादन जीवाश्म ईंधन से किया जा रहा है। हाइड्रोजन का **76 प्रतिशत उत्पादन प्राकृतिक गैस से** 23 प्रतिशत उत्पादन **कोयले से** और **शेष हिस्से का उत्पादन जलीय विद्युत अपघटन (electrolysis) के माध्यम से किया जा रहा है।**
    - इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष लगभग 830 मीट्रिक टन CO_2 का उत्सर्जन होता है। इसमें से प्रतिवर्ष केवल 130 मीट्रिक टन को कैप्चर और उर्वरक उद्योग में उपयोग किया जाता है।
- उत्पादित अधिकांश हाइड्रोजन का उपयोग **तेल शोधन, अमोनिया, मेथनॉल उत्पादन, इस्पात उत्पादन** के लिए किया जाता है।

कोयला आधारित हाइड्रोजन क्या है?

- हाइड्रोजन को ऊर्जा का एक द्वितीयक स्रोत माना जाता है। इसे आमतौर पर ऊर्जा वाहक के रूप में संदर्भित किया जाता है। हाइड्रोजन को भौतिक रूप से गैस या तरल दोनों रूप में भंडारित/संग्रहित किया जा सकता है।
- कोयला मुख्यतः **दो घटकों** अर्थात् **कार्बन-आधारित पदार्थ** (प्रागैतिहासिक वनस्पतियों के अपघटित अवशेष), और **खनिज पदार्थ** (कोयले के खननवाली भूमि से प्राप्त) का मिश्रण होता है।
    - **कार्बन-आधारित पदार्थ** पाँच मुख्य तत्वों अर्थात् **कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन** और **सल्फर** से निर्मित होते हैं। **(इन्फोग्राफिक देखें)**

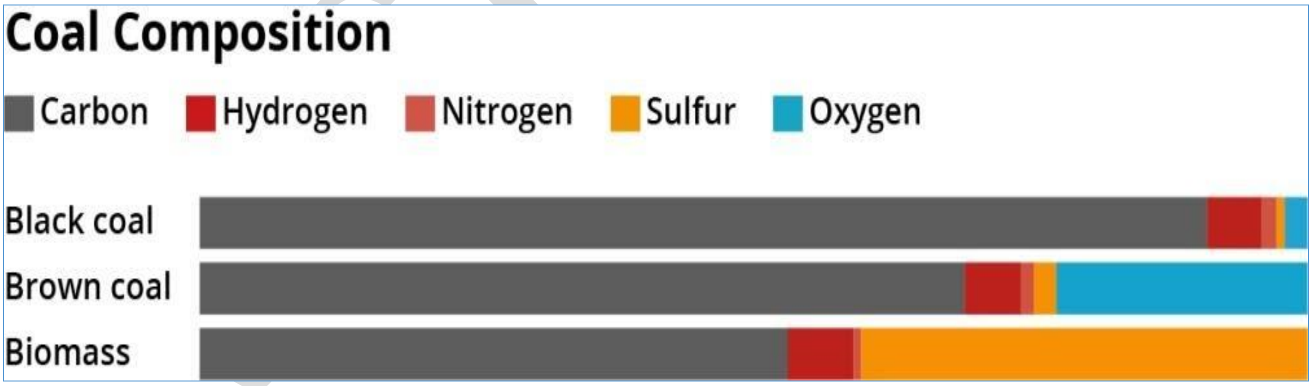

- **कोयला** विद्युत अपघटन (इलेक्ट्रोलायसिस) के जरिए **प्राकृतिक गैस (ग्रे हाइड्रोजन), नवीकरणीय ऊर्जा (ग्रीन हाइड्रोजन)** तथा **हाइड्रोजन बनाने (ब्राउन हाइड्रोजन)** के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा (हरित/ग्रीन हाइड्रोजन) के मामले में जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए अधिशेष सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है।
- **वैश्विक स्तर पर हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कार्यों पर बल दिया जा रहा है:**
    - **वाहनों में पेट्रोल/डीजल के स्थान पर हाइड्रोजन को बढ़ावा देना,**
    - हाइड्रोजन के रूप में अधिशेष नवीकरणीय ऊर्जा का भंडारण करना (क्योंकि विद्युत को लागत प्रभावी मूल्यों पर भंडारित नहीं किया जा सकता है), और
    - उत्सर्जन में कटौती करना इत्यादि।

VISIONIAS

हाइड्रोजन के प्रकार

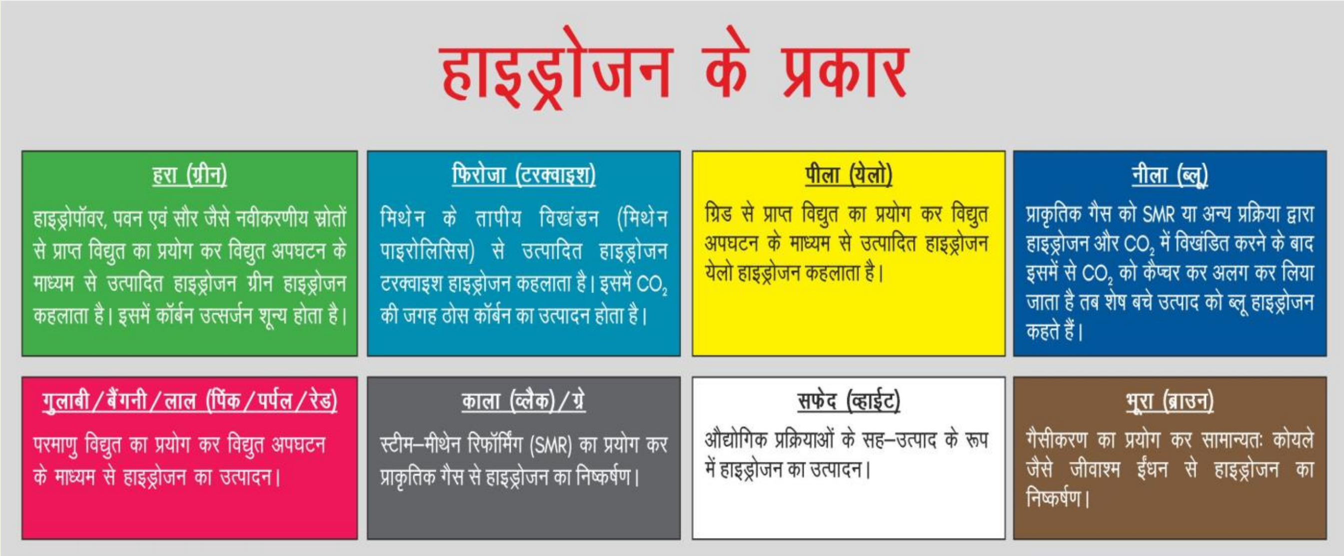

कोयला आधारित हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे किया जाता है?

कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए **आंशिक ऑक्सीकरण प्रक्रिया** का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ है कोयले का दहन वायु की उपस्थिति में किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। **(कोयला आधारित हाइड्रोजन निर्माण की प्रक्रिया के लिए इन्फोग्राफिक देखें)**

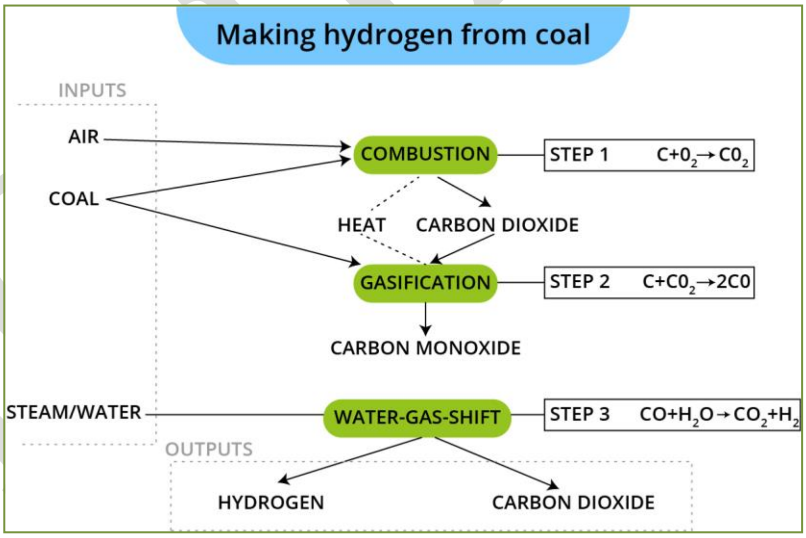

- **आंशिक ऑक्सीकरण के दौरान गैसीकरण कारक** के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है।
- कार्बन डाइऑक्साइड, कोयले में शेष कार्बन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करती है {यह एक **ऊष्माक्षेपी (endothermic) गैसीकरण अभिक्रिया** है, जिसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है}।
- गैसीय प्रवाह में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अब भाप के साथ अभिक्रिया करती है, जिससे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है।

इस क्षेत्रक में भारत की स्थिति कैसी दिखती है?

- भारत में, **वर्ष 2050** तक हाइड्रोजन की मांग में **5 गुना वृद्धि** हो सकती है। उद्योगों में इसका उपयोग मांग में वृद्धि का मुख्य कारक होगा।
- उद्योग क्षेत्रक में **हाइड्रोजन की मांग में वृद्धि करने में इस्पात और अमोनिया** क्षेत्र प्रमुख भूमिका निभाएंगे। इसके बाद तेल शोधन शालाओं और मेथनॉल क्षेत्र का स्थान होगा।
- वर्ष 2030 तक, नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हाइड्रोजन की लागत 50% तक कम हो जाएगी। इस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित हाइड्रोजन, जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगेगी।
- **भारत में उत्पादित लगभग 100 प्रतिशत हाइड्रोजन का निर्माण प्राकृतिक गैस** (ग्रे हाइड्रोजन) के माध्यम से होता है।

इस संदर्भ में, कोयला आधारित हाइड्रोजन के अपनाए जाने से भारत को निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकते हैं:

कोयला आधारित हाइड्रोजन के लाभ	कोयला आधारित हाइड्रोजन से संबंधित चुनौतियां
• भारत, कोयला भंडार के मामले में विश्व का चौथा सबसे बड़ा	• वर्तमान तकनीक के तहत मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन पुनर्निर्माण प्रक्रिया

देश है। इसलिए कोयले से उत्पादित हाइड्रोजन की लागत क्रमशः विद्युत अपघटन और प्राकृतिक गैस के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन की लागत से सस्ती और कम उतार चढ़ाव वाली हो सकती है। • **यह स्वच्छ ऊर्जा विकसित करने** का एक प्रभावी माध्यम हो सकता है।	के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। इससे **अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन** होगा। • हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु कोयले को कहीं भी प्रोत्साहित नहीं किया गया है, क्योंकि कोयले के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पादन के दौरान कार्बन उत्सर्जन (कोयले में उपस्थित नमी से) होने की संभावना बनी रहती है। • सुरक्षा और भंडारण से संबंधित समस्या। • इसमें भविष्य हेतु स्वच्छ ईंधन के लिए **अत्यंत आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण** और उपभोक्ता बाजारों (अर्थात् हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले वाहन के लिए) का विकास करने से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

आगे की राह

स्वच्छ हाइड्रोजन का एक नए उत्पाद के रूप में व्यापार किया जा सकता है। सुरक्षा संबंधी विनियम बनाने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन के उपयोग के लिए मानक निर्धारित करने के लिए भी अत्यधिक प्रयासों की आवश्यकता होगी। भारत को हाइड्रोजन तकनीक का विकास और उपयोग करने, स्वदेशी स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देने, घरेलू स्तर पर लाभों को अधिकतम करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आर्थिक दंड संबंधी प्रावधान करने में दूरदर्शी भूमिका निभानी चाहिए।

7.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News In Shorts)

7.3.1. सुर्ख़ियों में रहे में अंतरिक्ष कार्यक्रम (Space Programmes In News)

- **इन्स्पिरेशन 4 (Inspiration4):** यह प्रथम कक्षीय यात्रा है, **जिसमें सवार व्यक्तियों में से कोई भी पेशेवर अंतरिक्ष यात्री नहीं है।**
    - चालक दल ने **स्पेसएक्स रॉकेट कंपनी** द्वारा उपलब्ध करवाए गए **ड्रैगन कैप्सूल का उपयोग** किया है।
    - दान के लिए वित्त जुटाने के अतिरिक्त, इस **मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर गहन अंतरिक्ष के जैविक प्रभावों का अध्ययन करना है।**
- **नासा का लुसी मिशन:**यह **बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने वाला प्रथम अंतरिक्ष मिशन होगा।** इसका उद्देश्य 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल के निर्माण से संबंधित नई जानकारी प्राप्त करना है।
    - ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति से संबद्ध ट्रोजन क्षुद्रग्रह, **बाह्य ग्रहों का निर्माण करने वाली मौलिक सामग्री/घटकों के अवशेष** हैं।
    - **ट्रोजन दो अनिश्चित समूहों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं,** जिसमें एक समूह बृहस्पति से आगे तथा दूसरा उसके पीछे होता है।

7.3.2. ब्ल्यू स्ट्रैग्लर (Blue straggler)

- भारतीय शोधकर्ताओं ने पहली बार ब्ल्यू स्ट्रैग्लर का व्यापक विश्लेषण किया है।
- ब्ल्यू स्ट्रैग्लर अन्य सितारों की तुलना में **अपेक्षाकृत अत्यधिक विशाल और नीले** रंग के होते हैं। ये **एक तारे का दूसरे तारे में विलय होने (सरल शब्दों में कहें तो एक तारे का दूसरे तारे में समा जाना) पर** निर्मित होते हैं।
    - ये तारे मुख्य रूप से **प्राचीन और विशाल तारों के समूहों** में मौजूद होते हैं।
    - 54% से अधिक ब्लू स्ट्रैगलर **निकट के बाइनरी साथी तारे से वृहद पैमाने पर होने वाले द्रव्यमान स्थानांतरण के परिणामस्वरूप निर्मित होते हैं।** 30% संभावित रूप से **2 तारों के टकराव के माध्यम** से निर्मित होते हैं और 10-16% ब्लू स्ट्रैगलर दो से अधिक तारों की परस्पर अंत:क्रिया के माध्यम से निर्मित होते हैं।

7.3.3. हवाना सिंड्रोम (Havana Syndrome)

- इस महीने की शुरुआत में भारत आए एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी में **हवाना सिंड्रोम के लक्षण मिले हैं।**
- हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के एक समूह को संदर्भित करता है। इसमें आम तौर पर **बिना किसी बाहरी शोर के कुछ ध्वनियाँ सुनना, मतली, चक्कर आना और सिरदर्द, स्मृति हानि और संतुलन संबंधी समस्याएं** शामिल होती हैं।
    - इसकी सूचना पहली बार **वर्ष 2016 में क्यूबा में अमेरिकी दूतावास में स्थित अधिकारियों** द्वारा दी गई थी।

- **यू.एस. नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज** के एक पैनल ने पाया कि **सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत यह है कि "निर्देशित व स्पंदित रेडियो आवृत्ति ऊर्जा"** इस सिंड्रोम का कारण बनती है।

7.3.4. कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ {National Action Plan For Dog Mediated Rabies Elimination (NAPRE) Launched}

- इस NAPRE कार्यक्रम को **राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र** द्वारा विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत वन हेल्थ एप्रोच के माध्यम से **वर्ष 2030 तक कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  - इससे पूर्व, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक **राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम** आरंभ किया गया था।
- रेबीज वस्तुतः **एक पशुजन्य एवं वायरल रोग है, हालांकि टीके के माध्यम से इसकी रोकथाम संभव है।** एक बार रोग के लक्षण प्रकट होने के उपरांत, **रेबीज लगभग 100% तक प्राणघातक** सिद्ध हो सकता है।
  - 99% मामलों में, **घरेलू कुत्ते, मनुष्यों में रेबीज विषाणु के संचरण के लिए जिम्मेदार होते हैं।**
  - रेबीज **अंटार्कटिका को छोड़कर** सभी महाद्वीपों में पाया जाने वाला एक रोग है।

7.3.5. 'यूनाइटेड इन साइंस 2021' रिपोर्ट जारी की गई (United In Science 2021 Report Released)

- यह रिपोर्ट **नवीनतम जलवायु विज्ञान संबंधी जानकारी का एक बहु-संगठन संकलन** {विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO); संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) आदि} है। यह रिपोर्ट पृथ्वी प्रणाली की स्थिति का एकीकृत आकलन प्रदान करती है।
- **इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:**
  - वर्ष 2020 और वर्ष 2021 की प्रथम छमाही में प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों यथा- **कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), मीथेन (CH4) और नाइट्रस ऑक्साइड (N2 O) की सांद्रता में वृद्धि** लगातार जारी रही है।
  - **CO2 उत्सर्जन व्यापक पैमाने पर** वैश्विक महामारी के पूर्व के स्तर पर लौट आया है।
  - वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2019 में **वैश्विक स्तर पर 103 बिलियन से अधिक संभावित कार्य घंटों की हानि हुई है।** इस हेतु उत्तरदायी कारक बढ़ते तापमान के कारण ताप से संबंधित मृत्यु दर और कार्य करने में अक्षमता है।
  - विगत पांच वर्षों (2017-2021) का औसत वैश्विक तापमान रिकॉर्ड किए गए सर्वाधिक औसत तापमानों में से एक था।
  - वर्ष 1900 से वर्ष 2018 तक **वैश्विक औसत समुद्री जल स्तर 20 से.मी. बढ़ गया है।**
- **सिफारिशें:**
  - शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही, लगभग **63% वैश्विक उत्सर्जन** अब ऐसे लक्ष्यों के अंतर्गत शामिल हैं।
  - **कोविड-19 से उबरने के प्रयासों को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और वायु गुणवत्ता रणनीतियों के अनुरूप होना चाहिए,** ताकि जटिल एवं व्यापक जलवायु खतरों से जोखिमों को कम किया जा सके। साथ ही, स्वास्थ्य संबंधी सह-लाभ भी प्राप्त किया जा सके।

7.3.6. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी {Ministry Of Health And Family Welfare Releases 3rd State Food Safety Index (SFSI)}

- यह सूचकांक भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य **नागरिकों के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने हेतु राज्यों को प्रेरित करना है।**
- यह सूचकांक खाद्य सुरक्षा के **पांच मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का मापन करता है:**
  - **मानव संसाधन** जैसे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संख्या और संस्थागत डेटा (20% भारांश);
  - **अनुपालन** (30%);
  - **खाद्य परीक्षण- अवसंरचना और निगरानी** (20%);
  - विनियामक कर्मचारियों और प्रयोगशाला कर्मियों का **प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण** (10%) तथा
  - **उपभोक्ता सशक्तीकरण** (20%)।
- **खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए FSSAI द्वारा आरंभ की गई पहलें**
  - क्लीन स्ट्रीट फूड हब कार्यक्रम।
  - **खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली** (Food Safety Compliance System: FOSCOS) नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म।

VISIONIAS

- **स्कूली बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने हेतु** खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और स्वास्थ्यकर आहार) विनियम, 2019।
- स्कूल परिसर में वसा, नमक और चीनी की उच्च मात्रा वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री एवं विज्ञापन की अनुमति प्रदान नहीं करना।
- जनवरी 2021 तक सभी वसा और तेलों में **औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड (TFA) को अधिकतम 3% और जनवरी 2022 तक अधिकतम 2% तक सीमित करना।**
- **प्री-पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की लेबलिंग संबंधी आवश्यकताओं को निर्धारित करने हेतु** खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020।

- **SFSI सूचकांक की 3 श्रेणियों के अंतर्गत शीर्ष राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**
  - **बड़े राज्य:** गुजरात
  - **छोटे राज्य:** गोवा
  - **संघ राज्यक्षेत्र:** जम्मू और कश्मीर

7.3.7. केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) आरंभ {Government Launches Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM)}

- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)** का लक्ष्य एक निर्बाध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर **अंतर संचालनीयता (interoperability)** को सक्षम करेगा।
  - वर्तमान में, ABDM को **छह संघ राज्यक्षेत्रों में पायलट मोड या प्रायोगिक रूप** में लागू किया जा रहा है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - इस मिशन में **प्रत्येक नागरिक को एक स्वास्थ्य आई.डी.** (पहचान का प्रमाण) आवंटित की जाएगी, जिसका उपयोग उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में किया जाएगा। नागरिकों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड को उनकी संबंधित स्वास्थ्य आईडी से जोड़ा जाएगा। इन रिकॉड्‌र्स को मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से देखा जा सकता है।
    - यह मिशन नागरिकों की सहमति से उनके **अधोमुखी स्वास्थ्य रिकॉर्ड** (LHR)[114] तक पहुंच तथा उनके आदान-प्रदान को सक्षम करेगा।
      - **LHR,** किसी भी स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने वाली संस्था में एक या अधिक बार जाने पर सृजित रोगी की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का **इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड** है।
  - **हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (HPR)** और **हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्ट्रीज (HFR):** ये आधुनिक एवं पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के भंडार के रूप में कार्य करती हैं।
  - ABDM सैंडबॉक्स, प्रौद्योगिकी और उत्पाद परीक्षण के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करेगा।
- **महत्व:**
  - अस्पतालों में **प्रक्रियाओं को सरल बनाने** के साथ-साथ **जीवन की सुगमता में वृद्धि** करना।
  - विश्वसनीय डेटा के उपयोग से रोगियों का लागत प्रभावी व शीघ्र उपचार संभव हो सकेगा तथा उनका जीवन बचाया जा सकेगा।
  - विशेष रूप से **उपयुक्त चिकित्सक तथा अस्पताल के बारे में सुगम जानकारी** उपलब्ध होने से निर्धन एवं मध्यम वर्ग लाभान्वित होंगे।
  - चिकित्सकों, अस्पतालों एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को व्यवसाय करने में सुगमता प्राप्त होगी।
- **डिजिटल स्वास्थ्य समाधान के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग:**
  - **आरोग्य सेतु ऐप:** यह कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम, जागरूकता सृजन, संपूर्ण स्थिति और आसपास के क्षेत्रों को समझने में सहायक है।

[114] Longitudinal Health Records: LHR

VISIONIAS

- **को-विन (Co-WIN):** यह सभी को निःशुल्क (प्राइवेट अस्पतालों के मामले में पेड) टीके की व्यवस्था करने या बुकिंग करने के लिए एक पोर्टल है। इसकी सहायता से टीके के रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त और टीका संबंधी प्रमाण-पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।
- **ई-संजीवनी:** यह एक टेलीमेडिसिन सुविधा है। इसने 1.25 करोड़ से अधिक दूरस्थ चिकित्सकीय परामर्श प्रक्रियाओं को संभव बनाया है।

- **संबंधित तथ्य:** आयुष्मान भारत योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने का समारोह मनाने के लिए आरोग्य मंथन 3.0 आरंभ किया गया है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

8. संस्कृति (Culture)

8.1. गुप्त काल का प्राचीन मंदिर (Ancient temple of Gupta period)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को **उत्तर प्रदेश** के **एटा** के **बिलसढ़ गांव** में **गुप्त काल (5वीं शताब्दी ईस्वी)** के **एक प्राचीन मंदिर के अवशेष** प्राप्त हुए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- बिलसढ़ को वर्ष 1928 से संरक्षित किया गया था और इसे गुप्त काल के एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है।
- **मुख्य प्राप्तियां:** एक दूसरे के समीप स्थित दो अलंकृत स्तंभ, जिन पर मानव आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर **'शंख लिपि' में 'श्री महेंद्रदित्य'** उत्कीर्णित है, जो कि **गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम** द्वारा धारण की गई उपाधि थी।
    - यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि गुप्त काल के अब तक केवल दो अन्य संरचनात्मक मंदिर ही पाए गए हैं। यस हैं - **दशावतार मंदिर (देवगढ़)** और **भीतरगांव मंदिर (कानपुर देहात)।**
    - इस मंदिर के स्तंभ अच्छी तरह से तराशे गए हैं, जो **अन्य पूर्ववर्ती मंदिरों के स्तंभों से बेहतर हैं, जिनमें केवल निचले खंडों को ही तराशा गया था।** अलंकृत स्तंभ और सीढ़ियां पहले वालों की तुलना में कुछ अधिक उन्नत हैं।

कुमारगुप्त प्रथम

- कुमारगुप्त प्रथम **चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र** और **गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त का पौत्र** था।
- वह चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी बना और उसने 40 वर्षों तक (415 से 455 ईस्वी तक) शासन किया।
- उसने **शक्रादित्य** और **महेंद्रादित्य** की उपाधि धारण की थी।
- उसके शासनकाल के दौरान **नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना** हुई थी।
- उसके शासनकाल के दौरान **पुष्यमित्रों द्वारा विद्रोह** किया गया था और **हूणों का आक्रमण** आरंभ हुआ था।
- कुमारगुप्त प्रथम ने हूण आक्रमण के विरुद्ध अपने राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी।

गुप्त काल की मंदिर वास्तुकला के बारे में

- गुप्तों ने ही पहली बार चट्टानों को काटकर बनाए गए प्राचीन मंदिरों से बिल्कुल अलग **संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण** करवाया था।
    - गुप्त राजवंश ने उत्तर-मध्य भारत पर **चौथी और छठी शताब्दी ईस्वी** के बीच शासन किया था। इस अवधि को **कला का स्वर्ण युग** माना जाता है।
    - इस राजवंश की स्थापना **320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम** ने की थी।
- **गुप्त काल की मंदिर वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं:**
    - गुप्तकालीन शैली **कुषाण, मथुरा तथा गांधार** कला से प्रभावित थी। इसमें इन कला शैलियों की **टी-आकार के प्रवेश द्वार, सुसज्जित द्वार चौखट, उच्च उभार युक्त मूर्तियां से अलंकृत पट्टिकाएं, फूल-पत्तियों एवं कंटकी पर्णकों (acanthus) का रूपांकन** जैसी आदि सामान्य विशेषताओं को ग्रहण किया गया था।
    - इन मंदिरों का निर्माण **बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और ईंट द्वारा** किया गया था।
    - गुप्त वास्तुकला में, **वर्ग को सबसे उत्तम रूप माना जाता था और मंदिरों की इस प्रकार से योजना की गई थी कि उसकी चारों ओर से प्रशंसा हो सके।** इस प्रकार प्रत्येक में सजावटी वास्तुशिल्प विशेषताएं विद्यमान हों।
    - **छठी शताब्दी ईस्वी से, गुप्त मंदिरों का मंच (जगती) पर निर्माण किया जाने लगा।** मध्य प्रदेश के **देवगढ़ में दशावतार मंदिर** इसका एक अच्छा उदाहरण है।
    - गुप्त मंदिर **एक देवता की बजाय बड़ी संख्या में हिंदू देवताओं को समर्पित** थे।
        - **द्वार मार्ग दशावतार मंदिर** के वर्गाकार गर्भगृह शिखर का एक उत्तम उदाहरण है। इस पर **विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, गंगा एवं यमुना और साथ ही परिचारकों व मिथुन जोड़ों की मूर्तियाँ** हैं।

VISION IAS

शंखलिपि या शैल लिपि के बारे में

- **शंख लिपि** या **"शेल-स्क्रिप्ट"** में अलंकृत सर्पिलाकार वर्णों का प्रयोग किया गया है, जो शंख की भांति दृष्टिगत होते हैं। इस लिपि को **ब्राह्मी लिपि** से ही व्युत्पन्न हुआ माना जाता है।
- इसका प्रयोग **उत्तर-मध्य भारत में चौथी तथा आठवीं शताब्दी** के दौरान के अभिलेखों में हुआ है।
- **ब्राह्मी तथा शंख लिपि** दोनों ही शैलीबद्ध लिपियाँ हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से **नाम और हस्ताक्षर** के लिए किया जाता था।
- अभिलेखों में इन **वर्णों की संख्या कम है,** जिससे पता चलता है कि शंखलिपि के अभिलेख नाम या शुभ प्रतीक या दोनों का संयोजन हैं।
- इस लिपि की **खोज 1836 ई. में उत्तराखंड के बाड़ाहाट में अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप** ने की थी।
  - वह **एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के संस्थापक** थे।
- शंखलिपि अभिलेखों वाले प्रमुख स्थलों में **बिहार में मुंडेश्वरी मंदिर, मध्य प्रदेश में उदयगिरि की गुफाएं, महाराष्ट्र में मनसर तथा गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ गुफा स्थल** शामिल हैं।
  - इस लिपि के अभिलेख **जावा एवं बोर्नियो** में भी पाए गए हैं।

गुप्तकालीन मंदिर के पांच मुख्य प्रकार हैं:

1. वर्गाकार संरचना, समतल छत व छोटे स्तंभ वाले मंडप: जैसा तिगवा के कंकाली देवी मंदिर और एरण के विष्णु वाराह मंदिर में है। मंदिर के गर्भगृह के लिए एकल प्रवेशद्वार है तथा पहली बार यहां मंडप का प्रयोग हुआ है।

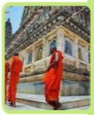

2. प्रदक्षिणापथ: पहले प्रकार का आगे विकास **पवित्र गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणापथ** के रूप में हुआ। कहीं–कहीं यह दो मंजिला भी है; उदाहरस्वरूप– भूमरा (मध्य प्रदेश) का शिव मंदिर और ऐहोल का लाडखान मंदिर।

- एक अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है– नचनाकुठार (मध्य प्रदेश) का पार्वती मंदिर।

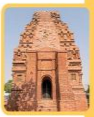

3. वर्गाकार संरचना, समतल छत व छोटे स्तंभ वाले मंडप: जैसा तिगवा के कंकाली देवी मंदिर और एरण के विष्णु वाराह मंदिर में है। मंदिर के गर्भगृह के लिए एकल प्रवेशद्वार है तथा पहली बार यहां मंडप का प्रयोग हुआ है।

- यह मंदिर **पंचायतन शैली की वास्तुकला का उदाहरण है। इसमें मुख्य मंदिर आयताकार चबूतरे पर बना है, जिसके चारों कोनों पर चार साहयक मंदिर निर्मित हैं** (कुल मिलाकर पांच मंदिर हैं, इसलिए इसका नाम पंचायतन है)।
- **दशावतार मंदिर (देवगढ़) और भितरगांव कानपुर का ईंट का मंदिर** इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।
- इस चरण की सबसे अनूठी विशेषता वक्रीय शिखर है। नागर शैली में बने मंदिरों को तीसरे चरण के मंदिर निर्माण का उत्कर्ष कहा जाता है

4. आयताकार मंदिर जिसका पिछला भाग गजपृष्ठाकार है और ऊपर मेहराबदार छत है, जैसे– चेज़रला (कृष्णा जिले) का कपोटेश्वर मंदिर।

5. गोलाकार मंदिर, जिनके चार मुख्य मुख भागों पर आयताकार अग्रभाग निकले हुए हैं।

- इस शैली का एकमात्र स्मारक राजगीर, बिहार का मनियार मठ है।

8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News In Shorts)

8.2.1. तमिलनाडु में, 3200 वर्ष (1155 ईसा पूर्व) प्राचीन पोरुनै नदी (तामिरबरनी) सभ्यता की खोज (Tha Porunai River (Thamirabarani) civilization in Tamil Nadu Dating Back 3,200 Years (1155 BC))

- तमिलनाडु (TN) के **तूतुकुड़ी जिले के शिवकलाई** में एक दफन कलश में मिट्टी के साथ पाए गए चावल के अवशेष के **कार्बन-14 डेटिंग विश्लेषण** से उसकी अवधि (1155 ईसा पूर्व) का आकलन किया गया है।
  - यह संभवतः **वैगई सभ्यता** से भी प्राचीन **सभ्यता** है। वैगई संस्कृति को 2,600 वर्ष प्राचीन माना जाता है।
- **इसकी तमिल संबद्धता** की ख़ोज में अन्य राज्यों तथा देशों में भी पुरातात्विक उत्खनन किया जाएगा।

- प्रथम चरण में **मुजिरिस** के प्राचीन बंदरगाह (जिसे अब केरल में पट्टनम के नाम से जाना जाता है) में उत्खनन किया जाएगा। **चेर साम्राज्य** की प्राचीनता व संस्कृति स्थापित करने हेतु केरल के पुरातत्वविदों के साथ संयुक्त शोध किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के **वेंगी**, कर्नाटक के **तलैकडु** और ओडिशा के **पलूर** में भी अध्ययन किए जाएंगे।
- **पुरातात्विक उत्खनन में शामिल किए जाने वाले देश:**
  - **मिस्र** (कुसीर अल-कादिम और पर्निका अनेके) तथा **ओमान (खोर रोरी) में तमिल लिपियों वाले मृदभांड पाए गए हैं।**
  - दक्षिण पूर्वी एशियाई देश यथा- **इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम** आदि। इन देशों में **राजा राजेंद्र चोल ने वर्चस्व स्थापित किया था।**

- **महत्व:** निष्कर्षों से इस तथ्य का प्रमाण प्राप्त हो सकता है कि **दक्षिण भारत में 3,200 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात् एक नगरीय सभ्यता अस्तित्व में थी।**
- वैगई सभ्यता **'उद्योग और लिपि से समृद्ध एक स्वदेशी, सुविकसित आत्मनिर्भर शहरी संस्कृति थी।** यह प्रतिबिंबित करती है कि उस युग के लोग अत्यधिक शिक्षित थे।
  - इन निष्कर्षों ने इस सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता के साथ तुलना को भी प्रेरित किया है, क्योंकि कई विशेषज्ञ **सिंधु घाटी तथा वैगई सभ्यता के बीच शहरी नियोजन में समानता की ओर संकेत करते हैं।**

8.2.2. पर्युषण और दस लक्षण (Paryushan and Daslakshan)

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने जैन समुदाय को पर्यूषण और दस लक्षण पर्व की शुभकामनाएं दी हैं।
  - ये **आत्मा के गुणों और सार को मनाने के त्यौहार हैं।**
  - इन्हें अग्रलिखित **दस प्रमुख गुणों के कठोर पालन द्वारा चिन्हित किया जाता है:** क्षमा, दान, सादगी, संतोष, सत्यता, आत्म-संयम, उपवास, वैराग्य, विनम्रता और निरंतरता।
- **पर्यूषण:** इसे श्वेतांबर जैनों द्वारा मनाया जाता है। इसमें जैन उपासकों के लिए उपवास और ध्यान की वार्षिक अवधि 8-10 दिनों की होती है।
- **दस लक्षण:** इसे दिगंबर जैनों द्वारा मनाया जाता है। यह एक 10 दिवसीय त्यौहार है, जो पर्यूषण के उपरांत होता है।

8.2.3. सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Cultural Mapping: NMCM)

- वर्ष 2017 में अपनी शुरुआत के उपरांत से बहुत कम प्रगति करने के पश्चात, **NMCM को अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र** (IGNCA)[115] को सौंप दिया गया है।
  - IGNCA द्वारा शीघ्र ही 75 गांवों में सांस्कृतिक मानचित्रण आरंभ किया जाएगा।
- NMCM की स्थापना केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कला/संस्कृति निकायों के सहयोग के साथ **कलाकारों, कला शैलियों तथा भौगोलिक स्थिति के डेटा को संकलित** करने के लिए की गई थी।
- **NMCM के तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं:** राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरूकता अभियान[116], राष्ट्रव्यापी कलाकार प्रतिभा खोज / तलाशी कार्यक्रम[117] तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल[118] ।

---

[115] Indira Gandhi National Centre for the Arts: IGNCA

[116] National Cultural Awareness Abhiyan

[117] Nationwide Artist Talent Hunt/Scouting Programme

[118] National Cultural Workplace

8.2.4. जुडिमा राइस वाइन को भौगोलिक संकेतक (GI टैग) का दर्जा (GI Tag to Judima Rice Wine)

- असम की **दिमासा जनजाति द्वारा घर में बनाई जाने वाली चावल की शराब जुडिमा** GI टैग प्राप्त करने वाली पूर्वोत्तर की प्रथम पारंपरिक मदिरा बन गई है।
    - GI टैग एक **विशिष्ट भौगोलिक मूल से संबद्ध उत्पादों** को प्रदान किया जाता है।
- जुडिमा का उत्पादन करने के लिए, दिमासा जनजाति द्वारा **बोरा** (क्षेत्र के लिए देशज) **नामक लसदार चावल और क्षेत्र के आसपास के वनों से एकत्र किए गए थेम्ब्रा** (बबूल/एकेसिया पेनाटा) **नामक पौधे की छाल** का उपयोग किया जाता है।
- असम के कुछ अन्य GI टैग पंजीकृत उत्पादों में **मुगा सिल्क, जोहा चावल तथा तेजपुर लीची** शामिल हैं।

8.2.5. मीनाकारी (Meenakari)

- प्रधान मंत्री ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को 'मीनाकारी' से अलंकृत शतरंज का सेट भेंट किया है।
- **मीनाकारी के बारे में**
    - यह **इनेमलन के माध्यम से धातुओं और चीनी मिट्टी की सतहों पर चित्रकारी करने तथा उन्हें रंगने की प्रक्रिया है।**
    - इसमें आमतौर पर जटिल डिजाइन शामिल होते हैं। इसे **व्यंजन परोसने वाले बर्त, डिब्बों, पुष्पपात्रों, ढाँचों, प्रदर्शन आभूषणों और गहनों** के लिए एक सजावटी विशेषता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
    - इसे **मुगलों** द्वारा भारत में प्रचलित किया गया था। **16वीं शताब्दी के मेवाड़ के राजा मान सिंह को जयपुर में मीनाकारी कला का संरक्षक माना जाता है।**

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. मीडिया एथिक्स: लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के आधार का मूल्यांकन (Media Ethics: Examining The Foundation of The Fourth Pillar of Democracy)

परिचय

हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन्ना ने कहा कि- "मीडिया के कुछ वर्गों ने सभी घटकों को एक सांप्रदायिक स्वरूप प्रदान कर दिया है। यह अंततः देश की छवि को धूमिल करेगा।" यह वक्तव्य मीडिया पेशे से संबंधित मौजूदा नैतिक मुद्दों को उजागर करता है। साथ ही, यह परोक्ष रूप से एक सवाल उत्पन्न करता है कि - "यदि मौजूदा समय में मीडिया की भूमिका अनैतिक हो गयी है, तो उसकी नैतिक भूमिका क्या होगी तथा कैसे हम मीडिया में नैतिक भूमिका को सुनिश्चित कर सकते हैं?"

मीडिया एथिक्स या मीडिया में नैतिकता क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

मीडिया के संदर्भ में, 'नैतिकता' को पत्रकारों द्वारा स्वेच्छा से अपनाए जाने वाले एक **आत्म-संयम व्यवहार** के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसके चलते मीडिया के प्रति लोगों के विश्वास को कायम रखने तथा उसे और अधिक बढ़ावा देने में मदद मिलती है। साथ ही, इसके चलते मीडिया अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने हेतु प्रयास करती है और खुद के प्रति लोगों के विश्वास को कम होने से रोकती है।

मीडिया एथिक्स के इस विचार को बनाए रखने के लिए, मीडिया में शामिल सभी लोगों द्वारा किसी न किसी रूप में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए:

- **प्रमाणिक तथ्यों की जांच के बाद उसकी रिपोर्टिंग करना:** प्रमाणिक तथ्यों का जितना संभव हो उतना पता लगाया जाना चाहिए। सटीक, निष्पक्ष एवं निर्भीक तरीके से उसकी रिपोर्टिंग मीडिया इकाई की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।
    - उदाहरण के लिए, किसी अपराध के बारे में लिखते या बताते समय, दोनों पक्षों को प्रस्तुत करना और पूर्वाग्रह या पक्षपात के बिना उसकी रिपोर्टिंग की जानी चाहिए।
- **होने वाली समाजिक क्षति को कम करना:** इसका आशय यह है कि मीडिया की विषय-वस्तुओं के स्रोतों, इसमें शामिल लोगों, अपने सहकर्मियों और जनता के सदस्यों को इंसान के रूप में सम्मान दिया जाना चाहिए।
    - मीडिया की अनैतिक भूमिका से होने वाली क्षति को कम करने से मीडिया में शामिल लोगों की गोपनीयता की रक्षा की जा सकती है। साथ ही, इसमें शामिल लोगों को सामान्य रूचिपूर्ण और बेहतर मानकों के अनुपालन हेतु प्रेरित किया जा सकता है।
- **स्वतंत्र रूप से कार्य करना:** पत्रकार का कामकाज भय या पक्षपात पर आधारित नहीं होना चाहिए। उन्हें न केवल स्वतंत्र होना चाहिए बल्कि विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को भी संपादित करना चाहिए।

- इस स्वतंत्रता का आशय यह है कि पत्रकार को किसी से उपहार लेने, एहसान या अनुग्रह (favour) प्राप्त करने, शुल्क लेने, मुफ्त यात्रा और विशेष व्यवहार आदि से बचना चाहिए। साथ ही, ऐसी राजनीतिक और अन्य बाह्य गतिविधियों से भी बचना चाहिए, जिनसे उसकी सत्यनिष्ठा या निष्पक्षता कलंकित होने की संभावना हो।

- **जवाबदेह और पारदर्शी होना:** इसके अंतर्गत दर्शकों को विभिन्न नैतिक दृष्टिकोणों या प्रक्रियाओं से अवगत कराना तथा संबंधित स्पष्टीकरण प्रदान करना शामिल है। सटीकता और स्पष्टता को लेकर उठने वाले सवालों के प्रति पत्रकारों को त्वरित अनुक्रिया प्रदान करनी चाहिए। साथ ही, मीडिया संगठन में किसी भी प्रचलित अनैतिक अभ्यास को उजागर करना चाहिए।
  - इसका तात्पर्य यह है कि मीडिया संगठनों को आलोचना और जांच के प्रति उदार होना चाहिए और साथ ही साथ अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

उपर्युक्त नैतिक मानदंडों के अनुपालन में पत्रकारों की क्षमता अलग-अलग प्रतिस्पर्धी हितों और ताकतों पर अत्यधिक निर्भर करती है, जिन पर अक्सर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। इनमें सरकारी हस्तक्षेप, आर्थिक चुनौतियां और तकनीकी सीमाएं शामिल हैं। इन सभी के कारण ऐसी परिस्थितियों के सृजन की संभावना बढ़ जाती है जहां इन सिद्धांतों का गैर-अनुपालन अनेक नैतिक मुद्दों को जन्म दे सकता है।

भारत में मीडिया के संदर्भ में प्रचलित नैतिक मुद्दे कौन से हैं?

- **समाचारों को सनसनीखेज कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना:** जब सटीकता/प्रमाणिकता की कीमत पर, समाचार के रूप में रोमांच या चौंकाने वाले तथ्यों या कहानियों को प्राथमिकता दी जाने लगती है तो उसे सनसनीखेज समाचार कहा जाता है। आजकल के डिजिटल युग में इसका उपयोग क्लिकबेट अर्थात् वेब उपभोक्ताओं को आकर्षित कर अपनी मनचाही वेबसाइटों पर ले जाने तथा भ्रामक या उत्तेजक सुर्ख़ियों को प्रसारित करने हेतु किया जाता है।
- **मीडिया का व्यावसायीकरण:** यह न केवल सनसनीखेज समाचार की प्रवृत्तियों और येलो जर्नलिज्म (बढ़ा-चढ़ा कर की जाने वाली पत्रकारिता) को बढ़ावा देगा, बल्कि पेड न्यूज जैसी समस्याओं को भी उत्पन्न करेगा।
  - हाल ही में आयोजित एक संगोष्ठी में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, एस. वाई. कुरैशी ने खुलासा किया कि निर्वाचन आयोग ने कुछ समय पूर्व राज्य चुनावों के आयोजन के दौरान पेड न्यूज के 371 मामलों की पुष्टि की थी।
- **असंवेदनशील या घृणास्पद भाषा का प्रयोग:** रिपोर्टिंग के दौरान भेदभाव पूर्ण या घृणास्पद भाषा का प्रयोग, सामाजिक क्षति को कम करने जैसे विचारों के विपरीत परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में असंवेदनशील भाषा का उपयोग इसमें शामिल लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही, यह सार्वजनिक बोलचाल में ऐसी भाषाओं की स्वीकार्यता को बढ़ा सकता है।
  - अनुचित भाषा के उपयोग से वाद-विवाद और चर्चाओं की गुणवत्ता के स्तर में गिरावट आ सकती है।
- **अविश्वसनीय रिपोर्टिंग:** अविश्वसनीय रिपोर्टिंग के ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां रिपोर्ट की गई सूचनाओं ने अदालती कार्यवाहियों को प्रभावित या सुरक्षा संबंधी संवेदनशील स्थितियों में हस्तक्षेप किया है। उदाहरण के लिए, '26/11 आतंकी हमले' की रिपोर्टिंग में ऐसा ही देखा गया था, जिसमें संवेदनशील सूचनाओं को लीक कर दिया गया था।
- **निजता के अधिकार का उल्लंघन:** सार्वजनिक डोमेन में अनुपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को बिना सहमति के प्राप्त करने हेतु किए जाने वाले प्रयासों को निजता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसमें फोन हैकिंग जैसी गुप्त निगरानी तकनीकों का उपयोग करना, तथ्यों को प्रकाशित करने के नाम पर शामिल लोगों के अधिकारों का हनन करना आदि शामिल हैं।
  - समाचारों को सनसनीखेज बनाने के लिए गलत उपायों को अपनाना, भ्रामक भाषा और अविश्वसनीय रिपोर्टिंग जैसी बुराइयों के साथ निजता के अधिकार के उल्लंघन से मीडिया ट्रायल जैसी स्थितियों को बढ़ावा मिल सकता है।
- **मीडिया-राजनेता-कॉर्पोरेट गठजोड़:** राडिया टेप विवाद या नीरा राडिया प्रकरण (जिसमें राजस्व अधिकारियों ने कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया और कई वरिष्ठ पत्रकारों एवं प्रमुख राजनेताओं के बीच हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया था) मीडिया में वर्तमान में प्रचलित गठजोड़ को उजागर करता है। इससे मीडिया की सत्यनिष्ठा, लोगों के प्रति उसकी जवाबदेही और पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं।

इन मुद्दों के अलावा, **डिजिटल मीडिया के हालिया विकास** ने भी कुछ नैतिक मुद्दों को जन्म दिया है। इसमें अफवाहों तथा भ्रामक समाचारों का तीव्र प्रसार और सच्चाई जाहिर होने के बाद उसके विपरीत माहौल का निर्माण करना आदि शामिल हैं। मीडिया के इस गुमनाम स्वरूप के कारण समाचार के वास्तविक स्रोत का पता लगा पाना कठिन हो जाता है।

डिजिटल मीडिया में नैतिकता: लाखों फॉलोअर्स वाले व्यक्तियों का दौर

- इंटरनेट ने **पत्रकारिता के नए रूपों** को प्रोत्साहित किया है। इन रूपों में शामिल हैं- एक दूसरे से परस्पर बात करना (संवादात्मक), तत्काल प्रतिक्रिया देने की व्यवस्था और "हमेशा सक्रिय (always on)" रहने वाला वर्ग आदि। इंटरनेट तक पहुँच वाला कोई भी व्यक्ति जो अप्रत्यक्ष रूप से विषय-वस्तुओं को साझा कर सकता है, वह मीडिया का एक हिस्सा बन जाता है। इसमें ऑनलाइन पत्रकारिता, ब्लॉगिंग, डिजिटल फोटो पत्रकारिता, नागरिक पत्रकारिता और सोशल मीडिया शामिल हैं।
- इस संदर्भ में, जनमत तैयार करने में डिजिटल रूप से प्रभावित करने वाले व्यक्तियों की अहम भूमिका है। ऐसे में जब ढेरों अनुयायियों (फॉलोअर्स) वाले प्रभावशाली लोग सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण मामलों पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, तो वे काफी हद तक आम लोगों के विचारों/मतों

को परिवर्तित कर देते हैं।

- मौजूदा समय में सोशल मीडिया दुष्प्रचार और घृणास्पद भावनाओं से भी ग्रसित हो गया है। इसके कारण, लोगों का विश्वास प्रभावशाली लोगों के प्रति बहुत अधिक बढ़ जाता है। लोगों के विश्वास का संरक्षक होने के नाते प्रभावशाली व्यक्ति लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही, उन पर सामूहिक कल्याण के संरक्षण की भी जिम्मेदारी उत्पन्न हो जाती है।

ये मुद्दे वर्तमान समाज को कैसे प्रभावित करते हैं?

"24x7 समाचार" के प्रचलन से तथा अनेक तरह के समाचार स्रोतों का प्रसार होने से मीडिया की प्रकृति सर्वव्यापी हो गई है। इस प्रकार मीडिया, लोगों की राय और आसपास की दुनिया के प्रति लोगों के नजरिए को ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया की सर्वव्यापी प्रकृति के कारण निरंतर तार्किक सोच-विचार (क्रिटिकल-थिंकिंग) की प्रणाली हतोत्साहित होती है। इसके तहत मनमौजी/स्वच्छंद तथ्यों को बार-बार प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लोगों की स्वविवेक क्षमता बाधित होती है।

मीडिया का बढ़ता प्रभाव और वर्तमान नैतिक मुद्दे समाज को निम्नलिखित रूप से प्रभावित करते हैं:

- **गलत सूचनाओं पर आश्रित एक समाज के निर्माण को बढ़ावा मिलना:** फेक न्यूज़, समाचारों का सनसनीखेज होना और मीडिया के प्रति जनता में अविश्वास बढ़ जाने के कारण ऐसे समाज के निर्माण को बढ़ावा मिलता है। साथ ही, नागरिक भी सही सूचनाओं की उपलब्धता से वंचित हो जाते हैं।
  - जब मीडिया के प्राथमिक स्रोत गलत तथा अपर्याप्त सूचना के आधार पर किसी स्थिति को प्रकट करते हैं, तो नागरिकों तक महत्वपूर्ण जानकारी का पहुंचना कठिन हो जाता है।
- **उदासीन रवैये को प्रोत्साहन:** जब मीडिया के प्रतिष्ठित स्रोतों द्वारा रिपोर्ट की गई खबरों में बार-बार संशोधन किए जाते हैं तो उनकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। इससे नागरिकों में रिपोर्ट की जाने वाली घटनाओं से आमतौर पर प्रभावित न होने का दृष्टिकोण विकसित हो जाता है।
- **व्यावसायिक हितों के कारण वास्तविक मुद्दों की उपेक्षा:** मीडिया के व्यावसायीकरण की बढ़ती प्रवृत्तियों के कारण वास्तविक मुद्दों की तुलना में मनोरंजक समाचारों को प्राथमिकता दी जाती है। इससे ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं जिसमें आम नागरिक सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण कई ख़बरों से वंचित रह जाता है।
  - व्यावसायिक हितों की पूर्ति करने तथा वास्तविक ख़बरों पर पर्याप्त ध्यान न देने के कारण राष्ट्रीय विकास, मानव विकास सूचकांक (HDI) आदि प्रमुख क्षेत्रों में विकास संबंधी मुद्दे पीछे रह जाते हैं।
- **भय और चिंता का प्रचार:** रिपोर्टिंग के दौरान तथ्यों को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत करने और मनमाने तरीके से कहानियों को दिखाए जाने से वास्तविकता में परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। इससे भय युक्त माहौल का निर्माण होता है और नागरिकों में चिंता की भावना और आक्रामक व्यवहार को बढ़ावा मिलता है।
  - कोविड प्रकोप के दौरान 'श्मशान घाट से लाइव फुटेज रिपोर्टिंग' जैसी कार्रवाइयां, मीडिया की अमानवीय छवि को उजागर करती हैं।
- **लोगों के मध्य अलगाव के विचार को प्रोत्साहित किया जाना:** मीडिया द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई भी भेदभावपूर्ण रिपोर्ट या भाषा समाज के भीतर विभाजन पैदा करती है। इससे किसी विशेष वर्ग/समूह को अन्य नागरिकों से अलग/पृथक (otherization) किए जाने के विचार को बढ़ावा मिलता है। फलतः धर्म, जाति, नस्ल या क्षेत्र के आधार पर विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
  - शीघ्र प्रभावित हो जाने वाले मनो-मस्तिष्कों जैसे कि बच्चों पर ऐसे विचारधारा का प्रभाव गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकता है। इससे राष्ट्रीय एकता या मानवता पर आधारित भाईचारे जैसे विचारों का प्रसार बाधित होता है।

नागरिकों पर मीडिया के गहरे प्रभाव के कारण, नैतिक मुद्दों को बढ़ावा मिलता है। लेकिन साथ ही, यदि इन मुद्दों को उचित रूप से संबोधित किया जाए तो इस बढ़े हुए प्रभाव का उपयोग सकारात्मक रुझान विकसित करने के लिए भी किया जा सकता है।

मीडिया में नैतिकता की भूमिका को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है?

इस प्रश्न के समाधान के लिए अनेक रिपोर्टें और सिफारिशें (यूनाइटेड किंगडम की लेवसन रिपोर्ट सहित) उपलब्ध कराई गई हैं। इनके सार-संक्षेप को निम्नलिखित विचारों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है:

- **एक स्वतंत्र स्व-नियामक निकाय की स्थापना:** यह बाहर से नियंत्रण की बजाय आंतरिक तंत्र स्थापित करने के विचार पर बल देता है। उदाहरण के लिए- संपादक के नाम पत्र, आंतरिक लोकपाल, मीडिया के लोगों की आपसी परिषद, मीडिया वॉच ग्रुप आदि। इससे मीडियाकर्मियों, पत्रकारों या प्रबंधन द्वारा की गई गलतियों पर ध्यान देने या उसे सुधारने में सहायता मिलती है।
  - लेवसन रिपोर्ट के अनुसार, इसे विधायी समर्थन भी प्रदान किया जा सकता है।
- **डिजिटल मीडिया में नैतिकता को शामिल करने हेतु संवाद स्थापित करना:** मौजूदा मीडिया को देखते हुए मीडिया में नैतिकता पर पुनर्विचार और इसे नया स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता है। डिजिटल मीडिया के स्रोतों के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों के दायित्वों के बारे में भी जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। साथ ही, डिजिटल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के बारे में उपभोक्ताओं को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

- **उपयोगकर्ता द्वारा चालित वित्तीय मॉडल:** वर्तमान विज्ञापन आधारित मॉडल, मीडिया घरानों और कॉर्पोरेट्स एवं राजनीतिक समूहों जैसे संभावित निवेशकों के मध्य वित्तीय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इस मॉडल के स्थान पर उपयोगकर्ता द्वारा संचालित मॉडल को अपनाया जा सकता है, जहां उपयोगकर्ता मीडिया हाउस से मिलने वाली सूचनाओं और सेवा के बदले में उसका वित्त-पोषण करेगा।
- **सामूहिक लाभ हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करना:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों के आगमन से मौजूदा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी उपलब्ध कराए गए समाचार की प्रामाणिकता को वास्तविक समय में सत्यापित करने के लिए इन दोनों (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचैन) के मेलजोल का उपयोग किया जा सकता है।
- **मीडिया में नवाचार के लिए संभावनाएं निर्मित करना:** अब संचार के विविध माध्यम उपलब्ध हैं। विभिन्न व्यवसायों के मध्य परस्पर भागीदारी बढ़ती जा रही है। ऐसे में नई पीढ़ी की पत्रकारिता से जुड़े अनेक क्षेत्रों जैसे कि फोटो पत्रकारिता, उद्यम हेतु की जाने वाली गैर-लाभकारी पत्रकारिता आदि को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **नागरिक समाज के लिए एक केंद्रीय भूमिका को प्रोत्साहित करना:** डिजिटल मीडिया की बढ़ती भागीदारी से मीडिया के 'लोकतांत्रिकरण' को बढ़ावा मिला है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि मीडिया विषय-वस्तुओं के विनियमन, पर्यवेक्षण और निर्माण में नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए।

"सेवा प्रदान करना ही **पत्रकारिता** का मूल उद्देश्य होना चाहिए। समाचार पत्रों में व्यापक शक्ति निहित होती है। लेकिन जिस तरह जल की एक मुक्त धारा देश के पूरे तटीय क्षेत्र को जलमग्न कर देती है और फसलों को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार एक अनियंत्रित कलम भी नष्ट करने का कार्य करती है। यदि इसे कोई बाहरी शक्ति नियंत्रित कर रही हो तो यह नियंत्रण की तुलना में और अधिक घातक साबित हो सकता है। नियंत्रण तभी लाभदायक हो सकता है जब यह स्व-प्रेरणा से किया जाए।" - ***महात्मा गांधी***

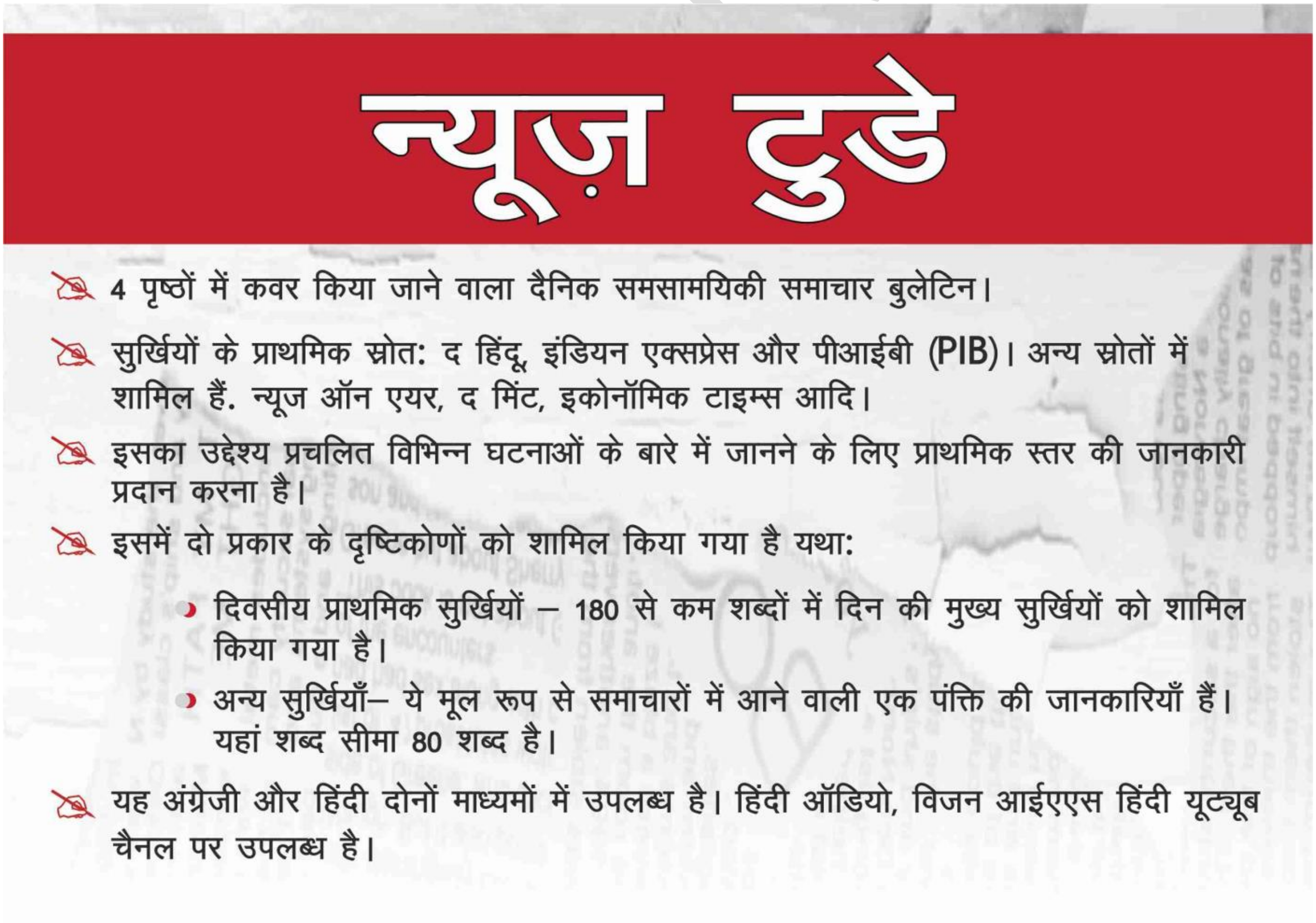

10. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes In News)

10.1. प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण हेतु राष्ट्रीय योजना (National Scheme for PM Poshan Shakti Nirman)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मौजूदा **मध्याह्न भोजन योजना**[119] के नाम को परिवर्तित करके **प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना** कर दिया गया है। इस योजना को छात्रों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करने हेतु आरंभ किया गया था।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इसका उद्देश्य पूरे देश में सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के **छात्रों के लिए समग्र पोषण** को सुनिश्चित करना है। ○ पिछली योजना के तहत, छात्रों को भोजन उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, किंतु अब **पी.एम. पोषण निर्माण योजना** के तहत, भोजन प्रदान करने के साथ-साथ पोषण संबंधी पहलुओं पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। • बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान करना और कुपोषण की समस्या का समाधान करना ।	• यह **एक केंद्र प्रायोजित योजना है।** इसे 1,30,794.90 करोड़ रुपये के बजट के साथ **पांच वर्ष की अवधि के लिए (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक)** आरंभ किया गया है। ○ इस योजना के अंतर्गत **खाद्यान्न और उसके परिवहन, प्रबंधन, निगरानी एवं मूल्यांकन की पूरी लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी।** साथ ही, भोजन पकाने की लागत, रसोइयों और श्रमिकों को भुगतान जैसे घटकों को राज्यों के साथ 60:40 के अनुपात में साझा किया जाएगा। • **कवरेज:** ○ इससे देश के **11.20 लाख स्कूलों में पढ़ाई कर रहे 11.80 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे।** ○ इस योजना के अंतर्गत **देश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बच्चों के अलावा बाल वाटिका के बच्चों को भी मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाएगा।** ▪ वर्तमान में समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत पूर्व-प्राथमिक/प्री-प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे लगभग 24 लाख बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। ➢ विगत वर्ष, सरकार द्वारा **आंगनबाड़ियों से संबंधित बाल वाटिका नामक एक प्री-स्कूल को भी आरंभ किया गया था।** ▪ औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल होने वाले पूर्व-प्राथमिक/प्री-प्राइमरी छात्रों के लिए भी मध्याह्न भोजन का विस्तार गया है, हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख अनुशंसाओं में इनको शामिल करने का सुझाव दिया गया था। • **आत्मनिर्भर भारत के लिए "वोकल फॉर लोकल" पहल:** ○ वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने और आत्मनिर्भर भारत पहल के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, पी.एम. पोषण योजना के कार्यान्वयन में किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। • **सामाजिक लेखापरीक्षण:** ○ योजना के क्रियान्वयन की निगरानी और जांच के लिए **प्रत्येक जिले में स्थित प्रत्येक स्कूल के लिए सामाजिक लेखापरीक्षण की प्रक्रिया को अनिवार्य किया जाएगा।** ○ **योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्रों को शामिल की जाएगा।** यह फील्ड विजिट के माध्यम से संचालित किया जाएगा। • **पूरक पोषण:** ○ पोषण संबंधी पहलुओं को भी सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके तहत **एनीमिया के उच्च प्रसार वाले राज्य या जिले कोई भी पूरक सामग्री शामिल कर सकते हैं।**

[119] Mid-Day Meal scheme

	○ इसी तरह, **यदि कोई राज्य अपनी स्थानीय सब्जी या कोई अन्य पौष्टिक भोजन या दूध या फल जैसी किसी अन्य सामग्री को शामिल करना चाहते हैं,** तो वे केंद्र की स्वीकृति को प्राप्त करके ऐसा कर सकते हैं। हालांकि, इसे आवंटित बजट के अनुरूप ही शामिल किया जाना चाहिए। • **पोषाहार उद्यान:** ○ यह **स्कूलों में पोषण उद्यान के विकास को बढ़ावा देगा।** ○ इन उद्यानों की फसल का उपयोग **छात्रों को अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाएगा।** ○ इसके अतिरिक्त स्कूलों को खाना पकाने की प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री और सब्जियों के आधार पर देशज व्यंजनों और नवीन आहार को बढ़ावा दिया जा सके। • **तिथि भोजन:** ○ इसमें 'तिथि भोजन' की अवधारणा को भी शामिल किया गया है, **जिसमें निजी स्कूलों के छात्रों को महीने में कम से कम एक बार स्वैच्छिक आधार पर कमजोर वर्गों के बच्चों के साथ अपना भोजन साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।** ○ राज्यों को **सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए** भी आग्रह किया जाएगा। **इसके तहत लोग बच्चों को विशेष भोजन उपलब्ध कराते हैं।**

10.2. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने घोषणा की है कि प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रवासी श्रमिक अब निवास प्रमाण-पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता के बिना, स्व-घोषणा के आधार पर निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन का लाभ उठा सकते हैं।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **निर्धनता रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए** इसे वर्ष 2016 में शुरू किया गया था (हालांकि वर्तमान में देश के सभी निर्धन परिवारों को इसमें शामिल करने के लिए इसे विस्तारित किया गया है)। • महिलाओं को **स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना।** • जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण लाखों ग्रामीण जनसंख्या के मध्य मौजूदा **स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को कम करना।** • **महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा** देना।	• यह **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन संचालित एक योजना है।** • इससे पहले, इस योजना के तहत **मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ LPG कनेक्शन** प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ○ **वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट के तहत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अतिरिक्त 1 करोड़ LPG कनेक्शन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।** 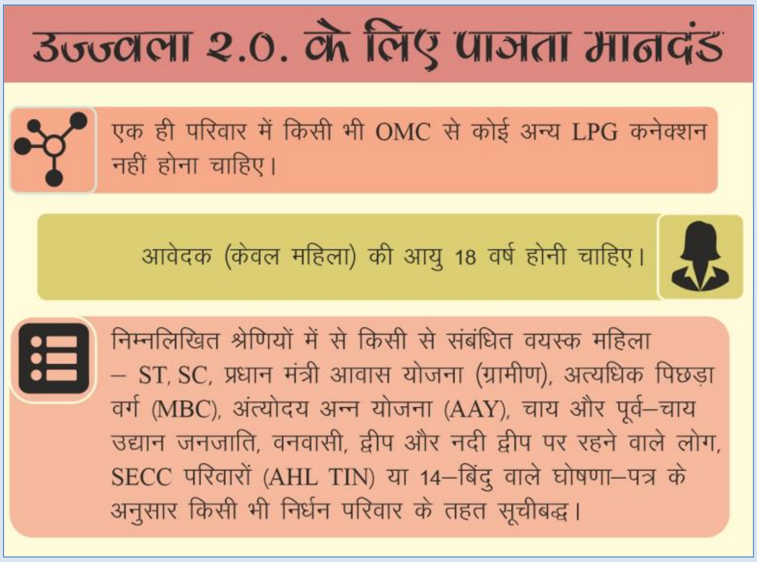 • उज्ज्वला 2.0 के तहत **लाभार्थियों को पहली रिफिल की सुविधा और निःशुल्क गैस-चूल्हे प्रदान किए जाएंगे।** • पी.एम.यू.वाई. कनेक्शन को **केवल निर्धन परिवार की किसी वयस्क महिला सदस्य के नाम**

	पर ही जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर कोई LPG कनेक्शन मौजूद न हो। • इस चरण में **प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा प्रदान की गई है।** ○ यदि परिवार का कोई सदस्य अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में चला जाता है, जहां वह कार्यरत है, **तो पी.एम.यू.वाई. कनेक्शन को प्रवास के नए स्थान पर जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि के.वाई.सी; उज्ज्वला 2.0 की पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो।** ○ इसके तहत कनेक्शन केवल वयस्क महिला सदस्य के नाम पर ही जारी किया जाएगा। • **सब्सिडी राशि प्राप्त करने के लिए** महिला आवेदक के पास **देश के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत बैंक खाता उपलब्ध होना चाहिए।** • राशन कार्ड में आयु के अनुसार परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के लिए आधार संबंधी जानकारी जमा करना अनिवार्य है। • आवेदक **14.2 किलो या 5 किलो तक के सिंगल सिलेंडर या 5 किलो तक के डबल सिलेंडर कनेक्शन में से किसी एक का चयन कर** सकते हैं।

10.3. अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana: APY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (National Pension System Trust: NPST) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के 4.2 करोड़ अभिदाताओं में से **66 प्रतिशत या 2.8 करोड़** से अधिक ने वर्ष 2020-21 के अंत में अटल पेंशन योजना के विकल्प का चयन किया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इस योजना के सभी अभिदाताओं को उनके योगदान के आधार पर, **60 वर्ष** की आयु प्राप्त करने के पश्चात् **प्रति माह 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की गारंटीकृत पेंशन राशि** प्रदान की जाएगी।	• इसे **पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)** द्वारा **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के माध्यम से प्रशासित** किया जाता है। • **भारत का कोई भी नागरिक APY योजना में शामिल हो सकता है। हालांकि इस हेतु निम्नलिखित पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं,** ○ अभिदाता की आयु **18-40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।** ○ उसके पास **एक बचत बैंक खाता होना चाहिए।** • APY के तहत किसी भी ग्राहक द्वारा **योगदान की न्यूनतम अवधि** 20 वर्ष निर्धारित की गई है। • **अभिदाता मासिक/तिमाही/अर्ध-वार्षिक आधार पर APY में अपना अंशदान कर सकते हैं।** 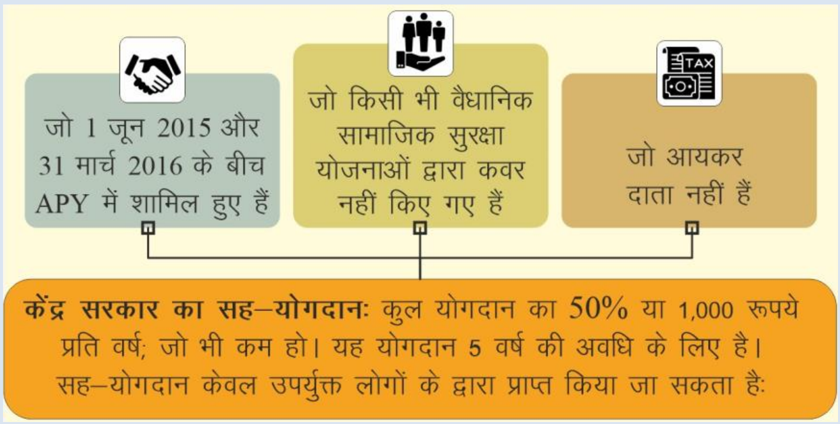 ○ हालांकि इसमें योगदान के स्तर को अलग-अलग निर्धारित किया गया है, उदाहरण के लिए यदि ग्राहक शीघ्र जुड़ता है तो अंशदान राशि का भार कम होगा किंतु विलंब से जुड़ने पर यह अंशदान की राशि बढ़ जायेगी। ○ **ग्राहक की समयपूर्व मृत्यु** (60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु) **हो जाने की स्थिति में, ग्राहक के पति या पत्नी, शेष निहित अवधि के लिए, ग्राहक के APY खाते में योगदान जारी रख सकते हैं,** जब तक कि मूल अभिदाता (जिसने शुरू किया था) 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।

	• इसके तहत अभिदाता को 60 वर्ष की आयु में **1000 रुपये या 2000 रुपये या 3000 रुपये या 4000 रुपये या 5000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन** की गारंटी प्रदान की जाएगी। ○ अभिदाता की मृत्यु के बाद यह पेंशन **जीवनसाथी को प्रदान की जाएगी।** ○ अभिदाता और उसके जीवन साथी, दोनों की मृत्यु के उपरांत जमा/संचित राशि (जो भी 60 वर्ष की आयु तक जमा हो गयी थी) अभिदाता के द्वारा नामित व्यक्ति को लौटा दी जाएगी। • **अटल पेंशन योजना (APY) में योगदान करने वाले सभी अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के समान कर लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।** ○ कर लाभ में धारा 80CCD (1) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती शामिल है।

10.4. ऑटोमोबाइल व ड्रोन उद्योगों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme For Auto, Drone Industries}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटोमोबाइल व ड्रोन उद्योगों के लिए 26,058 करोड़ रुपये की उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना को स्वीकृति प्रदान की है।

विनिर्देश	**ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)**	**ड्रोन उद्योगों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)**
अवधि	• **5 वर्ष**	• **3 वर्ष**
उद्देश्य	• भारत में उन्नत वाहन प्रौद्योगिकी उत्पादों के विनिर्माण के लिए उद्योग की **लागत संबंधी अक्षमताओं** को समाप्त करना।	• इस महत्वपूर्ण तकनीक के **रणनीतिक, सामरिक** एवं **परिचालन** संबंधी उपयोगों को संबोधित करना।
योग्य प्रतिभागी	• मौजूदा **ऑटोमोटिव कंपनियों** के साथ-साथ नए निवेशक, जो वर्तमान में ऑटोमोबाइल या ऑटो घटक विनिर्माण व्यवसाय में शामिल नहीं हैं।	• योग्यता के साथ न्यूनतम मूल्यवर्धन मानदंड निवल विक्रय का 40% है: ○ **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) और स्टार्टअप:** 2 करोड़ रुपये (ड्रोन के लिए) और 50 लाख रुपये (ड्रोन घटकों के लिए) का वार्षिक बिक्री कारोबार। ○ **गैर- MSME कंपनियां:** 4 करोड़ रुपये (ड्रोन के लिए) तथा 1 करोड़ रुपये (ड्रोन घटकों के लिए) का वार्षिक बिक्री कारोबार।
अन्य विशेषताएं	• **दो घटक** ○ **चैंपियन OEM (मूल उपकरण विनिर्माता) प्रोत्साहन योजना**[120]: यह 'बिक्री मूल्य से संबद्ध' एक योजना है। यह सभी खंडों के बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों पर लागू होती है। ○ **घटक चैंपियन प्रोत्साहन योजना**[121]: वाहनों के उन्नत ऑटोमोटिव तकनीकी घटक, **कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन (CKD)** आदि।	• सरकार द्वारा पात्र घटकों की सूची का विस्तार किया जा सकता है। • इसमें **ड्रोन से संबंधित आई.टी** उत्पादों के उत्पादकों को भी प्रोत्साहन हेतु सम्मिलित किया गया है।

120 Champion OEM Incentive Scheme
121 Component Champion Incentive Scheme

CSAT
क्लासेस
2021
प्रवेश प्रारम्भ
लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध
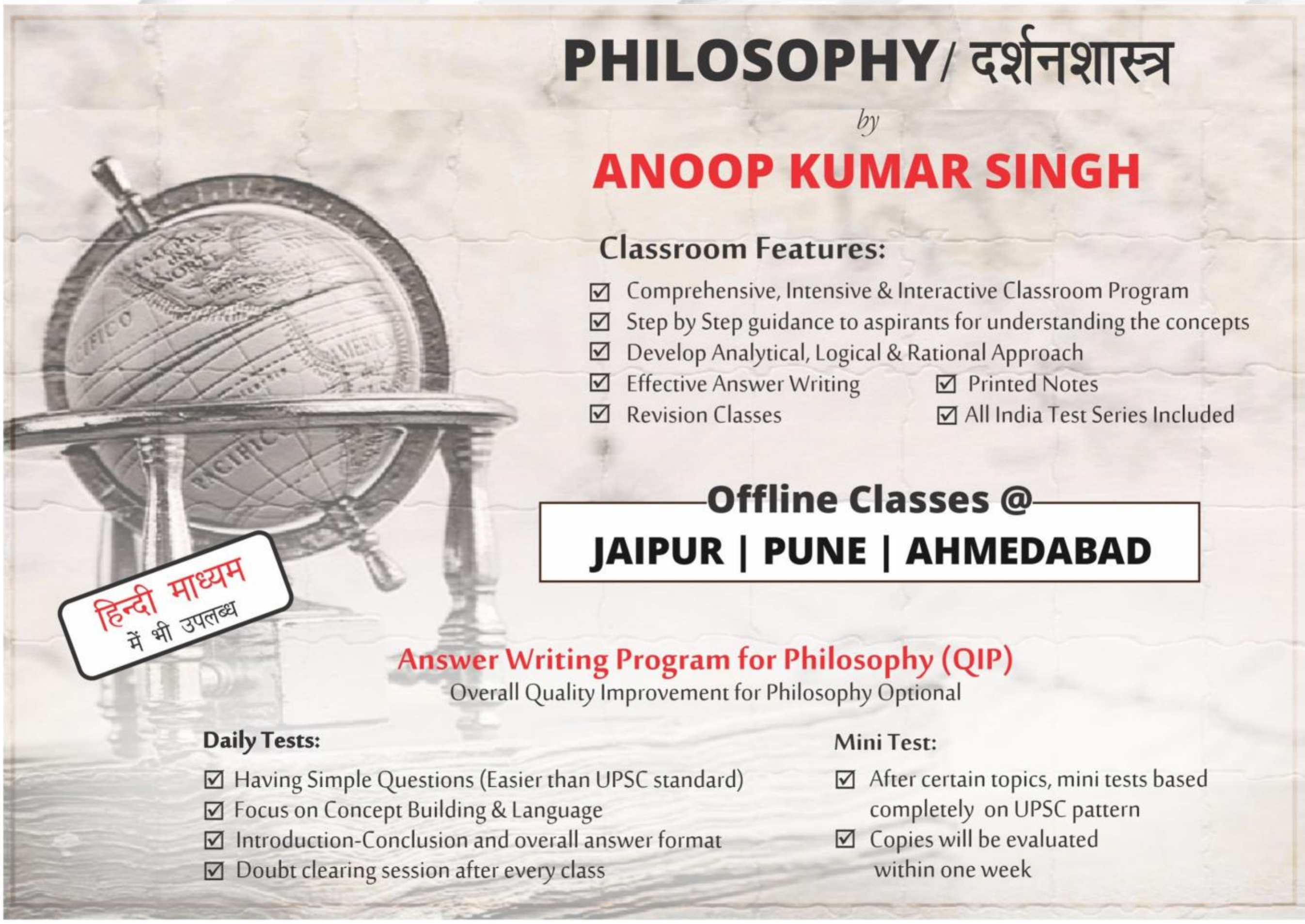
PHILOSOPHY/ दर्शनशास्त्र
by
ANOOP KUMAR SINGH
Classroom Features:
☑ Comprehensive, Intensive & Interactive Classroom Program
☑ Step by Step guidance to aspirants for understanding the concepts
☑ Develop Analytical, Logical & Rational Approach
☑ Effective Answer Writing
☑ Printed Notes
☑ Revision Classes
☑ All India Test Series Included
Offline Classes @
JAIPUR | PUNE | AHMEDABAD
हिन्दी माध्यम
में भी उपलब्ध
Answer Writing Program for Philosophy (QIP)
Overall Quality Improvement for Philosophy Optional
Daily Tests:
☑ Having Simple Questions (Easier than UPSC standard)
☑ Focus on Concept Building & Language
☑ Introduction-Conclusion and overall answer format
☑ Doubt clearing session after every class
Mini Test:
☑ After certain topics, mini tests based completely on UPSC pattern
☑ Copies will be evaluated within one week

सुर्ख़ियों में रहे प्रमुख व्यक्ति

व्यक्तित्व	विवरण	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 जयदेव	▸ संस्कृति मंत्रालय ने **"गीत गोविन्द"** पर एक प्रदर्शनी के शुभारंभ के साथ **"गीत गोविन्दः जयदेव डिवाइन ओडिसी"** नामक एक पुस्तक का भी विमोचन किया है। ▸ जयदेव **12वीं सदी के एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक** थे। इस सदी के दौरान उन्होंने **एक संस्कृत कविता 'गीत गोविन्द' की रचना** की थी। हालांकि, वे केवल **ओडिशा के पुरी धाम के भगवान श्रीकृष्ण या भगवान जगन्नाथ** के ही परम भक्त थे। ▸ **गीत गोविन्द**, भगवान **श्री कृष्ण** और **राधा** की मार्मिक **प्रेम** कथा पर आधारित एक रचना है। ▸ इसे हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में संदर्भित किया गया था।	▸ **भक्ति** ▸ वह एक प्रतिभाशाली कवि थे जिन्होंने भगवान कृष्ण की कथा का वर्णन करते हुए परमात्मा को याद किया। यह हिंदू परंपरा में भक्ति का एक प्रमुख कार्य था।
 फ्लोरेंस नाइटिंगेल	▸ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय **भारतीय नर्सिंग परिषद** द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए **फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार** प्रदान किया जाता है। ▸ फ्लोरेंस नाइटिंगेल **"द लेडी विद द लैंप"** के नाम से ज्ञात हैं। वह एक ब्रिटिश नर्स, समाज सुधारक और सांख्यिकीविद् थीं। उन्हें आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ▸ **प्रतिवर्ष 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर संपूर्ण विश्व में 'अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस' मनाया जाता है।**	▸ **परोपकार और करुणा** ▸ बहुत कम उम्र से, फ्लोरेंस नाइटिंगेल परोपकारी कार्यों में सक्रिय थीं, अपने परिवार की संपत्ति से पड़ोसी गाँव में बीमार और निर्धन लोगों की सेवा करती थीं। ▸ उन्होंने बीमारी को रोकने तथा गरीबों और पीड़ितों के लिए सुरक्षित व करुणामय उपचार सुनिश्चित करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन अथक परिश्रम करने में समर्पित कर दिया।
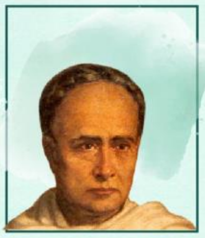 ईश्वर चंद्र विद्यासागर	▸ वह एक **शिक्षक और समाज सुधारक थे**। उन्हें बंगाल पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक माना जाता है। ▸ उन्होंने **विधवा पुनर्विवाह** की अवधारणा की शुरुआत की थी। उन्होंने **बाल-विवाह और बहुविवाह के उन्मूलन** हेतु प्रयास किए थे तथा **निम्न जाति के छात्रों को शिक्षा** प्रदान करने की दिशा में भी कार्य किया था। ▸ वह **'तत्त्वबोधिनी पत्रिका', 'सोमप्रकाश', 'सर्ब शुभकारी पत्रिका'** और **'हिंदू पैट्रीअट'** जैसे प्रकाशनों से जुड़े हुए थे। ▸ उनकी रचनाओं में **वर्ण परिचय, बेताल पंचविंशति, बंगला इतिहास, जीवनचरित, शकुंतला, महाभारत, सीता वनवास, रत्न परीक्षा** आदि शामिल हैं।	▸ **विज़न और सामाजिक सुधार** ▸ वह अपने समय से बहुत आगे थे। औपनिवेशिक बंगाल में शिक्षा में जाति की बाधा को तोड़ने, बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष करने और तत्कालीन समाज में जहाँ विधवाओं को कलंक माना जाता था, को चुनौती देते हुए इसे समाप्त करने को ही अपने जीवन का मिशन बना लिया। ▸ विद्यासागर ने अन्य सुधारकों के साथ मिलकर संपूर्ण बंगाल में महिलाओं के लिए कई स्कूल खोले। उन्होंने 35 स्कूल खोलने के लिए अपनी स्वयं की आय का उपयोग किया और 1,300 छात्रों को नामांकित करने में सफलता प्राप्त की।
 मैडम भीकाजी कामा	▸ वह एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और महिलाओं के अधिकारों की प्रबल समर्थक थीं। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, विशेष रूप से प्रवासी भारतीयों के मध्य जनमत तैयार किया था। ▸ **उन्होंने वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रथम संस्करण** हरा, केसरिया और लाल धारियों के तिरंगे को फहराने का अनूठा गौरव प्राप्त किया था। ▸ उन्होंने **लाला हरदयाल को उनके क्रांतिकारी समाचार पत्र 'बंदे मातरम' का प्रकाशन आरंभ करने में मदद की थी।** ▸ क्रिस्टाबेल पंकहर्स्ट और सफ़रागेट के आंदोलन से प्रभावित, भीकाजी कामा लैंगिक समानता की प्रबल पक्षधर थीं।	▸ **देशभक्ति और अदम्य भावना** ▸ भीकाजी हृदय से राष्ट्रवादी थीं और उनका मानना था कि अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए भारत का निर्दयता से शोषण किया है। ▸ ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्पन्न की गई कठिनाइयों से अप्रभावित, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए भारतीय, आयरिश और मिस्र के क्रांतिकारियों के साथ-साथ फ्रांसीसी समाजवादियों और रूसी नेतृत्व के साथ सक्रिय संपर्क बनाए रखा।
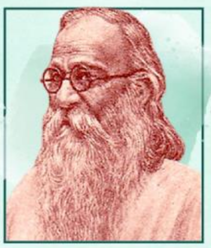 डॉ. भगवान दास	▸ वह एक भारतीय **थियोसोफिस्ट** थे। ▸ वर्ष 1921 में, **उन्हें असहयोग आंदोलन के साथ जुड़े होने के कारण, अंग्रेजों द्वारा एक वर्ष के कारावास की सजा** सुनाई गई थी। ▸ **वे काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे।** ▸ **काशी विद्या पीठ,** भारतीयों द्वारा स्थापित **प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय** है। ▸ वर्ष 1955 में, उन्हें साहित्य और शिक्षा में उनकी उपलब्धियों के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान **भारत रत्न** से सम्मानित किया गया था।	▸ **राष्ट्रवादी और प्रगतिशील** ▸ दास भारतीय राष्ट्रवाद और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के अत्यंत सक्रिय समर्थक थे। ▸ उन्होंने सामाजिक प्रगति लाने में शिक्षा की क्षमता में विश्वास किया और देश के प्रथम विश्वविद्यालयों में से एक की स्थापना की।

व्यक्तित्व	विवरण	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 सुब्रमण्यम भारती	• वह आधुनिक तमिल काव्य के अग्रदूत थे, जिन्हें **सम्मानपूर्वक महाकवि** कहा जाता था। • **एट्टायपुरम के राजा ने उनकी कविता से प्रभावित होकर उन्हें 'भारती' की उपाधि प्रदान की थी,** जिसका अर्थ है– देवी सरस्वती का आशीर्वाद। • उन्हें तीन विदेशी भाषाओं सहित **14 भाषाओं में महारत** हासिल थी। • उन्होंने **भारतीय नागरिकों के मध्य राष्ट्रीय गौरव की भावनाओं को जागृत** करने के लिए अपने लेखन का उपयोग किया था। • उन्होंने **बाल विवाह के विरुद्ध चिंता प्रकट की थी तथा ब्राह्मणवाद और धर्म में सुधार का समर्थन किया था।** वह दलितों और मुसलमानों के साथ भी एकजुटता में थे। • उनका आदर्श वाक्य था "अरिवेलु थेलिवु" अर्थात् **मन की स्पष्टता।**	• **प्रतिभाशाली और समतावादी** • वे साहित्यिक कार्य में अग्रणी थे और उन्होंने उस समय मौजूद प्रत्येक जटिल सामाजिक, राजनीतिक या दार्शनिक मुद्दों के बारे में लिखा था। • उनके लेखन से एक दूरदर्शी कवि का पता चलता है जो एक न्यायपूर्ण और आनंदमय मानव समाज की प्राप्ति के लिए गहराई से व्यस्त है। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को मानवीय गरिमा के अपमान के रूप में खारिज कर दिया; लेकिन वह अपने ही समाज की दमनकारी परंपराओं के भी उतने ही आलोचक थे।
 मदन लाल ढींगरा	• मदन लाल ढींगरा के शहादत दिवस पर अमृतसर के टाउन हॉल में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्हें एक ब्रिटिश अधिकारी सर विलियम हट कर्जन वायली की हत्या करने के कारण, 17 अगस्त 1909 को लंदन में 26 वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी। वे इंग्लैंड में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने गए थे। • **वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन से उन्हें पीड़ा** हुई और वे विनायक दामोदर सावरकर, श्याम जी कृष्ण वर्मा जैसे अन्य क्रांतिकारियों के संपर्क में आए।	• **देशभक्ति और साहस** • उन्होंने राष्ट्रीयता के लिए अपने जीवन का त्याग करने की प्रवृत्ति को यथावत रखा। • बहुत कम उम्र में, उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या करके ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की बात सुनने पर विवश किया तथा ट्रायल के दौरान उन्होंने अपना बचाव नहीं किया।
 आचार्य विनोबा भावे	• उन्हें एक महान विद्वान–संत के रूप में स्मरण किया जाता है। वे 20वीं शताब्दी के **गांधीवादी विचारक थे। उन्होंने अहिंसा और मानवाधिकारों का समर्थन किया था।** • वह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बनारस महाविद्यालय में महात्मा गांधी के भाषण से प्रेरित हुए थे। • उन्हें **भूदान आंदोलन या 'रक्तहीन क्रांति'** के लिए जाना जाता है, **जो तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से आरंभ हुआ एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन** था। • **प्रकाशनः** गीता प्रवचन; तीसरी शक्ति; स्वराज्य शास्त्र; भूदान गंगा; मूव्ड बाय लव आदि। • विनोबा भावे **वर्ष 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति थे। उन्हें वर्ष 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।**	• **समुदायवाद और सामाजिक समानता** • ग्राम समुदायों की एकजुटता को बनाए रखने के लिए, उन्होंने भूदान नामक भूमि दान आंदोलन की परिकल्पना की और इसे आरम्भ भी किया। इस आंदोलन ने विश्व भर से प्रशंसा प्राप्त की। साथ ही, स्वैच्छिक रूप से सामाजिक न्याय को उत्प्रेरित करने का यह अपनी तरह का एकमात्र प्रयोग होने के कारण सराहना का पात्र भी बना। • विनोबा भावे ने असमानता जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने की दिशा में अथक प्रयास किया। उन्होंने अपना जीवन गरीबों और दलितों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया और उनके अधिकारों के लिए खड़े रहे।
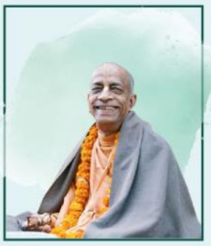 श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद	• इनकी **125वीं जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा 125 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का** जारी किया जाएगा। वर्ष 1959 में, उन्होंने संन्यास का संकल्प लिया था। इसके उपरांत • उन्होंने वैष्णव शास्त्रों पर टीके को लेखनीबद्ध करना आरंभ किया था। • वर्ष 1966 में स्थापित इस्कॉन के नेतृत्व के माध्यम से उन्होंने भारत और विशेष रूप से पश्चिम में **गौड़ीय वैष्णव (हिंदू धर्म का एक दर्शन)** धर्मशास्त्र के **प्रमुख संचारक** के रूप में अपना विशेष योगदान दिया था। • इस्कॉन (अंतर्राष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ) को आमतौर पर **"हरे कृष्णा आंदोलन"** के रूप में जाना जाता है। • गौड़ीय वैष्णववाद मुख्य रूप से राधा और कृष्ण की **भक्ति आराधना (भक्ति योग)** पर केंद्रित रहा है।	• **अध्यात्म और भक्ति** • आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करके, उन्होंने दुनिया के अन्य भागों में भगवान कृष्ण की कथाओं के माध्यम से उनकी शिक्षाओं का प्रसार किया। • एक लेखक के रूप में उन्होंने कृष्ण भक्ति की परंपरा पर 70 से अधिक संस्करण लिखे, जिनका विद्वानों द्वारा गंभीरता और स्पष्टता के लिए अत्यधिक सम्मान किया जाता है।
 भगत सिंह	• वह एक क्रांतिकारी नेता थे, **जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक** भारत में विश्वास करते थे। वह बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे। • वर्ष 1924 में, उन्होंने **हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) की सदस्यता ग्रहण** की थी। बाद में भगत सिंह ने **HRA** का नाम बदलकर हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन **(HSRA)** कर दिया था। • वर्ष 1926 में, उन्होंने **नौजवान भारत सभा नामक एक युवा संगठन की भी स्थापना की थी।** • बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर उन्होंने **केंद्रीय विधान सभा** में बम फेंके थे। • उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ **लाहौर षड्यंत्र मामले में मृत्युदंड** दिया गया था। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं नामक एक निबंध भी लिखा था।	• **देशभक्ति, साहस और समाजवाद** • एक स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते, वे देशभक्ति के मूल्यों और समाजवाद के विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। • उन्होंने अपनी क्रांतिकारी सोच और साहसी कार्यों से स्वतंत्रता आंदोलन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाया। उनका विरोध करने और उनके क्रांतिकारी उत्साह को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया और मृत्युदंड दिया गया।

व्यक्तित्व	विवरण	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
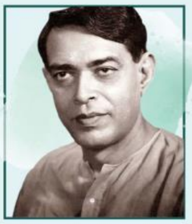 रामधारी सिंह दिनकर	➽ वह **सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधुनिक हिंदी कवियों में से एक थे।** ➽ भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व के दिनों में उनकी प्रेरक देशभक्ति की रचनाओं के कारण उन्हें **"राष्ट्रकवि" की उपाधि प्राप्त हुई थी।** ➽ उनकी रचनाएं मुख्यतः **वीर रस** की हैं। ➽ वह स्वयं को **"बुरा गांधीवादी"** कहते थे, क्योंकि उन्होंने युवाओं में आक्रोश और प्रतिशोध की भावना का समर्थन किया था। वह **तीन बार राज्य सभा के लिए चुने गए** और उन्हें **पद्म** ➽ **भूषण** से भी सम्मानित किया गया था।	➽ **राष्ट्रवाद और मानवतावाद** ➽ एक कवि के रूप में, उनके अधिकांश कार्य बहादुरी और देशभक्ति के गुणों की प्रशंसा से प्रेरित हैं। उन्हें राजनीतिक और सामाजिक नेताओं द्वारा उनके सार के लिए व्यापक रूप से पढ़ा और सराहा गया। ➽ एक मानवतावादी कवि के रूप में, उन्होंने हमेशा सामाजिक वास्तविकताओं और लोगों के वर्चस्व वाले वर्ग के परिणामी दर्द पर लिखना चुना।
 पंडित दीनदयाल उपाध्याय	➽ उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक और भारतीय जनसंघ के सह–संस्थापक थे।** ➽ उन्होंने **राजनीतिक दर्शन 'एकात्म मानववाद'** की परिकल्पना की था। यह दर्शन प्रत्येक मनुष्य के शरीर, मन और बुद्धि तथा आत्मा के एक साथ एवं एकीकृत क्रमादेश का समर्थन करता है। ➽ 1940 के दशक में, उन्होंने **मासिक 'राष्ट्र धर्म'** का प्रकाशन आरंभ किया था। उन्होंने एक **साप्ताहिक पत्रिका 'पात्र्चजन्य'** और एक दैनिक 'स्वदेश' को भी आरंभ किया था। ➽ **कृतियां**ः उन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त, जगतगुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों?, राष्ट्र चिंतन आदि की रचना की थी।	➽ **एकात्म मानवतावाद और सामाजिक सुधार** ➽ उन्हें 'एकात्म मानवतावाद' के उनके सिद्धांत के लिए सबसे अच्छे से याद किया जाता है। एकात्म मानवतावाद को एक वर्गहीन, जातिविहीन और संघर्ष–मुक्त सामाजिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। ध्यातव्य है कि यह सिद्धांत राष्ट्र के राजनीतिक और आर्थिक तथा सामाजिक ताने–बाने के साथ देशज 'भारतीय संस्कृति' के एकीकरण की बात करता है। ➽ वे लोकतंत्र के विचार में विश्वास करते थे तथा एक स्वयंसेवक के रूप में दबे–कुचले वर्ग के लोगों के सामाजिक उत्थान के लिए कार्य किया।
 मनोरमा महापात्रा	➽ वह **एक प्रख्यात साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता** और ओडिया दैनिक 'द समाज' की पूर्व संपादक थीं। वह ओडिशा में महिला सशक्तीकरण का प्रतीक थीं। ➽ उन्हें **वर्ष 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार,** वर्ष 1988 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, वर्ष 1990 में क्रिटिक सर्कल ऑफ इंडिया अवार्ड, वर्ष 1991 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर सम्मान और वर्ष 1994 में रूपंबरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ➽ **पुस्तकें**ः जुआर ज्यूंथी उथे (महिला सशक्तीकरण पर क्रांतिकारी कविताओं का संग्रह), 'अर्धनारीश्वर', 'बैदेही विसर्जित', 'संघतिर संहिता', 'शक्ति रूपेण संस्थिता', आदि।	➽ **लोक हित और महिला मुक्ति** ➽ एक उत्कृष्ट सार्वजनिक वक्ता के रूप में, उनके अपार ज्ञान और जबरदस्त अविश्वसनीय स्मृति शक्ति ने उन्हें एक ऐसा विशिष्टजन बना दिया जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उन्होंने लोगों के बीच प्यार और साथियों के मध्य गहरा प्रभाव उत्पन्न किया। ➽ वह एक प्रोफ़ाइल लेखिका थीं और अपने कार्य के माध्यम से वह समाज में महिला मुद्दों को उजागर करने में सबसे आगे रहीं।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
अपनी तैयारी से जुड़े रहिए
सोशल मीडिया पर फॉलो करें
/c/VisionIASdelhi
/VisionIAS_UPSC
/vision_ias
/Vision_IAS
/visionias.upsc
www.visionias.in

10 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2020

from various programs of **Vision Ias**

1 AIR
SHUBHAM KUMAR
(GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT)

2 AIR
JAGRATI AWASTHI
(ALL INDIA TEST SERIES)

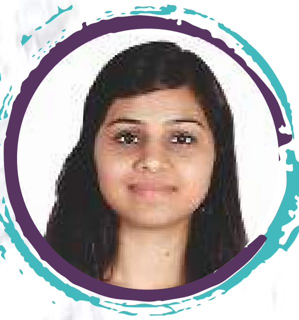

3 AIR
ANKITA JAIN
(ALL INDIA TEST SERIES)

4 AIR
YASH JALUKA
(ABHYAAS TEST SERIES)

5 AIR
MAMTA YADAV
(ALL INDIA TEST SERIES)

6 AIR
MEERA K
(ALL INDIA TEST SERIES)

7 AIR
PRAVEEN KUMAR
(ALL INDIA TEST SERIES , ESSAY TEST , ABHYAAS , PDP)

8 AIR
JIVANI KARTIK NAGJIBHAI
(GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT)

9 AIR
APALA MISHRA
(ABHYAAS TEST SERIES)

10 AIR
SATYAM GANDHI
(ALL INDIA TEST SERIES, EASSY TEST)

YOU CAN BE NEXT

DELHI

HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station
+91 8468022022, +91 9019066066
Mukherjee Nagar Centre
635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar

JAIPUR	HYDERABAD	PUNE	AHMEDABAD	LUCKNOW	CHANDIGARH	GUWAHATI
9001949244	9000104133	8007500096	9909447040	8468022022	8468022022	8468022022

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC